VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

दिसम्बर - 2019

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 6

1.1. नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act)....6

1.2. पदोन्नति में SC/ST के लिए क्रीमी लेयर मानदंड (Creamy Layer Criteria for SC/ST in Promotions)....8

1.3. 126वां संविधान संशोधन विधेयक (126th Constitutional Amendment Bill)....9

1.4. आपराधिक कानूनों में सुधार (Reforms in Criminal Laws)....10

1.5. तटस्थता का सिद्धांत (Doctrine of Neutrality)....12

1.6. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index)....13

1.7. राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (Political Parties Registration Tracking Management System: PPRTMS)....14

1.8. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 {Arms (Amendment) Act, 2019}....14

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 16

2.1. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता (India-US 2+2 Dialogue)....16

2.2. रूस-चीन संबंध और भारत (Russia-China Relations and India)....17

2.3. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping Forces)....18

2.4. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनॉइजेशन (NATO)....19

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 21

3.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP)....21

3.2. भारत की डिजिटल वित्त अवसंरचना (India's Digital Finance Infrastructure)....23

3.3. भारत कौशल रिपोर्ट 2020 (India Skills Report 2020)....24

3.4. फ्यूचर स्किल्स प्राइम (Future Skills Prime)....26

3.5. मेगा फूड पार्क (Mega Food Parks)....27

3.6. भारत में खाद्यान्न भंडारण (Food Grain Storage in India)....29

3.7. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitisation of Land Records)....32

3.8. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (Dedicated Freight Corridor: DFC)....34

3.9. भारतीय रेलवे का संगठनात्मक पुनर्गठन (Railway Restructuring)....36

3.10. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्लोडाउन से निपटने के लिए नीतिगत कार्रवाई का सुझाव (IMF Suggests Policy Actions To Combat Slowdown)....37

3.11. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 (The Code on Social Security, 2019)....39

VISION IAS

3.12. स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक (Independent Director's Databank) 41
3.13. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक, 2019 का मसौदा (Draft National Statistical Commission Bill, 2019) 42
4. सुरक्षा (Security) **44**
4.1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff: CDS) 44
4.2. समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019 (Anti-Maritime Piracy Bill 2019) 45
4.3. भारत नेपाल सीमापारीय सहयोग (India Nepal Cross Border Cooperation) 47
5. पर्यावरण (Environment) **49**
5.1. कांफ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज का 25वां सत्र (COP 25) 49
5.1.1. कार्बन बाज़ार (Carbon Markets) 50
5.1.2. जलवायु वित्तीयन (Climate Finance) 53
5.2. महासागरीय डीऑक्सीजनेशन (Ocean Deoxygenation) 55
5.3. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 (India State of Forests Report 2019) 58
5.4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु HLC द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत (HLC Submits Report On Combatting Air Pollution In NCR) 61
5.5. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 (Climate Change Performance Index-2020) 61
5.6. पॉल्यूशन एंड हेल्थ मेट्रिक्स-2019 (Pollution And Health Metrics-2019) 62
5.7. जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) 63
5.8. अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana) 65
5.9. पर्यावरणीय प्रवास (Environmental Migration) 67
5.10. शहरी आग (Urban Fires) 69
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) **72**
6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2019 (Human Development Report 2019) 72
6.2. सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 (SDG India Index 2019) 74
6.3. वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 (Global Gender GAP Report 2020) 75
6.4. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) 77
6.5. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 {Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019} 78
6.6. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) 81
6.7. पीसा टेस्ट (PISA TEST) 83
6.8. EChO नेटवर्क (EChO Network) 84
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) **86**

VISION IAS

7.1. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (The Personal Data Protection Bill, 2019) 86
7.2. जीन थेरेपी के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (National Guidelines For Gene Therapy) 88
7.3. वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse) 91
8. संस्कृति (Culture) **94**
8.1. आंध्रप्रदेश में दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम संस्कृत शिलालेख की प्राप्ति (Earliest Sanskrit inscription in South India found in AP) 94
8.2. पाइका विद्रोह (Paika Rebellion) 94
8.3. नेहरू-लियाकत समझौता (Nehru-Liaquat Agreement) 95
9. नीतिशास्त्र (Ethics) **97**
9.1. विजिलेंट जस्टिस (Vigilante Justice) 97
10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) **99**
10.1. हिंद महासागर संवाद 2019 (Indian Ocean Dialogue 2019) 99
10.2. भारत एवं ब्राजील के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौता (Agreement on Social Security Between India and Brazil) 99
10.3. 'इंसटेक्स' वस्तु-विनिमय प्रणाली (INSTEX Barter Mechanism) 99
10.4. फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क (Palestine-India Techno Park) 100
10.5. भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender) 100
10.6. 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण' की अनवरत उपलब्धता {National Electronic Funds Transfer (NEFT) Available Round the Clock} 100
10.7. RuPay, UPI के माध्यम से भुगतान पर MDR शुल्क की समाप्ति (No MDR Charges on Payment via RuPay, UPI) 100
10.8. GST परिषद की 38वीं बैठक (38th Meeting of GST Council) 101
10.9. गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस संवाद {Government e-Marketplace(GeM) Samvaad} 101
10.10. गवर्मेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम {Government Instant Messaging System (GIMS)} 101
10.11. अंकटाड B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स 2019 (UNCTAD B2C E-Commerce Index 2019) 101
10.12. ब्राह्मोस मिसाइल (Brahmos Missiles) 102
10.13. युद्ध अभ्यास (Military Exercises) 102
10.14. वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 (Global Climate Risk Index 2020) 102
10.15. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Global Carbon Project Report) 102
10.16. वैश्विक जलवायु की स्थिति पर WMO का अनंतिम विवरण (WMO Provisional Statement on the State of the Global Climate) 103

VISION IAS

10.17. ताज ट्रेपेजियम ज़ोन (Taj Trapezium Zone: TTZ) 103
10.18. एकल विद्यालय अभियान (Ekal Vidyalaya Abhiyan) 103
10.19. दिशा अधिनियम (Disha Act) 104
10.20. जगा मिशन (Jaga Mission) 104
10.21. फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम (Fit India School grading system) 104
10.22. रिसैट-2बीआर1 (RISAT-2BR1) 105
10.23. क्लियर स्पेस-1 मिशन (ClearSpace-1 Mission) 105
10.24. वाई-फाई कॉलिंग (Wi-Fi Calling) 106
10.25. धूमकेतु 2I/बोरिसोव (Comet 2I/Borisov) 106
10.26. नासा द्वारा प्रतिदर्श संग्रहण मिशन के लिए क्षुद्रग्रह बेन्नू पर स्थान का चयन (Nasa Selects Site on Asteroid Bennu for Sample Collection Mission) 106
10.27. अमेरिका की संबद्ध प्रणाली के रूप में नाविक (NAVIC as Allied System of US) 106
10.28. गोल्ड कोटेड कवक (Gold-Coated Fungi) 107
10.29. भारत के वैज्ञानिक लेखों का प्रकाशन (India's Science Publications) 107
10.30. पुर्तगाल द्वारा गांधी पुरस्कार की स्थापना (Portugal Sets up Gandhi Prize) 107
10.31. वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार (Sahitya Akademi Awards 2019) 107
10.32. भारतीय संस्कृति पोर्टल (Indian Culture Portal) 108
10.33. एसोचैम की स्थापना के 100 वर्ष (100 Years of ASSOCHAM) 108
10.34. राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार (National Florence Nightingale Award) 108
10.35. रोहतांग टनल का अटल टनल के रूप में पुनर्नामकरण (Rohtang Tunnel renamed as Atal tunnel) 109

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 110

11.1. अमृत (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT) 110
11.2. मिशन अंत्योदय (Mission Antyodaya) 111
11.3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-आशा) {Pradhan Mantri- Annadata Aay Sanrakshan Yojana (Pm-Aasha)} 112
11.4. प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana: PMVDY) 112
11.5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme For MSMEs) 113

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019** अधिनियमित किया गया, जिसके माध्यम से **नागरिकता अधिनियम, 1955** में संशोधन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 11** संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई भी उपबंध करने हेतु सशक्त करता है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 में प्रावधान किया गया था कि **"अवैध प्रवासी"** पंजीकरण या देशीयकरण, दोनों के माध्यम से नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र **नहीं** होंगे।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(b) अवैध प्रवासी को ऐसे विदेशी के रूप में परिभाषित करती है, जो:
  - पासपोर्ट एवं वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है; अथवा
  - वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश करता है, लेकिन भारत में उस समयावधि से अतिरिक्त समय तक रहता है, जितनी अवधि के लिए उसे अनुमति प्रदान की गई थी।
- हालांकि, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, विगत कुछ वर्षों में कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे:
  - उल्लेखनीय है कि **विदेशी विषयक अधिनियम, 1946** (यह अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश एवं प्रस्थान को विनियमित करता है) और **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920** (यह अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट रखने का अधिदेश प्रदान करता है) केंद्र सरकार को अवैध प्रवासियों को कारावास की सजा या निर्वासित करने का अधिकार प्रदान करता है।
    - वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने दो अधिसूचनाएं जारी करके अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 के अधिनियमों के प्रावधानों से छूट प्रदान की। इस समूह के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से आए हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंधित व्यक्ति, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। इसका आशय यह है कि इन अवैध प्रवासियों के समूहों को वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने हेतु निर्वासित नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें कारावास में रखा जाएगा।
  - वर्ष 2016 में एक नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया था लेकिन यह व्यपगत हो गया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act: CAA), 2019 के प्रमुख प्रावधान

- इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले अवैध प्रवासियों को इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा:
  - यदि वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से हैं;
  - यदि वे अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से संबंधित हैं;
  - यदि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया है तथा वे संविधान की **छठी अनुसूची** में सम्मिलित कुछ जनजातीय क्षेत्रों (असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा) या **'इनर लाइन परमिट'** के तहत आने वाले क्षेत्रों (अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड) में नहीं रह रहे हों।
    - इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलांग (असम), गारो हिल्स (मेघालय), चकमा जिला (मिजोरम) और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला शामिल हैं।
- अवैध प्रवासन या नागरिकता के संबंध में प्रवासियों की इन श्रेणियों के विरुद्ध सभी कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी।
- प्रवासियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए देशीयकरण की अवधि **11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दी गई है।
  - 1955 का अधिनियम एक व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता अर्जन के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करता है:
    - यदि वह भारत में रह रहा हो या विगत 12 माह से भारत सरकार की सेवा में हो तथा विगत 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो।

VISION IAS

- **प्रवासी भारतीय नागरिक (Overseas Citizen of India: OCI) के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आधार:** इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार OCI के पंजीकरण को रद्द कर सकती है, यदि OCI कार्डधारक नागरिकता अधिनियम या केंद्र द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है। हालांकि, कार्डधारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।
    - यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार OCI के पंजीकरण को अग्रलिखित पांच आधारों पर रद्द कर सकती है: (1) धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण कराना, (2) भारत के संविधान के प्रति अनादर या असंतुष्टि प्रकट करना, (3) युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संबंध, (4) भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित में आवश्यक होने पर, या (5) यदि पंजीकरण के पांच वर्ष के भीतर OCI कार्डधारक को दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा मिलती है।

CAA के पक्ष में तर्क

- **धार्मिक उत्पीड़न:** दिल्ली पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध वर्ष 1950 में हस्ताक्षरित नेहरू-लियाकत समझौते में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षोपाय और अधिकार प्रदान किए गए थे, जैसे- जबरन धर्मांतरण को गैर-मान्यता और अपहृत महिलाओं तथा लूटी गई संपत्ति की वापसी आदि।
    - हालांकि, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में राजकीय धर्म का प्रावधान है, जहां भेदभावपूर्ण ईश निन्दा कानून, धार्मिक हिंसा और जबरन धर्मांतरण के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समूहों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है।
    - उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में वर्ष 1951 में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आबादी 23.20 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011 में घटकर लगभग 9.6 प्रतिशत रह गई थी।
- **अवैध आप्रवास (Illegal immigration):** पड़ोसी राष्ट्रों से अवैध आप्रवास दशकों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। उदाहरण के लिए, असम में वर्ष 1979 में शुरू हुए और लगभग 6 वर्षों तक चले आंदोलन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने सभी अवैध आप्रवासियों (मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए आप्रवासी) की पहचान और उनके निर्वासन की मांग की थी। यह अधिनियम अवैध आप्रवासियों और शरण मांगने वाले उत्पीड़ित समुदायों के मध्य अंतर करेगा।

CAA के विपक्ष में तर्क

- **देशों का वर्गीकरण:** यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन देशों से आए प्रवासियों को अन्य पड़ोसी राष्ट्रों {जैसे- श्रीलंका (राजकीय धर्म- बौद्ध) और म्यांमार (बौद्ध धर्म की प्रधानता)} से आए प्रवासियों से पृथक क्यों किया गया है।
    - जबकि, श्रीलंका में वर्षों से एक भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय (तमिल ईलम) का उत्पीड़न होता रहा है।
    - म्यांमार में भी रोहिंग्या मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का इतिहास रहा है।
- **अल्पसंख्यक समुदायों का वर्गीकरण:** CAA में केवल **'6 अल्पसंख्यक समुदायों'** का ही उल्लेख है और इसमें **'उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों' या 'धार्मिक उत्पीड़न'** का उल्लेख नहीं है। इसलिए, आदर्श रूप में इसे धार्मिक उत्पीड़न एवं राजनीतिक उत्पीड़न के मध्य अंतर नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, CAA से मुसलमानों, यहूदियों और नास्तिकों को बाहर रखने को संविधान के **अनुच्छेद 14** का उल्लंघन बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए:
    - पाकिस्तान में वर्षों से शिया, हजारा अथवा अहमदिया मुसलमानों (जिन्हें वहां पर गैर-मुस्लिम माना जाता है) जैसे सह-धर्मावलंबियों का उत्पीड़न होते आया है।
    - बांग्लादेश में भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नास्तिकों की हत्या की जाती रही है।
- **प्रवेश की तिथि के आधार पर वर्गीकरण:** CAA, भारत में प्रवेश की तिथि के आधार पर भी प्रवासियों के मध्य अंतर करता है, अर्थात्, इसमें केवल उन आप्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख है जिन्होंने भारत में 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व प्रवेश किया है।
- **असम समझौते के प्रावधान और भावना के विरुद्ध:** असम समझौते के तहत विदेशियों की पहचान और निर्वासन हेतु 25 मार्च 1971 की तिथि नियत की गयी है, जबकि, अन्य राज्यों के लिए कट-ऑफ-इयर 1951 है। जबकि, CAA में NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन) के लिए कट-ऑफ-डेट को 25 मार्च 1971 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 किया गया है।
- **OCI के पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में प्रावधान:** इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार को उन कानूनों की सूची को निर्धारित करने की शक्ति दी गई है, जिनके उल्लंघन के परिणामस्वरूप OCI का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इसे विधायिका द्वारा कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के तौर पर देखा जा रहा है।
- **विदेशी संबंधों पर प्रभाव:**
    - CAA में यह निहित है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक का धार्मिक उत्पीड़न संशोधन के कारणों में से एक है। इसका आशय है कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम प्रवासियों को "निर्वासित" किया जाएगा। ऐसे में यह द्विपक्षीय मुद्दों को प्रभावित करने के साथ-साथ बांग्लादेश से संबंधों को विकृत करेगा।

VISION IAS

- नागरिक राष्ट्रवाद और धार्मिक बहुलवाद के प्रति भारत की सुदृढ़ प्रतिबद्धता, ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन पर अमेरिका और पश्चिम राष्ट्रों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई है। यह संभावना व्यक्त की गयी है कि इससे रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

CAA एवं NRC/NRIC (नेशनल रजिस्टर ऑफ़ इंडियन सिटीजन) के मध्य संबंध

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14A {नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा अंतःस्थापित} के अनुसार:

- केंद्र सरकार, अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है तथा उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है।
- केंद्र सरकार **NRIC** को बनाए रख सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण (नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी) की स्थापना कर सकती है।
- **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969** के तहत नियुक्त **भारत का रजिस्ट्रार जनरल** राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और वह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन के तौर पर भी कार्य करेगा।
- CAA के कार्यान्वयन हेतु, नागरिकों और अवैध प्रवासियों की पहचान की जानी है। इसलिए, NRIC इस प्रक्रिया का प्रथम चरण है।

NRC और NPR के मध्य संबंध

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register: NPR) "देश के सामान्य निवासियों" (usual resident of the country) की एक सूची है। **"देश का सामान्य निवासी"** वह व्यक्ति है जो कम से कम विगत छह माह से किसी स्थानीय क्षेत्र में रह रहा है अथवा अगले छह माह के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। **इसलिए, NPR में विदेशी व्यक्ति सम्मिलित भी हो सकते हैं।**
- हालांकि, निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद, यदि एक राष्ट्रव्यापी NRC की आवश्यकता पड़ती है, तो NPR की सूची के आधार पर नागरिकों को सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, यदि भविष्य में NRC तैयार की जाएगी तो वह NPR के आधार पर तैयार होगा।

निष्कर्ष

- भारतीय लोकतंत्र कल्याण एवं पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा तथा एक प्रगतिशील संविधान पर आधारित है, जहां अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में, यह राज्य का एक नैतिक दायित्व है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों की आशंकाओं को दूर करे, यदि कोई हो। इसलिए, मूल देश (कंट्री ऑफ़ ऑरिजिन) एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के आधार पर CAA में किए गए वर्गीकरण को और अधिक समावेशी बनाया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, भारत को एक शरणार्थी अधिनियम अधिनियमित करना चाहिए, जिसमें बिना भय या कारावास के जीवन जीने का अधिकार सुरक्षित हो सके। यदि ऐसी आशंका है कि ऐसे में लोग स्थायी शरण की तलाश कर सकते हैं, तो UNHCR आधिकारिक तौर पर लंबे समय तक शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु अपात्र किए बिना, उनके साथ स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन के लिए काम कर सकता है।

नोट: NPR के बारे अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2019 की समसामयिकी देखें।

1.2. पदोन्नति में SC/ST के लिए क्रीमी लेयर मानदंड (Creamy Layer Criteria for SC/ST in Promotions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने पदोन्नति में SC/ST को आरक्षण देने से संबंधित **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद, 2018** में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के पुनर्विलोकन की मांग की है।

पृष्ठभूमि

- **एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006)**
  - इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए पदोन्नति में आरक्षण के विस्तार की संवैधानिक वैधता को निम्नलिखित तीन शर्तों/मानदंडों के आधार पर वैध ठहराया था:
    - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े (quantifiable data);
    - उस पद/सेवा में जिसके लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना है, से सम्बद्ध अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े; और
    - समग्र प्रशासनिक दक्षता।
- इसके उपरांत केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि **एम. नागराज वाद** में प्रदत्त निर्णय ने आरक्षण का लाभ प्रदान करने पर अनावश्यक शर्तें आरोपित की हैं।

- तत्पश्चात, **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद (2018)** में उच्चतम न्यायालय ने "अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करने" की आवश्यकता के बिना सरकारी नौकरियों में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी।
- हालांकि, इस वाद में न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा कि वह SC/ST के लिए क्रीमी लेयर मानदंड की शुरुआत करने की संभावना की जांच करे, क्योंकि यदि SC/ST के केवल कुछ वर्ग ही सभी प्रतिष्ठित नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे, तो शेष वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े ही बने रहेंगे।
- न्यायालय ने वर्ष 2006 के नागराज वाद में प्रदत्त निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की सरकार की मांग को अस्वीकृत कर दिया।
- अब, केंद्र सरकार ने न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने का आग्रह किया है।

क्रीमी लेयर

- **इंदिरा साहनी वाद (1992)** से इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। उच्चतम न्यायलय ने सरकार से क्रीमी लेयर मानदंड को परिभाषित करने के लिए **आय, संपत्ति या पद (स्टेटस)** का निर्धारण करने हेतु निर्देश दिया था।
- वर्तमान में, आरक्षण हेतु क्रीमी लेयर मानदंड **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** के लिए लागू है।
- वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारी आदि तथा साथ ही प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक आय अर्जन करने वाले व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं।

SC/ST के लिए क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने के पक्ष में तर्क

- **बेहतर आय और पद:** SC और ST समुदाय के अंदर क्रीमी लेयर की अवधारणा से सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में सुधार आएगा, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रति होने वाले भेदभाव में कमी आएगी।
- **सर्वाधिक सीमांत वर्ग को प्राथमिकता:** जरनैल सिंह वाद में प्रदत्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि, आरक्षण के अधिकांश लाभ पिछड़ी जाति या वर्ग के शीर्ष क्रीमी लेयर द्वारा उठाया जा रहा है जिससे समाज के कमजोर वर्ग के हमेशा कमजोर बने रहने की प्रवृत्ति को अनावश्यक बल मिला है।

SC/STs के लिए क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने के विपक्ष में तर्क

- **सेवाओ के अंदर भेदभाव:** यह तर्क दिया जाता है कि सेवाओं के भीतर व्यापक भेदभाव व्याप्त है। उदाहरण के लिए, SC/ST आयोग के पास लगभग 12,000 मामले लंबित हैं, जो सेवाओ में भेदभाव की शिकायत पर आधारित हैं।
- **गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम नहीं:** दलितों के लिए आरक्षण आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह अस्पृश्यता पर आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने हेतु परिकल्पित है। इस प्रकार, यह आर्थिक स्थिति से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हो सकता है।
- **अनुच्छेद 335:** इसमें यह उल्लेख किया गया है कि सकारात्मक कार्यवाही, लोक प्रशासन की समग्र दक्षता के अधीन होनी चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण संगठन की योग्यता-आधारित संस्कृति को प्रभावित कर सकता है।
- **OBCs और SC के मध्य अंतर:** ऐतिहासिक रूप से OBCs द्वारा SC के समान भेदभाव के प्रकार और तीव्रता का सामना नही किया गया है। सामान्यतया, OBC समुदाय का कोई व्यक्ति यदि एक निश्चित आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो सामाजिक भेदभाव की सीमा भी उस हद तक कम हो जाती है।

आगे की राह

- **परामर्शीय दृष्टिकोण:** आरक्षण एक अति संवेदनशील विषय है, इस प्रकार इस पर कोई भी निर्णय सभी हितधारकों के परामर्श के उपरांत ही लिया जाना चाहिए।
- **अन्य उपायों का सुदृढ़ीकरण:** जैसे- दलित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, वहनीय ऋण प्रदान करना (यथा- स्टैंड-अप इंडिया योजना), जागरूकता बढ़ाना आदि कार्यकलाप अप्रत्यक्ष रूप से दलितों की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में सुधार कर सकते हैं।

1.3. 126वां संविधान संशोधन विधेयक (126th Constitutional Amendment Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 126वां संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- निम्नलिखित दो उद्देश्यों के लिए इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया था:
  - अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए लोकसभा एवं विधायी निकायों में आरक्षण की समयावधि में विस्तार; तथा
  - आंग्ल-भारतीयों (एंग्लो-इंडियन) को लोकसभा एवं विधायी निकायों में नामित (नामनिर्देशित) करने के प्रावधान की समाप्ति।

- इस विधेयक के माध्यम से **अनुच्छेद 334** में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं विधायी निकायों में आरक्षण की समयावधि (जो वर्ष 2020 में समाप्त हो जाएगी) को **25 जनवरी 2030** तक विस्तारित किया गया है।
- **अनुच्छेद 334** के अंतर्गत मूल प्रावधान यह था कि सीटों का आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के आरंभ होने के 10 वर्ष पश्चात् समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक 10 वर्षों में इस समयावधि का विस्तार किया जाता रहा है (8वें, 23वें, 45वें, 62वें, 79वें और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा)।
- वर्तमान में, केवल कुछ राज्य विधानसभाओं (जैसे- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि) में प्रत्येक में एक-एक आंग्ल-भारतीय सदस्य को नामित करने का प्रावधान है। यह विधेयक इस प्रावधान को समाप्त करता है।
- वर्तमान लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय से एक भी सदस्य को नामित नहीं किया गया है।
- कुछ समय पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आदि की सदस्यता वाले एक पैनल ने अवलोकन किया था कि यह समुदाय बेहतर स्थिति में है तथा उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं हैं।
- चूंकि, यह संशोधन विधेयक "संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व" से संबंधित होने के कारण **अनुच्छेद 368(2)(d)** के दायरे में आता है, इसलिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा साधारण बहुमत से इसके अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
    - **अनुच्छेद 368** संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

आंग्ल-भारतीय की परिभाषा

अनुच्छेद 366 (2) के अनुसार, "आंग्ल-भारतीय" से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है, जिसका पिता या पितृ-परंपरा में से कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, किंतु जो भारत के राज्यक्षेत्र के अधिवासी हैं और जो ऐसे राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से जन्मा है या जन्मा था जो वहाँ साधारणतया निवासी रहे हैं और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं।

सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **SC/ST के लिए**
    - **अनुच्छेद 330** और **332** क्रमशः लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में SC/ST के लिए उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
    - साथ ही, SC/ST समुदाय के उम्मीदवारों के लिए सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **आंग्ल-भारतीयों के लिए:**
    - आंग्ल-भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि वे बहुत कम संख्या में थे और देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए थे।
    - आंग्ल-भारतीयों के नामनिर्देशन का विचार ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष **फ्रैंक एंथनी** द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना सुझाव प्रस्तुत किया था जिसके उपरांत संविधान में अनुच्छेद 331 को जोड़ा गया।
    - **प्रमुख प्रावधान:**
        - **अनुच्छेद 331** में यह उल्लेख है कि, "यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा"।
        - **अनुच्छेद 333** में यह उल्लेख है कि, "यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा"।
        - संविधान की **10वीं अनुसूची** के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के आंग्ल-भारतीय सदस्य अपने नामनिर्देशन के छह माह के भीतर किसी भी दल की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने के उपरांत वे संबंधित राजनीतिक दल के व्हिप के आदेशों को मानने हेतु बाध्य होते हैं।
        - आंग्ल-भारतीय सदस्यों की शक्तियां भी अन्य सांसदों के समान होती हैं, परंतु वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते।

1.4. आपराधिक कानूनों में सुधार (Reforms in Criminal Laws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) ने सभी राज्य सरकारों को **भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC)** तथा **दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure: CrPC)** में आमूल चूल परिवर्तन करने और उन्हें पुनर्संरचित करने हेतु अपने सुझाव प्रेषित करने के लिए कहा, ताकि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का मार्ग प्रशस्त हो सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPRD)** द्वारा IPC, CrPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) तथा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) जैसे कानूनों की समीक्षा की जाएगी।
    - गृह मंत्रालय के अंतर्गत BPRD की स्थापना वर्ष 1970 में सरकार द्वारा **पुलिस बलों के आधुनिकीकरण** के उद्देश्य से की गई थी।

आपराधिक कानूनों (IPC और CrPC) में सुधार की आवश्यकता

- **कानूनों को और अधिक नैतिक तथा नीतिपरक बनाना:** संवैधानिक नैतिकता के नए आदर्शों, यथा- अपराधों की संभावित लघु परिभाषा, निरपराधता की पूर्वधारणा आदि के अनुरूप संहिता निर्मित करने के लिए दंड संहिता में शामिल कुछ अपराधों को निरस्त करने की आवश्यकता है।
- **अभियोजन में निष्पक्षता सुनिश्चित करना:** आपराधिक न्याय प्रणाली में, चूंकि अभियुक्त के तौर पर एक व्यक्ति को राज्य की शक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, अत: ऐसी स्थिति में आपराधिक कानून के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य द्वारा अभियोजक के रूप में अपनी स्थिति का अनुचित लाभ न उठाया जाए।
- **अप्रचलित और पुरातन प्रावधानों का निष्प्रभावन:** स्वतंत्रता के आदर्श के अनुसरण हेतु आपराधिक और दंड संहिता में पर्याप्त परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है तथा इनमें समाविष्ट अप्रचलित प्रावधानों को निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए।
    - यह अपेक्षा की गयी थी कि विभिन्न विधायी संशोधनों द्वारा नियमित रूप से IPC को संशोधित किया जाएगा, परन्तु ऐसा न होने के कारण न्यायालय स्वयं ही इस प्रकार के कार्य के संपादन हेतु बाध्य हुए हैं।
    - हालांकि, इसके परिणाम अधिक संतोषजनक नहीं रहे हैं, क्योंकि अधिकांश संशोधन तदर्थ और केवल प्रतिक्रियाशील थे।
- **अस्पष्टता और अनिश्चितता का निवारण करना:** उदाहरण के लिए, दंड संहिताओं में 'आपराधिक मानववध' और 'हत्या' को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसी कारण इन धाराओं की संहिता के सर्वाधिक अशक्त भाग के रूप में आलोचना की जाती है।
    - उल्लेखनीय है कि 'आपराधिक मानववध' को तो परिभाषित किया गया है, परन्तु 'हत्या' को परिभाषित नहीं किया गया है।

IPC और CrPC के बारे में

- IPC अपराध की परिभाषा निर्धारित करता है, जबकि CrPC आपराधिक जांच प्रक्रिया के विषय में सूचना प्रदान करता है।
- **IPC:** यह भारत की **आधिकारिक आपराधिक संहिता** है।
    - यह एक व्यापक संहिता है, जिसमें आपराधिक कानून के समस्त सारभूत पहलुओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है।
    - इस संहिता का प्रारूप **लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 में गठित भारत के प्रथम विधि आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।**
    - इस संहिता को कई बार संशोधित किया गया है तथा वर्तमान में अन्य अनेक आपराधिक प्रावधान इसके संपूरक हैं।
        - **उदाहरणार्थ:** धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) में आंशिक निरसन किया गया है तथा धारा 309 (आत्महत्या का प्रयत्न) तथा धारा 497 (व्यभिचार) को वर्तमान में निरस्त किया जा चुका है।
- **CrPC:** यह भारत में सारभूत आपराधिक कानून के प्रशासन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख विधान है।
    - इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया, हालांकि वर्ष 1882 में ही इसे निर्मित किया गया था।
    - यह अपराध की जांच, संदिग्ध अपराधियों की गिरफ़्तारी, साक्ष्य संग्रह, अभियुक्त व्यक्ति के अपराध या निरपराधता के निर्धारण और दोषियों के लिए दंड के निर्धारण हेतु एक तंत्र की स्थापना करता है।

आगे की राह

- **IPC में कोई भी संशोधन अनेक सिद्धांतों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए, यथा-**
    - कोई भी सुधार **लोकतांत्रिक मूल्यों** को बनाए रखने के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए और मानवाधिकारों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। इन विधियों को पुनर्संरचित करते समय अपराध से पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों की पहचान करने हेतु पीड़ित और उसे प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों के अध्ययन (विक्टिमोलॉजिकल) को सुदृढ़ आधार प्रदान करने पर बल दिया जाना चाहिए।
    - **नए अपराधों का निर्धारण** और अपराधों के वर्तमान वर्गीकरण में संशोधन आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विगत चार दशकों में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं।
    - **नए प्रकार के दंड,** जैसे- सामुदायिक सेवा आदेश, क्षतिपूर्ति आदेश तथा पुष्टिकर और सुधारवादी न्याय के अन्य पहलूओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

VISION IAS

- **अपराधों का वर्गीकरण** भविष्य में अपराधों के निर्धारण में सहायक रीति के अनुसार किया जाना चाहिए।
- आपराधिक न्याय प्रणाली में अनेकों प्रवेशकों से निपटने हेतु राज्य की सुरक्षार्थ **सिद्धांतहीन अपराधीकरण से बचना चाहिए।**
- **प्रक्रियात्मक पक्ष के दृष्टीकोण से**, दंडाज्ञा सुधार अत्यधिक आवश्यक है। सिद्धांतवादी दंडाज्ञा अत्यावश्यक है, क्योंकि वर्तमान में न्यायाधीशों को आरोपित किए जाने वाले दंड की मात्रा और प्रकृति को निर्धारित करने की विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है।

आपराधिक न्याय स्पष्ट नीति की स्थिति में नहीं है, इसलिए एक स्पष्ट नीति का प्रारूप निर्मित किए जाने की आवश्यकता है, जो IPC या CrPC में परिकल्पित किए जाने वाले परिवर्तनों से अवगत करवाएगी।

1.5. तटस्थता का सिद्धांत (Doctrine of Neutrality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हालिया दिनों में, कुछ संवैधानिक पद **राजनीतिक तटस्थता के आधार पर** उच्चतम न्यायालय की निगरानी के दायरे में आए हैं।

पृष्ठभूमि

- उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, लोक सभा/विधान सभा अध्यक्ष और राज्यपाल जैसे प्राधिकारियों को **"तटस्थता के सिद्धांत"** के प्रति विश्वसनीय बने रहने तथा "प्रबल होते जा रहे राजनीतिक दबाव" के अंतर्गत भी दृढ़ रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
- **कर्नाटक विधान सभा का मामला (अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्नचिन्ह):** दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्ह घोषित किए गए कर्नाटक विधान सभा के पूर्व असंतुष्ट विधायकों द्वारा अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:
  - "यदि अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल से असम्बद्ध रहने में असमर्थ है तथा तटस्थता एवं स्वतंत्रता की भावना के विरुद्ध व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यक्ति लोक विश्वास और भरोसे का पात्र होने की संभावना की उपेक्षा कर देता है।"
- विगत वर्षों में केंद्र सरकार की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), निर्वाचन आयोग (EC) आदि के साथ संघर्ष की स्थिति दृष्टिगत हुई है। इसके अतिरिक्त, यह उपहास भी किया गया है कि ये संस्थान स्वयं को सरकार द्वारा नियंत्रित होने का अवसर प्रदान करते हैं।

तटस्थता का सिद्धांत क्या है?

- यह संवैधानिक लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। **तटस्थता** वस्तुतः दो पक्षों के मध्य संघर्ष की स्थिति में स्वयं को "तृतीय" पक्ष के रूप प्रस्तुत करना है।
- इस प्रकार तटस्थता का सिद्धांत, संघर्षरत पक्षों के विवादों के समाधान हेतु तटस्थता का विकल्प प्रदान करने तथा उनके संघर्ष में सम्मिलित न होने की मांग करता है।

संवैधानिक पदों के संदर्भ में तटस्थता के सिद्धांत का महत्व

- **संवैधानिक विश्वास को बनाए रखना:** अध्यक्ष, राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त आदि पदों में संवैधानिक विश्वास निहित है, जिन्हें अपने कृत्यों में तटस्थता सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।
- **राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करना:** राज्यपाल, अध्यक्ष, CAG और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक पदों द्वारा अपनी व्यापक संवैधानिक शक्तियों का उपयोग राजनीतिक तटस्थता एवं निष्पक्षता की "पवित्र" परम्परा के अनुरूप होना चाहिए।
  - हालांकि, उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश के मामले में इस प्रकार की पवित्र परम्परा का क्षरण दृष्टिगोचर हुआ है, जहाँ दोनों राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों ने 10वीं अनुसूची के तहत विधायकों को निरर्ह घोषित करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करके सत्तारूढ़ दल को बहुमत में रखने में सहायता प्रदान की थी।
- **संघवाद को बनाए रखना:** भारत में, शक्ति-संतुलन का झुकाव संघ की ओर है। परन्तु, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का महत्व इस तथ्य को इंगित करता है कि वह केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रभावी संचार स्थापित करने में संघीय ढांचे के अंतर्गत महत्वपूर्ण माध्यम है।
- **अभिशासन में निरंतरता और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में सहायक:** संवैधानिक पद, जैसे- अध्यक्ष और राज्यपाल एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर या समन्वय स्थापित कर राज्य सरकारों के भावी स्थायित्व का निर्धारण कर सकते हैं।
  - राज्यपाल की भूमिका राज्य में शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने तथा यहां तक कि संवैधानिक संकट के समय में भी सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य अनौपचारिक विवादों में एक तटस्थ मध्यस्थ की होती है। इसके अतिरिक्त, वह जनता के अंतःचेतना के रक्षक के रूप में भी कार्य करता है।
- **निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायक:** निर्वाचन किसी भी देश की शासन प्रणाली की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इस प्रकार इसमें किसी देश के दीर्घकालिक लोकतांत्रिक विकास को अधिक समृद्ध अथवा अवरुद्ध करने की क्षमता निहित है। इसलिए, इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग की तटस्थता अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान हो जाती है।

VISION IAS

- **अर्थव्यवस्था के विकास को बनाए रखने में सहयोगी:** CAG जैसे संवैधानिक पद की स्वतंत्रता, शक्तियां और उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखांकन में संलग्न उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों हेतु उच्च स्तरीय नैतिकता की आवश्यकता होती है।
    - CAG के लिए सामान्य मानकों में विधायिका एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता शामिल है ताकि सरकार द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के आर्थिक कदाचार या सरकारी धन के अपव्यय को इंगित किया जा सके।

निष्कर्ष

- राजनीतिक तटस्थता के सिद्धांत के अंतर्गत संवैधानिक पदाधिकारियों को विवादित प्रश्नों पर तटस्थ रहने की आवश्यकता होती है तथा यह सिद्धांत सहिष्णुता एवं विचारों की स्वतंत्रता के परम्परागत उदारवादी सिद्धांतों का विस्तार है।
- इस प्रकार राजनीतिक तटस्थता न केवल संवैधानिक पदों पर अपितु वर्तमान सरकार पर भी कर्त्तव्यों का आरोपण करती है। राजनेताओं द्वारा स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालयों को राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षण प्रदान करना चाहिए तथा साथ ही इन्हें राजनीतिक गतिविधियों या वाद-विवाद में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

कर्नाटक मामले पर अधिक जानकारी के लिए नवंबर 2019 की समसामयिकी देखें।

1.6. सुशासन सूचकांक (Good Governance Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर 'सुशासन सूचकांक' की शुरुआत की गई।

सुशासन सूचकांक (Good Governance Index: GGI) के बारे में

- सुशासन सूचकांक वस्तुतः राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में **सुशासन की स्थिति तथा उनके द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभावों का आकलन** करने हेतु विकसित एक साधन है।
- GGI का **उद्देश्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में सुशासन की स्थिति की तुलना करने हेतु मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराना है।**
- GGI में चित्र में दर्शाए गए **दस क्षेत्रों** को शामिल किया गया है।
- **राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को तीन समूहों में विभाजित गया है, यथा-** a) बड़े राज्य, b) पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य तथा c) संघ शासित प्रदेश।
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सभी संकेतकों पर पृथक-पृथक रैंक प्रदान की जाती है तथा साथ ही इन संकेतकों के आधार पर उनके संबंधित समूह के अंतर्गत इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग की भी गणना की जाती है।
- GGI शासन को बेहतर बनाने और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण एवं प्रशासन की ओर अभिमुख होने हेतु उपयुक्त रणनीति तैयार करने तथा उसे लागू करने में सहायता प्रदान करता है।

सभी राज्यों की समग्र रैंकिंग

- **बड़े राज्य:** तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात् महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का स्थान है।
- **पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य:** हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात् उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम का स्थान है।
- **संघ शासित प्रदेश:** पुडुचेरी प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात् चंडीगढ़ और दिल्ली का स्थान है।

अन्य संबंधित तथ्य

नागपुर संकल्प (Nagpur Resolution): यह नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसे **नागपुर में आयोजित एक प्रादेशिक सम्मेलन 'लोक सेवा वितरण में सुधार- सरकारों की भूमिका'** के दौरान अपनाया गया था।

- इस सम्मेलन का आयोजन **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) द्वारा महाराष्ट्र सरकार** तथा **महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार आयोग** (Maharashtra State Commission for Right to Public Services) के सहयोग से किया गया था।
- इस प्रस्ताव में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:
    - **नागरिक चार्टर को समयबद्ध तरीके से अद्यतित** कर नागरिकों को सशक्त बनाना;
    - **शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु बॉटम-अप एप्रोच** को अपनाकर नागरिकों को सशक्त बनाना;
    - **डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण** हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना;

- **गत्यात्मक नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णय, कार्यान्वयन की निगरानी, प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति, समन्वय और मूल्यांकन** पर ध्यान केंद्रित करना; तथा
- 10 क्षेत्रों में शासन की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए **सुशासन सूचकांक का समय पर प्रकाशन** सुनिश्चित करना।

1.7. राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (Political Parties Registration Tracking Management System: PPRTMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत निर्वाचन आयोग ने **राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS)** का शुभारम्भ किया है।

PPRTMS के बारे में

- इसे **आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।**
- यदि आवेदक अपने द्वारा किए गए आवेदन की प्रगति को ट्रैक करने की इच्छा प्रकट करता है, तो उसे आवेदन में अपने दल या व्यक्तिगत **मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का उल्लेख करना आवश्यक होता है।**

राजनीतिक दलों का पंजीकरण

- निर्वाचन आयोग निर्वाचनों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें **उनके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है।**
- अन्य दलों को केवल **पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों** के रूप में घोषित किया जाता है।
- राजनीतिक दलों का पंजीकरण **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** की **धारा 29A** के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
  - पंजीकरण की मांग करने वाले दल को कुछ आधारभूत विवरणों, जैसे- नाम, पता, सदस्यता विवरण, पदधारकों के नाम आदि के साथ दल के **गठन की तिथि के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है।**
  - आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक पक्ष को अपने दल एवं उसके पदधारकों के नाम तथा पते के साथ **दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराना** आवश्यक होता है।
  - पंजीकरण के इच्छुक राजनीतिक दलों के नाम का **धार्मिक संकेतार्थ नहीं होना चाहिए और यह नाम मौजूदा राजनीतिक दलों के नाम के समान नहीं होना चाहिए।**
  - इसके अतिरिक्त, ऐसे नाम जो **मौजूदा राजनीतिक दलों के नाम के अनुवादित (हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में) संस्करण हैं, उनका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकरण नहीं किया जाएगा।**
  - संबंधित दल को अपने संविधान में यह घोषणा करना अनिवार्य होता है कि **पंजीकरण के 5 वर्षों के भीतर वह निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित चुनावों में प्रतिस्पर्धा करेगा** (ऐसा करने में विफल रहने पर उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा)।
  - **आंतरिक लोकतंत्र, विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव** आदि के संदर्भ में दल के नियमों/संविधान का एक **विशिष्ट प्रावधान** होना चाहिए।
  - यदि किसी व्यक्ति या दल को संबंधित दल के पंजीकृत होने पर कोई आपत्ति है, तो **वह अपनी आपत्तियाँ निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।**

1.8. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 {Arms (Amendment) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया, जो आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन हेतु लक्षित है।

संशोधन की आवश्यकता

- हथियारों की अवैध तस्करी की रोकथाम और आपराधिक कृत्यों के विचारण हेतु, जैसा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इंगित किया गया है।
- हथियारों के अवैध निर्माण को नियंत्रित करने और इस प्रकार के कृत्यों में शामिल लोगों को दंडित करने हेतु।
- यह सुनिश्चित करने हेतु कि उत्सव आदि अवसरों पर बंदूक जैसे हथियारों का अविवेकपूर्ण या लापरवाहीपूर्वक प्रयोग (जो मानव जीवन अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न करते हैं) न हो पाए।

आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रमुख प्रावधान

- **लाइसेंस और अनुमति प्राप्त अग्न्यायुधों (firearms) की संख्या:** किसी भी प्रकार के अग्न्यायुध के अर्जन, कब्ज़े या लेकर चलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। यह अधिनियम **अनुमति प्राप्त अग्न्यायुधों की संख्या को तीन से कम करके एक करता है।**

- **अतिरिक्त अग्न्यायुधों को जमा करवाने की समयावधि:** यह अधिनियम अतिरिक्त अग्न्यायुधों को निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या किसी लाइसेंस प्राप्त हथियार विक्रेता के पास जमा करवाने के लिए एक वर्ष की समयावधि का प्रावधान करता है। एक वर्ष की अवधि की समाप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर अतिरिक्त अग्न्यायुधों के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।
- **वैधता की अवधि:** इसके तहत **अग्न्यायुध के लाइसेंस की वैधता की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष** कर दिया गया है।
- **प्रतिबंध:** यह अधिनियम बिना लाइसेंस के अग्न्यायुधों के विनिर्माण, विक्रय, उपयोग, हस्तांतरण, संपरिवर्तन, परीक्षण या प्रूफिंग (परिसिद्धि) पर प्रतिबंध आरोपित करता है।
    - इसके अतिरिक्त यह बिना लाइसेंस वाले हथियारों को प्राप्त करने या खरीदने अथवा उन्हें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में संपरिवर्तन को भी निषिद्ध करता है।
- **दंड में वृद्धि और नए अपराधों का समावेश:** यह अधिनियम अनेक अपराधों के संबंध में दंड में संशोधन करता है। यह नए अपराधों को भी समाविष्ट करता है, यथा-
    - पुलिस या सशस्त्र बलों से बलपूर्वक अग्न्यायुध छीनना एक दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए जुर्माने के साथ-साथ 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
    - समारोह आदि में अग्न्यायुधों के प्रयोग (जो मानव जीवन अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न करते हैं) को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस हेतु दो वर्ष के कारावास से लेकर दो लाख रुपये के जुर्माने अथवा दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
    - यह अधिनियम संगठित अपराध समूह द्वारा किए जाने वाले अपराधों और अवैध तस्करी को भी परिभाषित करता है। अवैध तस्करी के लिए 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास के दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- **खिलाड़ी को विशेष रियायतें:** इसमें उन खिलाड़ियों को भी विशेष रियायतें प्रदान की गई हैं जिन्हें अभ्यास और टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अग्न्यायुधों एवं गोलाबारूद की आवश्यकता होती है।
- **अग्न्यायुधों की ट्रैकिंग:** केंद्र सरकार अवैध विनिर्माण और तस्करी का पता लगाने तथा जांच और विश्लेषण करने के लिए विनिर्माता से लेकर क्रेता तक अग्न्यायुधों एवं गोलाबारूद को ट्रैक करने हेतु नियमों का निर्माण कर सकती है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता (India-US 2+2 Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का द्वितीय संस्करण वाशिंगटन डी.सी. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में आयोजित किया गया।

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बारे में

- यह 2+2 वार्ता, भारत और अमेरिका के **विदेश एवं रक्षा मंत्रियों** की एक आधिकारिक बैठक है।
- 2+2 वार्ता की अवधारणा वर्ष 2017 में प्रतिपादित की गई थी। इस वार्ता तंत्र का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र और आतंकवाद आदि के संबंध में भारत व अमेरिका के मध्य परस्पर संबंधों तथा उनकी भूमिका को प्रभावित करने वाले रक्षा, व्यापार एवं नीतियों से संबद्ध विभिन्न मुद्दों पर दोनों देशों की भागीदारी में वृद्धि करना है।
- भारत-अमेरिका '2+2' वार्ता का प्रथम संस्करण सितंबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

भारत की अन्य देशों के साथ 2+2 वार्ताएं:

- ऑस्ट्रेलिया के साथ - रक्षा सचिव और विदेश सचिव स्तर की वार्ता।
- जापान के साथ - विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय वार्ता।

'2+2' वार्ता प्रणाली का महत्व

- यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक **उच्च-स्तरीय संस्थागत तंत्र** है। यह तंत्र दोनों देशों के मध्य सुरक्षा, रक्षा एवं सामरिक साझेदारी की समीक्षा हेतु सुविधा प्रदान करती है।
- इस व्यवस्था से व्युत्पन्न एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय दोनों के प्रक्षेत्र में आने वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण सामरिक मामलों पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है तथा **क्षेत्राधिकार संबंधी** एवं **अनुवर्ती मुद्दों** का सुगम समाधान किया जा सकता है।
- दोनो देशों के मध्य संबंधों में हालिया चुनौतियों (ट्रम्प की व्यापार नीति एवं अमेरिकी कांग्रेस द्वारा कश्मीर पर प्रस्ताव) को देखते हुए, इस उच्च-स्तरीय संस्थागत संलग्नता के माध्यम से सामरिक संबंधों का निरूपण सबसे बड़ा लाभ सिद्ध होगा।
- यह वार्ता तंत्र दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के मध्य व्यक्तिगत व जटिल अंतःक्रिया पर आधारित पूर्ववर्ती दृष्टिकोण से आगे बढ़ने में सहायता करता है।

इस वार्ता के प्रमुख परिणाम

- **इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी एनेक्स (ISA) पर हस्ताक्षर:** यह भारत और अमेरिकी रक्षा उद्योगों के मध्य **गोपनीय सैन्य सूचनाओं** के विनिमय की सुविधा प्रदान करेगा।
  - यह अमेरिकी हथियार विनिर्माताओं को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के संगत साझेदारों के साथ भी **संवेदनशील तकनीकों को स्थानांतरित करने में सक्षम** बनाएगा।
  - यह न केवल सुरक्षित रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रणालियों के माध्यम से **संकट के दौरान सूचनाओं को साझा करने की अनुमति** प्रदान करेगा, अपितु दोनों पक्षों की निजी कंपनियों के मध्य सहयोग स्थापित कर **प्रमुख मदों में मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भी सहायता** करेगा।
  - यह **रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (Defence Technology and Trade Initiative: DTTI)** को यथार्थ स्वरूप प्रदान करने में एक दीर्घगामी उपाय सिद्ध होगा। ज्ञातव्य है कि DTTI दोनों देशों के मध्य संबंधों को एक पारंपरिक **"क्रेता-विक्रेता"** से **सह-उत्पादन** और **सह-विकास** गत्यात्मकता की ओर अग्रेषित करेगा।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (DTTI) हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure: SOP) को अंतिम रूप:** यह DTTI के तहत परियोजनाओं की पहचान, विकास और निष्पादन के लिए दोनों पक्षों की प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करेगा।
  - DTTI के तहत प्रस्तावित **इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री फ्रेमवर्क**, रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग पर अमेरिकी एवं भारतीय रक्षा कंपनियों तथा दोनों देशों की सरकारों के मध्य वार्ता एवं विनिमय हेतु एक स्थायी तंत्र की स्थापना करेगा।
- **आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना हेतु गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI):** संयुक्त राज्य अमेरिका ने CDRI का संस्थापक सदस्य बनने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा।
  - CDRI में अमेरिका की भागीदारी एक महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि अमेरिका इस क्षेत्र में अत्यधिक विशेषज्ञता रखता है।
- **अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग:** दोनों पक्ष अंतरिक्ष मलबे तथा अंतरिक्ष ट्रैफिक प्रबंधन सहित **अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता (Space Situational Awareness: SSA)** हेतु सूचनाओं के विनिमय में सहयोग करने हेतु सहमत हुए हैं।

VISION IAS

- SSA वस्तुतः कक्षा में पिंडों की निगरानी तथा किसी भी निर्दिष्ट समय में उनकी अवस्थिति के बारे में पूर्वानुमान जारी करने की स्थिति को संदर्भित करता है।

- **अन्य प्रमुख परिणाम:**
  - जल संसाधन प्रबंधन एवं जल प्रौद्योगिकी में तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **जल समझौते पर हस्ताक्षर।**
  - **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर:** यह **वर्ष 2005 के समझौते** को अद्यतित एवं प्रतिस्थापित करता है तथा दोनों देशों के मध्य सहयोग हेतु एक ढांचा प्रदान करता है।
  - **यंग इनोवेटर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम (YIIP):** यह माध्यमिक शिक्षा उपरांत स्तर पर एवं हाल ही में स्नातक हुए भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में अल्पकालिक इंटर्नशिप हेतु अवसर सृजित करेगा।

भारत-अमेरिकी संलग्नता के अन्य मंच

- **सामरिक क्षेत्र:** प्रथम भारत-अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता वर्ष 2015 में वाशिंगटन डी.सी. में तथा द्वितीय वर्ष 2016 में नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी।
- **रक्षा क्षेत्र:** रक्षा क्षेत्र से जुड़े द्विपक्षीय वार्ता तंत्र में रक्षा नीति समूह (Defence Policy Group: DPG), रक्षा संयुक्त कार्यकारी समूह (Defence Joint Working Group: DJWG), रक्षा खरीद और उत्पादन समूह (Defence Procurement and Production Group: DPPG), सीनियर टेक्नोलॉजी सिक्यूरिटी ग्रुप (STSG), संयुक्त तकनीकी समूह (Joint Technical Group: JTG) आदि शामिल हैं।
  - **काउंटर टेररिज्म:** काउंटर टेररिज्म पर भारत-अमेरिकी संयुक्त कार्यकारी समूह की 14वीं बैठक जुलाई 2014 में आयोजित हुई थी।
- **आर्थिक क्षेत्र:** इस हेतु कई वार्ता तंत्र मौजूद हैं, जैसे- मंत्रिस्तरीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी, मंत्रिस्तरीय व्यापार नीति मंच, इंडिया-यू.एस. सीईओ (CEO's) फोरम, भारत-अमेरिका अवसंरचना सहयोग मंच आदि।
- **ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:** इसमें अमेरिका-भारत ऊर्जा वार्ता, उन्नत स्वच्छ ऊर्जा हेतु भागीदारी (Partnership to Advance Clean Energy: PACE), संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और विकास केंद्र (Joint Clean Energy Research and Development Center: JCERDC), यू.एस.-इंडिया पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट रिज़िल्यन्स आदि शामिल हैं।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** इसमें इंडो-यू.एस.साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉइंट कमीशन, इंडिया-यू.एस. साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (IUSSTF), यू.एस.-इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड आदि शामिल हैं।
  - यू.एस. नेशनल सेंटर फॉर एनवायर्नमेंटल प्रेडिक्शन में एक **"मानसून डेस्क"** स्थापित किया गया है।
  - हवाई में **थर्टी-मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट** हेतु भारत का 250 मिलियन डॉलर का योगदान तथा अमेरिकी लेज़र इन्टरफेरोमीटर ग्रेवीटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेटरी प्रोजेक्ट (LIGO) प्रयोगशाला के साथ इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्ज़र्वेशंस (IndiGO) की साझेदारी वस्तुतः विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधा केंद्रों की स्थापना हेतु संयुक्त सहयोग के उदाहरण हैं।

2.2. रूस-चीन संबंध और भारत (Russia-China Relations and India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, चीन और रूस द्वारा दोनों देशों के मध्य प्रथम सीमा-पार पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इसे **"पावर ऑफ साइबेरिया"** की संज्ञा दी गयी है।
- वर्ष 2019 रूस और चीन के मध्य द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को इंगित करता है।

पावर ऑफ साइबेरिया परियोजना के बारे में

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य **याकूटिया (Yakutia)** जैसे रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्रों से पाइपलाइन के माध्यम से चीन को **प्राकृतिक गैस की आपूर्ति** सुनिश्चित करना है।
- इस पाइपलाइन का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में आरंभ हुआ था। इस पाइपलाइन की लंबाई 4,000 किमी से अधिक है तथा इसकी वार्षिक क्षमता 61 बिलियन घनमीटर से अधिक है।

- **इस परियोजना का महत्व:**
  - चीन, विश्व का **सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक** एवं **उपभोक्ता** देश है। इससे चीन को कोयले के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को अपनाने में सहायता प्राप्त होगी।

- रूस में विश्व के सर्वाधिक प्राकृतिक गैस भंडार हैं, जो कुल वैश्विक भंडार का 20 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि यह पाइपलाइन परियोजना रूस के पश्चिमी देशों के साथ शिथिल होते राजनयिक संबंधों कारण, यूरोप में संभावित रूप से संकुचित होते बाजार का एक विकल्प है।

रूस एवं चीन के मध्य बढ़ते सहयोग के अन्य क्षेत्र

- वर्ष 2014 से पूर्व रूस ने चीन को अपने सर्वाधिक उन्नत हथियारों की बिक्री कभी नहीं की थी, किंतु वर्ष 2014 के उपरांत रूस से चीन को होने वाले हथियारों के निर्यात में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ- हाल ही में, रूस ने चीन को सुखोई-35 लड़ाकू जेट विमानों और S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री की है।
- **वोस्टोक 18**, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् आयोजित सबसे बड़ा रूसी सैन्य अभ्यास था जिसमें चीन की व्यापक स्तर पर भागीदारी थी।
- दोनों देश **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के सदस्य हैं, जिसे व्यापक रूप से "अलायंस ऑफ़ द ईस्ट" के रूप में संदर्भित किया जाता है। SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है तथा भारत भी इसका एक सदस्य है।
- **आर्थिक क्षेत्र में:**
  - दोनों देश ब्रिक्स (BRICS) और इसके अन्य संस्थानों जैसे **न्यू डेवलपमेंट बैंक** में भी भागीदार हैं, जिसे प्राय: पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले संस्थानों (जैसे- विश्व बैंक) के विकल्प के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  - **पूर्वी आर्थिक मंच (Eastern Economic Forum: EEF):** यह रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष रूस में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, जिसमें चीन की भागीदारी भी देखी गई है।

भारत-रूस संबंधों पर प्रभाव

- **रूस की चीन के साथ बढ़ती सामरिक घनिष्ठता** भारत के लिए एक नई रणनीतिक समस्या बन गई है।
- चीन के साथ रूस के संबंधों ने एक निश्चित आकार ग्रहण कर लिया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि **रूस दीर्घकाल तक भारत को चीन के सापेक्ष अनुकूल दर्जा प्रदान नहीं करेगा।** उदाहरणार्थ- चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को चुनौती न देने हेतु भारत को परामर्श देने वाले राष्ट्रों में रूस सबसे अग्रणी रहा है।
- रूस **चीन-पाकिस्तान गठबंधन** में भी शामिल हो रहा है। रूस भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान के साथ सहयोग स्थापित कर रहा है तथा साथ ही अफगानिस्तान मुद्दे पर भी अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर रहा है। उदाहरण के लिए, हाल के दिनों में रूस ने **तालिबान के साथ वार्ता करने का प्रबल समर्थन** प्रकट किया है तथा इस संबंध में वह भारतीय सरोकारों की अनदेखी कर रहा है।

निष्कर्ष

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया ने प्रतिरक्षा रणनीति को प्रतिबिंबित किया है। भारत ने रूस के साथ एक 'विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी' का पक्षपोषण किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने हाल ही में रूस के साथ पांच S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद हेतु 5.2 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जटिल रूप से अंतर-निर्भर विश्व में, भारत एवं रूस दोनों के लिए यह आवश्यक है कि वे अन्य देशों को अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने से प्रतिबंधित करें।

2.3. संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping Forces)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, साउथ सूडान में तैनात भारतीय शांति सैनिकों ने प्रतिष्ठित **यू.एन. मेडल** (संयुक्त राष्ट्र पदक) प्राप्त किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- साउथ सूडान में सेवारत लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को "संघर्षरत राष्ट्र में शांति स्थापित करने और स्थानीय समुदायों की सहायता करने हेतु" उनकी सेवा एवं योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है।
- वर्तमान में, **2,342 भारतीय सैनिक और 25 पुलिस कर्मी यू.एन. मिशन इन साउथ सूडान (UNMISS)** के तहत तैनात हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाले पदक

- **डेग हम्मरस्कॉल्ड पदक (Dag Hammarskjöld Medal):** शांति अभियान में शहीद हुए सैनिकों को **मरणोपरांत** प्रदत्त सम्मान।
- **कैप्टन म्बाए डियांगे (Captain Mbaye Diagne) पदक:** इससे उन सैन्य, पुलिस एवं असैन्य संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संबद्ध कर्मियों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने असामान्य साहस का प्रदर्शन किया हो।
- **सयुंक्त राष्ट्र पदक:** इससे **संयुक्त राष्ट्र की सेवा में कार्यरत** सैन्य कर्मियों और नागरिक पुलिस को सम्मानित किया जाता है।

VISION IAS

यू.एन. पीसकीपिंग (संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान) के सिद्धांत:
ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं तथा अंतर-संबंधित एवं पारस्परिक समर्थन पर निर्भर हैं:

- **पक्षकारों की सहमति:** संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को संघर्षरत मुख्य पक्षकारों की सहमति से ही परिनियोजित किया जाता है।
- **निष्पक्षता:** शांति सैनिकों को संघर्षरत पक्षकारों के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्ष होना चाहिए, किन्तु अपने अधिदेश के निष्पादन में तटस्थ नहीं होना चाहिए।
- **आत्म-रक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति में बल प्रयोग नहीं:** संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान एक प्रवर्तन उपकरण नहीं है। हालांकि, यदि इनके द्वारा अधिदेश की रक्षा एवं आत्मरक्षा में कार्य किया जाता है, तो ये सुरक्षा परिषद के प्राधिकार के साथ सामरिक स्तर पर बल का प्रयोग कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में

- यू.एन. पीसकीपिंग वस्तुतः संघर्षरत देशों में दीर्घस्थायी शांति स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित एक उपाय है।
- **प्रथम संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन** मई 1948 में तब स्थापित किया गया था, जब इजरायल और उसके अरब पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य युद्धविराम समझौते की निगरानी हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों के परिनियोजन को अधिकृत किया था।
- वर्तमान में, 125 देशों से 1,10,000 से अधिक सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मी 14 शांति अभियानों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का वित्तीयन, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के सामूहिक अंशदान से होता है। शांति अभियानों की स्थापना, प्रबंधन या प्रसार के संबंध में निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाते हैं।

यू.एन. पीसकीपिंग में भारत का योगदान

- यू.एन. पीसकीपिंग में भारत अपना योगदान 1950 के दशक में इसके प्रारंभ होने के समय से ही कर रहा है, जब भारतीय सेना ने वर्ष 1950 से वर्ष 1954 तक **कोरियाई युद्ध के दौरान सैन्य एवं चिकित्सीय सहायता** का योगदान दिया था।
- भारत ने **विगत 70 वर्षों में 50 से अधिक यू.एन. पीसकीपिंग मिशन** के लिए **2 लाख** से अधिक सैन्य एवं पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए हैं।
- वर्तमान में भारत साइप्रस, कांगो, हैती, लेबनान, मध्य पूर्व, साउथ सूडान और वेस्टर्न सहारा में 7,500 से अधिक कर्मियों को तैनात करने के साथ **विश्व में अधिकतम सैन्य योगदानकर्ताओं** में से एक है, जो लोगों का जीवन बचाने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने तथा एक स्थायी शांति की स्थापना हेतु मंच सृजित करने में सहायता कर रहे हैं।
- विगत 70 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शांति अभियानों में भारत के ही सर्वाधिक सैनिक शहीद हुए हैं। इस दौरान भारत से 168 सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मी अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए हैं।
- **यू.एन. पीसकीपिंग मिशन में महिलाओं को भेजने की भारत की एक दीर्घकालिक परंपरा** रही है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए एक पूर्ण महिला सैन्यदल तैनात करवाने वाला भारत प्रथम देश बना था।
- **भारत के विशिष्ट योगदान:**
    - इरीट्रिया में, भारतीय अभियंताओं ने **यू.एन. मिशन इन इथियोपिया एंड इरिट्रिया (UNMEE)** के एक भाग के रूप में सड़कों का जीर्णोद्धार करने में सहायता की थी।
    - भारतीय चिकित्सकों ने विश्व भर के शांति मिशनों में स्थानीय जनसंख्या को भी चिकित्सीय देखभाल प्रदान की है।
    - शांति सैनिकों ने योग की प्राचीन भारतीय प्रथा को संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भी प्रचलित किया है।

2.4. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनॉइजेशन (NATO)

हाल ही में, **नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनॉइजेशन (NATO)** का शिखर सम्मेलन **लंदन** में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन NATO की स्थापना के 70वीं वर्षगांठ का भी सूचक है।

NATO (नाटो) के बारे में

- नाटो, **29 उत्तर अमेरिकी एवं यूरोपीय राष्ट्रों** का एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है।
- शीत युद्ध के दौरान सदस्य राष्ट्रों को साम्यवादी देशों द्वारा उत्पन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका की मंशा इसके माध्यम से यूरोप में अपनी उपस्थिति बनाए रखना था।
- नाटो का उद्देश्य राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों को **स्वतंत्रता और सुरक्षा** की गारंटी प्रदान करना है।
- स्थायित्व संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की स्थिति में नाटो, **गैर-सदस्यों की भी रक्षा** कर सकता है। उदाहरणार्थ, यद्यपि यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है, तथापि इसने नाटो के साथ कई वर्षों तक कार्य किया था।
- नाटो **सामूहिक सुरक्षा (collective defence)** के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि नाटो के अनुच्छेद 5 में यह उल्लिखित है कि, "नाटो के किसी एक सदस्य पर किया गया एक सशस्त्र आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा।"

VISION IAS

नाटो के समक्ष वर्तमान चुनौतियां

- **वित्तीयन:** परंपरागत रूप से अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा योगदानकर्ता (नाटो के आम बजट का 22 प्रतिशत) रहा है तथा इसके अन्य सदस्यों की तुलना में अमेरिका का रक्षा बजट (अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.6 प्रतिशत) सर्वाधिक है। ट्रम्प द्वारा यह आलोचना की गयी है कि अन्य सदस्य नाटो में उपयुक्त योगदान नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में प्रमुख देशों में केवल ब्रिटेन (U.K.) ही अपनी सुरक्षा पर अपने GDP का 2 प्रतिशत व्यय करता है। फ्रांस द्वारा अपनी सुरक्षा पर GDP का 1.8 प्रतिशत एवं जर्मनी द्वारा 1.2 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एकपक्षीयता:** सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जैसे अमेरिका के एकपक्षीय निर्णय से, एक अन्य नाटो सदस्य (अर्थात् तुर्की) सीरिया में सैन्य अभियान प्रारंभ करने में सक्षम हो गया है। यह **अमेरिका फर्स्ट** नीति के साथ युग्मित है, जो नाटो के संबंध में अमेरिका की परिवर्तित होती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **रूस के साथ संबंध:** रूस के साथ संबंधों को पुनर्व्यवस्थित करने के संदर्भ में हितों की भिन्नता परिलक्षित होती है। परिवर्तित होती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के आलोक में रूस के साथ संभावित घनिष्टता पोलैंड, चेक गणराज्य और बाल्टिक देशों की चिंताओं में वृद्धि कर रही है।
- **लोकतांत्रिक ह्रास**, जो नाटो के सदस्य राष्ट्रों में दृष्टिगोचर हो रहा है। उदाहरण के लिए, हंगरी खुले तौर पर एक **'अनुदार लोकतंत्र'** का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। इसके अतिरिक्त, हंगरी एवं तुर्की के साथ रूस की वर्धित निकटता, लोकतांत्रिक ह्रास के सुरक्षा निहितार्थों और सहयोगियों के मध्य व्युत्पन्न अविश्वास के कारण संयुक्त निर्णय, संचार एवं संचालन संबंधी निहितार्थ होंगे।
- **चीन कारक:** चीन वर्तमान में निम्नलिखित तीन स्तरों पर नाटो के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है:
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का विस्तार तथा अफ्रीका एवं मध्य पूर्व में अधिक आक्रामक उपस्थिति;
  - चीन का एक आर्थिक एवं तकनीकी फुटप्रिंट, जो यूरोपीय देशों के औद्योगिक एवं तकनीकी आधार के समक्ष खतरा उत्पन्न कर रहा है; तथा
  - चीन एवं अमेरिका के मध्य महाशक्ति बनने अथवा बने रहने की होड़, जहाँ यूरोप इन सब के केंद्र में फंसा हुआ है।

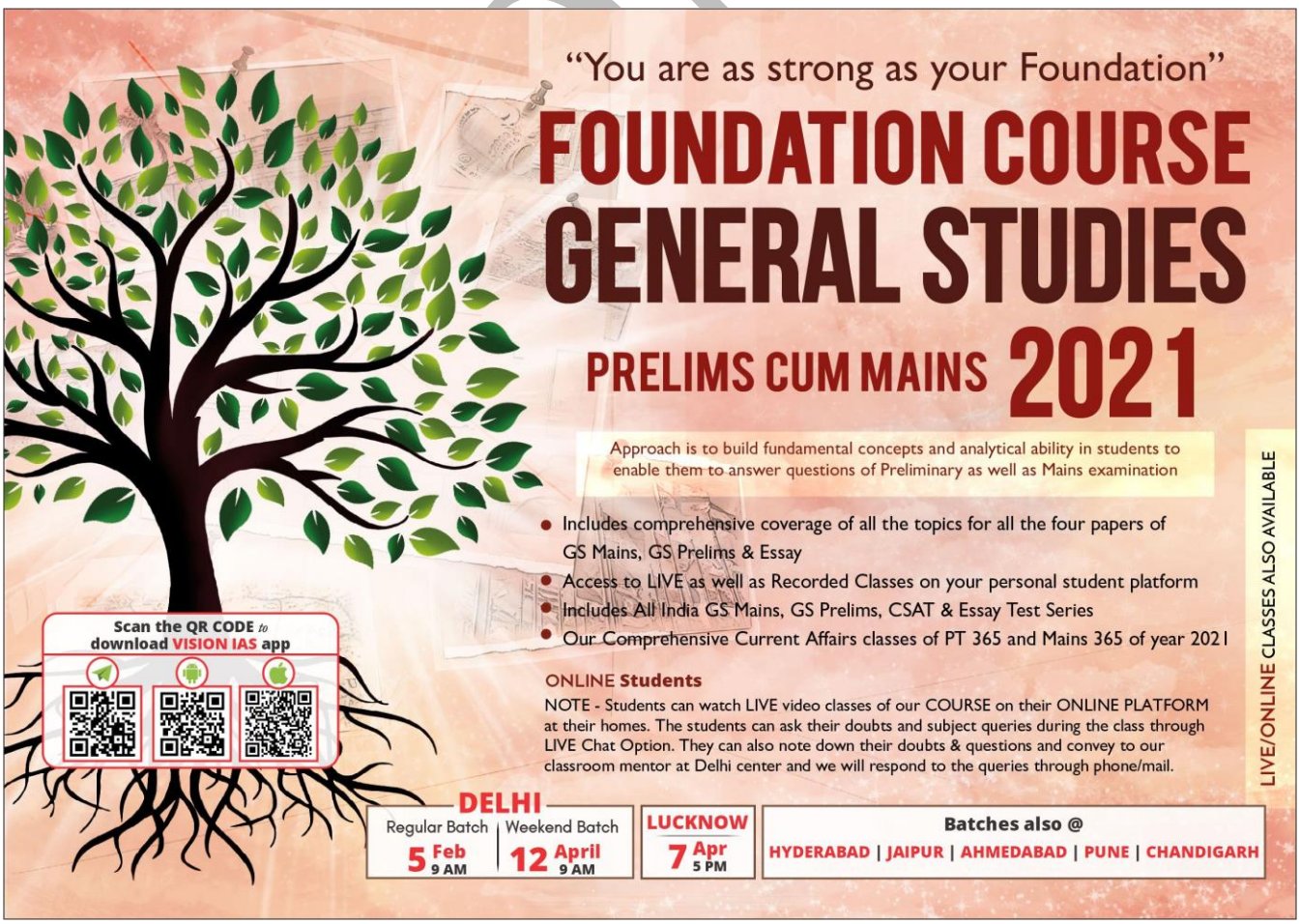

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने '**राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)**' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

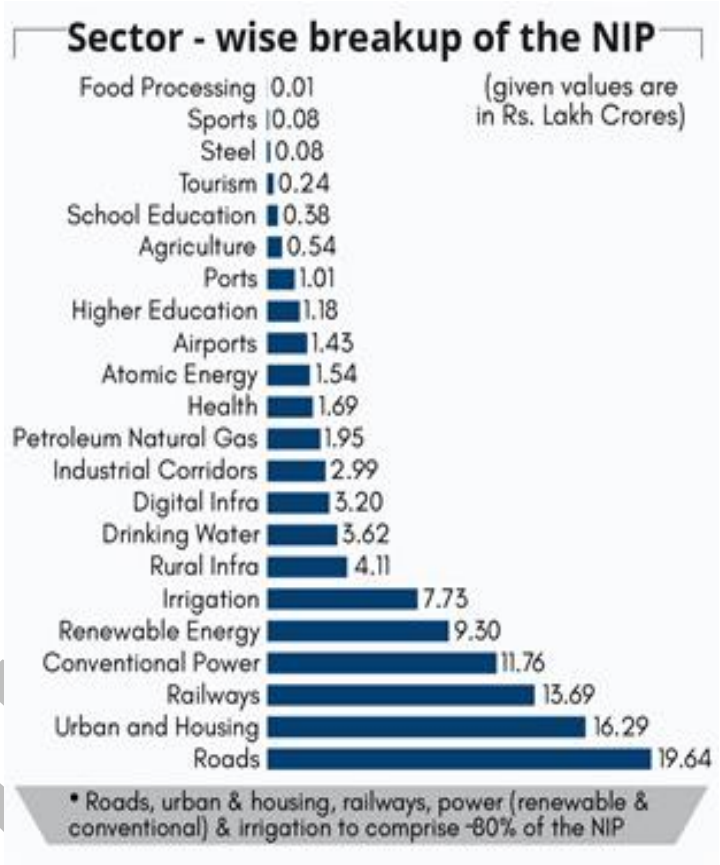

NIP के संबंध में

- वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की GDP का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, भारत को इन वर्षों के दौरान अवसंरचना पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (102 लाख करोड़ रुपये) का निवेश करना होगा।
- NIP को ध्यान में रखते हुए 18 राज्यों में आगामी पांच वर्षों (2019-2025) के दौरान विभिन्न परियोजनाएँ कार्यान्वित की जाएंगी।
- NIP में आर्थिक और सामाजिक दोनों अवसंरचना परियोजनाएं सम्मिलित हैं। (क्षेत्रक-वार विभाजन का विवरण दिए गए चित्र में देखें)
  - **आर्थिक अवसंरचना में सम्मिलित हैं:** सड़क, ऊर्जा, रेलमार्ग, जहाजरानी, इस्पात आदि।
  - **सामाजिक अवसंरचना में सम्मिलित हैं:** शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद आदि।
- नीचे दिए गए चित्र में NIP में अनुमानित वार्षिक निवेश, केंद्र, राज्यों और निजी संस्थाओं की फंड हिस्सेदारी और परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाया गया है।

NIP क्यों?

इस रिपोर्ट में भारतीय अवसंरना में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित पाँच विशिष्ट कारणों की पहचान की गई है:

- **बढ़ता शहरीकरण:** वर्तमान की 31 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2030 में 42 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी।
- **कार्यशील-आयु की बढ़ती जनसंख्या:** एक अनुमान के अनुसार भारत की कार्यशील-आयु जनसंख्या में वर्ष 2015-2030 के दौरान 1.2 गुना की वृद्धि होगी। चीन के 0.97 बिलियन और अमेरिका के 0.22 बिलियन की तुलना में भारत में वर्ष 2030 तक विश्व की सबसे बड़ी कार्यशील आयु {अर्थात् 1.03 बिलियन (68%)} होने का अनुमान है।
- **वर्ष 2018-30 की अवधि के दौरान कुल रोजगार में शहरी क्षेत्रों के योगदान** में ग्रामीण क्षेत्रों के योगदान की तुलना में अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी। कुल रोजगार में शहरी क्षेत्रों का अनुपात वर्ष 2012 के 29% से बढ़कर वर्ष 2030 में 41% हो जाने की संभावना है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का वर्ष 2012 के 71% से घटकर वर्ष 2030 में 59% हो जाने की संभावना है।
- **सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण:** GDP और रोजगार संबंधी रुझानों से प्रतिबिंबित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा-केंद्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रत्यास्थता:** यह सुनिश्चित करने की स्पष्ट आवश्यकता है कि सभी नई और वर्तमान अवसंरचना प्रणालियां जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रति सुनम्य (resilient) हों।

NIP से प्राप्त होने वाले लाभ

- **अर्थव्यवस्था के लिए:** आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में तर्क दिया गया है कि **सुचक्र आधारित दृष्टिकोण (virtuous cycle approach)** द्वारा संवृद्धि को बनाए रखा जा सकता है, जहाँ निवेश मांग में वृद्धि करने, क्षमता सृजित करने, श्रम उत्पादकता बढ़ाने, जीवन-निर्वाह की सुगमता में सुधार लाने, रोजगार सृजन करने आदि के लिए प्रमुख चालक होगा। इस प्रकार के निवेश को संभव बनाने हेतु व्यवहार्यता और लागत को ध्यान में रखते हुए NIP को परियोजनाओं की पाइपलाइन के रूप में तैयार किया गया है।

VISION

- **सरकार के लिए:** सुविकसित अवसंरचना सरकार के राजस्व आधार में सुधार लाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यय को उत्पादक क्षेत्रों में ही केंद्रित किया जाए।
- **विकासकर्ताओं के लिए:** यह विकासकार्ताओं को परियोजना के लिए बोली लगाने हेतु बेहतर रूप से तैयार करेगा, आक्रामक बोलियों/परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाली विफलताओं को कम करेगा और वित्त के स्रोतों तक पहुंच में वृद्धि करेगा।
- **बैंकों/वित्तीय संस्थानों (FIs)/निवेशकों के लिए:** यह निवेशको के विश्वास को बढ़ाएगा क्योंकि चिन्हित परियोजनाओं के बेहतर रूप से तैयार होने की संभावना होगी, परियोजना की सक्रिय निगरानी के कारण जोखिम (एक्सपोजर) संबंधी दबावों में कमी आएगी और इससे NPA के बढ़ने की संभावना कम होगी।

इस रिपोर्ट में सुझाए गए महत्वपूर्ण सुधार

- पारदर्शी नीति और विधायी ढांचे के साथ परियोजना की तैयारी प्रक्रियाओं में सुधार करना, अवसंरचना नियोजन के लिए एक सशक्त सार्वजनिक संस्थान की उपस्थिति, दिशा-निर्देशों की उपस्थिति, राष्ट्रीय मानक, सुपरिभाषित कार्यप्रणाली आदि।
- **निजी क्षेत्रक के प्रतिभागियों की निष्पादन क्षमता को बढ़ाना:** घरेलू स्तर पर क्षमता निर्माण के लिए सुदृढ़ वैश्विक अवसंरचना विकासकर्ताओं के साथ सहयोग और संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- विलंब कम करने और वित्तीय दबाव रोकने के लिए सुदृढ़ सक्षमकारी परिवेश की स्थापना करना। इसमे समाविष्ट हैं:
  - निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्रक के मध्य जोखिमों का इष्टतम सहभाजन होना चाहिए।
  - सभी अवसंरचना विभागों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध मानकों को अपनाना और अनुबंधों का कठोर कानूनी प्रवर्तन करना।
  - परियोजना समाप्ति के मामले में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए।
- PPP परियोजनाओं से संबंधित विवादों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए विवाद समाधान प्रणाली को संस्थागत रूप देकर विवाद समाधान करना। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015; विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम, 2019 के अंतर्गत सृजित संस्थानों में निवेश किया जाना चाहिए ताकि वे मामलों का तीव्र गति से समाधान करने में सक्षम हो सकें।
- **अवसंरचना की गुणवत्ता को बढ़ाना:** वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, आगामी तीन महीनों के भीतर प्रत्येक क्षेत्रक में **राष्ट्रीय अवसंरचना गुणवत्ता रूपरेखा** निर्धारित की जानी चाहिए।
- विभिन्न क्षेत्रकों में एक समान प्रतिस्पर्धा सिद्धांत स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति, 2011 का समन्वय और परिचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और क्षेत्रक नियामकों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।
- **वित्तीय क्षेत्रक में सुधार:**
  - **बॉण्ड और ऋण बाजारों को पुनर्जीवित करना:** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीयन की कमी न हो सके।

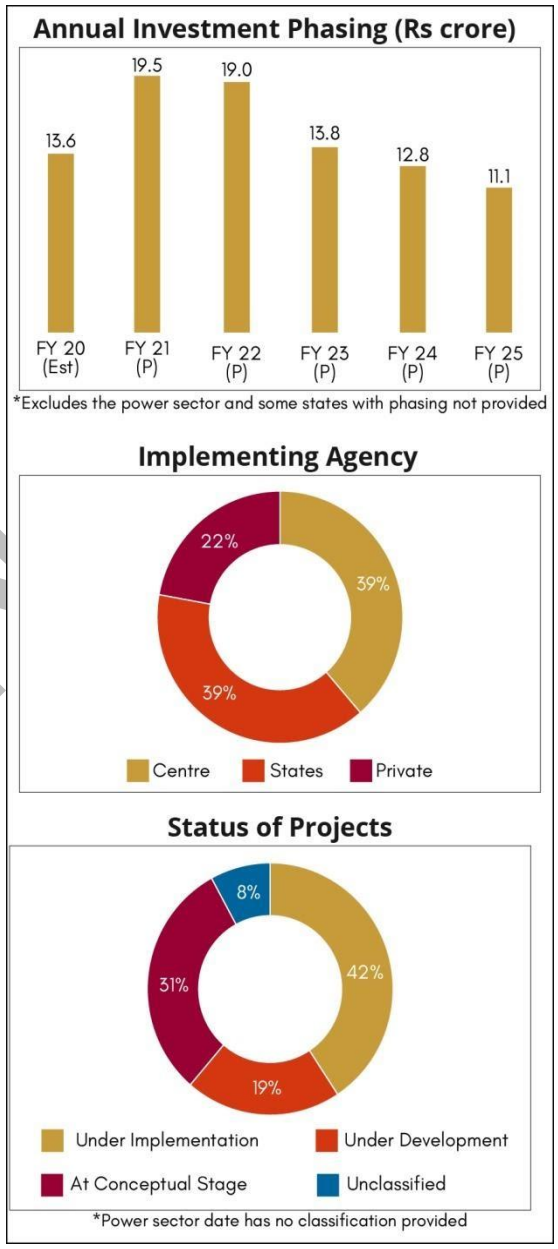

- **भारत में नगरपालिका बॉण्ड बाजार को सुदृढ़ करना:** राज्यों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु।
- **परिसंपत्ति मौद्रिकीकरण को पुनर्जीवित करना:** InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इवेस्टमेंट ट्रस्ट) और REITs (रियल एस्टेट इवेस्टमेंट ट्रस्ट) बेहतर साधन सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये बड़े पैमाने पर लोकप्रिय नहीं हुए हैं।
- अवसंरचना का वित्तपोषण करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के आरोपण पर बल दिया जाना चाहिए।
- ऋण प्रतिभूतिकरण, अवसंरचना विकास कोष (Infrastructure Development Funds: IDF), विकास वित्त संस्थान (Development Finance Institutions: DFI) आदि जैसी नवप्रवर्तक प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके दीर्घावधिक वित्तपोषण परिदृश्य को विकसित करना।

VISION

इस रिपोर्ट से संबंधित चिंताएं

- **राजकोषीय विस्तार का अभाव:** वित्त वर्ष 2019 में, भारत का कुल अवसंरचना निवेश लगभग 10 लाख करोड़ रूपए था। उच्च ऋण-GDP अनुपात, राजकोषीय घाटे और बढ़ती दोहरे तुलन-पत्र की समस्या जैसी चुनौतियों के आलोक में, इन परियोजनाओं का वित्तपोषण करना अत्यधिक कठिन होगा।
- **बैंक ऋण:** बैंकों के अशोध्य ऋण में एक बड़ी हिस्सेदारी अवसंरचना संबंधी वित्तपोषण की है। इसलिए, बैंक इस प्रकार के व्यापक स्तर पर निवेश का वित्तपोषण करने के लिए आशंकित होंगे।
- **राज्यों से सहयोग:** भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र एवं राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा। इन मुद्दों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में समय एवं लागत में वृद्धि हुई है।
- **नई परियोजनाओं का अभाव:** पहचान की गई लगभग 42% परियोजनाओं को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है और 19% विकासाधीन हैं।

3.2. भारत की डिजिटल वित्त अवसंरचना (India's Digital Finance Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने **'डिजिटल वित्तीय अवसंरचना की डिजाइन: भारत से सीख'** (The design of digital financial infrastructure: lessons from India) नामक एक शोधपत्र जारी किया।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS): परिचय

- वर्ष 1930 में स्थापित, BIS 60 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, जो **भारत सहित** विश्व भर के देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
- **मिशन:** मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के अनुपालन के संदर्भ में केंद्रीय बैंकों की सहायता करना, इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना।
- यह अपनी बैठकों, कार्यक्रमों तथा बेसल प्रक्रिया के माध्यम से अपना कार्य करता है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता का अनुसरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समूहों की मेजबानी करता है और उनकी सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है।
- इसका मुख्यालय **बेसल (स्विट्ज़रलैंड)** में है।

परिचय

- अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए व्यक्तियों की वित्त तक पहुंच अति महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक दृष्टिकोण, कानूनी ढांचा और लेनदेन की उच्च लागत जैसे कारकों के कारण भारत में लोगों के वित्तीय समावेशन का मुद्दा बना हुआ था।
- भारत के हालिया साक्ष्यों ने यह रेखांकित किया है कि इन बाधाओं का समाधान करने तथा बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को बढ़ावा देने में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

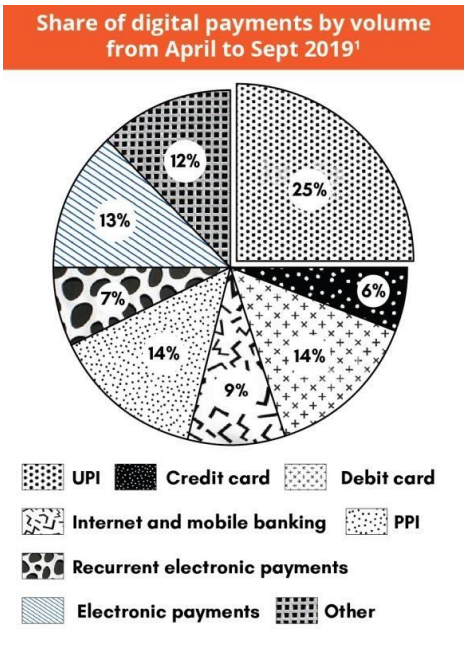

डिजिटल वित्तीय अवसंरचना: चुनौतियां और समाधान

- **पहचान के माध्यम से वित्तीय समावेशन:** पहचान वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख तत्व है। सत्यापन-योग्य पहचान प्रमाण-पत्र के द्वारा बैंक खाता खोलना, ऋण प्राप्त करना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में नामांकन कराना आसान हो जाता है।
  - भारत में औपचारिक पहचान (वर्ष 2008 में, 25 लोगों में केवल 1) और समावेशन (4 में से 1 भारतीय वयस्क का बैंक खाता था) का निम्न स्तर विद्यमान था।
  - भारत ने आधार कार्ड के प्रचलन द्वारा इस समस्या को दूर किया। आधार ने अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों विशेष रूप से, प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। दिसंबर 2019 तक, PMJDY के अंतर्गत लगभग 380 मिलियन बैंक खाते खोले जा चुके थे।
  - एक अनुमान के अनुसार, यदि आधार न होता और भारत पूर्ण रूप से पारंपरिक विकास प्रक्रियाओं पर ही निर्भर रहता, तो बैंक खाता रखने वाले 80% वयस्कों का स्तर प्राप्त करने में 47 वर्षों का और समय लगता।
- **औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर भुगतान सेवाओं में सुधार करना:** बढ़ती प्रतिस्पर्धा के आलोक में, बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करने के पश्चात् उपभोक्ताओं को इस प्रणाली के भीतर बनाए रखना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

VISION IAS

- उच्च भुगतान हस्तांतरण लागत, बोझिल और धीमी प्रक्रियाएं तथा लेनदेन की सीमित उपलब्धता जैसे अवरोधक विद्यमान हैं।
- भारत ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया है। यह बैंक खातों के लिए एकल अंतर-प्रचालनीय इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है तथा प्रभावी रूप से सभी को भुगतान प्रणाली तक मोबाइल पहुंच प्रदान करता है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर मांग-आधारित एवं फिएट मनी में तत्काल वित्तीय लेनदेनों की अनुमति प्रदान करता है।
  - हाल ही में, UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इससे लेनदेन की लागत में आगे और कमी आएगी।
  - UPI ने भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल खुदरा भुगतान के अंगीकरण की सुविधा प्रदान की है। यह वर्ष 2013-14 के 65% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 95% हो गया है।

- **सहमति आधारित डेटा सशक्तीकरण:** इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन की बढ़ती पैठ के साथ भारत डेटा-समृद्ध देश बन रहा है। यह सुनिश्चित करना कि हितधारकों द्वारा उपभोक्ताओं के डेटा का दुरुपयोग न किया जाए। इसके अतिरिक्त व्यापक सूचना विषमता और ग्राहकों की ओर से विश्वास की कमी को संतुलित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - इस चुनौती को दूर करने हेतु, वर्ष 2016 में RBI ने **अकाउंट एग्रीगेटर्स** नामक विनियमित डेटा न्यासीय संस्थाओं के एक वर्ग के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया था, जो ग्राहकों की जानकारी और सहमति से विनियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर ग्राहक डेटा के साझाकरण कार्य को सक्षम बनाता है।
    - ग्राहक समय और डेटा श्रेणियों के संदर्भ में सहमति को प्रतिबंधित कर सकते हैं तथा साथ ही इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं।

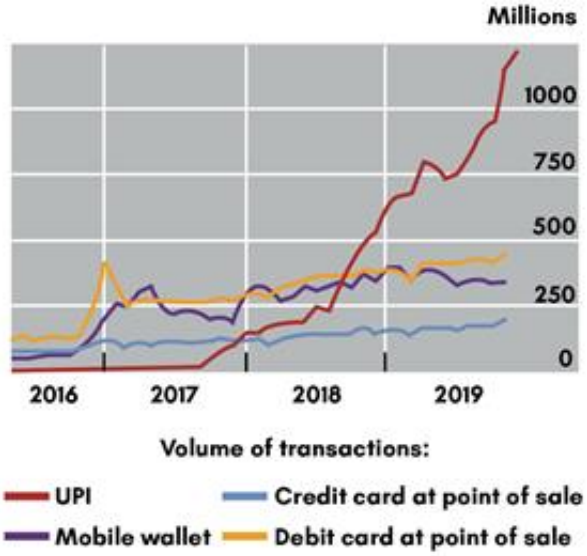

डिजिटल वित्त अवसंरचना के प्रति भारत का दृष्टिकोण

उपर्युक्त परिचर्चा से यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि भारत का दृष्टिकोण निम्नलिखित चार स्तंभों पर निर्मित है:

- **सार्वजनिक वस्तु के रूप में डिजिटल वित्तीय अवसंरचना उपलब्ध कराना:** विगत दशक में, आधार कार्यक्रम का शुभारंभ होने के पश्चात् से, भारत ने सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में निर्मित कई नवाचारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों का निर्माण किया है। नियामकीय प्रणाली के भीतर अभिकल्पित प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म पहचान, भुगतान या डेटा शेयरिंग जैसी एकल आवश्यकताओं का समाधान करता है।
- **इस अवसंरचना तक खुली पहुँच प्रदान करके निजी नवाचार को प्रोत्साहित करना:** जब विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इन डिजिटल पहचानों द्वारा विभिन्न पक्षों को जोड़ा जाता है, तो यह डिजिटल वित्त में खुले, स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी बाजारों का समर्थन करके फिनटेक में निजी क्षेत्रक को नवप्रवर्तन करने के लिए आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, निजी क्षेत्रक के लिए डिजिटल भुगतान सेगमेंट जैसे कि पेटीएम, फोनपे और ओला-मनी द्वारा UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग।
- **नियामकीय रूपरेखा के माध्यम से समान अवसर सृजित करना:** इसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के मध्य सहयोग को संभव बनाया है जो विनियमन के पारंपरिक मुद्दों के माध्यम से अर्थव्यवस्था (और उपभोक्ताओं) की रक्षा करते हुए तीव्र गति से बढ़ते निजी नवाचार से लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार, केंद्रीय बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्रक के साथ भागीदारी की है।
- **डेटा-सहभाजन ढांचे के माध्यम से व्यक्तियों (जिनकी सहमति की आवश्यकता होती है) को सशक्त बनाना:** ताकि उनकी डेटा चोरी, हैकर्स और उपयोगकर्ताओं के निजी डेटा में राज्य द्वारा अनाधिकृत उपयोग आदि से रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष

भारत एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें यह परिलक्षित हुआ है कि किस प्रकार केंद्रीय बैंक के साथ पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को जोड़ने के साथ-साथ डिजिटल वित्त से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधार, समावेशी वित्तीय विकास से संबंधित कई असंभव चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

3.3. भारत कौशल रिपोर्ट 2020 (India Skills Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, "भारत कौशल रिपोर्ट" का 7वां संस्करण जारी किया गया।

भारत कौशल रिपोर्ट के बारे में

- यह UNDP (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम), AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से **व्हीबॉक्स** (वैश्विक प्रतिभा-मूल्यांकन कंपनी), **पीपल स्ट्रॉन्ग** और **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** की एक संयुक्त पहल है।

- भारत कौशल रिपोर्ट 2020 का उद्देश्य प्रतिभा की आपूर्ति और उद्योग की ओर से मांग के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना है।
- इस रिपोर्ट में नए युग की नौकरियों या कार्य के प्रकारों के लिए हमारे वर्तमान प्रतिभा पूल की तत्परता और वर्तमान में नियोक्ता द्वारा भावी कर्मचारियों में तलाश किए जा रहे कौशलों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

भारत में कौशल: स्थिति

- NSSO की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल मात्र 2.3% है, जबकि दक्षिण-कोरिया में यह 96% है।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण** (Periodic Labour Force Survey: PLFS) 2017-18 के अनुसार, भारत की जनसंख्या के केवल 1.8% भाग द्वारा ही औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। लगभग 5.6% द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण (जैसे- परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण, स्वयं-सीखना और कार्य करते हुए प्रशिक्षण) प्राप्त किया गया था।
    - अधिकांश लोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, IT/ITES क्षेत्रक, परिधान और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्रक में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा था।
    - इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 में लगभग 33% औपचारिक रूप से प्रशिक्षित युवा बेरोजगार थे। लगभग एक तिहाई प्रशिक्षित युवा पुरुष और एक तिहाई से अधिक प्रशिक्षित युवा महिलाएं बेरोजगार थीं।

भारत कौशल रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- विगत तीन वर्षों से भारत में युवाओं की नियोजनीयता (Employability) स्थिर बनी हुई है। यह संख्या नौकरी करने के लिए तैयार प्रतिभागियों का 46.21% है।
- महिला नियोजनीयता 47% है और इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, जबकि पुरुष कार्यबल की नियोजनीयता 47.39% से घटकर वर्ष 2019 में 46% हो गई। यह स्थिति उद्योगों द्वारा महिला संसाधन पूल का लाभ उठाने के अवसरों को दर्शाती है।
    - हालांकि, वर्ष 2020 के लिए हायरिंग इंटेंट सर्वे पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों के लिए 71:29 का संभावित नियोजन अनुपात (हायरिंग रेश्यो) दर्शाता है।
- इसमें समग्र भर्ती में 13% हिस्सेदारी के साथ अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।
- शीर्ष 5 कौशल जिन पर नियोक्ता द्वारा बल दिया जा रहा है, वे हैं: कार्यक्षेत्र का ज्ञान (domain knowledge), वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता, सीखने की स्फूर्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण एवं अंतरवैयक्तिक कौशल।
- केवल 60% छात्रों को ही राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS) के बारे में जानकारी थी।
- लगभग 50% नियोक्ता भर्तियों में सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों की भूमिका को स्वीकार करते हैं, जिनमें से लगभग 10 में से 9 नियोक्ताओं द्वारा यह माना गया है कि उम्मीदवार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

कौशल विकास पहलें

- युवा जनसंख्या की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा **'राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015'** तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए **कौशल भारत अभियान** आरंभ किया गया था।
- सरकार ने **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** की स्थापना करने के साथ पांच वर्ष पूर्व एक व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ किया था। कुछ प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रमों को निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है:

पहलें	उद्देश्य	उपलब्धियां
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) (1.0), 2015	युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एकजुट करना। **लक्ष्य:** वर्ष 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। प्रायर लर्निंग (prior learning) को मान्यता प्रदान करना और प्रमाणित करना।	वर्ष 2015-16 के दौरान, 24 लाख के लक्ष्य की तुलना में 19.8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2.0), 2016- 20	PMKVY के दुसरे संस्करण में प्लेसमेंट निगरानी रखने का अनिवार्य प्रावधान किया गया है।	**लघु अवधि का प्रशिक्षण:** 30 लाख उम्मीदवारों ने नामांकन किया, 27.9 लाख को प्रशिक्षित किया गया, 12.05 लाख उम्मीदवारों को कार्य पर नियोजित किया गया।

VISION IAS

		प्लेसमेंट प्रतिशत: 54% **प्रायर लर्निंग को मान्यता:** 22.65 लाख ने नामांकन किया, 22.08 लाख को प्रशिक्षित किया गया और 17.84 लाख का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से मई 2019 तक 16.60 लाख उत्तीर्ण हो चुके थे।
प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKK), 2015	प्रत्येक जिले में **आकांक्षात्मक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र** खोले गए।	जून 2019 तक, 851 PMKK आवंटित किए जा चुके थे, 601 PMKK पहले ही स्थापित किए जा चुके थे।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, 2016	प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना। इसमें आधारभूत प्रशिक्षण और कार्य करते हुए प्रशिक्षण/व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्मिलित है।	जून 2019 तक, 11.87 लाख उम्मीदवार पंजीकृत थे। इस योजना के अंतर्गत 76,860 प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं।
संकल्प (SANKALP), 2017	सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के मध्य समेकन स्थापित करना, कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना, उद्योग नीत और मांग चालित कौशल प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण करना।	दिसंबर 2018 तक, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए फंड संवितरण की प्रक्रिया जारी थी। शुभारंभ की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाएँ भी आयोजित की जा रही हैं।
स्ट्राइव (STRIVE), 2017	उद्योग संकुलों के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना, ITI की प्रदाय गुणवत्ता को एकीकृत करना और बढ़ाना।	दिसंबर 2018 तक, परियोजना की परिचालन नियमावली तैयार की जा चुकी थी।

3.4. फ्यूचर स्किल्स प्राइम (Future Skills Prime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, NASSCOM के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भविष्य की कौशल आवश्यकताओं हेतु **"फ्यूचर स्किल्स प्राइम"** (Programme for Reskilling/Upskilling of IT Manpower for Employability: **PRIME**) नामक कार्यक्रम के विस्तार को अनुमोदन प्रदान किया है।

पृष्ठभूमि

- फरवरी 2018 में, उभरती प्रौद्योगिकियों एवं कार्य संबंधी भूमिकाओं में IT उद्योग के कार्यबल को पुन: कौशल प्रदान करने हेतु हैदराबाद में **फ्यूचर स्किल्स पहल** की घोषणा की गई थी।
- फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म वर्तमान में 70 नई कार्य संबंधी भूमिकाओं तथा 155 नए कौशलों के लिए कृत्रिम बुद्धिमता, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन आदि जैसी 10 नवीन प्रौधोगिकियों में रिस्किलिंग / अपस्किलिंग प्रदान करता है।
- अब, आगामी तीन वर्षों में 4 लाख पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग पेशेवरों, उच्च शिक्षा के छात्रों और सरकारी अधिकारियों के लिए फ्यूचर स्किल्स पहल को **प्राइम** के रूप में विस्तारित किया गया है। इस नई पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य **भारत के लिए डिजिटल प्रतिभा पूल** का निर्माण करना है, जिससे भारत को डिजिटल विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

फ्यूचर स्किल्स प्राइम की प्रमुख विशेषताएं

- इस पहल के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
  - यह शिक्षार्थीयों की प्राथमिकता एवं कौशल अंतराल का समाधान प्रदान करेगी ताकि प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान की जा सके।
  - उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में डिजिटल रूप से दक्ष बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
  - चयनित कौशल दक्षताओं में ऑनलाइन कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग) प्रदान किया जाएगा।
  - ऑनलाइन एवं कक्षा प्रशिक्षण के साथ मिश्रित कार्यक्रम प्रदान करना।
  - उद्योगों की आवश्यकताओं एवं सरकारी मानकों के अनुरूप शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन को सक्षम बनाना।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक शिक्षार्थी को:
  - **कौशल पासपोर्ट** प्रदान किया जाएगा, जिसमें शिक्षार्थी द्वारा अधिग्रहित योग्यताओं को संचित किया जाएगा।
  - **कौशल वॉलेट** भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें उनके प्रमाणन हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार से 12,000 रूपए तक प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

VISION IAS

- इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को IT उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के साथ सुदृढ़ साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। उद्योग क्षेत्र के अतिरिक्त, CDAC और NIELIT केंद्रों की वर्तमान अवसंरचना का **हब एवं स्पोक मॉडल** में **संसाधन केंद्रों** के रूप में भी लाभ उठाया जाएगा।
- इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए **डेटा सेंटर** भारत में स्थापित किया जाएगा।

3.5. मेगा फूड पार्क (Mega Food Parks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, देवास (मध्य प्रदेश) में **अवंती मेगा फूड पार्क** का उद्घाटन किया गया। यह मध्य भारत का पहला फूड पार्क है।
- सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए **वर्ष 2019 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति** का प्रारूप तैयार किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की स्थिति

- इस क्षेत्रक ने 2011-12 के मूल्यों के आधार पर 2017-18 में विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रक में क्रमशः **सकल मूल्य वर्धित (GVA)** के लगभग 8.83 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत का योगदान किया है।
- इस क्षेत्रक में **लगभग 7 मिलियन व्यक्ति** संलग्न हैं।
- 2018-19 में **प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का मूल्य** 35.30 अरब डॉलर था, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग **10.69 प्रतिशत** था।
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कृषि उत्पादों की **फसल एवं फसल कटाई के बाद की हानि** का वार्षिक मूल्य वर्ष 2014 की थोक कीमतों पर आधारित 2012-13 के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार 92,651 करोड़ रुपये था।

परिचय

- एक सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक, उच्च स्तर के प्रसंस्करण के साथ अपव्यय को कम करने में सहायता करता है, मूल्य वर्धन में सुधार करता है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है, किसानों के लिए बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करता है, रोजगार को बढ़ावा देता है तथा साथ ही निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करता है।
- यह क्षेत्रक खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने तथा लोगों को स्वास्थ्यकर तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के विकास की प्रमुख चुनौतियों एवं **विकास-क्षमता** को **निम्नलिखित इन्फोग्राफिक में दर्शाया गया** है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित प्रमुख चुनौतियां	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विकास क्षमता
	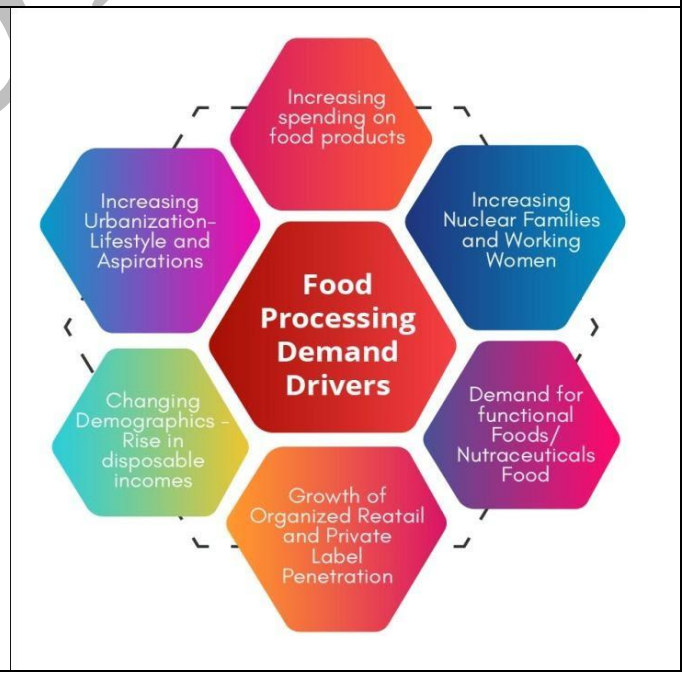

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY)

- यह एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा केंद्रों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाना है।
- इसके लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा **2016-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए हैं।

- **PMKSY के अंतर्गत सात प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:** (1) मेगा फूड पार्क; (2) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना; (3) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (इकाई योजना); (4) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना; (5) बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज का निर्माण; (6) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; एवं (7) मानव संसाधन और संस्थाएं।

ऑपरेशन ग्रीन्स

- नवंबर 2018 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक की योजना **"ऑपरेशन ग्रीन्स"** का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की केन्द्रीय क्षेत्रक की अम्ब्रेला योजना **'प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना' (PMKSY)** के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। **इसके विभिन्न घटकों में से एक मेगा फूड पार्क स्कीम है।**

मेगा फूड पार्क (MFP)

- वर्ष 2008 में प्रस्तुत की गई इस योजना का उद्देश्य **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण** के साथ खेत से बाजार तक एकीकृत मूल्य श्रृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना प्रदान करना है।
- यह **'हब एंड स्पोक मॉडल'** के तहत संचालित होती है, जिसमें 'संग्रह केंद्र' (Collection Centres: CCs) और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (Primary Processing Centres: PPCs) **स्पोक्स** के रूप में तथा 'केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र' (Primary Processing Centres: CPC) **हब** के रूप में सम्मिलित होते हैं।
  - इसमें 'प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र' और 'संग्रह केंद्र' के रूप में खेत के निकट प्राथमिक प्रसंस्करण एवं भंडारण संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण तथा सामान्य सुविधाएं और 'केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र' में सड़क, बिजली, जल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना सम्मिलित है।
  - ये 'PPCs' और 'CCs', 'CPC' में स्थित प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चा माल प्रदान करने के लिए **एकत्रीकरण और भंडारण केंद्रों** के रूप में कार्य करते हैं।

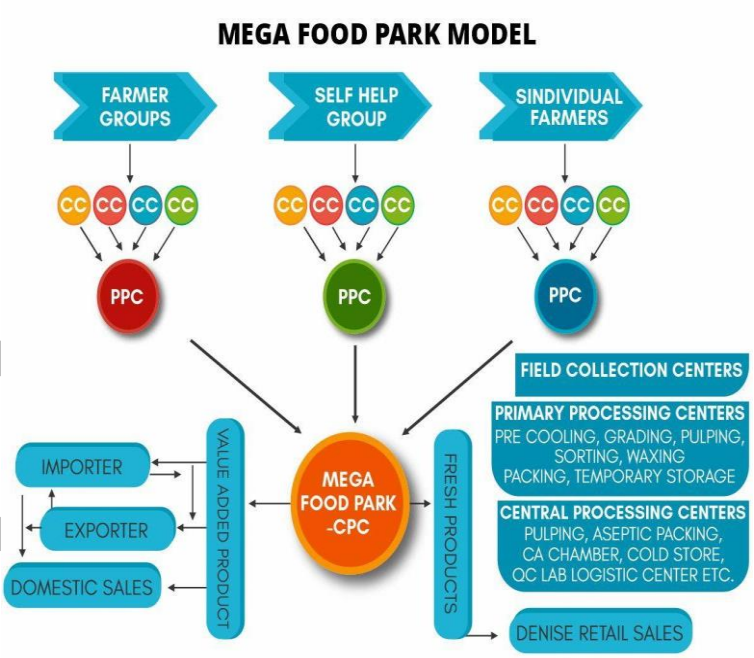

- ये **मांग-संचालित परियोजनाएं** हैं तथा पर्यावरण, सुरक्षा और सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुविधा प्रदान करती हैं।
- **MoFPI द्वारा स्वयं के मेगा फूड पार्कों की स्थापना नहीं की जाती है** बल्कि यह मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए कंपनी अधिनियम और राज्य सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं/सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत **'विशेष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle: SPV)** की सहायता करता है।
- **सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजनाओं को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है** तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्रों {पर्वतीय राज्यों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (ITDP) क्षेत्रों} में 75 प्रतिशत की दर से प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मेगा फूड पार्क योजना का महत्व

- इस योजना का उद्देश्य प्रमुख रूप से खाद्य प्रसंस्करण तथा अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक द्वारा समर्थित **एकीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना** को सुगम बनाना है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को एकजुट करना है तथा मूल्य में वृद्धि करने, अपव्यय को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने हेतु कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है।

मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत अर्जित प्रगति

- सरकार ने अब तक **42 मेगा फूड पार्कों** को अनुमोदन प्रदान किया है। हालांकि, अभी तक केवल **18** मेगा फूड पार्कों का ही संचालन आरंभ हुआ है।
- संचालित पार्कों में अब तक 2.45 लाख मीट्रिक टन की खेत स्तर की अवसंरचना सहित 63 'PPCs' तथा 23.02 लाख मीट्रिक टन की आधुनिक प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण किया जा चुका है।

मेगा फूड पार्क की चुनौतियां

- **मेगा फूड पार्क** में स्थित इकाइयों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वे बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि को समपार्श्व (collateral) के रूप में उपयोग नहीं कर सकती।
- राज्य सरकार/एजेंसियों से **वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है**।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिवर्तन, प्रमोटरों द्वारा प्रदान की जाने वाले इक्विटी योगदान में विलंब, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रमोटरों में परिवर्तन जैसी समस्याएं भी विद्यमान हैं।
- इस योजना का दृष्टिकोण मूल रूप से **'सभी के लिए एक ही मानदंड'** (one-size-fit-all) पर आधारित है तथा यह योजना भिन्न-भिन्न निवेश आवश्यकताओं वाले निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है।
- SPVs की शिकायत है कि श्रमिकों का कौशल स्तर निम्नस्तरीय है तथा सस्ता कुशल कार्यबल उपलब्ध नहीं है।
- इस पार्क का परिचालन आरंभ करने के लिए **30 माह की निर्धारित समय-सीमा** भी व्यवहार्य नहीं है तथा इसमें आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं को दृष्टिगत नहीं रखा गया है।
- इस योजना के प्रति **जागरूकता का अभाव** है।

आगे की राह

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए **"राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2019"** का प्रारूप तैयार किया है। यह नीति निम्नलिखित सक्षमकारी प्रावधानों के माध्यम से मेगा फूड पार्क योजना को प्रोत्साहित करेगी:

- इसमें विभिन्न क्लस्टरों (समूहों) की आवश्यकता के संदर्भ में नम्यता सुनिश्चित करने और आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखने के उद्देश्य से योजना के **मापदंडों** की समीक्षा करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- इस नीति में फूड पार्कों के विकास में **राज्यों की भूमिका बढ़ाने** की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जायेंगे:
  - राज्य के स्वयं के संसाधनों से अपने-अपने राज्यों में **ऐसे पार्कों की स्थापना** के समर्थन या सहयोग के अतिरिक्त कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसे पार्कों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करना।
  - अपनी संबंधित नीति के अंतर्गत, पूंजी निवेश सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क में छूट, फूड पार्कों और ऐसे पार्कों में स्थापित इकाइयों के लिए कन्वर्जन चार्ज में छूट आदि **प्रोत्साहन** प्रदान करना।
  - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और **अन्य IT उपकरणों का उपयोग करके** फसल उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टरों (समूहों) की पहचान करना तथा आरंभ से अंत तक (एंड-टू-एंड) मूल्य श्रृंखला समाधान और फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करना।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा परिभाषित मेगा परियोजनाओं को **तीव्र गति से कार्यान्वित किया जाएगा** तथा भूमि आवंटन, औद्योगिक पार्कों में शेड का निर्माण, बिजली एवं जल कनेक्शन, पर्यावरणीय मंजूरी आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
  - **ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रोत्साहन पैकेज** प्रदान किया जाएगा जो इसके निकटवर्ती छोटी इकाइयों के समूह (क्लस्टर) के विकास में सहायता प्रदान करेगा।
- इस नीति में उचित प्रोत्साहनों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के लिए **'विशिष्ट कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों' (SAPFI)** की स्थापना को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। इससे मेगा फूड पार्कों को ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
  - इस क्षेत्रक में वित्तीय प्रवाह को आसान बनाने हेतु शीत श्रृंखला और फूड पार्कों को **अवसंरचना का दर्जा** दिया गया है।

3.6. भारत में खाद्यान्न भंडारण (Food Grain Storage in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जहाँ सरकार द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु कई टन प्याज का आयात किया जा रहा है वहीं **'भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ' (NAFED)** द्वारा अपने प्याज के बफर स्टॉक के लगभग आधे से अधिक भाग को निम्नस्तरीय भंडारण व्यवस्था के कारण नष्ट कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

- 'केन्द्रीय कटाई उपरान्त अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान' (CIPHET) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख खाद्यान्नों की कटाई के दौरान एवं कटाई के उपरांत होने वाली हानि कुल उत्पादन का 4.65 से 5.99 प्रतिशत तक है।
  - फसल कटाई के उपरांत की हानि अवैज्ञानिक भंडारण, कीटों, कृंतको, सूक्ष्म जीवों आदि के कारण होती है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट (1999) के अनुसार, भारत में फसल कटाई उपरांत **प्रतिवर्ष 12 से 16 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न की हानि** हो जाती है। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार यदि इस हानि को रोक दिया जाता है तो इससे भारत के एक तिहाई निर्धनों की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है।

- फसल उपरांत की हानि से भारतीय किसानों को प्रतिवर्ष औसतन 92,651 करोड़ रुपये की हानि होती है। फसल उपरांत की हानि के प्राथमिक **कारण निम्नस्तरीय भंडारण एवं परिवहन सुविधाएं हैं।**
    - इसके अतिरिक्त **अशोक दलवई समिति** की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य फसलों के लिए भंडारण और परिवहन सुविधाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए 89,375 करोड़ रुपए (यह राशि फसल कटाई उपरांत होने वाली वार्षिक हानि के लगभग बराबर है) के निवेश की आवश्यकता होगी।
- देश में भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य एजेंसियों की **वर्तमान खाद्यान्न भंडारण क्षमता 88 मिलियन टन {कवर्ड** - 75 मिलियन टन एवं **कवर एंड प्लिंथ (CAP)** - 13 मिलियन टन} है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India: NAFED)

- यह 'बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम' (मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट) के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना देश भर में कृषि उत्पादों एवं वन संसाधनों के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी।
- यह "ऑपरेशन ग्रीन्स" के अंतर्गत **मूल्य स्थिरीकरण उपायों** को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है।
- राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर **NAFED, मूल्य सहायता योजना (PSS)** के अंतर्गत तिलहन, दलहन और खोपरा (नारियल) की भौतिक रूप से खरीद करता है। **PSS,** 'प्रधानमंत्री-आशा' नामक अंब्रेला योजना के अंतर्गत शामिल है।

भंडारण का महत्व

- वस्तुओं का भंडारण (उत्पादन से लेकर खपत के दौरान) बाजार में वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- यह शीघ्र नष्ट होने वाले और अर्ध-नाशवान उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता करता है।
- यह मांग और आपूर्ति को समायोजित करके मूल्य स्थिरीकरण में सहायता करता है।
- मूल्य लाभों के माध्यम से रोजगार और आय प्रदान करता है।
- किसानों को अपनी इच्छानुसार सुरक्षित और निरापद रूप से अपनी रुचि के बाजारों एवं अपनी रुचि के समय पर अपनी उपज को अपने अनुसार परिवहन और भंडारित करने में सक्षम बनाता है।

भारत में खाद्यान्न भंडारण और प्रबंधन

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) वस्तुतः उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है, जो खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण एवं परिवहन, सार्वजनिक वितरण और बफर स्टॉक के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है।
    - FCI की भंडारण योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्टॉक को बनाए रखने हेतु भंडारण आवश्यकता को पूरा करती है।
    - भारतीय खाद्य निगम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद खुले आधार पर (अर्थात् किसानों द्वारा इसे बेचे जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों को स्वीकार करना) करता है, बशर्ते कि खाद्यान्न केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करते हों।
    - यह खरीद FCI की ओर से राज्य सरकार की एजेंसियों (SGAs) एवं निजी चावल मिल मालिकों (राइस मिलरों) के द्वारा भी की जाती है।
    - सभी खरीदे गए खाद्यान्नों से केंद्रीय पूल का निर्माण होता है।
    - अनाज की अधिशेष स्थितियों वाले राज्यों से उपभोक्ता राज्यों में वितरण हेतु और बफर स्टॉक के निर्माण हेतु खरीद की जाती है तथा राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में संग्रहित किया जाता है।
    - FCI और राज्य सरकारों द्वारा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के अंतर्गत बिक्री के माध्यम से खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है अर्थात, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम (lean season) के दौरान खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु और विशेष रूप से कमी वाले क्षेत्रों में खुले बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों की बिक्री की जाती है।
    - **FCI की आर्थिक लागत** के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की अधिग्रहण लागत, प्रासंगिक व्यय (जैसे- श्रम और परिवहन शुल्क, गोदाम किराया आदि) और वितरण लागत (जैसे- माल ढुलाई, हैंडलिंग, भंडारण और ब्याज शुल्क, भंडारण के दौरान हानि आदि) सम्मिलित होते हैं।
    - विभिन्न योजनाओं (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सहित) के अंतर्गत खाद्यान्नों की आर्थिक लागत एवं केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) के मध्य अंतराल को FCI की परिचालन हानि माना जाता है तथा इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के रूप में की जाती है।

VISION IAS

- भारत में छोटे किसानों द्वारा पारंपरिक संरचनाओं का उपयोग करके खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। अधिशेष खाद्यान्न को सरकारी एजेंसियों {जैसे- भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय और राज्य भंडारण निगम} के पास संग्रहित किया जाता है।

भारत में भंडारण के प्रकार

- **भूमिगत भंडारण संरचनाएं:** ये कुएं के समान भूमि को खोदकर निर्मित की गई संरचनाएं होती हैं जिनके आंतरिक भागों पर गोबर का लेपन कर दिया जाता है। ये विभिन्न बाह्य खतरों, जैसे- चोरी, वर्षा या वायु से होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
- **भूतल भंडारण संरचनाएं:** बोरों में भंडारण करना और बल्क या लूज (Bulk or loose) भंडारण।
- **व्यापक पैमाने पर भंडारण:**
  - **कवर्ड एंड प्लिंथ (CAP) भंडारण:** यह एक सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भंडारण विधि है, जो किफायती होती है लेकिन इसमें अपरिहार्य रूप से अनाज की हानि (वायु से होने वाली क्षति के प्रति सुभेद्य) होती है। यह फसलों की एक अस्थाई भंडारण विधि है जिसमें अनाज को बोरों में भरकर खुले क्षेत्र में ढेर लगाकर वाटरप्रूफ सामग्री से ढककर भंडारित किया जाता है।
  - **साइलो (Silos):** इन संरचनाओं में, यांत्रिक रूप से संचालित कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से अनाज को थोक रूप में भंडारण संरचना तक पहुँचाया जाता है। इनमें से प्रत्येक साइलो की भंडारण क्षमता लगभग 25,000 टन होती है।
- **गोदाम (Warehousing):** ये संग्रहीत उत्पादों की मात्रा एवं गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से निर्मित वैज्ञानिक भंडारण संरचनाएं होती हैं, जैसे- केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), राज्य भंडारण निगम (SWCs), भारतीय खाद्य निगम (FCI) आदि।

भारत में भंडारण से संबंधित समस्याएं

- **अनुचित भंडारण प्रबंधन:** प्राय: गोदामों में संग्रहित खाद्यान्नों को उनकी सेल्फ लाइफ की तुलना में अधिक समय तक भंडारित किया जाता है। इस प्रकार के दीर्घकालीन भंडारण के कारण खाद्यान्न कृंतकों, नमी, पक्षियों एवं कीटों से होने वाली हानि के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं।
  - विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विद्यमान भंडारण क्षमता का अधिकांश महीनों में 75 प्रतिशत से कम ही उपयोग हो पाता है। इस कारण आगामी मौसम के नए खाद्यान्नों के भंडारण हेतु स्थान शेष नहीं रह पाता है।
- **अवैज्ञानिक भंडारण:** लगभग 80 प्रतिशत हैंडलिंग एवं वेयरहाउसिंग सुविधाओं को मशीनीकृत नहीं किया गया है तथा खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए पारंपरिक मैनुअल विधियों का उपयोग किया जाता है।
  - खरीद के मौसम के दौरान, इनमें से अधिकांश खाद्यान्न को धरातल से उचित ऊंचाई पर भंडारित न किए जाने के कारण ये बाढ़ एवं वर्षा के दौरान जल के रिसाव के कारण नष्ट हो जाते हैं।
- **FCI की भंडारण क्षमता में अंतराल:** FCI द्वारा धारित केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक में वृद्धि के कारण, FCI में हाल के वर्षों में भंडारण अंतराल में वृद्धि हुई है।
  - FCI के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता वाले खाद्यान्न साइलो एवं ढके हुए गोदामों की संख्या अपर्याप्त है।
  - साथ ही, वर्तमान शीत भण्डारण क्षमता अन्य आवश्यकताओं के साथ एकीकृत नहीं है। एकीकृत पैक-हाउस, रीफर ट्रक, परिपक्वन इकाइयों (ripening units) आदि जैसी सहायक अवसंरचनाओं का अभाव है।
  - इसलिए, कृषि उत्पादों के भंडारण एवं परिवहन की स्थिति में सुधार लाने का लक्ष्य प्राप्त करने में लगभग 84-99 प्रतिशत का समग्र अंतराल विद्यमान है।
- **शीत भंडारण संबंधी समस्याएं:** भारत की शीत भंडारण क्षमता असंगठित है और इसमें पारंपरिक शीत भंडारण सुविधाओं की प्रधानता है।
  - अधिकांश शीत भंडारण उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में स्थित हैं तथा इस प्रकार शीत भंडारण का वितरण अत्यधिक असमान है। इसके अतिरिक्त, कुल शीत संग्रहण क्षमता के लगभग दो तिहाई का उपयोग केवल आलू के भंडारण हेतु किया जाता है।

परक्राम्य गोदाम रसीदों (Negotiable Warehouse Receipts: NWR) के बारे में

- NWR पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी की जाती हैं, ये किसानों को परक्राम्य गोदाम रसीदों के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में सक्षम करती हैं।
- यह उन्हें साधारण रूप से नाशवान उत्पादों की बिक्री अवधि को कटाई के मौसम से परे विस्तारित करने में सक्षम करती है।
- इसके परिणामस्वरूप, NWR शीर्ष विपणन मौसम में किसानों को कृषि उपज की संकटकाल स्थिति में विवशता वश बिक्री से बचा सकती हैं।

भारत में भंडारण में सुधार करने के संबंध में अशोक दलवई समिति की अनुशंसाएं

- **एकीकृत एग्री-लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को प्रोत्साहित करना** ताकि खेत से अंतिम उपभोक्ताओं तक मूल्य के कुशल हस्तांतरण को सक्षम किया जा सके। ये इष्टतम मूल्यों पर स्थानांतरित मूल्य का मुद्रीकरण करने में सक्षम हैं तथा इनके द्वारा बाजारों में पहुंचने वाले उत्पादों की मात्रा में वृद्धि हो सकेगी।

VISION IAS

- कुशल स्थानिक वितरण एवं आधुनिक गोदामों का निर्माण करने के लिए **जिला एवं राज्य वार भंडारण योजना तैयार करना** और यदि नवीन भंडारण संरचनाओं के निर्माण का निर्णय लिया जाता है तो साइलो निर्माण को वरीयता दी जानी चाहिए।
- **मौजूदा शुष्क भंडारण अवसंरचना का उन्नयन** करना ताकि उन्हें भंडारण विकास और विनियमन प्राधिकरण (WDRA) का अनुपालन करने और इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदें (eNWRs) जारी करने के लिए पात्र बनाया जा सके।
  - वर्तमान में विद्यमान गोदामों एवं वेयरहाउसों को उन्नत करना।
  - बड़ी संख्या में प्रमाणन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश/प्रक्रियाएं विकसित करना तथा किसानों को उनके खेत के निकट भंडारण सुविधा का उपयोग करने में सक्षम बनाना।
- **भंडारण और eNWRs प्रणाली को प्रोत्साहन:** भंडारण और eNWRs प्रणाली को बैंकरों सहित सभी हितधारकों के मध्य पक्षसमर्थन करना तथा इन्हें लोकप्रिय बनाना, जो फसल कटाई उपरांत ऋण की सुविधा के लिए ब्याज में छूट प्राप्त करने में सहायता करेगा और विवशतापूर्ण विक्रय की प्रथा से किसानों की रक्षा करेगा।
- **शीत भंडारण के प्रमाणन को प्रोत्साहन:** भंडारण आधारित, फसल कटाई उपरांत ऋणों को प्रोत्साहित करने हेतु, अधिसूचित शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के मामले में, देश में शीत भंडारण के प्रमाणन को मूल रूप से प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।
- **ग्राम स्तर पर एकत्रीकरण इकाइयों का निर्माण करना: परिवहन सुविधाओं के साथ ग्राम स्तर पर एकत्रीकरण इकाइयों** (अर्थात् आधुनिक पैक-हाउस और पूलिंग पॉइंट्स) के निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - **संग्रहकर्ताओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रोत्साहित करना** तथा उन्हें नियत स्थान (ड्राइइंग यार्ड, भंडारण स्थल, प्राथमिक प्रसंस्करण सहायता आदि के लिए) प्रदान करना।

भंडारण प्रबंधन: सरकारी पहलें?

- **निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना:** वर्ष 2008 में आरंभ इस योजना के अंतर्गत निजी पक्षों, केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा भंडारण क्षमता निर्मित की जाती हैं तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इनसे खाद्यान्नों की गारंटीकृत खरीद की जाती है। गोदाम का निर्माण किए जाने और इन पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियंत्रण स्थापित किए जाने के पश्चात्, निवेशक को 9/10 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के लिए भंडारण शुल्क भुगतान किया जाता है, भले ही उसमें संग्रहीत खाद्यान्न की मात्रा कुछ भी हो।
- **हिमाचल प्रदेश, झारखंड और केरल के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** कार्यान्वित की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम और प्रत्यक्षत: राज्य सरकारों को भी गोदामों के निर्माण के लिए फंड प्रदान किया जाता है।
- **स्टील सिलोस का निर्माण:** पारंपरिक गोदामों के अतिरिक्त, भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण एवं संग्रहित खाद्यान्नों की सेल्फ लाइफ में सुधार करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) प्रणाली के आधार पर स्टील सिलोस का निर्माण आरंभ किया गया है।
- **सरकार के दिशा-निर्देश:**
  - **कवर एंड प्लिंथ (CAP) भण्डारण** में खाद्यान्न धरातल से उचित ऊँचाई पर निर्मित भंडारगृहों (एलिवेटेड प्लिंथों) में संग्रहित किया जाता है और इसके लिए लकड़ी के बक्से का उपयोग किया जाता है।
  - खाद्यान्नों को विशेष रूप से निर्मित कम घनत्व वाली काले रंग की जलरोधक पॉलीथिन से भली-भांति ढका जाता है एवं नायलॉन रस्सियों/जाल से इसको बांध दिया जाता है।
  - **एक नियमित निगरानी तंत्र** स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत सभी स्तरों पर निरीक्षण किया जाता है।
  - खाद्यान्नों के परिवहन हेतु केवल ढके हुए **रेल डिब्बों (वैगनों)** का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना:** सरकार इसके माध्यम से देश में किसानों के लिए सुसज्जित वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के सृजन में सहायता कर रही है।
  - इस योजना के अंतर्गत अब तक देश भर में 655.48 लाख मिलियन टन भंडारण क्षमता युक्त कुल 38,964 **भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं** (गोदाम) को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
- **अनुसंधान:** परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा खाद्य उत्पादों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने हेतु विकिरण प्रसंस्करण के उपयोग पर व्यापक स्तर पर शोध कार्यों को किया जा रहा है।
  - इसके परिणामस्वरूप आलू, प्याज की सेल्फ लाइफ और फलों (जैसे- आम, अनार आदि) की फाइटोसैनिटरी में वृद्धि की गई है।

3.7. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitisation of Land Records)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत में लगभग 90 प्रतिशत गाँवों के **"रिकॉर्ड्स ऑफ राइट"** को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा भूमि की सीमाओं व उनके स्वामित्व को प्रदर्शित करने वाले लगभग 53 प्रतिशत सर्वेक्षण मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है।

रिकॉर्ड्स ऑफ राइट (Records of Right: RoR)

- RoR एक ऐसा दस्तावेज़ (अर्थात् संपत्ति के विवरण के साथ दस्तावेज) होता है जिसमें भू धारक का नाम, भूखंडों की संख्या एवं आकार और राजस्व दर (कृषि भूमि के लिए) जैसे विवरण दर्ज होते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- तेलंगाना और महाराष्ट्र 99% भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान है, जहाँ 98% भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है।
- पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों सहित केरल (43.24%) और जम्मू-कश्मीर (9.32%) में भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद बनी हुई है।

भारत में भू-स्वामित्व

- लैंड टाइटल (भूमि स्वामित्व) एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो भूमि या अचल संपत्ति का स्वामित्व निर्धारित करता है। स्पष्ट लैंड टाइटल होने से संपत्ति पर किसी और के दावों से स्वामित्व धारक के अधिकारों को सुरक्षा प्राप्त होती है।
- भारत में, भू-स्वामित्व विभिन्न अभिलेखों, जैसे विक्रय कानूनी दस्तावेज (जो पंजीकृत होता है), संपत्ति कर दस्तावेज़, सरकारी सर्वेक्षण अभिलेख आदि के द्वारा निर्धारित होता है।
- हालाँकि, भारत में विभिन्न कारणों से लैंड टाइटल अस्पष्ट बना हुआ है, जैसे- जमींदारी प्रथा के विरासत से जनित समस्याएँ, केंद्र और राज्य (भूमि राज्य सूची का एक विषय है) के मध्य नीतियों के कार्यान्वयन हेतु एकीकृत कानूनी ढाँचे का अभाव और भूमि अभिलेखों का खराब प्रशासन।
- उपर्युक्त के कारण लैंड टाइटल से संबंधित विभिन्न कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं। इसने कृषि तथा स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्रक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। उल्लेखनीय है कि इन समस्याओं ने सुस्पष्ट लैंड टाइटल एवं बेहतर रूप से संगठित डिजिटल भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के महत्व को रेखांकित किया है।

भूमि डिजिटलीकरण के लाभ: एक सुव्यवस्थित डिजिटल भू रिकॉर्ड प्रणाली निम्नलिखित में सहायता कर सकती है:

- **मुकदमेबाजी और मुक़द्दमों के बोझ में कमी:** नीति आयोग के दस्तावेज़ के अनुसार भूमि विवादों का निस्तारण करने में औसतन 20 वर्ष का समय लग जाता है। बढ़ते भूमि विवादों के परिणामस्वरूप न्यायालयों के कार्यभार में वृद्धि होती है और यह इन विवादित भूमि स्वामित्व पर निर्भर क्षेत्रों एवं परियोजनाओं को प्रभावित करता है।
- **कृषि ऋण को बढ़ावा:** किसानों द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि को प्रायः संपार्श्विक (कोलैटरल) के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पाया गया है कि विवादित या अस्पष्ट लैंड टाइटल, कृषि के लिए पूँजी और ऋण आपूर्ति को प्रभावित करते हैं।
- **नई अवसंरचना का विकास:** देश की अर्थव्यवस्था कृषि से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में परिवर्तित हो रही है। हालांकि, भूमि अभिलेखों के अद्यतित न किए जाने जैसी भूमि संबंधी मुद्दों के कारण विभिन्न नई अवसंरचना परियोजनाएं विलंबित बनी हुई हैं।
- **शहरीकरण और आवासन:** स्लम बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को कोई स्पष्ट लैंड टाइटल या मालिकाना हक प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि ऐसी बस्तियाँ अनधिकृत होती हैं, इसलिए उन्हें बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराना शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए कठिन होता है। अत: योजनाओं का सरल ऑनलाइन अनुमोदन और अधिभोग प्रमाणपत्र (occupancy certificate) स्वामित्व की स्थिति के संबंध में स्पष्टता प्रदान करेगा।
- **बेनामी लेनदेन पर नियंत्रण:** अस्पष्ट स्वामित्व और गैर-अद्यतित भूमि अभिलेख, गैर-पारदर्शी तरीके से संपत्ति के लेनदेन को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 2015 में वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने उल्लेख किया था कि बेनामी लेनदेन के माध्यम से काले धन के सृजन को भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और उनके नियमित अद्यतन के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
    - **स्पष्ट और सुरक्षित भूमि अभिलेख** भ्रष्टाचार के उन्मूलन व धोखाधड़ी वाले संपत्ति सौदों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं।

सरकारी पहल

- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme: DILRMP):** DILRMP का मुख्य उद्देश्य अद्यतित भूमि अभिलेखों, ऑटोमेटेड और स्वतः नामांतरण, लिखित और स्थानिक अभिलेखों के समेकन, राजस्व और रजिस्ट्रीकरण के मध्य अंतः संयोजकता की प्रणाली को आरंभ करना तथा वर्तमान विलेख रजिस्ट्रीकरण (deeds registration) और परिकल्पित स्वामित्वाधिकार प्रणाली (presumptive title system) के स्थान पर स्वामित्वाधिकार गारंटी के साथ निश्चायक स्वामित्वाधिकार (conclusive titling) की प्रणाली आरंभ करना है।
    - संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत भूमि संसाधन विभाग की वित्तीय व तकनीकी सहायता से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा।
    - कार्यान्वयन की इकाई वे जिले होंगे जहां कार्यक्रम के तहत सभी गतिविधियां एकीकृत होंगी।
- **भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए राज्य सरकारों की कुछ पहलें**

VISION IAS

- **भूमि परियोजना (Bhoomi project):** यह **कर्नाटक** सरकार द्वारा तैयार की गई एक परियोजना है। यह कर्नाटक में सभी भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए आरंभ की गई थी।
- **भूधार (Bhudhaar):** यह **आंध्र प्रदेश** सरकार की पहल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भूखंड को 11 अंकों का भूधार नंबर प्रदान किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप भूखंड से संबंधित विवरण की पहचान सरल हो जाएगी।
- **महाभूलेख (Mahabhulekh):** यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 7/12 रसीद और भूमि रिकॉर्ड जारी करने संबंधी **महाराष्ट्र** सरकार की एक पहल है।

निष्कर्ष

भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण की योजना विगत 30 वर्षों से चल रही है। तथापि, *इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट* (2015) से ज्ञात हुआ कि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण की गति धीमी बनी हुई है। वर्ष 2008 से सितंबर 2017 तक, DILRMP के अधीन जारी की गई निधि के 64% हिस्से का उपयोग किया जा चुका है।

भूमि अभिलेखों को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने संबंधी कुछ उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और इसके लिए आवंटित की जाने वाली केंद्रीय निधियों के संदर्भ में स्पष्ट मापदंड एवं जवाबदेही तंत्र की स्थापना करना;
- तकनीकी और वैधानिक समस्याओं के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान करना तथा उन्हें प्रचारित करना;
- राज्यों के तकनीकी कर्मचारियों के मध्य आदान-प्रदान और संचार को बढ़ावा देना; एवं
- राज्य स्तर पर प्रशासकीय परिवर्तन करना ताकि भूमि संबंधी आँकड़ों का व्यवस्थित रूप से संकलन तथा रखरखाव किया जा सके।

3.8. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (Dedicated Freight Corridor: DFC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रेलवे द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के अधीन नव-निर्मित रेवाड़ी-मदार सेक्शन पर ट्रायल किया गया।

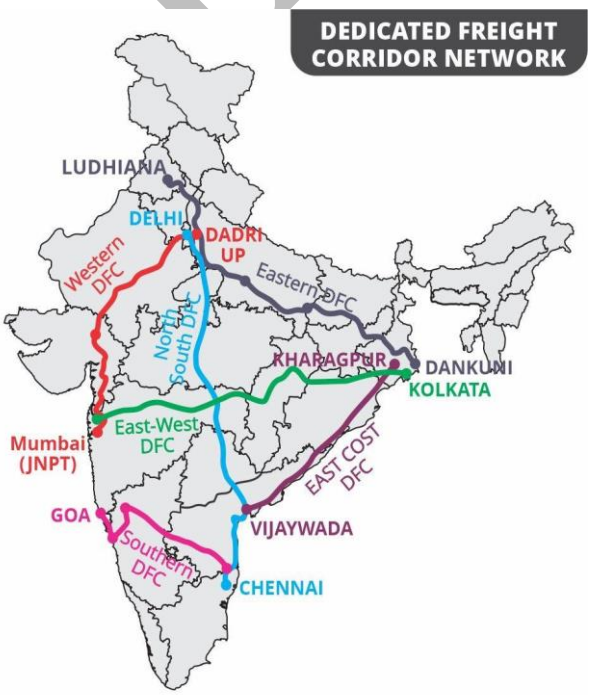

समर्पित माल गलियारे (Dedicated Freight Corridor: DFC) का परिचय

- DFC वस्तुतः उच्च गति तथा अधिक क्षमता वाला एक रेल कॉरिडोर है, जिसे अनन्य रूप से माल (गुड्स और कमोडिटी) के परिवहन हेतु निर्मित किया जा रहा है।
- इस परियोजना को सर्वप्रथम अप्रैल 2005 में प्रस्तावित किया गया था, ताकि तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- वर्ष 2006 में, भारत सरकार द्वारा दो कॉरीडोरों {वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)} का निर्माण करने हेतु एक समर्पित निकाय "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया" (DFCCIL) की स्थापना की गई थी।
- वर्ष 2010 में निम्नलिखित चार अन्य फ्रेट कॉरिडोरों की भी घोषणा की गई थी:
  - पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (कोलकाता-मुंबई);
  - उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (दिल्ली-चेन्नई);
  - पूर्व तटीय कॉरिडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा); एवं
  - दक्षिणी कॉरिडोर (चेन्नई-गोआ)।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) के बारे में

- यह रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle: SPV) है, जिसका कार्य DFCs की योजना निर्मित कर उनका विकास करना, वित्तीय संसाधन जुटाना और निर्माण, रखरखाव तथा परिचालन करना है।
- यह रेलवे मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है और कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत है।

VISION IAS

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)

- WDFC, दादरी (उत्तरप्रदेश) को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पत्तन (JNPT) से जोड़ेगा तथा यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा।

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)

- EDFC, दनकुनी (पश्चिम बंगाल) से लेकर लुधियाना (पंजाब) तक विस्तृत होगा और यह झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश और हरियाणा से गुजरेगा।

DFCs का महत्व

- मालगाड़ियों के संचालन को तीव्र करके और क्षमता में वृद्धि करके **परिवहन की प्रति इकाई लागत में कमी:**
  - DFCs के द्वारा रेलगाड़ियों की गति वर्तमान की **25 किमी प्रति घंटे की औसत गति से बढ़कर अधिकतम 100 किमी प्रति घंटा हो सकती है।**
  - यह गारंटीकृत पारगमन अवधि में बंदरगाहों तक समयबद्ध माल ढुलाई सेवाओं को सक्षम बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में वृद्धि होगी।
- **परिवहन क्षमता में सुधार:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर, DFCs मूलभूत डिजाइन संबंधी विशेषताओं (जैसे- अधिक ऊँचाई, चौड़ाई, कंटेनर स्टैक आदि) में सुधार कर सकता है, जिससे यह उच्च गति पर अत्यधिक माल के परिवहन में सक्षम हो सकेगा।
  - वर्तमान डिब्बों का अक्षीय भार (Axial load) 22.9 मीट्रिक टन होता है, जिसे बढ़ाकर DFC के लिए 32.5 मीट्रिक टन किया जाएगा। इस सुधार से आगामी 50 वर्षों के लिए परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।
- **माल ढुलाई बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना:** विशेषीकृत लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदान करके हिस्सेदारी में वृद्धि की जाएगी। यह माल ढुलाई सेवाओं के लिए उत्कृष्ट तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी को भी प्रस्तावित करेगा।
  - रेलवे परिवहन में यात्रियों और माल ढुलाई व्यवसाय, दोनों के संदर्भ में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने हेतु पृथक माल परिवहन अवसंरचना स्थापित की जाएगी।
- **यातायात का विसंकुलन (Decongestion of traffic):** स्वर्णिम चतुर्भुज (जो रेलवे नेटवर्क के कुल भाग के केवल 16% है) द्वारा कुल माल ढुलाई ट्रैफिक के 58% भाग का परिवहन किया जाता है।
  - **स्वर्णिम चतुर्भुज,** भारत के अधिकांश औद्योगिक, कृषि तथा सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है।
- **नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा:** कॉरिडोर के साथ-साथ नवीन औद्योगिक गतिविधियों तथा मल्टी-मॉडल मूल्य-वर्धन सेवाओं के केंद्र को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए:
  - EDFC के द्वारा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल स्थित कोयला उत्पादक क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्रों के विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला का परिवहन करना संभव हो सकेगा।
- **प्रदूषण में कमी:** अगले 30 वर्षों के ग्रीनहाउस गैस (GHS) उत्सर्जन पूर्वानुमान के अनुसार, यदि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विकास नहीं किया जाता है तो GHG का उत्सर्जन 582 मिलियन टन CO_2 के समतुल्य होगा, जबकि दो परिचालित DFCs से इसके एक-चौथाई से भी कम अर्थात् 124.5 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन होगा।
  - इसके अतिरिक्त, सड़क मार्ग से माल परिवहन किए जाने से रेलवे मार्ग की तुलना में तीन गुना अधिक उत्सर्जन होगा।

चुनौतियाँ

- **भूमि अधिग्रहण का मुद्दा:** रेलवे मार्ग के संरेखन के कारण, रेलवे को बड़े पैमाने पर पहले से ही विकसित निजी भूमि का अधिग्रहण करना होता है, इसलिए कॉरीडोर का निर्माण करना कठिन हो जाता है। संबंधित मंत्रालय को किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करना आवश्यक होता है, जिसमें वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी चिंताएं:** जहाँ रेलवे की मंशा दिल्ली-मुंबई रेलवे कॉरिडोर पर डीज़ल लोकोमोटिव आधारित डबल-स्टैक कंटेनर का परिचालन करना है, वहीं इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा अधिक पर्यावरण-अनुकूल होने के कारण विद्युत संचालित परिवहन का सुझाव दिया गया है।
  - **भविष्य में नवीकरणीय संसाधनों के बढ़ते उपयोग उपयोग को देखते हुए**, कॉरिडोर की व्यवहार्यता के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि अधिकांश ट्रैफिक के उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्रों के लिए पूर्वी राज्यों के कोयला उत्पादक क्षेत्रों से कोयला परिवहन में संलग्न रहने की संभावना है।

VISION IAS

- **डबल स्टैक बनाम सिंगल स्टैक:** WDFC और EDFC के लिए भिन्न-भिन्न तकनीकी मानकों को अपनाया गया है। WDFC, डबल स्टैक कंटेनरों तथा EDFC, सिंगल स्टैक कंटेनरों के परिवहन के लिए अनुकूल है।
    - इसके परिणामस्वरूप WDFC से EDFC तक डबल स्टैक रेलगाड़ी का अबाध परिचालन असंभव हो जाएगा।
    - **डबल-स्टैक रेल परिवहन:** डबल-स्टैक रेल ट्रांसपोर्ट इंटरमॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट का एक रूप है, जिसके माध्यम से रेलवे द्वारा डबल इंटरमॉडल कंटेनरों का परिवहन किया जाता है।
- **धीमी प्रगति:** लॉजिस्टिक्स पार्क और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दोनों की प्रगति अत्यधिक धीमी है, जिसके कारण परियोजना का समग्र उद्देश्य प्रभावित होगा।

आगे की राह

- नवीन और आधुनिक तकनीकों एवं पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, DFC की पूर्ण क्षमता का दोहन किए जाने हेतु, अत्यधिक भार का परिवहन करने में सक्षम रेल-इंजनों (लोकोमोटिव) की आवश्यकता होगी।
- एक अन्य महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँच प्रदान करने हेतु भारतीय रेलवे के साथ निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को एकीकृत तथा तीव्र करने वाली सुस्पष्ट नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए।

3.9. भारतीय रेलवे का संगठनात्मक पुनर्गठन (Railway Restructuring)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के रूपांतरकारी संगठनात्मक पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, रेलवे का प्रबंधन एवं प्रशासन **भारतीय इंजीनियरिंग सेवा** (जैसे- इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ इंजीनियर्स आदि) तथा **सिविल सेवा** (जैसे- भारतीय रेलवे यातायात सेवा आदि) के माध्यम से चयनित क्रमशः आठ तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कैडर के **ग्रुप 'ए' अधिकारियों** के एक समूह द्वारा किया जाता है।
- रेलवे पुनर्गठन का मुद्दा दशकों से बना हुआ है, क्योंकि निम्नलिखित समितियों सहित विभिन्न समितियों द्वारा सेवाओं के एकीकरण की संस्तुति की गयी थी:
    - प्रकाश टंडन समिति (1994);
    - राकेश मोहन समिति (2001);
    - सैम पित्रोदा समिति (2012); एवं
    - बिबेक देबरॉय समिति (2015)।

रेलवे बोर्ड के बारे में

- यह भारतीय रेलवे का **निर्णय लेने वाला एक सर्वोच्च निकाय** है जो रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करता है।
- इसे **मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रैफिक और वित्त** जैसे विभिन्न विभागों में व्यवस्थित (ऊपर से नीचे तक उर्ध्वाधर रूप से पृथक) किया गया है।
- इसकी अध्यक्षता रेलवे बोर्ड में सचिव स्तर के अधिकारी (सदस्य) द्वारा की जाती है।

रेलवे पुनर्गठन: अनुमोदित सुधार

- **भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) का सृजन:** रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तथा रेलवे को आवश्यकतानुसार इंजीनियरों/गैर-इंजीनियरों की भर्ती करने में सक्षम बनाने हेतु कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तथा UPSC के परामर्श से रेलवे के ग्रुप 'ए' की वर्तमान आठ सेवाओं का विलय कर एक एकीकृत केंद्रीय सेवा का सृजन करना।
- **रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन:** रेलवे बोर्ड का गठन विभागीय आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर कार्यात्मक आधार पर एक छोटे आकार वाली संरचना का गठन किया जाएगा।
    - बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, जो 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)' के रूप में कार्य करेगा। इसमें 4 सदस्य होंगे, जो क्रमशः अवसंरचना, परिचालन व व्यवसाय विकास, रोलिंग स्टॉक तथा वित्त से जुड़े कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगें।
    - बोर्ड में कुछ स्वतंत्र सदस्य भी होंगे, जो विषय के संबंध में गहन ज्ञान रखने वाले अति प्रतिष्ठित पेशेवर होंगे तथा जिन्हें उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन क्षेत्रों में शीर्ष स्तरों पर कार्य करने सहित 30 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त होगा। ये विशिष्ट **रणनीतिक निर्णयन** में रेलवे बोर्ड की सहायता करेंगे।
- मौजूदा सेवा **'भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा'** का नाम परिवर्तित कर **भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा** किया जाएगा।

पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे

- सेवाओं के विलय (एकीकरण) संबंधी निर्णयों को अवैज्ञानिक और स्थापित मानदंडों के विरुद्ध माना जा सकता है, क्योंकि इसमें **मूल रूप से दो असमान संस्थाओं (जिनमें कई असमानताएं विद्यमान हैं, जैसे- IAS और IES के मध्य) के एकीकरण** का प्रस्ताव रखा गया है।
- विभिन्न विभागों के कुछ महाप्रबंधकों के पदों को "शीर्ष" स्तर पर स्थापित करने का निर्णय और उसे बोर्ड के सदस्यों के समतुल्य मानना, कठिनाई उत्पन्न कर सकता है।
- कैडर के विलय के बावजूद, विभागों का अस्तित्व बना रहेगा और विवादों का निपटान करना कार्यकारी अधिकारी का कार्य होगा।
    - अतः, यह समझा जाना चाहिए कि मूल समस्या विभाग नहीं हैं बल्कि उनकी संरचना और रेलवे संगठन में उनकी भूमिका है।

पुनर्गठन की आवश्यकता

- **विभागीकरण पर अंकुश लगाना तथा अधिक दक्षता, जवाबदेही और सामंजस्य स्थापित करना:** वर्तमान में रेलवे विभाग *एकाकी रूप से* कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण संगठनात्मक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की कीमत पर संकीर्ण विभागीय लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ विभागों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
    - सेवाओं के एकीकरण से विभागीकरण की प्रवृत्ति समाप्त होगी, सुचारू कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, निर्णयन की प्रक्रिया तीव्र होगी तथा संगठन के लिए एक सुसंगत विज़न का निर्माण हो सकेगा।
- **कर्मियों का बेहतर रूप से प्रबंधन:** कुछ सामान्य भूमिकाओं जैसे मंडल रेल प्रबंधक (DRM) एवं महाप्रबंधक (GM) के अतिरिक्त, किसी विशेष सेवा के अधिकारियों के केवल अपने संबंधित विभागों में ही प्रोन्नत होने की संभावना रहती है।
    - संगठन में तीन पृथक एंट्री प्रदान करने से सभी सेवाओं के मध्य वरिष्ठता को निर्धारित करने संबंधी विशिष्ट समस्या उत्पन्न होती थी, क्योंकि प्रत्येक के लिए प्रतिवर्ष प्रवेश की तिथियां भिन्न-भिन्न (निश्चित नहीं) होती हैं।
- **रेलवे का आधुनिकीकरण:** सरकार ने यात्रियों एवं माल ढुलाई के लिए रेलवे को 100% सुरक्षित, तीव्र एवं विश्वसनीय यातायात-साधन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करके संपूर्ण नेटवर्क को आधुनिक बनाने की योजना है।
    - इस दिशा में एकनिष्ठता रूप से कार्य करने एवं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए संगठित रूप से कार्य करने के साथ-साथ एक एकीकृत, सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होगी।

भारतीय रेलवे पर बिबेक देबरॉय समिति की संस्तुतियां एवं उसके अनुरूप उठाए गए कदम

बिबेक देबरॉय समिति की संस्तुतियां	वर्ष 2014 से अब तक उठाए गए कदम
निजी रेल परिवहन के संचालन में निजी संचालकों के प्रवेश को अनुमति प्रदान करना।	IRCTC द्वारा संचालित तेजस एक्सप्रेस के साथ इस दिशा में प्रयास किए गए हैं।
रेलवे बोर्ड की संरचना में परिवर्तन करना।	हाल ही में बोर्ड ने कार्यात्मक रूप से छंटनी की घोषणा की है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्षेत्रों/प्रभागों तथा निचले स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाए।	कार्यान्वित किया जा चुका है।
रेल परिवहन के मुख्य कार्यों (कोर फंक्शन) को प्रभागों एवं चिकित्सा सेवाओं जैसे गौण (non-core) कार्यों से पृथक किया जाए।	क्षेत्रीय (zonal) स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।
एक नियामक की स्थापना की जाए।	अभी तक स्थापित नहीं।
विभिन्न रेलवे सेवाओं को एकीकृत किया जाए।	हाल ही में प्रस्तावित।
वाणिज्यिक लेखांकन की ओर संक्रमण।	क्षेत्रीय स्तर पर पूरा किया गया है।
रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ एकीकृत किया जाए।	कार्यान्वित किया जा चुका है।

3.10. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्लोडाउन से निपटने के लिए नीतिगत कार्रवाई का सुझाव (IMF Suggests Policy Actions To Combat Slowdown)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने उल्लेख किया कि वर्तमान में भारत में "उल्लेखनीय आर्थिक गिरावट (सुस्ती)" (significant economic slowdown) की स्थिति उत्पन्न हुई है तथा यह सुझाव दिया है कि भारत को इसके समाधान हेतु तत्काल नीतिगत कार्रवाई करनी चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी **पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार,** संपूर्ण वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 5% ही रहेगी।

- इसी अवधि के दौरान अनुमानित **सांकेतिक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.5%** है।
- वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर विगत **छह वर्षों के निचले स्तर अर्थात् 4.5%** (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) पर रही।
- अप्रैल-नवंबर 2019 के दौरान सकल कर राजस्व में मात्र 0.8% की वृद्धि हुई।

IMF के अनुसार धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण

- **कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की कमज़ोर स्थिति:** विगत वर्ष के IL&FS (इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़) संकट के पश्चात् NBFCs के ऋण विस्तार में अकस्मात कटौती देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप ऋण के व्यापक आधार में भी कमी हो गयी।
- **निम्न उपभोग मांग:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर आय वृद्धि ने निजी उपभोग को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है।
- **अनिश्चित कॉर्पोरेट एवं पर्यावरणीय विनियामक:** वित्तीय क्षेत्र की कठिनाइयों {सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) सहित)} और व्यावसायिक विश्वास में कमी के कारण निजी निवेश बाधित हुआ है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे **कुछ संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे।**

IMF द्वारा अनुशंसित नीतिगत उपाय

- **वित्तीय क्षेत्रक:** IMF के अनुसार अल्पावधि में निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता है, जैसे -
  - वाणिज्यिक बैंकों, कॉर्पोरेट क्षेत्रक तथा आवास वित्त कंपनियों सहित NBFCs के बैलेंस शीट संबंधी मुद्दों का समाधान करना।
  - विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मांग पर ऋण की कमी के प्रभावों के संबंध में बेहतर समझ विकसित करने हेतु लघु NBFCs के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- **राजकोषीय नीति संबंधी सुझाव:**
  - **अल्पावधि** में, व्यय की संरचना एवं GST को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - **मध्यम अवधि के दौरान,** घरेलू स्तर पर राजस्व जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि छूट को समाप्त करके व्यक्तिगत आयकर संग्रहण को बढ़ाना, करदाताओं के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा में कमी करना, शीर्ष आय-अर्जकों के योगदान को बढ़ाना, सब्सिडी पर व्यय में कमी करना तथा राजकोषीय पारदर्शिता में वृद्धि करना और इस प्रकार अनिश्चिततओं में कमी करने की आवश्यकता है।
- **मौद्रिक नीति संबंधी सुझाव:** विशेष रूप से यदि आर्थिक गिरावट (सुस्ती) जारी रहती है तो **नीतिगत दरों** में और कटौती की जानी चाहिए ।
- **संरचनात्मक सुधार:**
  - बैंकिंग क्षेत्रक में ऋण आबंटन की दक्षता में सुधार करने एवं शासन संबंधी सुधारों की अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि करने हेतु तत्काल आवश्यकता है।
  - प्रतिस्पर्धा एवं शासन में वृद्धि करने हेतु श्रम, भूमि व उत्पाद-बाजार में सुधार करना।
  - मानव पूंजी (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) में सुधार करना।

संबंधित तथ्य

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने आगाह किया है कि भारत में स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीतिजनित मंदी) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

स्टैगफ्लेशन के बारे में

- **मुद्रास्फीति** का आशय किसी निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में चयनित वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि से है।
- सामान्यतः **मुद्रास्फीति की स्थिति** तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा-आपूर्ति के सापेक्ष वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में समान रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है अथवा अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने के कारण जब लोगों की आय में भी वृद्धि होती है तो ऐसे में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।
- इसके अतिरिक्त, जब भी अर्थव्यवस्था में सुस्ती की स्थिति होती है, मुद्रास्फीति में गिरावट आती है और साथ ही लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी हो जाती है।
- **स्टैगफ्लेशन** वस्तुतः स्थिर वृद्धि दर और बढ़ती मुद्रास्फीति का एक विशिष्ट संयोजन होता है जिसके परिणामस्वरूप उच्च बेरोजगारी दर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - **स्टैगनेशन** (अवरुद्ध/गतिहीन अर्थव्यवस्था) वस्तुतः किसी अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीक अत्यल्प (सामान्यतः 2 से 3% वार्षिक) अथवा शून्य संवृद्धि की स्थिति होती है।

भारतीय स्थिति

- स्टैगफ्लेशन के समान स्थिति को इंगित करने वाले बिंदु:
  - भारत में खुदरा मुद्रास्फीति विगत वर्ष दिसंबर में 7.35% हो गई थी, जो 14.12% के खाद्य मुद्रास्फीति के साथ विगत साढ़े पांच वर्ष

में सर्वाधिक थी।

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्रक के 23 उद्योग समूहों में से 18 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है।

स्टैगफ्लेशन जोखिमपूर्ण क्यों है?

सामान्य रूप से निम्न वृद्धि की स्थिति में, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा उच्च सार्वजनिक व्यय और ब्याज दरों में कटौती के माध्यम से आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन की स्थिति में जब मुद्रास्फीति पहले से ही उच्च स्तर पर बनी हुई हो, तो राजकोषीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहन इस स्थिति को और नकारात्मक बना सकते हैं क्योंकि इससे उपभोक्ता के पास अधिक धन उपलब्ध हो जाता है।

3.11. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 (The Code on Social Security, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सामाजिक सुरक्षा सहिता, 2019 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया। इस संहिता को स्थायी समिति (Standing Committee) को भेजा गया है।

पृष्ठभूमि

- द्वितीय **राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002)** ने यह अनुशंसा की थी कि विद्यमान श्रम कानूनों के समुच्चय को व्यापक रूप से निम्नलिखित समूहों में समाविष्ट किया जाना चाहिए। इन समूहों के नाम हैं: (a) औद्योगिक संबंध; (b) मज़दूरी; (c) सामाजिक सुरक्षा; (d) सुरक्षा; तथा (e) कल्याण एवं कार्य दशाएं।
- उक्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन करते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को संगठित रूप प्रदान करने तथा अग्रलिखित **नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को समाविष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है:** कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम,1981; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996; तथा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008.
- उपर्युक्त क़ानूनों का एकीकरण इनके कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा तथा श्रमिकों के कल्याण और लाभ की मूलभूत अवधारणाओं से समझौता किए बिना परिभाषाओं और प्राधिकारों की बहुलता को समाप्त करेगा।

इस संहिता के प्रावधान तथा उनका महत्व

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:** इस संहिता में **सामाजिक सुरक्षा लाभों के सार्वभौमिकरण** का प्रस्ताव रखा गया है। इस संहिता के अंतर्गत-
  - केंद्र सरकार कामगारों के लाभ के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है। इसमें अग्रलिखित सम्मिलित हैं- **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) तथा कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा (EDLI) योजना।**
  - **सरकार निम्नलिखित को भी अधिसूचित कर सकती है:**
    - पांच वर्ष की रोज़गार अवधि पूर्ण करने पर (या मृत्यु जैसे कुछ मामलों में पांच वर्ष से कम की अवधि) कामगारों को **ग्रेच्युटी** प्रदान करना।
    - महिला कामगारों को **मातृत्व अवकाश संबंधी लाभ प्रदान करना।**
    - **व्यावसायिक चोट या रोग** की स्थिति में कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को मुआवजा प्रदान करना।
  - इसके अतिरिक्त, केंद्र या राज्य सरकार गिग कर्मियों, प्लेटफॉर्म कर्मचारियों तथा असंगठित कामगारों को **जीवन या नि:शक्तता की सुरक्षा जैसे विविध लाभ प्रदान करने हेतु विशिष्ट योजनाओं के संबंध में अधिसूचना ज़ारी कर सकती है।**
    - **गिग कर्मी (Gig workers)** पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाली व्यवस्था से बाहर स्थित कर्मचारी होते हैं, जैसे- फ्रीलांसर)।
    - **प्लेटफॉर्म कर्मचारी (Platform workers)** ऐसे कर्मचारी होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक अपनी पहुँच स्थापित करते हैं तथा उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके आय अर्जित करते हैं।
- इस संहिता में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु **योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के गठन के संबंध में सक्षमकारी प्रावधान** किए गए हैं। इसका उद्देश्य **कॉर्पोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से प्राप्त निधियों** को सम्मिलित करने हेतु इस संहिता के तहत **विविध योजनाओं के लिए निधियों के स्रोतों का विस्तार** किया गया है।

- इसमें निश्चित अवधि के अनुबंध की समयावधि पांच वर्ष से कम होने पर भी समानुपातिक आधार पर निश्चित अवधि के रोजगार (Fixed-term employment) के मामले में ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रावधानों के तहत, कोई कर्मचारी केवल पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर ही ग्रेच्युटी का हकदार होता है।
    - **निश्चित अवधि का रोजगार** एक अनुबंध होता है जिसमें किसी कंपनी या उपक्रम द्वारा कर्मचारी को किसी निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। निश्चित अवधि के रोजगार में, कर्मचारी को कंपनी के **पेरोल (payroll) में प्रदर्शित नहीं** किया जाता है।
- यह संहिता केंद्र सरकार को निश्चित अवधि के कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए **कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)** हेतु अनिवार्य मासिक योगदान में कमी करने के लिए सक्षमकारी प्रावधान करने हेतु सशक्त बनाती है।
    - इससे अपेक्षाकृत कम वेतन वाले कामगारों को **प्राप्त होने वाले वेतन में वृद्धि हो सकेगी,** तथा साथ ही उपभोग में भी वृद्धि हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि उपभोग में कमी के कारण वृद्धि दर प्रभावित हो रही है।
- **सामाजिक सुरक्षा संगठन:** इस संहिता के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रबंधित करने वाले कई निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
    - EPF, EPS तथा EDLI योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के नेतृत्व में **केंद्रीय न्यासी बोर्ड** का गठन;
    - ESI योजना को प्रबंधित करने के लिए **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** (इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी); तथा
    - असंगठित श्रमिकों हेतु निर्मित योजनाओं के प्रबंधन के लिए केंद्रीय तथा राज्य के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालयों के मंत्रियों के अधीन राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरीय **सामाजिक सुरक्षा बोर्ड** का गठन।
- **निरीक्षण तथा अपील संबंधी प्रावधान:**
    - सरकार इस संहिता के अंतर्गत शामिल प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए **निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता (इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर) नियुक्त कर सकती है** तथा इस संहिता के अनुपालन के संबंध में नियोक्ता एवं कर्मचारियों को परामर्श प्रदान कर सकती है।
    - इस संहिता के अंतर्गत **अपीलों की सुनवाई** करने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत **प्रशासनिक प्राधिकारियों** की नियुक्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए, सरकार मातृत्व लाभ संबंधी भुगतान न किए जाने की स्थिति में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के निर्णय के विरुद्ध किसी अपीलीय प्राधिकारी को सुनवाई करने हेतु अधिसूचित कर सकती है।
    - इस संहिता के अंतर्गत **न्यायिक निकायों** को भी निर्दिष्ट किया गया है जो प्रशासनिक प्राधिकारियों के आदेशों पर सुनवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, औद्योगिक अधिकरण (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित) द्वारा EPF योजनाओं से संबंधित विवादों की सुनवाई की जाएगी।
- **अपराध एवं दंड संबंधी प्रावधान:** इस संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित कई अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया गया है:
    - इस संहिता के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि नियोक्ता कर्मचारी के अंश की कटौती करने के पश्चात् अंशदान करने में विफल रहता है तो उस स्थिति में उसे **1 से 3 वर्ष की कारावास की सजा दी जा सकती है और उसपर एक लाख रूपए** का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।
    - **रिपोर्टों के अन्यथाकरण (Falsification)** की स्थिति में छः माह तक की सजा हो सकती है।
- यह संहिता लाभों को प्राप्त करने के लिए किसी सदस्य या लाभार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को पंजीकृत करने हेतु **आधार** को अनिवार्य बनाती है।

इस संहिता से संबद्ध मुद्दे

- **सार्वभौमिक विशेषताओं का अभाव,** क्योंकि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ आदि की प्रयोज्यता के लिए मौजूदा सीमा को समाप्त नहीं किया गया है।
- इसमें संहिता के कई मूलभूत प्रावधानों में **संसद एवं अन्य हितधारकों की उपेक्षा करते हुए** कार्यकारी निर्णयों के द्वारा परिवर्तन करने संबंधी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि सहिंता में ऐसे 128 उदाहरण मौजूद हैं।
    - उदाहरण के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजना को तैयार करने और अधिसूचित करने हेतु सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है।
- इस संहिता के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु, अपने **आधार कार्ड** को प्रदर्शित करने संबंधी प्रावधान को कर्मचारियों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि **के. एस. पुट्टास्वामी वाद** में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 (कुछ सब्सिडी, लाभों तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए आधार का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है) को किसी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवाओं के लिए अर्जित लाभों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

VISION IAS

3.12. स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक (Independent Director's Databank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA)** ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार **'स्वतंत्र निदेशकों के डाटा बैंक'** नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है।

स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक: एक परिचय

- इसका उद्देश्य वर्तमान स्वतंत्र निदेशकों (Independent Directors: IDs) तथा स्वतंत्र निदेशक बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को पोर्टल पर पंजीकरण के लिए एक आसान पहुँच और मंच प्रदान करना है।
- इस डाटाबैंक के माध्यम से वे कंपनियां भी पंजीकृत हो सकती हैं, जो उचित कौशल प्राप्त व्यक्तियों को खोजने एवं चयन करने और उनसे जुड़ना चाहती हैं, ताकि उन व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, IDs को अब एक सामान्य ऑनलाइन प्रफिशन्सी (proficiency) सेल्फ-असेसमेंट टेस्ट को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी।
- MCA के अंतर्गत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) द्वारा इस डेटाबेस पोर्टल का रख-रखाव किया जाएगा।
- एक एकीकृत "लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम" द्वारा संचालित इस डेटाबैंक पोर्टल द्वारा कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति क़ानून, बेसिक एकाउंटेंसी, बोर्ड की कार्यप्रणाली, बोर्ड के नीतिशास्त्र तथा बोर्ड की प्रभावशीलता सहित विविध विषयों के संबंध में विविध प्रकार के ई-लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।
- इस पोर्टल के माध्यम से IDs की क्षमता में वृद्धि करने हेतु कई अन्य वैल्यू-एडेड सर्विसेज भी से आरम्भ की जाएंगी।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

- **यह ऐसे नियमों, पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है** जिसके द्वारा कोई कंपनी निर्देशित और नियंत्रित होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से विशेष रूप से गुमनाम, शक्तिविहीन तथा लघु निवेशकों सहित निगमों को पूँजी की आपूर्ति करने वाले लोगों को यह आश्वासन प्राप्त होता है कि उनके साथ एक हितधारक के रूप में उचित व्यवहार किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली के केंद्र में **निदेशक मंडल** (Board of Directors) होते हैं, जिनके द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा किस प्रकार कंपनी के सभी हितधारकों के दीर्घ-कालिक हितों को पोषित तथा रक्षित किया जा रहा है।
    - यह इस आधार पर संरचित है कि **विश्वसनीय एवं सम्मानित व्यक्तियों के एक समूह** को बड़ी संख्या में ऐसे हितधारकों के हितों का पोषण करना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के प्रबंधन में संलग्न नहीं हैं।
    - ये **कंपनी अधिनियम, 2013** के द्वारा शासित होते हैं।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने हेतु **कंपनी अधिनियम** में निदेशक मंडल के अंतर्गत **स्वतंत्र निदेशकों** की भी व्यवस्था गयी है।

स्वतंत्र निदेशकों के बारे में

- एक **स्वतंत्र निदेशक** वस्तुतः निदेशक मंडल में शामिल ऐसा निदेशक होता है जो अल्पसंख्यक हितधारकों और उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका बैठक शुल्क (sitting fees) के भुगतान के अतिरिक्त कंपनी के साथ कोई अन्य वित्तीय संबंध नहीं होता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक **प्रबंध निदेशक या पूर्णकालीन निदेशक या नामित निदेशक के अतिरिक्त अन्य निदेशक होता है।**
- **कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में** स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों, भूमिकाओं तथा कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया है। **इसमें यह व्यवस्था की गई है कि एक स्वतंत्र निदेशक-**
    - **सत्यनिष्ठा** तथा **ईमानदारी** संबंधी आचरण मानकों को बनाए रखेगा।
    - वह अनैतिक व्यवहार, वास्तविक तथा संदेहास्पद धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीतियों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट करेगा;
    - वह विशेष रूप से रणनीति, निष्पादन, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों और आचरण के मानकों से संबंधित मुद्दों पर बोर्ड की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्णयों में सहायता करेगा;
    - वह यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के संचालन या प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित मुद्दों का समाधान बोर्ड द्वारा किया जाए;
    - यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के पास **पर्याप्त तथा सक्रिय निगरानी तंत्र** उपलब्ध हो तथा इस तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हितों की सुरक्षा की जाए;
    - वह विशिष्ट रूप से अल्पसंख्यक हितधारकों सहित **सभी हितधारकों के हितों** को रक्षा करेगा।
    - प्रबंधन तथा हितधारकों के हितों के मध्य टकराव की स्थिति में **समग्र रूप से कंपनी के हित** में मध्यस्थता करेगा।

VISION IAS

इस भूमिका के महत्व को देखते हुए, स्वतंत्र निदेशकों के पद को सतत रूप से समर्थन प्रदान कर उसे सशक्त बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 किसी कंपनी के प्रबंधन में उन पर बेहतर अधिकार तथा दायित्व आरोपित करता है।

- कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के पास उनके निदेशकों की **संपूर्ण संख्या का कम से कम एक-तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए।**
- **कोटक समिति की अनुशंसाओं** के आलोक में, **SEBI {लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR)} (संशोधन) विनियमन, 2018** और अधिक कठोर दायित्व आरोपित करता है। इस विनियमन के अनुसार एक सूचीबद्ध कंपनी के **सभी निदेशकों की कम से कम आधी संख्या** स्वतंत्र निदेशकों की होनी चाहिए। यदि अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी / या प्रवर्तक से संबंधित व्यक्ति है (तथा अन्य मामलों में) तो ऐसे में एक तिहाई IDs की नियुक्ति अनिवार्य है।
    - इसके अतिरिक्त, इसने 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि उनके निदेशक मंडल में **कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक** हो। 1 अप्रैल 2020 तक ऐसा ही शीर्ष की 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भी प्रयोज्य होगा।
- इस अधिनियम के अनुसार, कंपनी की **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति** में कम से कम तीन निदेशक होने चाहिए जिनमें से **कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक** हो।

IDs की कार्यप्रणाली से संबद्ध चुनौतियाँ

- **वैधानिक प्रावधान:** कंपनी अधिनियम, 2013 तथा SEBI {लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट (LODR)} (संशोधन) विनियमन, 2018 के अनुसार, IDs को उनकी जानकारी, या सहयोग या प्रयास के फलस्वरूप होने वाली कोई भी नियुक्ति या चूक या रिक्ति संबंधी कारवाई के लिए **व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।**
    - वर्ष 2019 में बोर्ड के पदों से त्यागपत्र देने वाले स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या, विगत दो वर्षों में त्यागपत्र देने वाले स्वतंत्र निदेशकों की कुल संख्या की तुलना में दोगुनी अधिक थी।
    - अपेक्षाकृत अधिक बड़ी ज़िम्मेदारी, कॉर्पोरेट प्रबंधन के बढ़ते हुए मामलों, धोखेधड़ी के खतरे, ज़िम्मेदार ठहराए जाने तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के ख़तरे में पड़ने के बढ़ते हुए भय के कारण IDs निर्गमन (त्यागपत्र) में वृद्धि हुई है।
    - **डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायब्लिटी इंश्योरेंस** हेतु हस्ताक्षर करने में कंपनियों की अनिच्छा के कारण भी IDs चिंतित हैं। अकुशल प्रबंधन तथा गलत निर्णयों को लेकर उन पर चलाए जाने वाले मुकदमों से यह IDs का बचाव करता है।
- **जानकारी संबंधी असममिति:** जानकारी के अभाव के कारण कानूनी उत्तरदायित्व में बहुत वृद्धि हो जाती है।
    - IDs कंपनी का अभिन्न अंग न हो कर बाह्य अंग होते हैं तथा त्रैमासिक रूप से कंपनी के प्रबंधन से अंत:क्रिया में भागीदारी करते हैं।
    - उनके पास **जानकारियों के स्वतंत्र स्रोत नहीं होते।** उन्हें कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी और निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त **तथा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए** संवैधानिक एवं आतंरिक लेखाकारों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है।
    - हालांकि, लेखाकारों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारियों एवं IDs द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के मध्य बड़ा अंतराल हो जाता है।
    - इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों के पास सतत बढ़ती हुई **कष्टकर तथा न्यासी ज़िम्मेदारी** अवश्य होती है किन्तु उनके निपटारे के लिए कोई **संसाधन या साधन** नहीं उपलब्ध होते।
- **स्वतंत्रता की राह में चुनौतियाँ:** यह सुनिश्चित करने के लिए निगम की स्वतंत्रता अति आवश्यक होती है, निगम अपने दायित्वों को निष्पक्ष रूप से पूरा करे तथा प्रबंधन को कंपनी के प्रति उत्तरदायी बनाए रखे। वास्तविक स्वतंत्रता की कमी इस बात से उत्पन्न होती है कि अधिकाँश कम्पनियाँ स्वतंत्र निदेशकों की खोज एवं नियुक्ति के लिए **"प्रवर्तकों" एवं "बोर्ड के अन्य सदस्यों"** के व्यक्तिगत नेटवर्क का उपयोग करती हैं।

निष्कर्ष

- ये चुनौतियाँ हालिया समय में बड़े कॉर्पोरेट घोटालों के रूप में प्रकट हो चुकी हैं, यथा- IL&FS संकट, विविध बैंक घोटाले (ICICI बैंक, PNB आदि), इनफ़ोसिस, टाटा इत्यादि। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कटिबद्ध है। **स्वतंत्र निदेशक डेटाबैंक को प्रारंभ करना इस दिशा में एक सही कदम है।**
- सरकार द्वारा कॉर्पोरेट में अपनी भूमिका को कम से कम करने की पृष्ठभूमि में, IDs की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। **IDs की भूमिका** तथा उनके मार्ग में प्रस्तुत चुनौतियों **को बेहतर ढंग से समझने** की आवश्यकता है।

3.13. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक, 2019 का मसौदा (Draft National Statistical Commission Bill, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने डेटा संग्रह को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) विधेयक, 2019 के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं।

पृष्ठभूमि

- लंबे समय से आधिकारिक आंकड़ों के लिए एक स्वतंत्र व सर्वोच्च सलाहकार निकाय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकार ने आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के लिए आमूल-चूल परिवर्तनकारी सुधार प्रस्तावित करने के अधिदेश के साथ वर्ष 2000-2001 में रंगराजन आयोग का गठन किया था।
- रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में, **1 जून 2005 को एक अधिसूचना द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission: NSC) की स्थापना की गई थी।**
- यह सांख्यिकीय मामलों हेतु एक सलाहकारी निकाय है।
- स्पष्ट विधायी रूपरेखा के अभाव में, NSC को अपनी अनुशंसाएं कार्यान्वित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
- वर्तमान NSC विधेयक, 2019 का मसौदा सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों का क्रमिक विकास करने, निगरानी और प्रवर्तन करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए देश के लिए सभी मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल एवं स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
- वर्तमान NSC विधेयक, 2019 के मसौदे में एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। यह आयोग सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों का क्रमिक विकास करने, निगरानी और प्रवर्तन करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु देश के सभी मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल एवं स्वायत्त निकाय होगा।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **NSC की संरचना:** यह विधेयक प्रस्ताव करता है कि यह आयोग-
  - एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और पाँच पूर्णकालिक सदस्यों (खोज समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त);
  - RBI के गवर्नर द्वारा नामांकित RBI के डिप्टी-गवर्नर;
  - भारत के मुख्य सांख्यिकीविद (यह पद वर्ष 2005 में वर्तमान NSC की स्थापना करने वाले कार्यकारी आदेश द्वारा सृजित किया गया था।); तथा
  - पदेन सदस्य के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार (वित्त मंत्रालय) से मिलकर बनेगा।
- **सांख्यिकीय लेखापरीक्षा:** यह विधेयक NSC के भीतर एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय लेखा परीक्षा और मूल्यांकन संगठन (National Statistical Audit and Assessment Organization) की स्थापना का प्रावधान करता है। इस संगठन का प्रमुख एक मुख्य सांख्यिकी लेखा परीक्षक होगा जिसे भारत सरकार के सचिव के स्तर का दर्जा प्राप्त होगा।
- **NSC के लिए स्वतंत्र सचिवालय:** आयोग की स्वायत्तता को आगे और सुदृढ़ करने के लिए, यह विधेयक आयोग के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव के दर्जे के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

NSC की शक्तियाँ और कार्य

- सरकार, आधिकारिक आंकड़ों से संबंधित मामलों में किए जाने वाले विधायी उपायों पर आयोग से परामर्श लेगी।
- आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित **राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं की पहचान और क्रमिक विकास करना।**
- मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण और कार्यप्रणालियों को निर्धारित करना।
- उच्चतम मानक और व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आंकड़ों के प्रकाशन में लोकाचार का निर्माण करने हेतु **उच्च व्यावसायिक मानकों और आचार संहिता का विकास करना।**
- जन जागरूकता को बढ़ावा देना और आधिकारिक आंकड़ों के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाने हेतु उपाय करना।
- आधिकारिक आंकड़ों के क्षेत्र में **शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा जगत की भागीदारी को बढ़ावा देना।**
- मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के मध्य सांख्यिकीय समन्वय स्थापित करना।
- NSO, देश के अंदर और बाहर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में सभी उपयोगकर्ताओं के मध्य मुख्य (कोर) आंकड़ों के प्रसार के लिए एक "वेयरहाऊस" का अनुरक्षण करेगा तथा विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिए एकमात्र सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।
- सरकार ने महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करने वाली गैर-सरकारी एजेंसियों (जैसे- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी: CMIE) पर प्राधिकार के संबंध में आयोग को व्यापक शक्तियां देने का भी प्रस्ताव किया है।

VISION IAS

4. सुरक्षा (Security)

4.1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (Chief of Defence Staff: CDS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, **रक्षा मंत्रालय (MoD)** ने सशस्त्र बलों के तीनों स्कंधों (विंग्स) को "शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व" प्रदान करने हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद का सृजन किया है।
- सेवानिवृत्त सेना प्रमुख, **जनरल बिपिन रावत** को देश का प्रथम CDS नियुक्त किया गया है।

पृष्ठभूमि

- CDS पद के गठन के संबंध में प्रथम प्रस्ताव वर्ष 2000 में स्थापित **कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee: KRC)** द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- तत्पश्चात, KRC रिपोर्ट और इसकी अनुशंसाओं का अध्ययन करने वाले **ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स टास्क फ़ोर्स** ने सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति को प्रस्तावित किया कि एक CDS पद का सृजन किया जाए।
- वर्ष 2011 में, **रक्षा और सुरक्षा पर गठित नरेश चंद्र समिति** द्वारा भी CDS प्रस्ताव के अल्प प्रभावी संस्करण को अपनाने का सुझाव दिया गया था।
- वर्ष 2016 में **शेकटकर समिति** द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें तीनों सेनाओं के एकीकरण से संबंधित CDS की अनुशंसा की गई थी ।

CDS के विषय में

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को 4 स्टार जनरल रैंक के रूप में सृजित किया गया है, जिसकी वेतन और परिलब्धियां सर्विस चीफ के समतुल्य होंगी।
- इस पद को निम्नलिखित कार्यों के लिए सृजित किया गया है:
  - एकीकृत संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के माध्यम से **तीनों सेनाओं हेतु खरीद, प्रशिक्षण और कार्मिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करना।**
  - संयुक्त संचालन के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु सैन्य कमानों के पुनर्गठन और संयुक्त थिएटर कमानों के गठन की सुविधा हेतु।
  - सेनाओं द्वारा स्वदेश में विनिर्मित उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- केंद्र सरकार ने CDS के लिए पद पर बने रहने की **अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष** निर्धारित की है।
- **CDS सैन्य मामलों के विभाग (Department of Military Affairs: DMA)** का भी प्रमुख होगा, जिसका गठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा और वह उसके सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।
- वह समकक्षों में प्रमुख (primus inter pares) या फर्स्ट अमंग इक्वल्स होगा। **CDS में तीनों प्रमुखों को निर्देश प्रदान करने का अधिकार भी निहित है।**
- CDS सभी तीनों सैन्य सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) के मामलों में रक्षा मंत्री के **प्रधान सैन्य सलाहकार** के रूप में कार्य करेगा।
- हालांकि, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेवाओं के संबंध में परामर्श प्रदान करना जारी रखेंगे।
- CDS तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ-साथ किसी अन्य सैन्य कमान के लिए भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, ताकि वह राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों के संबंध में निष्पक्ष सुझाव प्रदान कर सके।
- वह **चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी (CoSC) के स्थायी अध्यक्ष** के रूप में कार्य करेगा, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं।
- चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में CDS निम्नलिखित कार्य करेगा:
  - CDS साइबर और स्पेस से संबंधित कार्यों सहित तीनों सेनाओं से संबद्ध अभिकरणों के लिए प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करेगा।
  - CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council: DAC) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisor: NSA) की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति का सदस्य होगा।
  - वह परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
  - वह एकीकृत क्षमता विकास योजना के पश्चात् अग्रगामी कदम के रूप में पंचवर्षीय रक्षा पूंजीगत उपस्कर अधिग्रहण योजना (Defence Capital Acquisition Plan: DCAP) और दो वर्षीय सतत वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं को कार्यान्वित करेगा।
  - अनुमानित बजट के आधार पर पूंजीगत सामान खरीद के प्रस्तावों को अंतर-सेवा प्राथमिकता प्रदान करेगा।

VISION IAS

- अपव्यय में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं (combat capabilities) को बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं की कार्यपद्धतियों में सुधारों को लागू करेगा।

DMA के कार्य

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ के नेतृत्व में सैन्य मामलों का विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करेगा:

- संघ की सशस्त्र सेना अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना।
- रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय और डिफेंस स्टॉफ मुख्यालय शामिल हैं।
- प्रादेशिक सेना।
- सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित कार्य।
- प्रचलित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत अधिग्रहण को छोड़कर सेनाओं के लिए विशिष्ट खरीद।

CDS की आवश्यकता

- **अपर्याप्त मौजूदा संरचना:** भारत में CDS के समतुल्य परंतु तुलनात्मक रूप से अल्प अधिकार प्राप्त **चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CoSC) के अध्यक्ष का पद** विद्यमान है, जिसमें तीनों सेना प्रमुखों में से वरिष्ठतम प्रमुख को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।
  - हालांकि, CoSC व्यवस्था को प्रायः "असंतोषजनक" माना जाता है तथा इसके अध्यक्ष को "नाममात्र प्रमुख" (फिगरहेड) की संज्ञा दी जाती है। इसलिए यह त्रि-सेवा (तीनों सेना) एकीकरण को आगे नहीं बढ़ा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्षमता और परिसंपत्तियों का अनावश्यक दोहराव होता है।
- **एक केंद्रीय शक्तिशाली तंत्र की आवश्यकता:** वर्तमान में भारत में विभिन्न स्थानों पर 17 सर्विस कमान हैं और इससे परिसंपत्तियों का दोहराव होता है। इसलिए CDS को "थिएटर कमान" के सृजन के साथ-साथ त्रि-सेवा परिसंपत्तियों और कर्मियों को संगठित करने हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **नीतिगत कमजोरियों के निवारण हेतु:** नियोजन प्रक्रिया के मुख्य दोष के कारण अंतर्सेवा और अंत:सेवा प्राथमिकता का अभाव दृष्टिगोचर हुआ है तथा प्रयासों का दोहराव और संसाधनों का उप-इष्टतम उपयोग हुआ है। CDS को रक्षा नियोजन समिति के समग्र मार्गदर्शन और निर्देशों के अधीन रक्षा नियोजन का कार्यभार सुपुर्द किया जा सकता है।
- **सरकार और सशस्त्र बलों के मध्य समन्वय का अभाव:** KRC रिपोर्ट में इंगित किया गया था कि भारत में सशस्त्र बल मुख्यालय शीर्ष सरकारी संरचना से असंबद्ध हैं, इसलिए शीर्ष अधिकारियों को सैन्य कमांडरों के विचारों और विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त नहीं होता है, जो युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में भारत की स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है।
- **अग्रगामी रक्षा कूटनीति हेतु:** वर्तमान में, रक्षा कूटनीति के महत्वपूर्ण पहलू को रक्षा मंत्रालय से अति महत्वपूर्ण नीति निर्देश के बिना तदर्थ रीति से संचालित किया जा रहा है। यह तब उपयुक्त स्थिति होगी, जब सरकार से स्पष्ट नीतिगत दिशा-निर्देशों के अधीन CDS को रक्षा कूटनीति के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।
- **पूंजीगत खरीद की आवश्यकता:** सशस्त्र बालों द्वारा हथियारों की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। खरीद प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु CDS को आदर्श रूप से व्यापक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी, जो निचले स्तर पर प्रदत्त शक्तियों से अधिक हैं।
- **गुणवत्ता आश्वासन हेतु आवश्यक:** रक्षा उत्पादन विभाग (Department of Defence Production: DDP) उत्पादन और गुणवत्ता आश्वासन दोनों के लिए प्रशासनिक विभाग होता है, अत: उस पर प्रायः दोहरे उत्तरदायित्व के कारण हितों के टकराव का आरोप लगाया जाता है। हालाँकि, CDS की स्थापना के पश्चात्, यह गुणवत्ता प्रमाणन का उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु आदर्श रूप से अनुकूलित होगा।
- **संसाधनों का अभाव:** अवसंरचना और मानव संसाधनों में संपत्ति का दोहराव (चाहे वह प्रशिक्षण में हो अथवा परिचालन कमान में) होने से रक्षा बजट पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पूंजी अधिग्रहण के लिए अल्प धन शेष रह जाता है। इसलिए CDS रक्षा क्षेत्र में होने वाले निष्फल व्यय में कटौती करने में सहायता करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

तीव्रता से परिवर्तित सुरक्षा और रक्षा परिदृश्य में देश को कुशल और प्रभावी बलों की आवश्यकता है, जो नियोजन, प्रशिक्षण और संयुक्त कार्यावाहियों को क्रियान्वित करने के माध्यम से समन्वय स्थापित करेंगे। इस प्रकार भारत के उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार करने हेतु CDS की नियुक्ति निस्संदेह एक साहसिक और निर्णायक कदम है।

4.2. समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक, 2019 (Anti-Maritime Piracy Bill 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विदेश मंत्रालय** द्वारा समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक (एंटी-मैरीटाइम पायरेसी बिल) 2019 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया।

इस विधेयक की आवश्यकता

- **जलदस्युता (पायरेसी) पर एक व्यापक और विशिष्ट घरेलू विधान लाने हेतु:**
  - वर्तमान में, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा हिरासत में लिए गए जलदस्युओं के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए सशस्त्र डकैती और कुछ न्यायालयों की एडमिरल्टी अधिकारिता से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू होते हैं।
- **भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर जलदस्युता की बढ़ती घटनाओं से निपटने हेतु:**
  - अदन की खाड़ी में नौसैन्य उपस्थिति में वृद्धि के कारण जलदस्युओं ने अपनी गतिविधियों को पूर्व और दक्षिण की ओर स्थानांतरित किया है। इससे भारत के पश्चिमी तट की ओर जलदस्युता की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।
- **जलदस्युता में वृद्धि के अन्य कारण:** समुद्री सीमा का भौगोलिक विस्तार; वायु एवं स्थलीय सुरक्षा और निगरानी प्रणाली का अभाव; अंतरमहाद्वीपीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के मध्य सहयोग की कमी; अपर्याप्त नौसेना-तट रक्षक सुरक्षा बल आदि।
- **सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)** पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु।
  - UNCLOS प्रावधान करता है कि सभी देशों का दायित्व है कि वे पायरेसी के नियंत्रण में पूर्ण संभव सीमा तक सहयोग करें।
- भारतीय जहाजों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सहित **भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा एवं संरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु।**
  - पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार, देश का व्यापार मात्रा की दृष्टि से लगभग 95 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से लगभग 70 प्रतिशत समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है।

सागरीय विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS)

- यह महासागरों तथा उनके संसाधनों के सभी प्रकार के उपयोगों को शासित करने वाले नियमों का निर्माण करते हुए **विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून एवं व्यवस्था की एक व्यापक शासन पद्धति का निर्धारण करता है।**
- यह इस धारणा को प्रतिष्ठापित करता है कि सागरीय क्षेत्र की सभी समस्याएं गहन रूप से अंतर्संबंधित हैं और इनका समग्र रूप से समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
- **भारत ने वर्ष 1982 में इस समझौते पर हस्ताक्षर** किया था। वर्ष 1995 में भारत द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **जलदस्युता की परिभाषा (Definition of Piracy):** विधेयक के अनुसार जलदस्युता से आशय, किसी निजी पोत या वायुयान के कर्मी दल या यात्रियों द्वारा निजी उद्देश्य हेतु किसी पोत, वायुयान, व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध हिंसा, बंधक बनाने अथवा नष्ट करने की गैर-कानूनी कार्रवाई करने से है।
- **विधेयक की प्रयोज्यता (Applicability of the Bill):** इस विधेयक के उपबंध भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं से संलग्न और उससे परे सभी समुद्री भागों पर लागू होंगे।
- **दंड (Penalties):** यदि कोई जलदस्युता का प्रयास करता है अथवा अपराध में शामिल होता है, तो मामले की गंभीरता के आधार पर उसे आजीवन कारावास की सजा या मृत्युदंड तथा साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा।
- **प्रत्यर्पणीय आपराधिक मामले (Extraditable Offence):** इसका तात्पर्य यह है कि अपराधी को कानूनी प्रक्रिया के लिए ऐसे किसी भी देश में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसी संधियों के अभाव में अपराधी देशों के मध्य पारस्परिकता के आधार पर प्रत्यर्पण योग्य होंगे।
- **पदाभिहित न्यायालय (Designated Courts):** केंद्र सरकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जलदस्युता के अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए सत्र न्यायालयों को विधेयक के अंतर्गत पदाभिहित (निर्दिष्ट) न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

हिंद महासागर में जलदस्युता से निपटने हेतु सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय

- भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में और 65 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पश्चिम की ओर भारतीय नौसेना द्वारा वर्धित सतर्कता।
  - भारत सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करने हेतु स्थापित **"शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी-कॉन्फ्लिक्शन" (SHADE)** जैसे विभिन्न सहयोगी तंत्रों का एक सक्रिय भागीदार है।
  - **GSAT 7 (रुक्मिणी)** विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए 2,000 समुद्री मील तक की निगरानी हेतु एक संचार उपग्रह है।

VISION IAS

- **भारत, जापान और चीन** ने विशेष रूप से अदन की खाड़ी में सभी व्यापारिक पोतों द्वारा उपयोग के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनुशंसित ट्रांजिट कॉरिडोर में गश्ती समन्वय करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

- जलदस्युता से निपटने के लिए स्थापित किए गए विभिन्न बहुपक्षीय मंचों {जैसे- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA)} में सहभागिता करना।

पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन **एक अंतर-मंत्रालय समूह** की स्थापना की गई है, जो भारतीय चालक दल के साथ व्यापारी जहाजों के समुद्र में अपहरण से उत्पन्न होने वाली बंधक स्थिति से निपटने हेतु कार्य करता है।

- व्यापारी जहाजों की लूट और अपहरण से निपटने के लिए **आकस्मिक योजना** और **कमेटी ऑफ़ सेक्रेटरी एंटी-पायरेसी एंड हाइजैकिंग ऐट सी (COSAPH)** का गठन।
- मर्चेंट शिपिंग के माध्यम से सलालह और माले को जोड़ने वाली रेखा के दक्षिण या पश्चिम में जल में **पायुक्त पोतों (sailing vessels) के परिवहन पर प्रतिबंध।**
- भारतीय पोतों पर लागू होने वाले **जलदस्युता-रोधी उपायों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश।**

समुद्री जलदस्युता और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ

- **UNCLOS, 1982** के अनुच्छेद 101 में जलदस्युता का तात्पर्य, किसी निजी पोत या वायुयान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी प्रयोजनार्थ किसी अन्य पोत, वायुयान, व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध हिंसा, बंधक बनाने अथवा नष्ट करने की गैरकानूनी कार्रवाई करना है।
- **इंटरनेशनल मेरीटाइम ब्यूरो (IMB)** द्वारा वर्ष 2019 के प्रथम तीन माह में जल पोतों के विरुद्ध जलदस्युता और सशस्त्र डकैती की 38 (गिनी की खाड़ी में 22) घटनाएं दर्ज की गईं।
  - वर्ष 2018 में, एशिया में जलदस्युता और सशस्त्र डकैती की 76 घटनाएं दर्ज हुईं थीं।
  - यह IMB **इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स** का एक विशेष प्रभाग है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे सभी प्रकार के समुद्री अपराध और कदाचार निपटने के लिए केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करने हेतु वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization: IMO)** ने अपने सदस्य देशों द्वारा लागू किए जाने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का अंगीकरण किया है:
  - सामुद्रिक नौवहन की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले कृत्यों को प्रतिबंधित और दंडित करने हेतु **सप्रेशन ऑफ़ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट दी सेफ्टी ऑफ़ मैरीटाइम नेविगेशन (SUA कन्वेंशन)।**
  - व्यापारिक पोतों के विनिर्माण, उपकरण और संचालन में न्यूनतम सुरक्षा मानक निर्धारित करने हेतु **इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर दी सेफ्टी ऑफ़ लाइफ ऐट सी (SOLA)।**
  - **इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड (ISPS कोड)** सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी (SOLAS) कन्वेंशन का एक संशोधन है तथा यह "सुरक्षा खतरों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग होने वाले पोतों या पत्तन सुविधा केंद्रों को प्रभावित करने वाली सुरक्षा घटनाओं के विरुद्ध निवारक उपाय करने हेतु सरकारों, शिपिंग कंपनियों, शिपबोर्ड कर्मियों और पत्तन/सुविधा केंद्र कर्मियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है।"
  - इसके अतिरिक्त, IMO **एकीकृत तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (ITCP) और जिबूती कोड ऑफ़ कंडक्ट** के माध्यम से सुरक्षित तथा कुशलता से एक शिपिंग उद्योग संचालित करने हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनों के अभाव में सरकारों को सहयोग प्रदान करता है।

4.3. भारत नेपाल सीमापारीय सहयोग (India Nepal Cross Border Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (APF) ने भारत को अपने सीमा क्षेत्र में "तीसरे देश" की संदिग्ध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहयोग करने का आश्वासन प्रदान किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह निर्णय भारतीय सीमा की सुरक्षा करने वाले **सशस्त्र सीमा बल (SSB)** और उसके नेपाली समकक्ष सशस्त्र पुलिस बल (APF) के मध्य **पोखरा** (नेपाल) में आयोजित **चौथी भारत-नेपाल समन्वय बैठक** के दौरान लिया गया।
- यह प्रथम बार है जब चर्चाओं के संयुक्त अभिलेखन के अंतर्गत **तीसरे देश** के क्रियाशील तत्वों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया।
- 1,751 किलोमीटर की लंबी खुली भारत-नेपाल सीमा का पूर्व में कई बार पाकिस्तानी क्रियाशील तत्वों और आतंकवादियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने की सूचना प्राप्त होती रही है और ऐसे अनेक तत्वों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है, जैसे- वर्ष 2017 में SSB ने उत्तर प्रदेश के सोनौली सीमा चौकी से एक **हिजबुल मुजाहिदीन** के आतंकवादी को गिरफ्तार किया था।

- इसके अतिरिक्त, अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में वर्णित है कि **इंडियन मुजाहिदीन** के पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों, यथा- लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी के साथ संबंध हैं। इंडियन मुजाहिदीन भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेपाल को एक **प्रमुख केंद्र** के रूप में उपयोग कर रहा है।
- इस सहयोग के द्वारा, न केवल पाकिस्तान और अन्य देशों के आतंकवादियों अपितु तस्करी करने वाले प्रमुख समूहों (smuggling kingpins) और जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) माफियाओं की गतिविधियों को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- SSB **गृह मंत्रालय** के तत्वाधान में गठित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) का एक भाग है। भारत में छह अन्य केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल- असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1963 में **चीन के आक्रमण (वर्ष 1962 में) के पश्चात्** की गई थी।
- वर्तमान में यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से संलग्न 2,450 किलोमीटर लंबी **भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा** पर तैनात है।
- SSB को इन सीमा क्षेत्रों के लिए **प्रमुख आसूचना एजेंसी** (Lead Intelligence Agency) के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न एजेंसियों जैसे- इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय स्थापित करता है।
- **इसके उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना।
  - सीमा पार अपराधों और भारतीय क्षेत्र में अथवा भारतीय क्षेत्र से अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम।
  - उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करना।
  - भारतीय सीमांत क्षेत्रों पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को अवरुद्ध करना।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. कांफ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज का 25वां सत्र (COP 25)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, "जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन" (UNFCCC) के तत्वावधान में व चिली के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कांफ्रेंस ऑफ़ द पार्टीज का 25वां सत्र (CoP 25) मैड्रिड (स्पेन) में संपन्न हुआ।
- इस सत्र के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 'मीटिंग ऑफ़ द पार्टीज' के 15वें सत्र **(CMP 15)** तथा पेरिस समझौते के पक्षकारों की 'मीटिंग ऑफ़ द पार्टीज' के द्वितीय सत्र **(CMA 2)** का भी आयोजन किया गया।

COP 25 का एजेंडा

मैड्रिड में आयोजित COP 25 को UNFCCC द्वारा जलवायु संबंधी विभिन्न समझौतों में शामिल मुद्दों का समाधान करने हेतु अधिदेशित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6** से संबंधित **कार्बन बाजार।**
- पेरिस समझौते के तहत **हानि और क्षति (Loss and Damage)** तथा जलवायु संकट से पीड़ित निर्धन देशों की सहायता हेतु एक कोष की स्थापना करना।
- उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु सभी देशों द्वारा **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions: NDCs)** का संवर्धन।

COP 25 का महत्व

- 1 जनवरी 2020 से पेरिस समझौते के प्रभावी होने के कारण पेरिस समझौते की "नियम पुस्तिका" (rulebook) को अंतिम रूप प्रदान करने के दृष्टिकोण से COP 25 महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 'जलवायु संकट' के बजाए 'जलवायु आपात' की स्थति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में वर्ष 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक वर्ष 2010 के स्तर से 45 प्रतिशत तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक तापमान को 1.5 C तक सीमित करने हेतु प्रतिबद्धता को पूर्ण करना आवश्यक है।
- चिली के राष्ट्रपति ने अपने मूल देश चिली (लगभग 4,000 मील लंबी तटरेखा वाला राष्ट्र) की भौगोलिक अवस्थिति के कारण इस सम्मेलन को **"ब्लू COP"** नाम दिया है, जिसका लक्ष्य महासागरों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देना है।

इस सम्मेलन के प्रमुख परिणाम: इस COP द्वारा **"चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन"** दस्तावेज़ को अंगीकृत किया गया।

- **उत्सर्जन में कमी के संबंध में:** इस सम्मेलन ने राष्ट्रों के लिए वर्ष 2020 तक अपने NDCs को बढ़ाने के संबंध में स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के बजाए, केवल पक्षकारों को परस्पर संवाद करने हेतु आमंत्रित किया। इस सत्र के दौरान अपने NDCs के संबंध में "पुनर्वार्ता" करने या उन्हें "अपडेट" करने के क्रम में "सभी पक्षकारों से अपने NDCs संबंधी अंतरों पर विचार करने का आग्रह किया गया", हालांकि इसके लिए किसी प्रकार की निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- **हानि एवं क्षति के संबंध में:** हानि एवं क्षति से संबंधित अंतिम निर्णय विकासशील देशों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था। इसमें कुछ कठोर प्रावधानों का अभाव था, जैसे कि "विकसित देशों" द्वारा उनके समर्थन को बढ़ाने संबंधी विशिष्ट प्रावधानों का अभाव।
  - अंतिम निर्णय के तहत इसका अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)** द्वारा पहले से ही उन गतिविधियों का समर्थन किया जा रहा है जिन्हें "हानि और क्षति" से संबद्ध कर परिभाषित किया जा सकता है। इस संबंध में एक सुझाव यह हो सकता है कि भविष्य में 'GCF एवं अन्य प्रकार के कोषों' को इस क्षेत्र में और अधिक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, **'सेंटियागो नेटवर्क'** की स्थापना **वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म (WIM)** के भाग के रूप में की गयी थी जिसका उद्देश्य सुभेद्य देशों के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता को उत्प्रेरित करना है।
- **जलवायु वित्त के संबंध में:** वार्ताकारों के मध्य इस पर सहमत नहीं बन पाई कि क्या और कैसे वर्ष 2020 के पश्चात् दीर्घकालिक वित्तीय एजेंडा से संबंधित कार्यक्रम को रखा जाए। यह उन चिंताओं को दर्शाता है कि क्या अगले वर्ष 100 बिलियन डॉलर जुटा पाना संभव होगा या नहीं तथा साथ ही कैसे विकसित देशों को जवाबदेह बनाए रखा जाए ताकि वे वर्ष 2025 तक वित्त प्रदान करना जारी रख सकें।
- **कार्बन बाजार के संबंध में:** यह सत्र सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक अर्थात् **"पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजारों के लिए नियम स्थापित करना"** का समाधान किए बिना ही संपन्न हो गया। इस प्रकार COP 26 तक इस निर्णय को आस्थगित कर दिया गया।

VISION IAS

- **'जेंडर एक्शन प्लान' के संबंध में:** एक नए पंचवर्षीय जेंडर एक्शन प्लान (GAP) के संबंध में निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य "UNFCCC प्रक्रिया में जेंडर-संबंधी निर्णयों और अधिदेशों के कार्यान्वयन का समर्थन करना" है।

हानि और क्षति (Loss and Damage: L&D) के बारे में:

- L&D के अंतर्गत, उन विकसित राष्ट्रों को, जो ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहे विकासशील देशों के प्रति जवाबदेह समझा जाता है।
- हानि और क्षति के लिए **वॉरसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म (WIM)** को वर्ष 2013 (COP 19 के दौरान) में अंगीकृत गया था। इसमें यह स्वीकार किया गया था कि "L&D वस्तुतः जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संबंधित है। साथ ही, इसमें उन विषयों को भी अधिकाधिक शामिल किया जाता है, जिन्हें अनुकूलन के द्वारा कम किया जा सकता है।"
- विकसित देशों द्वारा **पेरिस समझौते (2015)** में L&D को शामिल करने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन साथ ही इसमें एक अतिरिक्त खंड भी जोड़ा गया, कि L&D से संबंधित विशिष्ट अनुच्छेद "किसी भी देयता या क्षतिपूर्ति के लिए आधार सृजित नहीं करता है"।

L&D से संबंधित मुद्दे एवं विमर्श:

- UNFCCC के अंतर्गत L&D संबंधी वार्ताएं 'जलवायु न्याय' संबंधी मांग के कारण बाधित हो गई। ज्ञातव्य है कि **जलवायु न्याय** को जलवायु परिवर्तन संबंधी चरम घटनाओं और मंद गति से घटित होने वाले जोखिम में वृद्धि तथा L&D को अनुकूलन प्रयासों से पृथक समझने की विकसित देशों की अनिच्छा के लिए **मुआवजे** के रूप में समझा जाता है।
- क्या बीमा उपकरण, विशेष रूप से सूक्ष्म-बीमा और क्षेत्रीय पूल, विकासशील देशों में घटित होने वाली चरम जलवायु की घटनाओं से होने वाली L&D के लिए जोखिम को कम करने तथा समान प्रतिपूरक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- WIM ने L&D को संबोधित करने के लिए नए या अतिरिक्त वित्त की पहचान करने में निम्नस्तरीय प्रगति की है। सुभेद्य राष्ट्रों के लिए बीमा से इतर नवीन वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी।

5.1.1. कार्बन बाज़ार (Carbon Markets)

- कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन की समस्या, अर्थात् वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के संचय, से निपटने के लिए एक उपकरण है। चूंकि, यह कोई मायने नहीं रखता है कि हम किस स्थान पर उत्सर्जन में कमी कर रहे हैं, ऐसे में **कार्बन व्यापार** के पीछे निहित तर्क यह है कि जलवायु संबंधी कार्रवाई करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उत्सर्जन में वहाँ कमी की जाए जहाँ ऐसा करने की लागत न्यूनतम हो।
- **पेरिस समझौते के अंतर्गत अनुच्छेद 6** में जलवायु लक्ष्यों के लिए "स्वैच्छिक सहयोग" हेतु तीन भिन्न-भिन्न तंत्र शामिल हैं। इनमें से दो तंत्र बाजार पर आधारित हैं और तीसरा "गैर-बाजार दृष्टिकोण" पर आधारित है।

गैर-बाजार दृष्टिकोण (Non-Market Approach)

- **अनुच्छेद 6.8** ऐसी स्थितियों में "शमन, अनुकूलन, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण" को बढ़ावा देने हेतु "गैर-बाज़ार" दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान करता है, जहाँ उत्सर्जन में कोई कटौती शामिल नहीं होती है।
- इसमें ट्रेडिंग को शामिल किए बिना, **अनुच्छेद 6.2 या 6.4** के अंतर्गत शामिल समान गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, कोई देश रियायती ऋण के माध्यम से विदेशों में नवीकरणीय ऊर्जा योजना का समर्थन कर सकता है, लेकिन इससे सृजित उत्सर्जन कटौती का व्यापार नहीं होगा।
- यह जलवायु वित्त, क्षमता निर्माण या शिक्षा और जन जागरूकता से संबंधित पेरिस समझौते के प्रावधानों के साथ अतिव्यापित हो सकता है।

पेरिस समझौते (अनुच्छेद 6) के अंतर्गत कार्बन बाजार

- **बाजार तंत्र 1 (अनुच्छेद 6.2):** यह एक कार्बन बाजार की स्थापना करता है जो देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions: NDCs) संबंधी लक्ष्यों की तुलना में उनके द्वारा प्राप्त **अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती {जिसे इंटरनेशनली ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम (ITMO) कहा जाता है}** के विक्रय की अनुमति प्रदान करता है।
    - उदाहरणार्थ, यदि कोई देश अपने उत्सर्जन को 100 tCO2e (CO2 समतुल्य टन के बराबर) कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वास्तव में 110 tCO2e को कम कर देता है, तो वह अतिरिक्त 10tCO2e को किसी अन्य देश (जिसने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है) को विक्रय करने में सक्षम होगा।

- यह पर्यावरणीय अखंडता और पारदर्शिता (पेरिस व्यवस्था के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताएं) को सुनिश्चित करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशों के मध्य एक स्वैच्छिक व प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहयोग प्रणाली है।

- **बाजार तंत्र 2 (अनुच्छेद 6.4):** यह दूसरा तंत्र विश्व में कहीं भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र द्वारा उत्सर्जन में कटौती के उपरांत अतिरिक्त कार्बन के व्यापार हेतु एक नया अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार तैयार करेगा।
  - इस नए बाजार को **"सतत विकास तंत्र" (Sustainable Development Mechanism: SDM)** के रूप में संदर्भित किया गया है और यह स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism: CDM) को प्रतिस्थापित करता है।
  - **वैश्विक उत्सर्जन में समग्र कमी (Overall Mitigation in Global Emissions: OMGE)** का वितरण SDM की एक प्रमुख आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उत्सर्जन व्यापार संभव नहीं हो पाता है तो भी शमन प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - **तंत्र 1** के तहत प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहयोग के विपरीत, इस तंत्र की निगरानी यूनाइटेड नेशन कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (CoP) द्वारा नामित एक निकाय द्वारा की जाएगी।
  - इस तंत्र का एक अन्य विशिष्ट पहलू उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करके निजी क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन शमन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है।

अनुच्छेद 6 क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह एक ऐसी प्रणाली को लागू करता है जो देशों को शमन और अनुकूलन कार्यवाई के संबंध में उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करता है, जो कि सतत विकास और पर्यावरण अखंडता को बढ़ावा देते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार से उत्सर्जन को कम करने में सहायता कर सकता है:
  - प्रथम, **SDM के अंतर्गत OMGE के सिद्धांत** में समायोजन (offsetting) और क्योटो बाजारों द्वारा स्थापित "जीरो-सम-गेम" से इतर लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता है।
  - द्वितीय, यह व्यापार को सुगम एवं वहनीय बनाकर देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन को कम करने में सहायता कर सकता है। इस प्रक्रिया में उन्हें उत्तरोत्तर महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
    - विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में, लगभग 96 देशों द्वारा जलवायु प्रतिबद्धताओं (NDCs का लगभग आधा) के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण करने वाली पहलों के उपयोग का उल्लेख किया गया है।
    - अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार संघ (International Emissions Trading Association: IETA) के अनुसार, वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष व्यापार के माध्यम से 250 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। ज्ञातव्य है कि इससे उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन कटौती हेतु और अधिक निवेश किया जा सकता है।
- इसका एक खंड यह भी है कि SDM के तहत सृजित "आय का हिस्सा (share of the proceeds)" विकासशील देशों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा जो अनुकूलन की लागतों को पूरा करने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति विशेष रूप से सुभेद्य हैं। यह विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त का एक माध्यम बन सकता है, जो मौजूदा **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)** जैसे उपायों का पूरक बन सकता है।
- **अनुच्छेद 6** संयुक्त राष्ट्र के इस व्यापक प्रक्रिया में व्यवसायों द्वारा जलवायु प्रतिबद्धताओं को शामिल करने का एक साधन भी प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 6 एकमात्र भाग है जो प्रत्यक्षत: पेरिस प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संदर्भित करता है।

वैश्विक उत्सर्जन में समग्र कमी (Overall Mitigation in Global Emissions: OMGE)

- वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित नियमों (अर्थात् सैद्धांतिक रूप से वायुमंडल में जीरो-सम-गेम) के आधार पर संचालित होता है, जिसका सामान्य अर्थ यह है कि पक्षकारों के मध्य होने वाले स्थानांतरण (अर्थात् कार्बन ट्रेडिंग) के परिणामस्वरूप वैश्विक उत्सर्जन में किसी भी प्रकार की निवल कटौती नहीं होती है।
  - उदाहरणार्थ, यदि किसी स्थान पर ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में एक टन की कटौती हो जाती है तथा साथ ही इस उत्सर्जन कटौती के व्यापार अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से अन्य स्थान पर समान मात्रा में उत्सर्जन को बढ़ावा मिलता है।
- OMGE की एक संभावित कार्यशील परिभाषा यह है कि, OMGE की प्राप्ति तब होती है जब कार्बन बाज़ार तंत्र शून्य निवल प्रभावों (जीरो-नेट इफ़ेक्ट) से इतर प्रत्यक्षतः वैश्विक उत्सर्जन में कटौती करे।
  - यह स्थिति तब होती है जब कार्बन बाजारों के माध्यम से प्राप्त उत्सर्जन कटौती का एक हिस्सा न तो विक्रेता द्वारा और न ही खरीदार द्वारा अपने स्वयं के NDC या जलवायु शमन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयोग किया जाता है। 'स्वयं के शमन संबंधी लाभ' (own mitigation benefits) की धारणा के विपरीत, OMGE का उद्देश्य 'वैश्विक' स्तर पर शमन करना है।
- OMGE को लागू करने संबंधी विभिन्न तंत्रों में अधिकांश हितधारकों द्वारा स्वचालित निरस्तीकरण (Automatic Cancellation) का समर्थन किया जाता है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो प्रत्येक समय मेजबान देश से दूसरे देश को क्रेडिट को स्थानांतरित किया जाएगा,

VISION IAS

साथ ही इसके कुछ भाग को "निरस्त" (cancelled) किया जाएगा।

- उदाहरणार्थ, यदि 100 क्रेडिट (100 tCO2e को प्रदर्शित करता है) हस्तांतरित किए जाते हैं, तो प्राप्तकर्ता देश को केवल उन क्रेडिटों में से 80 को उसके लक्ष्यों के रूप में गणना करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में, 20tCO2e की गणना किसी भी देश द्वारा नहीं की जाएगी तथा समग्र रूप में, शमन संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की जाएगी।

अनुच्छेद 6 से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **दोहरी गणना से बचना:** जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने द्वारा की गई उत्सर्जन कटौती की बिक्री करता है, तो इस क्रम में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि उत्सर्जन कटौती की गणना दोनों देशों द्वारा न की जाए। दोहरी गणना (Double Counting) को "तदनुरूप समायोजन" (corresponding adjustment) के माध्यम से टाला जाना चाहिए।
- **मेजबान NDCs के दायरे में 'इनसाइड' बनाम 'आउटसाइड' उत्सर्जन में कमी:** यह मुद्दा तब उत्पन्न होगा, जब एक मेजबान देश अपने NDC के दायरे के 'आउटसाइड' आने वाले क्षेत्र से व्युत्पन्न कार्बन क्रेडिट को अनुच्छेद 6 के अंतर्गत विक्रय करता है, जो "इनसाइड" क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं।
  - इसमें चिंता का विषय यह है कि इससे प्राप्त होने वाली आय अंततः एक देश को अपने यहाँ के NDCs लक्ष्यों से कुछ क्षेत्रों को "आउटसाइड" बनाए रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, ऐसे में वह राष्ट्र अपने NDCs के "इनसाइडर" लक्ष्यों को प्रभावित किए बिना वित्तीयन जारी रख सकता है।
- **क्योटो-युगीन परियोजनाओं, पद्धतियों एवं कार्बन क्रेडिट से 'संक्रमण':** ब्राजील और भारत जैसे कई देश, जहाँ बड़ी संख्या में CDM परियोजनाएं चल रही हैं, क्योटो-युगीन पद्धतियों और इकाइयों सहित पूर्ण संक्रमण की अनुमति प्रदान करने के इच्छुक हैं। हालांकि, अन्य राष्ट्रों को भय है कि पूर्ण संक्रमण, पहले से ही कमजोर लक्ष्यों को बिना किसी अतिरिक्त प्रयासों के पूर्ण करने की अनुमति प्रदान कर, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था संबंधी लक्ष्यों को बाधित कर सकता है।
- **कार्बन व्यापार से सृजित 'आय का हिस्सा' जिसे अनुकूलन हेतु पृथक रखा जाएगा:** जहाँ पेरिस समझौते के अनुसार इस लेवी को **अनुच्छेद 6.4** से संबंधित सभी गतिविधियों से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, वहीं कई विकासशील राष्ट्र **अनुच्छेद 6.2** से संबंधित सभी गतिविधियों तक इसका विस्तार करने पर बल दे रहे हैं।
  - विकासशील राष्ट्रों का तर्क है कि यदि अनुकूलन प्रणालियों के लिए अल्प आय प्रदान करने के अतिरिक्त, दोनों बाजारों में ऐसी प्रणाली को लागू नहीं किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहां अनुच्छेद 6.2 का विनियमन कमजोर होगा, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र अनुच्छेद 6.4 पर कठोर विनियमन आरोपित करने के बजाय इसका उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- **स्थानीय हितधारकों और पर्यावरण की रक्षा करना तथा सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना:** ज्ञातव्य है कि हानिकारक स्थानीय प्रभावों से बचने के लिए CDM में अत्यावश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव है।
  - पेरिस समझौते के अंतर्गत स्थापित बाजारों के नए समुच्चय हेतु इसमें सुधार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, इसका तात्पर्य यह है कि उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं को लागू करने से पूर्व स्थानीय हितधारकों से परामर्श करने हेतु विस्तृत नियमों को अपनाना चाहिए। साथ ही, इस तरह के परामर्श को अनिवार्य बनाना, एक शिकायत तंत्र की स्थापना करना, एक स्वतंत्र निकाय द्वारा शासित करना तथा किसी परियोजना के संधारणीय विकास में योगदान के मापन हेतु उपयोग किए जाने वाले निर्दिष्ट मानदंडों को स्थापित किया जा सकता है।

दोहरी गणना और तदनुरूप संयोजन (Double Counting and Corresponding Adjustment)

- NDCs की प्राप्ति की दिशा में देशों की प्रगति की निगरानी प्राय: देशों की उत्सर्जन सूचियों के आधार पर की जाती है। ज्ञातव्य है कि ये सूचियां अनिवार्य रूप से वायुमंडल में उत्सर्जित CO2 की मात्रा की भौतिक माप होती हैं।
- यदि उत्सर्जन में कमी होती है, तो इसे उस (मेजबान) देश की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। यदि इस उत्सर्जन कटौती को किसी अन्य देश को बेचा जाता है, तो इसका उपयोग उस अन्य (खरीदार) देश द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भी किया जाएगा। इसे ही दोहरी गणना कहा जाता है।
- दोहरी गणना से बचने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि देश को अपने यहाँ रिपोर्ट किए गए उत्सर्जन में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि उनके द्वारा प्राप्त उत्सर्जन कटौती का उपयोग किसी अन्य देश द्वारा किया गया है। इसे "तदनुरूप संयोजन" कहा जाता है।
  - उदाहरणार्थ - यदि कोई देश 100tCO2e तक अपने उत्सर्जन में कटौती करता है, लेकिन किसी अन्य संस्था को 10 क्रेडिट बेच देता है, तो इसे 90tCO2e की कटौती के रूप में दर्ज करना चाहिए। इस स्थिति में, प्रयुक्त तदनुरूप संयोजन 10tCO2e का होगा।

VISION IAS

क्योटो प्रोटोकॉल से सीख- स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism: CDM)

- CDM, कार्बन क्रेडिट {प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (Certified Emission Reduction: CER)} के माध्यम से विकसित देशों को विकासशील देशों से उत्सर्जन कटौती को क्रय करने की अनुमति प्रदान करता है। सैद्धांतिक रूप में, इसने देशों को अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को अपनाने की तो अनुमति प्रदान की, लेकिन, व्यावहारिक रूप में, यह मौजूदा उत्सर्जन में कमी करने में भी विफल रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि **CDM के तहत उत्सर्जन कटौती** का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी प्रकार से और कहीं न कहीं उत्सर्जित हुआ है।
  - उदाहरणार्थ, उत्सर्जन कटौती के विक्रय हेतु कुछ परियोजनाओं को कानून द्वारा अधिदेशित किया गया था तथा कुछ के द्वारा क्रेडिट का विक्रय किए बिना ही लाभ प्राप्त किया जा रहा था। जबकि, अपने उत्सर्जन कटौती प्रयासों को प्रतिस्थापित करने हेतु अन्य देश इन क्रेडिट्स पर निर्भर थे। ऐसे में इसका तात्पर्य यह है कि CDM से अंततः उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, अन्यथा राष्ट्र CDM पर निर्भर हुए बिना ही अपने लक्ष्यों को पूरा करते।
- यह अनुमान है कि लगभग 85 प्रतिशत CDM परियोजनाएं CDM राजस्व के बिना भी कार्यरत रहेंगी।
- इसके अतिरिक्त, प्रणाली में आवश्यक सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण CDM के अंतर्गत पंजीकृत कुछ परियोजनाओं का स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
  - उदाहरणार्थ, **स्थानीय हितधारक परामर्श** से संबंधित इसके नियम अपर्याप्त हैं तथा स्थानीय समुदायों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को दूर करने हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था विद्यमान नहीं है।
- इन तत्वों से स्पष्ट हो जाता है कि CDM, ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने तथा संधारणीय विकास के लाभों को वितरित करने संबंधी वैश्विक प्रयास में योगदान देने के अपने कार्य में क्यों विफल रहा है।

निष्कर्ष

- कार्बन बाजार प्रणाली को ऑफसेटिंग से आगे बढ़कर एक बेहतर व्यवस्था निर्मित करनी चाहिए, जिसका उद्देश्य एक सस्ते तरीके को प्रस्तुत करने और **किसी के प्रयासों को किसी अन्य के प्रयासों से परिवर्तित करने के बजाय**, संक्रमण की गति को तीव्र करना होना चाहिए। विश्व को ऑफसेटिंग तंत्र व्यवस्था से आगे बढ़ना होगा तथा शून्य-कार्बन संक्रमण को उत्प्रेरित करने वाली जलवायु परियोजनाओं के वित्तपोषण को बढ़ावा देना होगा।

5.1.2. जलवायु वित्तीयन (Climate Finance)

परिचय

- जलवायु वित्तीयन वस्तुतः सार्वजनिक, निजी और अन्य वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन को संदर्भित करता है। यह जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्रवाई (mitigation and adaptation actions) का समर्थन करता है।
  - जलवायु वित्तीयन **न्यूनीकरण प्रयासों के लिए आवश्यक** है, क्योंकि उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करने हेतु अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है।
  - जलवायु वित्तीयन **अनुकूलन के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण** है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC), क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते द्वारा भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किए गए हैं।
- UNFCCC में निर्धारित **"सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं" (Common But Differentiated Responsibility and Respective Capabilities: CBDR-RC)** के सिद्धांत के अनुसार, **पक्षकार विकसित देश** UNFCCC के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए **विकासशील देशों की सहायता हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करेंगे।**
- इसे सुविधाजनक बनाने हेतु, इस कन्वेंशन द्वारा विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित **वित्तीय तंत्र** स्थापित किए गए हैं:
  - **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF):** यह वर्ष 1994 में कन्वेंशन के प्रभावी होने के पश्चात् से वित्तीय तंत्र के परिचालनात्मक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।
  - वर्ष 2009 में **कोपेनहेगन COP-15** के **कोपेनहेगन एकॉर्ड** के तहत, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को "व्यापक, नवीन और अतिरिक्त, अनुमानित और पर्याप्त वित्तीयन" उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, जिसके अंतर्गत "व्यापक विविध स्रोतों, सार्वजनिक एवं निजी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, वित्त के वैकल्पिक स्रोतों सहित" विकासशील देशों को **वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर वित्त उपलब्ध कराने** का लक्ष्य रखा गया था।

        - इसके अतिरिक्त, सरकारें **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)** की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके माध्यम से "इस वित्तपोषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होना चाहिए"।
    - **COP-16 (वर्ष 2010)** के दौरान पक्षकारों द्वारा **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)** की स्थापना की गई थी और **COP-17 (वर्ष 2011)** में इसे वित्तीय तंत्र के परिचालनात्मक इकाई के रूप में नामित किया गया।
    - इसके अतिरिक्त, पक्षकारों ने कुछ विशेष निधियां भी स्थापित की हैं, जैसे- GEF द्वारा प्रबंधित **स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF)** और **लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड (LDCF)**; तथा वर्ष 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत **अनुकूलन कोष (Adaptation Fund: AF)** की स्थापना।
    - **COP-16** में, पक्षकारों ने कन्वेंशन के वित्तीय तंत्र के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के क्रम में **स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस (SCF)** को स्थापित करने का निर्णय लिया। उदाहरणस्वरूप, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को **वित्त उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का द्विवार्षिक मूल्यांकन** किया जाना।
- **पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-21)**
    - पेरिस समझौता **विकसित देशों के दायित्वों की पुष्टि** करता है, वहीं इसने पहली बार अन्य पक्षकारों द्वारा **स्वैच्छिक योगदान को भी प्रोत्साहित** किया।
    - पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि GCF और GEF तथा साथ ही SCCF और LDCF पेरिस समझौते के वित्तीयन उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे।
    - विकसित देश वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर वित्त उपलब्ध कराने पर सहमत हुए तथा सरकारें **वर्ष 2025 के पश्चात् की अवधि के लिए एक नए सामूहिक धन संग्रहण संबंधी लक्ष्य को निर्धारित** करने पर सहमत हुईं थीं, जो मौजूदा लक्ष्य के पश्चात् की प्रगति को प्रदर्शित करेगी।
    - पक्षकारों ने निर्धारित किया कि SCF पेरिस समझौते के लिए भी कार्य करेगा।

COP25 में की गई चर्चा

- GEF और GCF के मार्गदर्शन दस्तावेजों के संबंध में चर्चा की गई थी कि क्या उन्हें विशेष रूप से **हानि और क्षति** (loss and damage) की दिशा में कार्य आरंभ करने हेतु निर्देश देना चाहिए।
- **नवीन जलवायु वित्तीयन लक्ष्य के निर्धारण** के संबंध में भी कुछ चर्चा की गई, जिसमें "वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर" (वर्ष 2009 में कोपेनहेगन COP के व्यक्त सहमति) के लिए निर्धारित समयसीमा को बढ़ाया गया।
- अन्य मुद्दे, यथा- **दीर्घकालिक जलवायु वित्तीयन (Long-Term climate Finance: LTF)** पर विचार किया गया। यह एक कार्य प्रक्रिया है जो प्रगति और जलवायु वित्तीयन में वृद्धि की जांच करती है, लेकिन यह वर्ष 2020 में समाप्त हो जाएगी। इस पर चर्चा जारी है कि क्या इसे निरंतर बनाए रखा जाए, अथवा इसे **CMA (अर्थात पेरिस समझौते)** के अंतर्गत लाया जाए।
- हालांकि, **अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते से स्वयं को बाहर करने** और इसके द्वारा अभी भी 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य में भागीदार बने रहने की स्थिति को देखते हुए, **GCF के भविष्य के संबंध में अस्पष्टता उत्पन्न हो गई है।**
- इसलिए, क्योटो प्रोटोकॉल के वर्ष 2019 में समाप्त होने के बावजूद **वित्तीयन तंत्र के संबंध में कोई सहमति नहीं बन पाई है।**

जलवायु वित्तीयन में शामिल प्रमुख मुद्दे

जलवायु कार्रवाई के वित्तीयन के संबंध में चर्चाएं निम्नलिखित **तीन प्रमुख क्षेत्रों** पर आधारित हैं:

- **वित्तपोषण की मात्रा:** जलवायु कार्रवाई के प्रति **वित्तीय प्रतिबद्धताओं में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।** हालाँकि, इसमें समस्याएँ विद्यमान हैं।
    - **वित्तपोषण की मात्रा पर्याप्त नहीं हैं:** उदाहरण के लिए, वैश्विक वार्षिक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के साथ-साथ इसकी बाह्यता लागत लगभग 5.3 ट्रिलियन डॉलर है।
    - इसके अतिरिक्त, **सभी रुझान उत्साहजनक नहीं हैं,** उदाहरण के लिए-
        - वर्तमान में अमेरिका ने GCF के लिए आगे वित्तपोषण को रोक दिया है।
        - अडॉप्टेशन वॉच रिपोर्ट (Adaptation Watch report) में पाया गया कि OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) देशों द्वारा समर्थित 10.1 बिलियन डॉलर की 5,000 से अधिक अनुकूलन परियोजनाओं में से **तीन-चौथाई** में जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को संबोधित करने के लिए स्पष्ट संबंध का अभाव था।
    - यद्यपि देशों ने **कैटोविस COP-24** के दौरान वर्ष 2025 के पश्चात् के नवीन लक्ष्यों को निर्धारित करने हेतु वर्ष 2020 में **औपचारिक चर्चा आरंभ करने** के लिए सहमति व्यक्त की थी, **तथापि भारत जैसे देशों का मानना है कि वार्ता शुरू करने का निर्णय इन लक्ष्यों को स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के निर्णय से कमज़ोर है।**

- **जलवायु वित्तीयन की परिभाषा और रिपोर्टिंग: महत्वपूर्ण मुद्दे**
    - COP-15 के 10 वर्षों के पश्चात् भी, GCF के तहत कोपेनहेगन संकल्प के समर्थन में जलवायु वित्तीयन हेतु किस प्रकार के वित्तीयन की गणना की जा सकती है, **इस पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं बन पाई है।**
    - सार्वजनिक जलवायु वित्तीयन को किस प्रकार जुटाया जाए, इसे कैसे शासित और संवितरित किया जाए, इस संबंध में एक फ्रेमवर्क प्रदान करने हेतु गुणात्मक और निर्देशात्मक मानदंडों के एक संपूर्ण समुच्चय पर असहमति है।
        - इनमें **अतिरिक्तता (additionality)** (आधिकारिक विकास सहायता के भाग के रूप में) अथवा जलवायु वित्तीयन के **पूर्वानुमान (predictability)** जैसे प्रश्न शामिल हैं।
    - विगत दो वर्षों में विकसित देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए **जलवायु वित्तीयन के लिए COP 24 में अनुमोदित दिशा-निर्देशों की रिपोर्टिंग,** उन्हें **अबाधित वित्तीय सहायता प्रदान करने** और यहां तक कि **गैर-वित्तीय प्रयासों,** जैसे- जलवायु वित्तीयन के तहत क्षमता निर्माण या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करने की अनुमति प्रदान करती है।
    - हालाँकि, इस **रिपोर्टिंग में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान वैकल्पिक बने हुए हैं** और उनके निरंतर संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
        - जैसा कि भारत ने कहा है कि रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में उचित **सत्यापन तंत्र को** शामिल किया जाना चाहिए और इसे **विकासशील देशों के परामर्श** से विकसित किया जाना चाहिए।
        - **रिपोर्टिंग में होने वाले दो वर्ष का अंतराल** भी जलवायु वित्त के प्रवाह को उचित ढंग से सत्यापित करने की क्षमता को सीमित करता है।
        - विकसित देश की प्रतिबद्धताओं के लिए बाजार दर के ऋण और निर्यात ऋण जैसे **वित्तीय साधनों के लेखांकन** के संबंध में चिंताएं विद्यमान हैं।
        - **अनुमानित वित्तपोषण प्रावधानों** से संबंधित **रिपोर्टिंग प्रावधान** कमजोर बने हुए हैं।
- **बाजार तंत्र (market mechanism):** पेरिस समझौते में कहा गया है कि अनुच्छेद 6 के तहत नए बाजार तंत्र की प्राप्तियों के एक हिस्से (शेयर) का उपयोग विकासशील देशों में अनुकूलन का समर्थन करने हेतु किया जाएगा। इस हिस्से को संभवतः अनुकूलन निधि में शामिल किया जाएगा। वार्ता के प्रमुख बिंदु इस हिस्से की मात्रा या आकार तथा अनुच्छेद 6 के तहत सृजित सभी तंत्रों पर इसे लागू किया जाना चाहिए अथवा इसके केवल कुछ भाग पर लागू किया जाए, से संबंधित थे।

निष्कर्ष

अभी भी "जलवायु वित्तीयन" अथवा "नवीन और अतिरिक्त" (new and additional) वित्तीयन से संबंधित परिचालनात्मक परिभाषा का अभाव है। विश्वास बढ़ाने और सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2025 के पश्चात् की कार्रवाइयों पर निगरानी रखने के साथ-साथ एक परामर्शी तरीके से परिभाषा और लेखांकन मुद्दों को स्पष्ट करना आवश्यक है।

5.2. महासागरीय डीऑक्सीजनेशन (Ocean Deoxygenation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा **'ओशन डीऑक्सीजनेशन: एवरीवन प्रॉब्लम'** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के 'पक्षकारों के सम्मेलन' के 25वें सत्र (COP-25) में जारी की गई।
- IUCN की यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि महासागरों में ऑक्सीजन के स्तर में तीव्रता से कमी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही महासागर के तापन और अम्लीकरण से प्रभावित समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और मछली की प्रजातियों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है।

महासागरीय डीऑक्सीजनेशन (अनॉक्सीकरण) के कारण

महासागर में ऑक्सीजन की कमी के **दो प्रमुख कारण** निम्नलिखित हैं:

- **जलवायु परिवर्तन:** जैसे-जैसे वैश्विक तापन के कारण महासागर गर्म होता है, यह महासागरीय तापन से प्रेरित डीऑक्सीजनेशन को बढ़ावा देता है।
    - गर्म महासागर का जल **अल्प ऑक्सीजन को धारित** करता है और शीतल जल की तुलना में **अधिक प्लवनशील** होता है। इससे ऑक्सीजन युक्त महासागरीय सतह के जल का गहन सागरीय जल के साथ (गहन सागरीय जल में स्वाभाविक रूप से कम ऑक्सीजन होती है) **मिश्रण बाधित हो जाता है।**
    - इसमें महासागरीय धाराओं और पवनों के प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण और अधिक वृद्धि हो जाती है।
    - गर्म जल जीवित जीवों **(उपापचय दर को बढ़ाता है)** की **ऑक्सीजन मांग में भी वृद्धि** करता है। परिणामस्वरूप, समुद्री जीवन के लिए समग्र ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी होती है।
    - गहन सागरीय जल के गर्म होने से **मीथेन गैस हाइड्रेट्स** अस्थिर बन सकते हैं, जिससे अवसादों से मीथेन के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप मीथेन के वायवीय श्वसन (aerobic respiration) की क्रिया से CO2 की मात्रा में वृद्धि हो सकती है।

VISION IAS

- **पोषक प्रदूषण (सुपोषण या यूट्रोफिकेशन):** इससे तटीय जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उर्वरक, वाहित मल, पशु और जलीय कृषि अपशिष्ट के परिणामस्वरूप शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ज्ञातव्य है कि शैवालों के अपघटित होने से ऑक्सीजन का क्षय होता है।
  - **अनॉक्सीकृत तटीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं:**
    - अतिसंवर्धन (over-enrichment) के कारण, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की उच्च मात्रा द्वारा **उच्च जैविक उत्पादन (high biological production)**;
    - अधिकांशत: 100 मीटर से कम गहराई में लवणता, तापमान अथवा दोनों से निर्मित **एक स्तरीकृत जल स्तंभ (stratified water column)**; तथा
    - **जल ठहराव की लंबी अवधि (long water residence time)** पादपप्लवक प्रस्फुटन (फाइटोप्लैंकटन ब्लूम) के विकास, प्रवाहित कार्बनिक पदार्थों के ठहराव और स्तरीकरण के विकास को बढ़ावा देती है।

महासागरीय डीऑक्सीजनेशन (Ocean deoxygenation) के बारे में

- महासागरीय डीऑक्सीजनेशन महासागरों से **ऑक्सीजन के क्षय** (अर्थात् कमी) को संदर्भित करता है।
- महासागरीय जल की ऊपरी परत में स्वपोषी जीवों द्वारा **प्रकाश संश्लेषण** और अल्प संतृप्त महासागरीय जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के **घुलने** के कारण **ऑक्सीजन में वृद्धि होती** है।
- **महासागर** के संपूर्ण जल स्तंभ से **ऑक्सीजन का क्षय** होता है:
  - **सतह पर:** अति संतृप्त महासागरीय जल से वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मुक्ति के कारण; और
  - **सतह से गहराई तक:** वायवीय जीवों के श्वसन और अपचयित रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण।
- हाल के दशकों में महासागरों की इस साम्यावस्था में असंतुलन उत्पन्न हुआ है। वर्ष 1960 से वर्ष 2010 तक **वैश्विक महासागरीय ऑक्सीजन की मात्रा** में लगभग 2% का क्षय हुआ है।
- 1960 के दशक में महासागरों में ऑक्सीजन के निम्न स्तर वाले स्थानों की संख्या 45 थी, वहीं हालिया रिपोर्ट में ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2010 में ऐसे स्थानों की संख्या 700 हो गई है।
- इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान विश्व में **एनॉक्सिक वाटर (Anoxic Water)** के रूप में प्रसिद्ध ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्रों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है।
  - **उदाहरणार्थ:** ऑक्सीजन के निम्न स्तर वाले सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में **बाल्टिक सागर और काला सागर** शामिल हैं।

ईस्टर्न बाउंड्री अपवेलिंग सिस्टम्स (EBUS) महासागर के सर्वाधिक उत्पादक बायोम में से एक है।

- ये पारिस्थितिक तंत्र महासागरीय धाराओं द्वारा निर्धारित होते हैं और ये धाराएं **पोषक तत्वों से समृद्ध एवं ऑक्सीजन के निम्न स्तर वाले जल** को विश्व के महासागरीय बेसिन के पूर्वी किनारों तक प्रवाहित करती हैं।
- महासागरीय और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के मिश्रण के कारण EBUS जलवायु प्रणाली के लिए ये महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जो खुले महासागर, क्षोभमंडल और भूमि को आपस में जोड़ते हैं। तथ्य यह है कि ये ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र (Oxygen Minimum Zones: OMZs) का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा विश्व के सबसे बड़े विनाइट्रीकरण जल के भाग एवं नाइट्रस ऑक्साइड (एक ग्रीनहाउस गैस) के सबसे बड़े अनुमानित उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं।
- **स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन के निम्न स्तर वाली जल प्रणालियों** के रूप में, EBUS वैश्विक महासागरीय डीऑक्सीजनेशन में आगे होने वाले परिवर्तन के लिए विशेष रूप से सुभेद्य हैं और इसलिए EBUS की ऑक्सीजन मात्रा में होने वाला परिवर्तन अंततः लाखों लोगों को प्रभावित करेगा।

प्रभाव

- **समुद्री जीवों पर:** समुद्री जीवों को अपने भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का उपयोग वृद्धि और प्रजनन के लिए किया जा सकता है। साथ ही, यह उर्जा उन्हें अन्य प्रकार के तनावों से होने वाली क्षति से संरक्षण प्रदान करती है। जब महासागरीय ऑक्सीजन का स्तर अपर्याप्त होता है, तो एक जीव में अन्य तनावों का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है।
  - **महासागरीय प्रणालियों में महासागरीय तापन, महासागरीय डीऑक्सीजनेशन और महासागरीय अम्लीकरण प्रमुख 'तनाव' (stressors) कारक हैं** तथा आम तौर पर ये एक साथ घटित होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति का एक ही कारण होता है।
- **मत्स्यन पर:** ऑक्सीजन की कमी से प्रजातियों की अधिवास सीमा में परिवर्तन, लंबवत और महाद्वीपीय मग्नतट (शेल्फ) पर संचलन के प्रतिरूप में परिवर्तन तथा प्रजनन स्थलों की क्षति होती है।
  - **तटीय अर्थव्यवस्था पर: मत्स्यन में कमी** के साथ-साथ तटीय राज्यों के आर्थिक लाभ में कमी होने की संभावना होती है।

VISION IAS

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर:** यह डीऑक्सीजनेशन, प्रदूषण और महासागरीय अम्लीकरण के समग्र प्रभाव के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन पर:** ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने से मीथेन और N2O की वृद्धि के साथ ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होगी। OMZs में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन का क्षय अवलोकित किया जाता है और वे वैश्विक विनाइट्रीकरण से उत्पन्न N2O के लगभग 10% भाग के लिए जिम्मेदार हैं।
- **फीडबैक मैकेनिज्म पर:** ऑक्सीजन का क्षय प्रत्यक्ष रूप से अवसादों में कार्बन और अन्य पोषक चक्रों से संबंधित है।
    - जैसे- **समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी होने पर समुद्री प्रणालियों में फॉस्फोरस (P)** का पुनर्चक्रण बढ़ाया जाता है। फॉस्फोरस की वर्धित उपलब्धता उत्पादकता में अधिक वृद्धि कर सकती है और कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपित होने पर, गहन जल में ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा सकती है। उत्पादकता, ऑक्सीजन के क्षय और P की वर्धित उपलब्धता के मध्य यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि-पाश (positive feedback-loop) आगे डीऑक्सीजनेशन में योगदान प्रदान कर सकता है।
- **लोगों पर:** निम्न अक्षांशों, तटीय शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या, विकासशील देशों में निर्धन परिवारों और हाशिए पर स्थित समूहों (जैसे- महिलाओं, बच्चों और स्थानिक जनसंख्या) के लोग महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के प्रभावों के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य हैं।
    - महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से लोगों को कई लाभ (जैसे- संपत्ति, स्वास्थ्य, बेहतर सामाजिक संबंध, सुरक्षा आदि) प्राप्त होते हैं।

भारत विशिष्ट डेटा: हिंद महासागर

- हिंद महासागर में स्थित निम्न-ऑक्सीजन स्तर वाले क्षेत्रों में निरंतर विस्तार और उनके विकराल होने की संभावना है। उत्तरी हिंद महासागर अत्यंत कम ऑक्सीजन स्तर वाले जल के साथ वैश्विक महाद्वीपीय सीमांत क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई भाग का निर्माण करता है तथा यह विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक रूप से गठित निम्न-ऑक्सीजन स्तर वाले क्षेत्रों (पश्चिमी भारत से दूर) का भी स्थल है।
- इसके निकटवर्ती स्थित देशों में वैश्विक मानव जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई हिस्सा निवास करता है। हिन्द महासागरीय पर्यावरण, जैव-विविधता और जीवित संसाधन; मानव-प्रेरित परिवर्तनों, विशेष रूप से डीऑक्सीजनेशन के कारण सर्वाधिक सुभेद्य बने हुए हैं।
- अरब सागर में **ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र (OMZ)** के विस्तार से संबंधित कोई स्पष्ट साक्ष्य परिलक्षित नहीं हुए है, जहाँ सूक्ष्मजीवों द्वारा अवायवीय मार्गों के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों का विघटन किया जाता है। लेकिन, अल्प ऑक्सीजन के क्षय के कारण ऑक्सीकृत बंगाल की खाड़ी का OMZ अपेक्षाकृत एनोक्सिया (ऑक्सीजन की अनुपस्थिति) की स्थिति में पहुँच गया है।
- मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप हिंद महासागर की कई एश्चुअरियों, खाड़ियों और बंदरगाहों में **हाइपॉक्सिया (जैविक परिवेश में ऑक्सीजन की कमी)/एनॉक्सिया** की स्थिति विकसित हुई है।
- संभावित हॉटस्पॉट्स के संबंध में **जानकारी का अभाव** है, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि के मुहाने शामिल हैं।

संभावित समाधान

- **जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाई:** इसमें उल्लेखनीय रूप से जलवायु शमन हेतु प्रयास (मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तत्काल, महत्वपूर्ण और बड़ी मात्रा में वैश्विक कटौती के माध्यम से) करने की आवश्यकता है।
- **पोषक तत्वों में कमी की रणनीति:** यह सर्वाधिक प्रभावी रही है, जिसके अंतर्गत विधिक कार्यवाही का उपयोग किया जाता है एवं विशिष्ट लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्रबंधन रणनीतियों के लिए प्रतिक्रियाओं और समस्याओं का पता लगाने के लिए निगरानी की जाती है। इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं और अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।
- **ऑक्सीजन अवलोकन और परीक्षण में सुधार:** मौजूदा कार्यक्रमों और नेटवर्क के साथ इसे एकीकृत कर ऑक्सीजन अवलोकन और परीक्षण में सुधार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों को लक्षित किया जा सकता है जहां अधिक आंकड़े वर्तमान स्थिति और ऑक्सीजन परिवर्तन के प्रतिरूप संबंधी आकलनों में सुधार करेंगे।

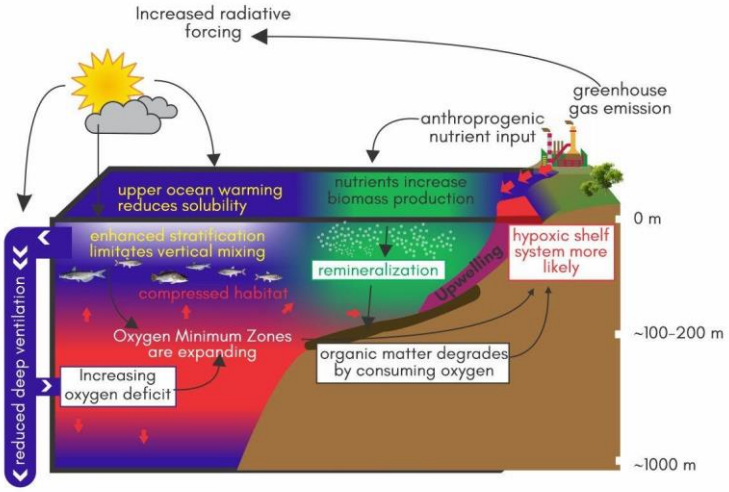

    - **सेंसरों सहित ऑक्सीजन मॉनिटरिंग उपकरणों में निरंतर सुधार करना:** इसमें सटीक रूप से अत्यंत निम्न ऑक्सीजन सांद्रता का मापन करने वाले सेंसर और तटीय जल के नमूनों के माध्यम से अधिक व्यापक निगरानी करने वाले तथा **कम लागत वाले सेंसर** शामिल हैं।
    - **ऑक्सीजन की कमी के प्रतिरूप** और प्रभावों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण तंत्र को समझने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **मानव अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर प्रभावों का आकलन:** विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ ऑक्सीजन की कमी मत्स्यन, जलीय कृषि और आजीविका के लिए खतरा बनी हुई है। मछलियों के अनुकूल, पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र की सुनम्यता में वृद्धि करने वाले अनुकूल अधिवासों (रिफ्यूजिया) का सृजन करना, पारिस्थितिक तंत्र, क्षमता निर्माण पर स्थानीय तनाव को कम करने वाली कार्रवाइयां और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले सामाजिक-पारिस्थितिक परिवर्तन पर विचार करना।

निष्कर्ष

यह रिपोर्ट इस संबंध में सचेत करती है कि मानव क्रियाओं द्वारा अपूरणीय प्रभाव उत्पन्न किए जाने और पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को परिवर्तित कर दिए जाने से पूर्व ही हमें मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है।

5.3. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 (India State of Forests Report 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India: FSI) ने **भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report: ISFR) 2019** जारी की।

ISFR के बारे में

- FSI देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है, जिसके परिणाम ISFR के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।
- FSI, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
- वर्ष 1987 से, इस तरह के 15 मूल्यांकन किए जा चुके हैं तथा वर्तमान मूल्यांकन इस श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है।

संबंधित शब्दावलियां

- **वनावरण (Forest Cover):** वनावरण के अंतर्गत, स्वामित्व और विधिक स्थिति के निरपेक्ष, दस प्रतिशत से अधिक वितान घनत्व वाली एक हेक्टेयर से अधिक सभी भूमियों को संदर्भित किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की भूमि अभिलिखित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो। इसमें बाग, बांस और ताड़ भी शामिल हो सकते हैं।
- **अभिलिखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area: RFA):** यह सरकारी अभिलेखों में 'वनों' के रूप में अभिलिखित सभी भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करता है। इसमें आरक्षित वन (Reserved Forests) और संरक्षित वन (Protected Forests) शामिल हैं, जिनका गठन भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
- **ग्रीन वाश (Green Wash):** सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्रों या टॉपोशीट पर सामान्यत: हल्के हरे रंग में काष्ठीय क्षेत्रों को दर्शाया जाता है।
- **वृक्ष आवरण (Tree Cover):** इसके अंतर्गत RFA के बाहर एक हेक्टेयर (न्यूनतम मानचित्रित क्षेत्रफल) से कम वनावरण वाले वृक्ष खंडों को शामिल किया जाता है।
- **कार्बन स्टॉक (Carbon Stock):** वन कार्बन स्टॉक का आशय वायुमंडल से प्रच्छादित कार्बन की उस मात्रा से है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहीत होते हैं। इसमें मुख्यत: जीवित बायोमास और मृदा के भीतर तथा कुछ हद तक मृत काष्ठ और कूड़े भी शामिल होते हैं।
- **खुले वन (Open Forest: OF):** इसमें 10 से 40 प्रतिशत के मध्य वितान घनत्व (canopy density) वाले वनावरण वाली भूमि को शामिल किया जाता है।
- **सघन वन (Dense Forest):** इसमें 40 प्रतिशत और उससे अधिक के वितान घनत्व वाले वनावरण वाली भूमियों को शामिल किया जाता हैं।
  - **मध्यम सघन वन (MDF):** इसमें 40 से 70 प्रतिशत के मध्य वितान घनत्व वाले वनावरण वाली भूमियां शामिल होती हैं।
  - **अति सघन वन (VDF):** इसमें 70 प्रतिशत और उससे अधिक के वितान घनत्व वाले वनावरण वाली भूमियां शामिल होती हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण और वृक्षावरण (Forest and Tree Cover at national level):

- देश का **कुल वनावरण** 7,12,249 वर्ग किमी (मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत 4,975 वर्ग किमी क्षेत्र को शामिल करते हुए) है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का **21.67 प्रतिशत** है। वहीं, देश का **कुल वृक्षावरण** 95,027 वर्ग किमी अनुमानित है जो भौगोलिक क्षेत्र का 2.89 प्रतिशत है।
- देश का **कुल वनावरण और वृक्षावरण** 8,07,276 वर्ग किमी है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का **24.56 प्रतिशत** है। पिछले मूल्यांकन में यह 24.39 प्रतिशत था।

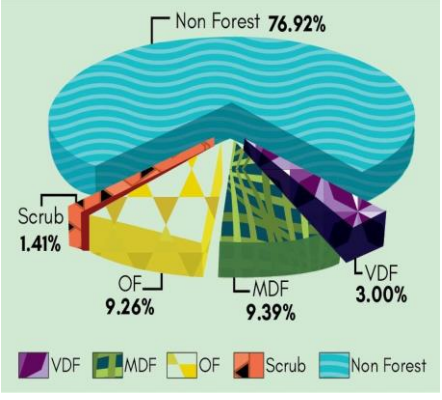

VISION IAS

- **तुलनात्मक वृद्धि:** ISFR 2017 की तुलना में वनावरण में 3,976 वर्ग किमी (0.56 प्रतिशत), वृक्षावरण में 1,212 वर्ग किमी (1.29 प्रतिशत) तथा वनावरण और वृक्षावरण में 5,188 वर्ग किमी (0.65 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **अति सघन वन (Very Dense Forests: VDF)**, सबसे सघनतम वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इनकी वितान सघनता 70 प्रतिशत से अधिक है, जो 2017 के मूल्यांकन से 1,120 वर्ग किमी की वृद्धि दर्शाती है।
- **अभिलिखित वन क्षेत्र (Recorded Forest Area: RFA)/ग्रीन वॉश (GW)** के अंतर्गत के वनावरण में 330 वर्ग किमी (0.05 प्रतिशत) की मामूली कमी देखी गई है, जबकि ISFR-2017 की तुलना में RFA/GW के बाहर 4,306 वर्ग किमी वनावरण की वृद्धि हुई है।
- देश के **पर्वतीय जिलों में वनावरण** इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40.30 प्रतिशत है। ISFR-2019 ने देश के 140 पर्वतीय जिलों में 544 वर्ग किमी (0.19 प्रतिशत) वनावरण की वृद्धि दर्शाई है।

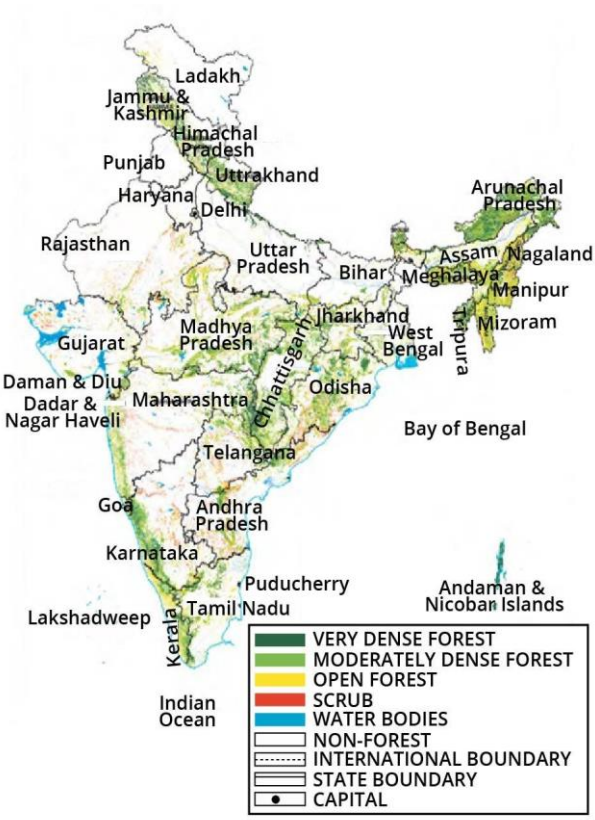

राज्यों में वनावरण (Forest Cover in States)

- देश में **मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र** हैं, इसके पश्चात् अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान आता है।
- **कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण** के संदर्भ में, शीर्ष पांच राज्य मिज़ोरम (85.41 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (79.63 प्रतिशत), मेघालय (76.33 प्रतिशत), मणिपुर (75.46 प्रतिशत) और नागालैंड (75.31 प्रतिशत) हैं।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में वनावरण**, अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65.05 प्रतिशत है, जो वर्ष 2017 के पश्चात् से इस क्षेत्र में वनावरण में 765 वर्ग किमी (0.45 प्रतिशत) की कमी को दर्शाता है।
- **वनावरण में वृद्धि:** इस मामले में शीर्ष पांच राज्य कर्नाटक (1,025 वर्ग किमी), आंध्र प्रदेश (990 वर्ग किमी), केरल (823 वर्ग किमी), जम्मू और कश्मीर (371 वर्ग किमी) और हिमाचल प्रदेश (334 वर्ग किमी) हैं।
- **वनावरण में कमी:** वनावरण में अधिकतम कमी दर्शाने वाले राज्य मणिपुर (499 वर्ग किमी), अरुणाचल प्रदेश (276 वर्ग किमी) और मिजोरम (180 वर्ग किमी) हैं।
- **जनजातीय जिलों में कुल वनावरण,** इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 37.54 प्रतिशत है। वर्तमान मूल्यांकन आदिवासी बहुल जिलों में RFA/GW के भीतर 741 वर्ग किमी वनावरण की कमी तथा बाहर 1,922 वर्ग किमी की वृद्धि को दर्शाता है।

आर्द्रभूमियां (Wetlands)

- **बड़े राज्यों** में से, **गुजरात** में RFA के भीतर आर्द्रभूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है, जिसके पश्चात् पश्चिम बंगाल का स्थान आता है।
- **छोटे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों** में से, **पुडुचेरी** में RFA के भीतर आर्द्रभूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है, जिसके पश्चात् अंडमान और निकोबार (A&N) द्वीपसमूह का स्थान आता है।
- देश में **कुल मिलाकर 62,466 आर्द्रभूमियां** विद्यमान हैं जो देश के RFA/GW के अंतर्गत 3.83 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती हैं तथा कुल आर्द्रभूमि की कुल संख्या का 8.13 प्रतिशत RFA/GW के भीतर अवस्थित हैं।

मैंग्रोव क्षेत्र (Mangrove Cover)

- वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में देश के मैंग्रोव क्षेत्र में 54 वर्ग किमी की निवल वृद्धि दर्ज की गई है।
- देश में मैंग्रोव क्षेत्र 4,975 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15 प्रतिशत है।
- पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र (42.45 प्रतिशत) है, इसके पश्चात् गुजरात (23.66 प्रतिशत) और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (12.39 प्रतिशत) का स्थान आता है।
- विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत भारत में विद्यमान है।

VISION

वनाग्नि (Forest Fire)

- देश के वनावरण का 21.40 प्रतिशत भाग अत्यधिक से चरम स्तर के वनाग्नि के प्रति प्रवण क्षेत्र है। देश के अधिकांश वनाग्नि प्रवण क्षेत्र पूर्वोत्तर और मध्य भाग में स्थित हैं।
- अधिकांश वनाग्नि की घटनाएं खुले वनों में देखी जाती हैं, इसके पश्चात् मध्यम सघन वनों का स्थान आता है।

कार्बन स्टॉक (Carbon stock)

- देश का कुल कार्बन स्टॉक 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वनावरण एवं वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3.0 बिलियन टन CO_2 के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, भारत के INDC (इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन) लक्ष्यों में शामिल है।
- **मृदा जैविक कार्बन (Soil Organic Carbon: SOC):** यह वनों में कार्बन स्टॉक के सबसे बड़े भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। देश के कुल वनीय कार्बन स्टॉक में SOC का योगदान 56 प्रतिशत है।
    - यह छोटे पादप अवशेषों, मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों और विघटित जैविक पदार्थों से युक्त मृदा का कार्बनिक घटक है।

जैव विविधता (Biodiversity)

- पूर्वोत्तर राज्यों के पश्चात् पश्चिमी घाट (तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक) के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार एवं अर्ध-सदाबहार वनों में **अधिकतम वृक्ष विविधता** पाई जाती है।
- **कर्नाटक में वृक्षों** की प्रजातीय समृद्धता (species richness) अधिकतम है, **अरुणाचल प्रदेश में झाड़ियों** की प्रजातीय समृद्धता अधिकतम है तथा **जम्मू-कश्मीर में जड़ी-बूटियों** की प्रजातीय समृद्धता अधिकतम है।
- उपर्युक्त **तीनों प्रकार के पादपों (वृक्षों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों) की प्रजातीय समृद्धता** अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम है, इसके पश्चात् तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है।

बांस क्षेत्र (Bamboo cover)

- बांस क्षेत्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 1,60,037 वर्ग किमी अनुमानित है तथा वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में 3,229 वर्ग किमी क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है।
- बांस के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, इसके पश्चात् महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा का स्थान आता है।

ईंधन हेतु वनों पर निर्भरता

- वनों पर ईंधन हेतु निर्भरता महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है, जबकि, चारा, लघु काष्ठ और बांस के लिए निर्भरता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। यह आकलन किया गया है कि वनों के समीपवर्ती गांवों में निवास करने वाले लोगों द्वारा लघु काष्ठ का वार्षिक उपयोग देश में वनों की औसत वार्षिक उपज का लगभग 7 प्रतिशत है।

वृद्धिमान स्टॉक (Growing Stock)

- यह वन या इसके एक निर्दिष्ट भाग में वृद्धि एवं विकास करने वाले सभी वृक्षों का योग (संख्या या मात्रा) है। देश में काष्ठ का कुल वृद्धिमान स्टॉक 5,915.76 मिलियन क्यूबिक मीटर (cum) अनुमानित है। वनों में प्रति हेक्टेयर औसत वृद्धिमान स्टॉक 55.69 क्यूबिक मीटर अनुमानित है।

ISFR-2019 की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- इस रिपोर्ट में वनों के समीपवर्ती गांवों में निवास करने वाले लोगों की ईंधन, चारे, लघु काष्ठ और बांस के लिए वनों पर निर्भरता का मात्रात्मक अनुमान लगाया गया है। 1,70,000 से अधिक गांव वनों के निकट स्थित हैं।
- **देश में वन क्षेत्र के बाहर स्थित वृक्ष (Trees outside Forest: TOF):** TOF का आशय रिकार्डेड फारेस्ट एरिया (RFA) के बाहर स्थित वृक्षों से है। ISFR-2019 में पहली बार TOF का विस्तार से वर्णन किया गया है।
- **वनों में पादप जैव विविधता का आकलन:** FSI ने पहली बार सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दो को छोड़कर) तथा सभी सोलह वन प्रकार समूहों के लिए जैव विविधता का त्वरित मूल्यांकन किया है।
- **भारत का परिष्कृत फारेस्ट टाइप मानचित्रण:** नवीनतम बेसलाइन वन कवर के अनुसार वन प्रकारों को परिष्कृत करने और अद्यतन करने के लिए एक नवीन सर्वेक्षण वर्ष 2016 में आरंभ किया गया और वर्ष 2019 में पूर्ण किया गया है।
- **अग्नि-प्रवण वन क्षेत्रों का मानचित्रण:** विभिन्न रूप से गंभीर श्रेणी के लिए वनाग्नि प्रवण वन क्षेत्रों को ग्रिड में मानचित्रित किया गया।
- **वन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि:** FSI ने RFA की सीमाओं पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से प्राप्त डाटा के आधार पर आर्द्रभूमि की स्थानिक परत को कवर करने का एक नवीन कार्य आरंभ किया हैं।
- **ढलानों पर वनावरण:** देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए विभिन्न ढलान श्रेणियों पर वनावरण का आकलन करने के लिए एक पद्धति शुरू की गई है। तीव्र ढलानों पर उच्च वनावरण पर्वतीय क्षेत्र की स्थिरता का एक अच्छा संकेतक हो सकता है।
- **प्रमुख आक्रामक प्रजातियां:** आक्रामक प्रजातियां वनों के स्थायी प्रबंधन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण आक्रामक प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है ताकि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में पाँच

VISION IAS

प्रमुख आक्रामक प्रजातियों को निर्धारित किया जा सके और उनके द्वारा प्रभावित क्षेत्र का अनुमान भी लगाया जाता है।

- **महत्वपूर्ण NTFP प्रजातियां:** शीर्ष पांच **गैर-काष्ठ वन उपज (Non- Timber Forest Produce: NTFP) प्रजातियों** के बारे में **वन इन्वेंट्री डेटा** से एक नई जानकारी प्राप्त हुई है। NTFP, वनों के समीपवर्ती निवास करने वाली कई आदिवासी समुदायों और ग्रामीणों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

5.4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु HLC द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत (HLC Submits Report On Combatting Air Pollution In NCR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर गठित एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने हेतु कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की गई हैं।

इस समिति द्वारा की गई अनुशंसाएं:

इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु निम्नलिखित तकनीकी समाधानों का सुझाव दिया गया है:

- बेहतर प्रदूषण-निगरानी के लिए **लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) और वायरलेस सेंसर नेटवर्क (WSN) तकनीक** का उपयोग।
  - लिडार, प्रदूषण की निगरानी हेतु लेसर-आधारित प्रौद्योगिकी का एक अति विशिष्ट अनुप्रयोग है। HLC द्वारा अनुशंसा की गई कि इस तकनीक को अधिक ऊंचाई पर गतिमान प्रदूषकों को ट्रैक करने हेतु कुछ स्थानों पर ऊर्ध्वाधर निगरानी के लिए अपनाया जा सकता है।
  - WSN का उपयोग कुछ गतिविधियों के लिए एक सांकेतिक निगरानी (indicative monitoring) उपकरण के रूप में किया जा सकता है, जैसे- खनन, वृहद् निर्माण स्थल तथा आगे जांच कार्यों के लिए नियामक को रिपोर्ट करना।
- **उद्योगों में ऑक्सी भट्टियों का अंगीकरण:** ऑक्सी भट्टी, ईंधन के रूप में वायुमंडलीय वायु (जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल होती है) की तुलना में केवल ऑक्सीजन का उपयोग करती है, इस प्रकार यह उद्योगों में लगभग 90% NOx के उत्पादन को कम करती है।
- **सड़कों पर फोटोकैटालिटिक पेंट का उपयोग करना:** इन पेंट्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO2) होता है, जिसमें बेहतर ऑक्सीकरण क्षमता होती है। यह सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में वायुमंडल से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) व नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को हटा सकता है।
- **एंटी-स्मॉग गन का उपयोग:** एंटी-स्मॉग गन एक ऐसा उपकरण होता है जो उच्च दाब वाले प्रोपेलर के माध्यम से वायु में नेबुलाइज्ड जल बूंदों को स्प्रे करता है, जो कणों को धरातल पर निक्षेपित करने में सहायता करता है।
- इस समिति द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु **डस्ट सप्रेसेंट (dust suppressants)** सहित रासायनिक विधियों के उपयोग की भी अनुशंसा की गई है।
- **20 फीट ऊंचाई तक के 'स्मॉग टावर्स' स्थापित करने का एक पायलट प्रोजेक्ट:** स्मॉग टावरों को मूल रूप से वायुमंडल से प्रदूषण के कणों को कम करने हेतु वृहद् पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में तीन माह के भीतर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 'स्मॉग टॉवर' स्थापित करने के लिए निर्देश दिया है।
  - इस टॉवर से औसतन 700 मीटर तक प्रदूषण में लगभग 65% की कमी की जा सकती है। ये टावर वायु प्रवाह की दिशा (downwind direction) में एक किलोमीटर से अधिक दूरी तक वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होंगे।
  - दिल्ली में, कुरीन सिस्टम नामक एक कंपनी 12-मीटर (40 फीट) लंबा स्मॉग टॉवर विकसित कर रही है, जिसे **कुरीन सिटी क्लीनर** कहते हैं। इसमें प्रति दिन 32 मिलियन क्यूबिक मीटर वायु को स्वच्छ करने की क्षमता तथा 3 किलोमीटर के दायरे में 75,000 लोगों को कवर करने के साथ वायु को फ़िल्टर करने की क्षमता निहित है।

5.5. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक-2020 (Climate Change Performance Index-2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index: CCPI) जारी किया गया।

CCPI के बारे में

- पहली बार वर्ष 2005 में जारी किए जाने के पश्चात् से यह देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन की ट्रैकिंग के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है तथा यह प्रत्येक देश द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण प्रयासों और प्रगति की तुलना को सक्षम बनाता है।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- इस सूचकांक में **57 देश और यूरोपीय संघ** शामिल हैं।

- रैंकिंग परिणामों को निम्नलिखित चार श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर परिभाषित किया जाता है:
  - ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन- 40%
  - नवीकरणीय ऊर्जा - 20%
  - ऊर्जा उपयोग- 20%
  - जलवायु नीति- 20%

CCPI 2020 के निष्कर्ष

- **उत्सर्जन में कमी:** 57 उच्च उत्सर्जन करने वाले देशों में से 31 देशों के उत्सर्जन में कमी हुई है। इसका मुख्य कारण वैश्विक कोयले की खपत में कमी है।
- **कोई भी देश शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता के स्तर पर नहीं रहा:** इस मूल्यांकन के अनुसार किसी भी राष्ट्र ने पेरिस जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए इस रैंकिंग के प्रथम तीन स्थान रिक्त हैं।
  - इस रैंकिंग में चौथे स्थान के साथ **स्वीडन** अग्रणी रहा और 5वें स्थान के साथ डेनमार्क बेहतर प्रदर्शनकर्ता देश रहा है।
- **केवल दो G20 देश शीर्ष 10 में शामिल रहे:** G20 देशों में, ब्रिटेन (7वां स्थान) और भारत (9वां स्थान) को "उच्च" श्रेणी ("High" Category) में शामिल किया गया है। आठ G20 देशों को सूचकांक में निम्न श्रेणी (Very Low) में रखा गया है।
  - अमेरिका ने पहली बार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में सऊदी अरब को प्रतिस्थापित किया है।

भारत और CCPI 2020

- **रैंकिंग में सुधार:** भारत की रैंकिंग में दो स्थानों का सुधार हुआ है (CCPI-2019 के 11वें स्थान की तुलना में CCPI-2020 में 9वां स्थान)। भारत पहली बार शीर्ष दस रैंकिंग में शामिल हुआ है।

इस सूचकांक की चार श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार है-

संकेतक	रैंक
ग्रीनहाउस गैस	11
नवीकरणीय ऊर्जा	26
ऊर्जा उपयोग	9
जलवायु नीति	15

5.6. पॉल्यूशन एंड हेल्थ मेट्रिक्स-2019 (Pollution And Health Metrics-2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ग्लोबल एलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन (GAHP)** द्वारा **'द 2019 पॉल्यूशन एंड हेल्थ मेट्रिक्स: ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस'** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

ग्लोबल एलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन (GAHP)

- **GAHP,** 60 से अधिक सदस्यों और पर्यवेक्षकों से गठित एक **सहयोगात्मक निकाय** है जो प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए संसाधनों और समाधानों हेतु समर्थन करता है।
- इसे व्यापक रूप से प्रदूषण एवं स्वास्थ्य को संबोधित करने हेतु विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO), एशियाई विकास बैंक (ADB), यूरोपीय आयोग तथा 25 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों तथा गैर-लाभकारी एजेंसियों जैसे प्रमुख सदस्यों द्वारा **वर्ष 2012** में गठित किया गया था।
- GAHP विश्व स्तर पर प्रदूषण को संबोधित करने हेतु सार्वजनिक, राजनीतिक, तकनीकी और वित्तीय सहायता का निर्माण करता है। यह प्रदूषण के प्रभावों और हस्तक्षेपों की निगरानी करता है, प्रदूषण पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है और सभी प्रकार के प्रदूषण के प्रसार एवं प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम है:** वर्ष 2017 में, विश्व स्तर पर हुई कुल मृत्यु के 15% (लगभग 8.3 मिलियन लोग) और 275 मिलियन निःशक्तता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years: DALY) के लिए प्रदूषण उत्तरदायी था।

VISION IAS

- **DALY,** समग्र रोगों के भार की एक माप है, जिसे ख़राब स्वास्थ्य, निःशक्तता या असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वर्षों की संख्या की क्षति के रूप में व्यक्त किया जाता है।

- इस रिपोर्ट में प्रदूषण-से होने वाली मृत्यु से संबंधित **तीन सूचियों** को सम्मिलित किया गया है। **भारत एकमात्र ऐसा देश है जो तीनों सूचियों में शीर्ष 10 में सम्मिलित हैं।**
  - **प्रदूषण के कारण वार्षिक रूप से होने वाली असामयिक मृत्यु:** विश्व में इस प्रकार से होने वाली सर्वाधिक मृत्यु के मामले में भारत का प्रथम स्थान (लगभग 2.3 मिलियन) है। भारत के पश्चात् चीन (लगभग 1.8 मिलियन) का स्थान है।
  - **वायु प्रदूषण के कारण वार्षिक रूप से होने वाली असामयिक मृत्यु:** इस प्रकार से होने वाली मृत्यु के मामले में भारत का द्वितीय स्थान (1.240 मिलियन) है। ज्ञातव्य है कि चीन का स्थान प्रथम (1.243 मिलियन) है।
  - **प्रति 1,00,000 लोगों में प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु:** प्रति 1 लाख लोगों में 174 लोगों की मृत्यु के साथ भारत 10वें स्थान पर है।
- भारत में शहरी विकास के कारण औद्योगिक और वाहन प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जबकि कम आय वाले समुदायों में निम्न स्तरीय स्वच्छता एवं घरों के अंदर दूषित वायु में वृद्धि हुई है।

5.7. जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, **जल जीवन मिशन (JJM)** हेतु परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में

- JJM का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC) उपलब्ध कराना है।
  - FHTC से तात्पर्य, नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- **JJM के तहत निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जाएगा:**
  - गांव में प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन हेतु जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास।
  - विश्वसनीय **पेयजल स्रोतों का विकास** और/या विद्यमान स्रोतों का संवर्द्धन करना।
  - जल को पीने योग्य बनाने के लिए प्रशोधन हेतु **तकनीकी हस्तक्षेप करना।**
  - **ग्रे वाटर प्रबंधन** (घरेलू मल-रहित अपशिष्ट जल)।
  - उपयोज्याताओं (utilities), जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, शोध एवं विकास, नॉलेज सेंटर, समुदायों की क्षमता-निर्माण आदि का विकास करना।
- ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के साथ **समुदाय संचालित दृष्टिकोण अपनाना** (क्योंकि पेयजल 11वीं अनुसूची का विषय है)।
- **फंड शेयरिंग पैटर्न:** हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 100% के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इस मिशन की आवश्यकता

- **पीने योग्य जल की निम्न उपलब्धता:** वर्तमान में, 81.67% ग्रामीण परिवारों में जल की आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।
- JJM, वर्ष 2009 में आरंभ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme: NRDWP) का एक उन्नत संस्करण है। JJM द्वारा NRDWP की सीमाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। **NRDWP की समस्याएं:**
  - **NRDWP के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के निष्कर्ष:**
    - **योजना का अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं:** केवल 17% ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
    - **नियोजन और वितरण तंत्र संबंधी कमियां,** क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर स्थापित नियोजन एवं वितरण ढांचे में कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों से विचलन पाया गया। उदाहरण के लिए, 21 राज्यों द्वारा जल सुरक्षा योजना की रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी।
    - इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्यवाई योजनाओं की तैयारी एवं संवीक्षा संबंधी कमियाँ विद्यमान थीं।
    - अपूर्ण, परित्यक्त और गैर-परिचालन कार्य, उपकरणों पर अनुत्पादक व्यय, गैर-कार्यात्मक स्थिरता संरचनाएं आदि जैसे कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे।
    - **वित्त प्रबंधन:** 10% वित्त का प्रयोग नहीं हो पाया।

- **NRDWP के संबंध में ग्रामीण विकास पर गठित स्थायी समिति के निष्कर्ष:**
  - **जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ:** जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ या तो स्थापित नहीं हैं अथवा इनमें तकनीकी रूप से सक्षम श्रमशक्ति, योग्य कर्मियों और उपकरणों का अभाव है।
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता:** अधिकांश ग्रामीण जिलों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन और नाइट्रेट संदूषण के साथ लवणता की समस्या में वृद्धि हो रही है।

इन दिशा-निर्देशों के बारे में

- **नियोजन:** प्रत्येक गाँव को अग्रलिखित तीन घटकों अर्थात्- जल स्रोत एवं इसके रखरखाव, जल आपूर्ति और ग्रे-वाटर प्रबंधन के संबंध में एक **विलेज एक्शन प्लान (VAP)** तैयार करना होगा।
  - **स्टेट एक्शन प्लान (SAP)** के निर्माण हेतु VAP को जिला स्तर और आगे राज्य स्तर की योजनाओं के साथ समेकित किया जाएगा। राज्य में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए SAP के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रिड, व्यापक जलापूर्ति आदि जैसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है।
- **संस्थागत तंत्र:**
  - **केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन:**
    - इसके तहत नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है तथा साथ ही, नियमित निगरानी एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
  - **राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन (State Water and Sanitation Mission: SWSM):**
    - SAP को अंतिम रूप प्रदान करना।
    - FHTC प्रदान करने हेतु शुल्क निर्धारित करना और वित्त का समय पर उपयोग करना।
    - क्षमता निर्माण और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु जिला जल और स्वच्छता मिशन **(District Water and Sanitation Mission: DWSMs)** को तैयार करने में सहायता करना।
  - **जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन (DWSM)**
    - JJM के समग्र क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी।
    - VAP तैयार करना और डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान (DAP) को अंतिम रूप देना।
  - **ग्राम पंचायत उप-समितियाँ अर्थात् ग्राम जल स्वच्छता समिति (Village Water Sanitation Committee:VWSC) / ग्राम स्तर पर पानी समिति:**
    - ग्राम स्तर पर जल आपूर्ति योजनाओं और अवसंरचना संबंधी योजना, डिजाइन, क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव तथा मौसमी आधारित जलापूर्ति के घंटों का निर्धारण करना।
    - **SWSM** द्वारा निर्धारित एजेंसियों/विक्रेताओं से निर्माण सेवाओं / सामग्रियों/ पदार्थों की खरीद करना।
    - सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ करना।
  - **क्रियान्वयन सहायक एजेंसियां (Implementation Support Agencies: ISAs):** गैर-सरकारी संगठनों (NGO)/ स्वैच्छिक संगठनों (VOs) / महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/ समुदाय आधारित संगठनों (CBOs)/न्यासों/ प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार द्वारा चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जाएगा और आवश्यकतानुसार इन्हें SWSM/DWSM से संबद्ध किया जाएगा।
- **क्रियान्वयन:**
  - उन अधिवासों को प्राथमिकता देना जहाँ जल की गुणवत्ता ख़राब है तथा लागत में वृद्धि किए बिना **समयबद्ध तरीके से योजना को पूरा करना।**
  - **सामुदायिक योगदान:** स्वामित्व और सम्मान की भावना को बढ़ावा देने हेतु, पहाड़ी, वनाच्छादित और 50% से अधिक अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी बाहुल्य गाँवों में जलापूर्ति संबंधी अवसंरचना के लिए पूंजीगत लागत का 5% तथा शेष गाँवों हेतु 10% के योगदान का प्रस्ताव किया गया है।
    - इसके अतिरिक्त, समुदाय को उनके संबंधित गाँव में जलापूर्ति योजना के लिए 10% पूंजीगत व्यय के एवज में पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। यह आपातकालीन मरम्मत कार्यों को पूरा करने हेतु रिवाल्विंग फंड के रूप में कार्य करेगा।
  - **संचालन और रखरखाव (Operation & Maintenance: O&M):** विद्युत शुल्क, नियमित कर्मियों के वेतन और भूमि की खरीद आदि से संबंधित किसी भी व्यय को केंद्रीय हिस्से से व्यय नहीं किया जाएगा।
    - यह **'अवसंरचना विकास दृष्टिकोण'** से **'उपयोगिता-आधारित दृष्टिकोण'** में स्थानांतरण को चिन्हित करता है। यह संस्थानों को यूटिलिटीज के रूप में कार्य करने और पेयजल की आपूर्ति सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा सभी प्रकार के उपभोक्ताओं से जल प्रशुल्क (वाटर टैरिफ) की वसूली करने में सक्षम बनाएगा।

VISION IAS

- वर्षा जल संभरण, भौम जल पुनर्भराव आदि जैसे उपायों को क्रियान्वयित करने हेतु विद्यमान योजनाओं, जैसे- मनरेगा के साथ इसका अभिसरण।

- **वित्तीय योजना और वित्त पोषण:**
  - अन्य राज्यों द्वारा उपयोग न किए गए फंड में से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
  - केंद्र द्वारा जारी किए गए फंड को जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
  - JJM हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन उपलब्ध होंगे, जिन्हें राज्यों को सकल बजटीय सहायता के साथ आबंटित किया जाएगा।
  - राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM) के तहत **राष्ट्रीय जल जीवन कोष (RJJK)** की स्थापना की जाएगी। यह कोष धर्मार्थ (charitable) योगदान और CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड से पैसे जुटाएगा जो JJM के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक साधन के रूप में कार्य करेगा।

- **तकनीकी हस्तक्षेप/नवाचार:**
  - उभरती तकनीकों, जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक-चेन तकनीक, नैनो-तकनीक का उपयोग करना।
  - राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी हेतु **एक डिजिटल डेटा प्लेटफ़ॉर्म** का निर्माण किया जाएगा।

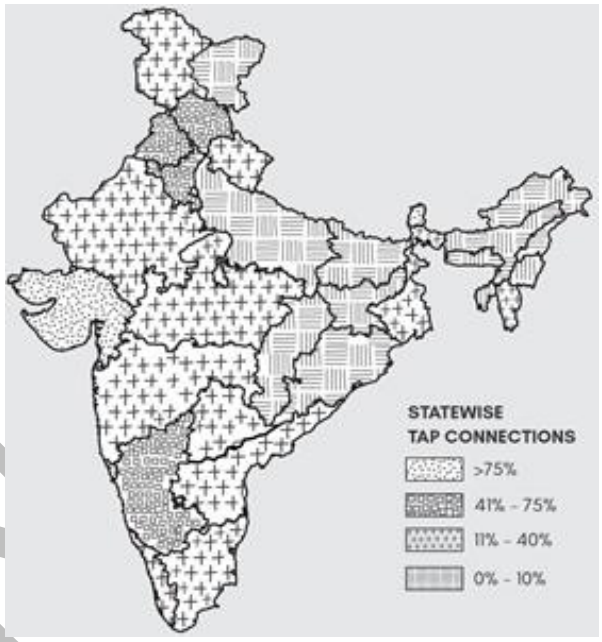

- **निगरानी और मूल्यांकन** के अंतर्गत कोई भी भुगतान करने से पूर्व तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण, योजनाओं की कार्य क्षमता का आकलन आदि शामिल हैं।

- **आपदा प्रबंधन:**
  - निकटतम संभाव्य सुरक्षित स्थानों पर स्थायी **मोबाइल जल शोधन संयंत्र** स्थापित करना।
  - आकस्मिक योजनाओं के अंतर्गत संधारणीय जल स्रोतों की अवस्थिति और जल आपूर्ति प्रणालियों की डिजाइन का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
  - किसी भी प्राकृतिक आपदा, जैसे- चक्रवात और बाढ़ के दौरान पेयजल की अंतरिम आपूर्ति करने वाले हैंडपंपों के रखरखाव को सुनिश्चित करना।

संबंधित तथ्य

हाल ही में, **ओडिशा** के मुख्यमंत्री ने राज्य में **'जलसाथी कार्यक्रम'** का शुभारंभ किया है।

- जलसाथी का उद्देश्य पाइप आधारित जल कनेक्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- यह योजना उन महिला स्वयंसेवकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जो 'जलसाथी' के रूप में सेवा प्रदान करती हैं। ध्यातव्य है कि 'जलसाथी' उपभोक्ताओं और सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगी।
- इसमें मिशन शक्ति से 'जलसाथी' को सम्मिलित किया जाएगा।
- इससे पूर्व, ओडिशा सरकार ने 'मिशन शक्ति' के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को विद्युत देय राशियों की वसूली करने, धान की खरीद करने और मध्याह्न भोजन तैयार करने जैसी गतिविधियों में संलग्न किया था।

5.8. अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana)

सुर्ख़ियो में क्यों?

हाल ही में, **जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 'अटल भूजल योजना'** का शुभारंभ किया गया।

अटल भूजल योजना के बारे में

- अटल भूजल योजना (अटल जल) वस्तुतः केंद्रीय क्षेत्रक एक योजना है, जिसका उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाना है।
- इसके तहत सात राज्यों, यथा- **गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान** और **उत्तर प्रदेश** को कवर किया गया है। इससे 78 जिलों के लगभग 8,350 ग्राम पंचायत लाभान्वित होंगे।
- इसे अगले 5 वर्षों **(2020-21 से 2024-25)** की अवधि के लिए क्रियान्वयित किया जाएगा। इसके कुल परिव्यय का 50% अंश **विश्व बैंक** द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

- **इस योजना के घटक:** अटल जल के निम्नलिखित दो प्रमुख घटक हैं:
  - **संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता-निर्माण घटक:** इसके अंतर्गत निगरानी नेटवर्क में सुधार, क्षमता निर्माण, जल उपयोगकर्ता संगठनों को सुदृढ़ करना, पंचायतों हेतु अधिक वित्त आवंटित करना और पंचायत-स्तरीय योजनाओं का निर्माण करना आदि शामिल हैं।
  - **प्रोत्साहन घटक:** बेहतर भूजल प्रबंधन प्रथाओं, जैसे- डेटा का प्रसार, जल सुरक्षा योजना को तैयार करना, जल बजट, प्रचालित योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से प्रबंधन हस्तक्षेप का कार्यान्वयन, मांग पक्ष संबंधी प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना आदि में उपलब्धियों हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना।

भौम जल (ground water) संबंधी अन्य महत्वपूर्ण आँकड़े

- नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी **'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक'** के अनुसार, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित 21 शहरों का भौम जल वर्ष 2020 तक समाप्त हो जाएगा। इससे लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे।
- नीति आयोग द्वारा जारी इस सूचकांक में उल्लेख किया गया है कि:
  - यद्यपि, राज्यों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2017-18 के मध्य अपने भौम जल संसाधनों के पुनर्भराव में समग्र सुधार प्रदर्शित किया है, तथापि औसत, कुल प्राप्य स्कोर के 50% से नीचे बना रहा है।
  - समग्र रूप से, राज्य **ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता** में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।
- केंद्रीय जल आयोग (CWC) के बेंचमार्क के अनुसार, जल-तनावग्रस्त (water-stressed) स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1,700 घन मीटर से कम हो जाती है तथा जलाभाव (water-scarcity) की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1,000 घन मीटर से कम हो जाती है।

भौम जल के संरक्षण, सुरक्षा, विनियमन (2019) से संबंधित मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाएं:

- **कृषि में जल के अति प्रयोग को विनियमित करना:**
  - देश भर में बोरवेल हेतु इन्वेंट्रीज (वस्तु-सूची) का पंजीकरण करना।
  - कृषि हेतु उपचारित सीवेज जल के उपयोग को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  - जल-गहन फसलों की कृषि पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा किसानों को मोटे-अनाज (millets) जैसी जल-कुशल फसलों की कृषि हेतु प्रेरित करना चाहिए।
- भौम जल के निष्कर्षण हेतु सभी उपयोगकर्ताओं से जल संरक्षण शुल्क वसूलना।
- भौम जल के अति-दोहन वाले क्षेत्रों की पहचान करना तथा पेयजल को छोड़कर नए/विस्तारित परियोजनाओं हेतु भौम जल के निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाना।
- इस समिति ने 50-वर्षीय योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - 2.5 लाख भौम जल निगरानी स्टेशनों की स्थापना करना।
  - लवणीय भौम जल संसाधनों का आकलन करना, समुद्री जल के प्रवेशन को रोकने हेतु योजना पर कार्य करना।
  - भौम जल अध्ययन और प्रबंधन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना।
  - अपतटीय क्षेत्रों में अलवणीय भौम जल स्रोतों का पता लगाना और भौम जल माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन पर विचार करना।
  - भौम जल स्तरों के आधार पर सूखे की चेतावनी जारी करने की एक पद्धति को विकसित करना।
  - सीमापारीय जलभृतों (एक्विफर) का अध्ययन करना।

भारत में भौम जल उपयोग की वर्तमान स्थिति

- भौम जल के माध्यम से लगभग 60% सिंचाई आवश्यकताओं, 85% ग्रामीण पेयजल आवश्यकताओं और 50% शहरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- **जल और संबंधित सांख्यिकी (Water and Related Statistics) 2019** के अनुसार, भारत (वर्ष 2017) में वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भौम जल संसाधन 432 बिलियन घन मीटर (BCM) हैं, जिसमें से 393 BCM वार्षिक "निष्कर्षण योग्य" भौम जल उपलब्ध है। वर्तमान वार्षिक भौम जल निष्कर्षण 249 BCM (लगभग 63%) है।
- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) द्वारा की गई जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि 2009-18 के दशक में जांच किए गए 61% कुओं के **भौम जल स्तर में औसतन गिरावट दर्ज की गई** है। (चित्र देखें)

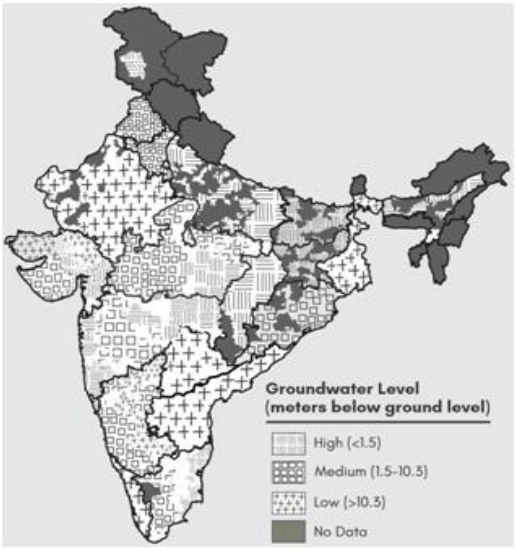

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, जो जल इन कुओं में उपलब्ध है, वह भी संदूषित हो सकता है (हमारी जलापूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत भाग संदूषित है)।

- **दोषपूर्ण फसल प्रतिरूप: 'डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ़ इंडिया, 2017'** के अनुसार, निष्कर्षित भौम जल का 90% भाग सिंचाई हेतु तथा इसके पश्चात् घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों (9.8%) में उपयोग किया जाता है।
- **बढ़ती जनसंख्या के कारण मांग में वृद्धि:** केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता वर्ष 2025 के 1,434 घन मीटर से घटकर वर्ष 2050 में 1,219 घन मीटर हो जाएगी।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)** के क्रियान्वयन के संबंध में वर्ष 2017 में जारी भारत के **नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG)** की रिपोर्ट के अनुसार, सतही जल-आधारित योजनाओं पर अपर्याप्त ध्यान केंद्रित किया गया था और पाइप आधारित जल योजनाओं (piped water schemes) सहित 98% योजनाएं भौम जल संसाधनों पर आधारित थी।
- भौम जल से संबंधित अति दोहित इकाइयों की संख्या वर्ष 2014 के 839 से बढ़कर वर्ष 2017 में 1,186 हो गई हैं।
- **राष्ट्रीय जल नीति, 2012** ने वैज्ञानिक आधार पर भौम जल संसाधनों के आवधिक मूल्यांकन पर बल दिया है।

5.9. पर्यावरणीय प्रवास (Environmental Migration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाएं, संघर्षों (युद्ध/टकराव) की तुलना में अधिक लोगों को विस्थापित कर रही हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Internal Displacement: GRID), 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में, 148 देशों में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए कुल 28 मिलियन व्यक्तियों में से 61% व्यक्तियों का विस्थापन आपदा के कारण हुआ। इसकी तुलना में, 39% व्यक्ति संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे।
- एक अनुमान के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2019 में 2.7 मिलियन भारतीयों का विस्थापन हुआ।

पर्यावरणीय प्रवासियों के बारे में

- **इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)** के अनुसार, **पर्यावरणीय प्रवासी** "ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह होते हैं, जिनका जीवन या रहने की परिस्थितियां पर्यावरण में आकस्मिक या क्रमिक परिवर्तन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और जो अपने नित्य आवासों को छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं, या ऐसा करने पर मजबूर होते हैं तथा अस्थायी या स्थायी रूप से अपने मूल देश में कहीं और या विदेश में प्रवास करते हैं।"
- **आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (Internal Displacement Monitoring Centre: IDMC)** के अनुसार, वर्ष 2008 के बाद से प्रत्येक वर्ष, विश्व भर में औसतन 26.4 मिलियन लोग बाढ़, तूफान, भूकंप या सूखे से मजबूरन विस्थापित हुए हैं।
  - वर्ष 2019 में, आपदाओं से विस्थापित 1.6 मिलियन लोग अभी भी अपने घरों से बाहर शिविरों या अन्य स्थानों में निवास कर रहे थे।
  - भारत में वर्ष 2018 में 2.7 मिलियन लोग आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के कारण विस्थापित हुए, जो विगत वर्षों की तुलना में सर्वाधिक विस्थापन को इंगित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ने भविष्यवाणी की है कि अगले 50 वर्षों में 250 मिलियन से 1 बिलियन लोग जलवायु परिवर्तन के कारण अपने घरों से विस्थापित हो जाएंगे।
  - UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (जिसे पहले UNISDR के रूप में जाना जाता था) की वर्ष 2017 की एक रिपोर्ट में, भारत को अपने निवासियों के विस्थापन के संदर्भ में **विश्व के सर्वाधिक आपदा-प्रवण राष्ट्र** के रूप में स्थान दिया गया है।

पर्यावरणीय शरणार्थी (Environmental Refugees)

पर्यावरणीय शरणार्थी एक विशिष्ट शब्द है जिसमें केवल सीमा-पारीय आप्रवासियों को शामिल किया जाता है, जो पर्यावरणीय कारकों के कारण विस्थापन हेतु विवश होते हैं। **इसे आज तक परिभाषित नहीं किया गया है।**

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन (UN Refugee Convention) (1951)

- यह किसी विशिष्ट जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या सामाजिक समूह से संबद्धता अथवा अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण उत्पीड़न से विस्थापित लोगों को कुछ अधिकार देता है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन किए क्रॉस-बॉर्डर विस्थापित लोगों को **वर्ष 1951 के इस शरणार्थी सम्मेलन या वर्ष 1967 के इसके प्रोटोकॉल** के तहत शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जाता है और इस प्रकार के शरणार्थी इस सम्मलेन के अंतर्गत संरक्षण के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत सुरक्षा हेतु अर्ह नहीं होते हैं।

जलवायु परिवर्तन लोगों के विस्थापन को कैसे प्रभावित करेगा?

- उच्च बारंबरता और संभावित रूप से चरम मौसम से संबंधित प्राकृतिक आपदाएं (आकस्मिक और क्रमिक आगमन), मानवीय आपात के उच्च जोखिम और उच्च जनसंख्या विस्थापन का कारण बन सकती हैं।
- तापन के प्रतिकूल परिणाम, जलवायु परिवर्तनशीलता और आजीविका, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं जल की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के कारण पूर्व-विद्यमान कमजोरियों के बढ़ने की संभावना है।
    - जब ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आय कम हो जाती है और आजीविका संबंधी तनाव जलवायु परिवर्तन से जुड़ जाता है तो ऐसे में सदैव यह संभव नहीं है कि कुछ स्थानों पर यह प्रवास को बढ़ावा दे। क्योंकि, प्रवासन के लिए सदैव संसाधनों की आवश्यकता होती है, ऐसे में जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं, वे अपने स्थान पर रहने हेतु विवश हो जाते हैं।
- **समुद्र का बढ़ता जल स्तर** तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों को निर्जन बना सकता है।
- **प्राकृतिक संसाधनों के कम होने पर प्रतिस्पर्धा** से तनाव और संभावित रूप से संघर्ष में वृद्धि हो सकती है, इसके परिणामस्वरूप विस्थापन हो सकता है।

पर्यावरणीय/जलवायु प्रवासियों और जलवायु शरणार्थियों के समक्ष चुनौतियाँ

जलवायु प्रवासी और जलवायु शरणार्थी जैसे शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है, हालांकि वे समान नहीं हैं। "पर्यावरणीय शरणार्थी" या "जलवायु शरणार्थी" का अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून में **कोई कानूनी आधार** नहीं है। ये शब्द भ्रामक हैं और शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को संभावित रूप से कमजोर कर सकते हैं। जलवायु प्रवासी को परिभाषित करने या जलवायु शरणार्थी की स्थिति से जुड़ी हुई चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **जलवायु प्रवास मुख्यतः आंतरिक मुद्दा है:** जब प्रवास आंतरिक होता है, तो विस्थापित लोग अपने स्वयं के राज्य/राष्ट्र के उत्तरदायित्व के अधीन होते हैं। सामान्यत: वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार नहीं करते हैं और किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की मांग नहीं करते हैं।
- **ये जरुरी नहीं प्रवासन बाध्यकारी हो,** कभी कभी ये व्यक्तियों की स्वयं की भी इच्छा होती है और इस प्रक्रिया की शुरुआत बहुत धीमी होती है, भले ही वो विवश हों। इसलिए देशों को शरणार्थियों को संरक्षण न प्रदान करने के बजाए पहले प्रवास प्रबंधन और समझौतों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- **पर्यावरण/जलवायु कारणों को पृथक करना मुश्किल है।** प्रवास के मानवीय, राजनीतिक, सामाजिक, संघर्ष या आर्थिक कारकों से, यह एक अव्यवहारिक कार्य हो सकता है तथा ये लंबी और अवास्तविक कानूनी प्रक्रियाओं को जन्म दे सकता है।
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित कारणों के लिए **शरणार्थियों को विशेष दर्जा प्रदान करने** से कई चुनौतियाँ उभर सकती हैं। इसके कारण वे लोग शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करने से वंचित हो सकते हैं, जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है, विशेष रूप से सबसे निर्धनतम प्रवासी, जो विभिन्न कारणों से पलायन करते है और जो जलवायु एवं पर्यावरणीय कारकों के साथ अपने पलायन को संबद्ध करने में असफल होंगे।
- **वर्ष 1951 के शरणार्थी अभिसमय में जलवायु शरणार्थियों को क़ानूनन शामिल करने से वास्तव में शरण चाहने वाले लोगों की स्थिति कमजोर हो सकती है,** क्योंकि बहुत से लोगों को उत्पीड़न और जारी संघर्षों के कारण सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- इसके अतिरिक्त, जलवायु प्रवासियों और शरणार्थियों को पहचानने के लिए एक नए अभिसमय को अपनाना एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया सिद्ध हो सकती है तथा विभिन्न देश इसके लिए शायद अभी तैयार नहीं हों।

आगे की राह

- **जलवायु प्रवास संबधी वार्ताओं में निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए:** जलवायु और पर्यावरण समाधानों में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में लोगों को अपने घरों को मजबूरन छोड़ना न पड़े।
- **मौजूदा निकायों के विधियों एवं साधनों के पूर्ण उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए:** इस संबंध में मानवाधिकार और शरणार्थी कानून जैसे पहलूओं का उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2011 के इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माइग्रेशन तथा हाल ही में अंगीकृत ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डर्ली एंड रेगुलर माइग्रेशन; उपर्युक्त चर्चित मुद्दों के समाधान में सहायक हो सकते हैं।
- **मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण जलवायु प्रवास को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं:** भले ही, कोई राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य योगदानकर्ता न हो तथापि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मूल राज्य (स्टेट्स ऑफ़ ऑरिजिन) प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उन्हें पर्यावरण या जलवायु कारकों की वजह से प्रवास करने वाले अपने नागरिकों के प्रति मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- **नियमित प्रवास की सुविधा** जलवायु प्रवासियों के लिए प्रासंगिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है और साथ ही पर्यावरणीय कारकों के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रवास रणनीति की भी सुविधा प्रदान कर सकती है। कई प्रवास प्रबंधन समाधान जैसे कि मानवीय सहायता, अस्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान करना, निवास करने हेतु प्राधिकार प्रदान करना, क्षेत्रीय और एक देश से दूसरे देश में मुक्त आवाजाही करने हेतु समझौते आदि उन लोगों को बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण प्रवास करते हैं।

VISION IAS

पर्यावरणीय प्रवासियों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय

- **शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र, UNHCR (2016):** इसका उद्देश्य सभी शरणार्थियों और प्रवासियों (उनकी प्रस्थिति पर विचार किए बिना) के मानवाधिकारों की रक्षा करना है।
- संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में तैयार किया गया **"सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन पर वैश्विक समझौता 2018"** प्रथम अंतर-सरकारी समझौता है, जो समग्र और व्यापक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के सभी आयामों को कवर करता है। इसके तहत अब प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित 'क्लाइमेट रिफ्यूजी' को मान्यता प्रदान की गई है।
- **राज्यों के भीतर जलवायु विस्थापन पर पेनिनसुला सिद्धांत, 2013:** यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानव अधिकारों के दायित्वों और बेहतर पद्धतियों के सिद्धांतों के आधार पर एक व्यापक मानक ढांचा प्रदान करता है, जिसके तहत राज्यों के भीतर जलवायु के कारण विस्थापितों के अधिकारों को संबोधित किया जा सकता है।
- **वर्ष 2012** में आरंभ, **नानसेन पहल** एक परामर्शी प्रक्रिया है जो आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण सीमापार विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु एक **सुरक्षा एजेंडे** पर आम सहमति स्थापित करता है।
- **प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट (2016):** इसे **नानसेन पहल के संरक्षण एजेंडे** की सिफारिशों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था।
- **जलवायु प्रवासी और शरणार्थी परियोजना (Climate Migrants and Refugees Project: CMRP):** इसका उद्देश्य संबंधित चुनौती व इसके संभावित प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है तथा साथ ही ऐसे समाधानों और संपर्कों की खोज करना है जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक जोखिम वाले लोगों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समृद्ध जीवन जीने में सहायता करेंगे।

संबंधित तथ्य - ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की प्रथम बैठक **"ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम (GRF)"** का आयोजन जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में किया गया था।
- GRF को संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय (UNHCR), संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और स्विट्जरलैंड की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- यह फोरम वैश्विक शरणार्थी समझौते के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाने, समर्थन के आधार को व्यापक बनाने और अधिक न्यायसंगत एवं सतत व्यवस्था करने हेतु एक अवसर प्रदान करता है।
- प्रथम GRF में अग्रलिखित छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था: भार और जिम्मेदारी-साझाकरण, शिक्षा, रोजगार और आजीविका, ऊर्जा और अवसंरचना, समाधान तथा सुरक्षा क्षमता।
- इस फोरम के दौरान अग्रलिखित तीन क्षेत्रीय शरणार्थी प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए समर्थन प्लेटफॉर्मों का शुभारंभ किया गया: मध्य अमेरिका और मैक्सिको में, ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नैरोबी प्रक्रिया और अफगान शरणार्थियों के लिए समाधान रणनीति।

5.10. शहरी आग (Urban Fires)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तरी दिल्ली की अनाज मंडी क्षेत्र में एक कारखाने में आग लग गई जिसमें 43 लोगों की मृत्यु हो गयी।

शहरी आग के बारे में

- शहरी आग, शहरों या कस्बों में घटित होने वाली एक घटना है जिसमें आस-पास की संरचनाओं में तेजी से फैलने की क्षमता होती है। ये घरों, स्कूलों, वाणिज्यिक भवनों और वाहनों को नुकसान पहुंचाती है तथा उन्हें नष्ट कर देती है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau: NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 में भारत में आग की घटनाओं के कारण 17,700 अर्थात् प्रतिदिन 48 लोग लोगों की मृत्यु हुई थी।

भारत में अग्नि सुरक्षा नियम

- अग्निशमन सेवा एक **राज्य सूची का एक विषय** है और भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के तहत **अनुच्छेद 243W** के प्रावधानों के तहत शामिल है।
- भारत में, भवन-निर्माण और अग्नि सुरक्षा से संबंधित मामलों पर **नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC)** एक मूल मॉडल संहिता है।
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इमारतों और अग्निशमन उपकरणों एवं प्रणालियों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में 150 से अधिक मानक तैयार किए गए हैं।
- **मॉडल भवन उपनियम, 2003** के अनुसार:
    - मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्नि सुरक्षा और निकास साधनों के संबंध में **'अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)'** जारी करता है।
    - सभी अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने और अनुमोदित योजनाओं के अनुसार उनके कार्यात्मक रहने के संबंध में जांच करने के पश्चात् ये प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

NBC के तहत अग्नि सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश

NBC के भाग-4 (अग्नि और जीवन सुरक्षा) के अंतर्गत आग से बचाव, जीवन सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा पर विस्तृत प्रावधानों के माध्यम से अग्नि सुरक्षा से संबंधित मानदंडों को शामिल किया गया है।

- यह निर्माण, नलसाजी (plumbing), सक्रिय और निष्क्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणालियों आदि के लिए मानकों को निर्दिष्ट करके मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- इसमें प्रत्येक अग्नि क्षेत्र (fire zone) में इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है और ऊंचाई-चौड़ाई से संबंधित मापदंडों को वर्गीकृत किया गया है।
- यह इमारत से बाहर निकलने से पूर्व आग, धुएँ, धूम्र या भगदड़ से होने वाले जीवन के खतरे को कम करने के लिए आवश्यक अन्य प्रतिबंधों और आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।

शहरी आग के कारण

- **अनियोजित शहरी विकास और अतिसंकुलता:** जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में समय के साथ विस्तार और घनत्व में वृद्धि हो रही है।
- **मानदंडों का अल्प अनुपालन:** इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: गैर-अनुपालन वाले निर्माण कार्य; एहतियाती उपायों का अभाव, जैसे- आग बुझाने के यंत्र, अग्नि निकास द्वार और उनके सांकेतिक चिन्हों तथा असेम्बली क्षेत्रों का न होना।
- नगर निगमों और स्थानीय निकायों के पास **पर्याप्त संसाधनों का अभाव है** जो कई राज्यों में अग्निशमन सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- निरीक्षण के लिए **मानव शक्ति के अभाव** के साथ-साथ आधुनिक तकनीक में निवेश की कमी ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना कठिन बना दिया है।
- अग्नि सुरक्षा के बारे में लोगों में **जागरूकता का अभाव है**।

शहरी आग से निपटने के उपाय

- **प्रत्येक राज्य में एक अग्नि सुरक्षा अधिनियम का अधिनियमन किया जाना चाहिए:** यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के अग्नि सुरक्षा अधिनियम को लागू करे ताकि राज्य में आग की सुभेद्यता से पर्याप्त रूप से निपटा जा सके और जीवन एवं संपत्ति की अवांछनीय हानि को रोका जा सके।
    - एक कानून के माध्यम से, शहरों को फायर स्टेशन, फायर हाइड्रेंट और फायर लेन/पार्किंग स्थलों के लिए स्थान आरक्षित करना चाहिए।
- **एक व्यापक योजना तैयार करना:** प्रत्येक राज्य एक पूर्ण योजना तैयार करे और संपूर्ण राज्य के लिए मानव शक्ति और उपकरणों की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना बनाए। साथ ही, निम्नलिखित के माध्यम से स्थानीय निकायों के अग्निशमन सेवाओं की वितरण क्षमता को उन्नत करने की भी आवश्यकता है:

VISION IAS

- उन्हें पर्याप्त निधि उपलब्ध कराना।
- गैर-अनुपालन वाले निर्माण कार्यों की जांच करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उचित समय पर NOC का वितरण प्रदान करना।

- **आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** आग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए LIDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) आधारित तकनीकों में निवेश करना चाहिए।
- **फायर सेफ्टी ऑडिट:** इसे थर्ड पार्टी एजेंसियों के माध्यम से अनिवार्य बनाया जा सकता है।
- **जागरूकता:** आग से बचाव और सुरक्षा उपायों के बारे में नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना भी एक अति महत्वपूर्ण उपाय सिद्ध होगा।
  - स्थानीय काउंसलर/निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ क्षेत्रों/मुहल्लों/स्कूलों में छह महीने में एक बार **अग्निशमन कार्यशाला** आयोजित करना जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2019 (Human Development Report 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **"आय से परे, औसत से परे, वर्तमान से परे: 21वीं शताब्दी में मानव विकास में असमानताएं"** (Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century) नामक शीर्षक से **मानव विकास रिपोर्ट, 2019** जारी की गई।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित 5 प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, यथा-

- वंचना की चरम स्थितियों में उल्लेखनीय कमी होने के बावजूद, **मानव विकास संबंधी असमानताएँ अभी भी व्यापक बनी हुई हैं।** उदाहरणार्थ:
  - निम्न और अति उच्च मानव विकास वाले देशों के मध्य जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में अभी भी 19 वर्ष का अंतराल विद्यमान है।
  - अति उच्च मानव विकास वाले देशों के 94% की तुलना में निम्न मानव विकास वाले देशों में 42% वयस्क ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं।
- आधारभूत क्षमताओं में अभिसरण के बावजूद वर्धित क्षमताओं में भिन्नता के साथ, असमानताओं की एक नवीन श्रेणी का उदय हो रहा है:
  - अधिकांश देशों में कुछ आधारभूत क्षमताओं से संबंधित असमानताओं में निरंतर कमी हो रही है, उदाहरण के लिए- विभिन्न मानव विकास समूहों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त जनसंख्या के प्रतिशत आदि में निरंतर गिरावट हो रही है।
  - इसके विपरीत, अधिक उन्नत ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच जैसी **वर्धित क्षमताओं** में असमानताओं में निरंतर वृद्धि हो रही है।
    - उदाहरणार्थ- निम्न मानव विकास वाले देशों की तुलना में अति उच्च मानव विकास वाले देशों में **तृतीयक स्तर की शिक्षा प्राप्त वयस्क जनसंख्या का अनुपात छह गुना अधिक तेजी से बढ़ रहा है** और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन की संख्या में 15 गुना अधिक तीव्रता से वृद्धि हो रही है।
  - ये असमानताएँ संभवतः 21वीं सदी के अवसरों को प्राप्त करने, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में कार्य करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की लोगों की क्षमता को प्रभावित करेंगी।
- असमानताएं जीवनपर्यंत संचित होती हैं तथा प्रायः व्यापक शक्ति असंतुलन को प्रतिबिंबित करती हैं:
  - असमानताओं की शुरुआत जन्म से पूर्व ही हो सकती है और किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अंतराल या असमानताएं विद्यमान हो सकती हैं। उदाहरणार्थ- चित्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और माता-पिता की सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति के मध्य के संबंध को दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पीढ़ियों में असमानताएं चिरस्थायी बनी रह सकती हैं। इसलिए, नीतियों का उद्देश्य इस चक्र को अवरुद्ध करने पर केंद्रित होना चाहिए।
  - विभिन्न समूहों (जिन्हें नृजातीयता, भाषा, लिंग या जाति आदि द्वारा परिभाषित किया जा सकता है) के मध्य आय एवं संपति संबंधी असमानताएं प्रायः राजनीतिक असमानता एवं शक्ति विषमताओं को बढ़ावा देती हैं, जो संभावित रूप से और अधिक असमानताओं का कारण बनती हैं तथा साथ ही संस्थागत प्रकार्यों में विघटन आरम्भ हो जाता है एवं नीतियों की प्रभावशीलता भी क्षीण होने लगती है।
    - उदाहरणार्थ- कई देशों में महिला और पुरुष समान रूप से निर्वाचनों में मतदान करते हैं, परन्तु राजनीतिक शक्ति के उच्च स्तर (90% राज्याध्यक्ष और सरकार प्रमुख पुरुष हैं) पर अंतर विद्यमान है।

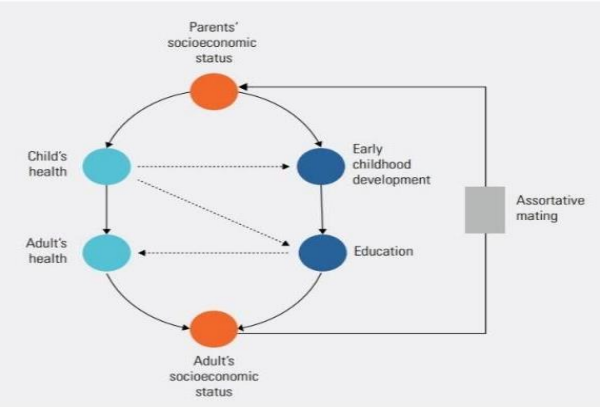

- मानव विकास संबंधी असमानताओं का आकलन और उनके प्रति अनुक्रिया, **मापन पद्धति में आमूल परिवर्तन** की मांग करते हैं:
  - विभिन्न असमानताओं (समूहों, परिवारों आदि के मध्य) के मापन हेतु डेटा अंतराल को कम करने तथा व्यवस्थित रूप से औसत से इतर असमानताओं के मापन के लिए नवीन मानकों और प्रथाओं की आवश्यकता है।
- आर्थिक शक्ति में असंतुलन के राजनीतिक रूप से प्रभावी होने से पूर्व ही, **तत्काल कार्यवाही के माध्यम से असमानताओं का निवारण** किया जा सकता है:

VISION IAS

- नीतियां बाज़ार पूर्व, बाज़ार के दौरान और बाजार पश्चात् विस्तारित होनी चाहिए।
  - **बाजार पूर्व नीतियों** के अंतर्गत क्षमताओं से संबंधित असमानताओं को कम करने के उपाय सम्मिलित हैं, जो सभी को श्रम बाजार में बेहतर तरीके से सुसज्जित करके प्रवेश करने में सहायता प्रदान करते हैं।
  - **बाजार के दौरान नीतियों** के अंतर्गत पारिश्रमिक, लाभ और श्रम भागीदारी दर सम्मिलित हैं।
  - **बाजार पश्चात् नीतियां:** उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य और शिक्षा के वित्तपोषण हेतु बाजार आय पर कर आरोपित करना।

मानव विकास रिपोर्ट के बारे में

- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा वर्ष 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी।
- मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष पांच समग्र सूचकांक जारी किए जाते हैं, यथा- **मानव विकास सूचकांक (HDI), असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI), लैंगिक विकास सूचकांक (GDI), लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)।**
- मानव विकास सूचकांक (HDI) को मानव विकास रिपोर्ट के एक भाग के रूप में जारी किया जाता है। यह सभी देशों में मानव विकास के आधारभूत आयामों से संबंधित उपलब्धियों का मापन करता है।
- HDI निम्नलिखित **तीन मापदंडों** के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है:
  - जीवन प्रत्याशा;
  - शिक्षा; तथा
  - प्रति व्यक्ति आय

आय से परे, औसत से परे, वर्तमान से परे (Beyond income, beyond averages and beyond today)

- इस रिपोर्ट में आय से परे, औसत से परे एवं वर्तमान से परे असमानताओं पर चर्चा की गई है।
- **आय से परे:** असमानता के आकलन में आय और संपत्ति से इतर मानव विकास के प्रमुख तत्वों, जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय गरिमा एवं मानवाधिकारों के प्रति सम्मान से संबंधित व्याप्त असमानताओं को शामिल किया जाना चाहिए।
- **औसत से परे:** असमानता के मापन संबंधी संक्षिप्त विवरण और अपूर्ण डेटा पर आधारित 'औसत' आंकड़े असमानता के संबंध में आंशिक तथा कभी-कभी भ्रामक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। अत: इस विश्लेषण के अंतर्गत औसत से इतर इन तथ्यों को भी ध्यान में रखा गया है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर और समय के साथ असामनता का संपूर्ण जनसंख्या पर क्या प्रभाव होता है।
- **वर्तमान से परे:** इसमें उन कारकों का विश्लेषण किया गया है, जो भविष्य में असमानताओं को आकार प्रदान करेंगे। उदाहरणार्थ- जलवायु परिवर्तन और तकनीकी रूपांतरण दोनों मानव सभ्यता को अनिश्चित भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

इस रिपोर्ट के अन्य प्रमुख निष्कर्ष

- **असमानता और जलवायु संकट अंतर्संबंधित हैं, उदाहरणार्थ-**
  - विकासशील देश और निर्धन समुदाय अपने समृद्ध समकक्षों की तुलना में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने में कम सक्षम हैं।
  - साथ ही, देशों में विद्यमान उच्च आय असमानता **पर्यावरण अनुकूल नव प्रौद्योगिकियों के प्रसार** में अवरोध उत्पन्न कर सकती है।
  - असमानता कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क-वितर्क करने वाले लोगों के मध्य शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है।
- नीति-निर्माता **तकनीकी परिवर्तन की दिशा** को इस रीति से आकार प्रदान कर सकते हैं, जो मानव विकास में वृद्धि कर सके। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता न केवल लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है, बल्कि यह मनुष्यों के लिए नए कार्यों का सृजन करके श्रम की मांग को पुनर्स्थापित भी कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा, जो असमानताओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

भारत के संबंध में निष्कर्ष

- वर्ष 2019 के HDI में **189 देशों में भारत का स्थान 129वां** है। यह विगत वर्ष (130वां स्थान) से एक स्थान के सुधार को दर्शाता है।
- UNDP की वर्ष 2019 की HDI रिपोर्ट में दिए गए समग्र सूचकांक से ज्ञात होता है कि भारत का प्राप्तांक वर्ष 2017 के 0.643 की तुलना में **वर्ष 2018 में 0.647 था**। वर्ष 1990 से 2018 तक भारत के HDI मान में 50 प्रतिशत (0.431 से 0.647) की वृद्धि हुई है।

VISION IAS

- भारत में, वर्ष 1990 से वर्ष 2018 के मध्य, **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्ष**, **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष में 3.5 वर्ष** और **स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष में 4.7 वर्ष** की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- **लैंगिक विकास सूचकांक** के स्तर पर **भारत** दक्षिण एशियाई देशों के औसत (0.829 बनाम 0.828) से केवल आंशिक रूप से ही बेहतर स्थिति में है और वर्ष 2018 के लैंगिक असमानता सूचकांक में **162 देशों में भारत का स्थान काफी निम्न अर्थात् 122वां रहा।**

इस रिपोर्ट में भारत में विद्यमान निम्नलिखित चुनौतियों को रेखांकित किया गया है:

- **निर्धनता:** वर्ष 2005-15 के मध्य 271 मिलियन लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकालने के बावजूद, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, भारत में निर्धनों की संख्या विश्व में सर्वाधिक (28%) है। हालांकि, गंभीर निर्धनता में कमी आई है, परन्तु निर्धनता के प्रति सुभेद्यता अभी भी उच्च बनी हुई है।
- **समूह-आधारित असमानताएं:** इस रिपोर्ट के अनुसार लिंग, पहचान आदि के आधार पर समूह-आधारित असमानताएँ भारतीय उपमहाद्वीप में अभी भी व्याप्त हैं।
- **अल्प आय:** जहां भारत में बेरोजगारी नियंत्रण में है, वहीं अल्प आय के परिणामस्वरूप कामकाजी निर्धनों की अधिकता, कुशल कर्मचारियों की निम्न हिस्सेदारी और वृद्धावस्था सुरक्षा का अभाव परिलक्षित हुआ है।
- **शिक्षा:** शिक्षा के संदर्भ में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र और विश्व की तुलना में भारत में असमानता अत्यधिक व्याप्त है। क्षेत्रीय औसत की तुलना में भारतीय बालिकाएं केवल अल्प अवधि तक ही स्कूल जाती हैं।
- **आय असमानता:** भारत में महिलाएं पुरुषों द्वारा अर्जित आय का लगभग पांचवां भाग ही अर्जित कर पाती हैं। ज्ञातव्य है कि यह औसत विश्व स्तर पर 0.5 है।

6.2. सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 (SDG India Index 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा **"सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक"** का द्वितीय संस्करण जारी किया गया है।

SDG भारत सूचकांक के बारे में

- **नीति आयोग** ने **'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)', ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट** और **संयुक्त राष्ट्र संघ** के सहयोग से **SDG भारत सूचकांक** को विकसित किया है।
- यह **वर्ष 2030 तक SDG लक्ष्यों** को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का व्यापक रूप से प्रलेखन करता है।
- यह लक्षित **नीतिगत संवाद, नीति निर्माण और कार्यान्वयन** के साधन के रूप में कार्य करता है तथा वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मापन पद्धतियों से संलग्न विकासात्मक कार्रवाई की दिशा में कार्य कर रहा है।
- यह SDGs की निगरानी से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरालों और राष्ट्रीय / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करने में सहायता करता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुपालन का मापन करने हेतु **232 संकेतक** विकसित किए हैं जबकि नीति आयोग ने इस सूचकांक हेतु **100 संकेतकों** के साथ भारतीय संदर्भ के अनुकूल निगरानी दृष्टिकोण को अपनाया है। ज्ञातव्य है कि ये संकेतक MoSPI के **राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (National Indicator Framework: NIF)** से ग्रहण किए गए हैं।

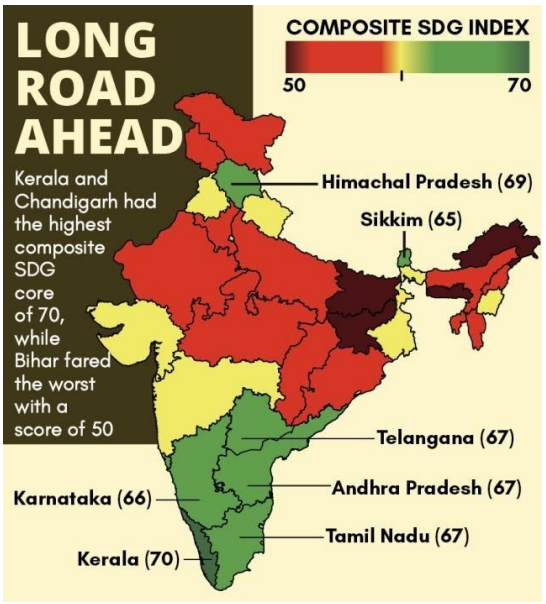

- NIF में SDGs की प्रगति की निगरानी करने के लिए **306 संकेतकों को समाविष्ट** किया गया है।
- SDG भारत सूचकांक 2019, अपने प्रथम संस्करण की तुलना में अधिक सुदृढ़ है, क्योंकि इस संस्करण में **लक्ष्य 17** पर गुणात्मक मूल्यांकन के साथ **17 SDGs में से 16 SDGs** को शामिल किया गाया है, जबकि वर्ष 2018 के सूचकांक में केवल 13 लक्ष्य सम्मिलित थे।
- इन 16 SDGs में समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए **0-100** की परास में कुल अंकों की गणना की गई है।
- किसी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त उच्च प्राप्तांक, उसके द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की निकटता को दर्शाता है।
- SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर वर्गीकरण मानदंड निम्नलिखित हैं: **आकांक्षी (Aspirant):** 0-49, **बेहतर प्रदर्शन (Performer):** 50-64, **अग्रणी (Front Runner):** 65-99 और **लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever):** 100

VISION IAS

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 के **57 से बढ़कर वर्ष 2019 में 60** हो गया है। सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश या तो बेहतर प्रदर्शन श्रेणी (Performer) में या अग्रणी श्रेणी (Front Runner) में स्थित हैं।
- 70 और 69 प्राप्तांकों के साथ **केरल** और **हिमाचल प्रदेश** को क्रमशः **प्रथम** और **द्वितीय** स्थान प्राप्त हुआ है। 67 प्राप्तांक के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।
- 50 प्राप्तांक के साथ **बिहार** सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है।
- वर्ष 2018 की तुलना में सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाले राज्य **उत्तर प्रदेश** (जो 29वें स्थान से 23वें स्थान पर आ गया है), **ओडिशा** (23वें स्थान से 15वें स्थान पर) और **सिक्किम** (15वें स्थान से 7वें स्थान पर) हैं।
- अधिकतम प्रगति **लक्ष्य 6** (स्वच्छ जल और सैनिटेशन), **7** (उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत संरचना) तथा **9** (वहनीय व स्वच्छ ऊर्जा) के संदर्भ में हुई है।
- चूंकि, भारत में पोषण और लैंगिक समानता संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं, अतः इनके लिए सरकार द्वारा अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- 'आकांक्षी' श्रेणी के सभी तीन राज्य, यथा- उत्तर प्रदेश, बिहार और असम अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 'बेहतर प्रदर्शन' (Performer) करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।
- पांच राज्य, यथा- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम 'बेहतर प्रदर्शन' (Performer) श्रेणी से 'अग्रणी' (Front Runner) वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

6.3. वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 (Global Gender GAP Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)** द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 जारी की गई है।

विश्व आर्थिक मंच

- इसकी स्थापना वर्ष 1971 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी।
- इसका मुख्यालय **स्विट्जरलैंड** के **जेनेवा** में स्थित है।
- यह सार्वजनिक-निजी सहयोग पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह मंच वैश्विक, क्षेत्रीय तथा औद्योगिक एजेंडा को आकार प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक, व्यावसायिक एवं समाज के अन्य नेताओं को संलग्न करता है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक पहली बार विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2006 में **लैंगिक आधार पर भेदभावों की व्यापकता का आकलन करने और समय के साथ उनकी प्रगति की निगरानी हेतु एक फ्रेमवर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया था।**
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 में निम्नलिखित **चार विषयगत आयामों** में लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति के आधार पर 153 देशों को रैंक प्रदान की गयी है:
  - आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity);
  - शैक्षणिक उपलब्धि (Educational Attainment);
  - स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (Health and Survival); तथा
  - राजनीतिक सशक्तीकरण (Political Empowerment)।
- इसके अतिरिक्त, इस वर्ष की रिपोर्ट में भविष्यगामी व्यवसायों में लैंगिक अंतराल से संबंधित संभावनाओं का भी परीक्षण किया गया है।

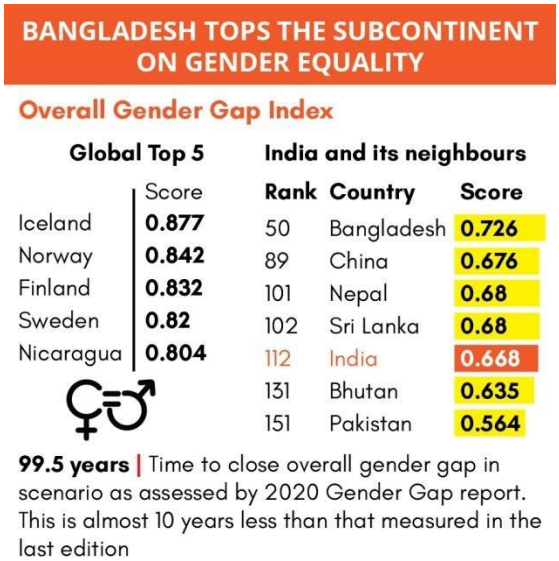

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **लैंगिक समानता:** वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतराल में 68.6% की कमी हुई है और यह अनुमान किया गया है कि परिवर्तन की वर्तमान दर पर, लैंगिक अंतराल को पूर्ण रूप से समाप्त करने में 99.5 वर्षों का समय और लगेगा। उल्लेखनीय है कि यह पूर्वानुमान वर्ष 2018 के सूचकांक में अनुमानित 108 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को चिन्हित करता है।

VISION IAS

- **क्षेत्र-वार प्रदर्शन:**
  - **राजनीतिक सशक्तीकरण:** वर्ष 2019 में संसदीय (निम्न सदन) सीटों पर महिलाओं की 25.2% और मंत्री पदों पर 21.2% हिस्सेदारी के साथ यह क्षेत्र सर्वाधिक लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है।
    - परन्तु इसके बावजूद भी इस वर्ष इस क्षेत्रक में सर्वाधिक सुधार हुआ है और इसमें लगभग सकारात्मक प्रदर्शन दृष्टिगोचर हुआ है।
    - इसका श्रेय **"रोल मॉडल प्रभाव"** को दिया जा सकता है, जिससे नेतृत्व और पारिश्रमिक के संदर्भ में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
  - **आर्थिक भागीदारी और अवसर:** यह क्षेत्र अंतराल के मामले में द्वितीय स्थान पर है। यह एकमात्र आयाम है, जहाँ प्रगति की दर में कमी आई है। इस दर से इस अंतर को समाप्त होने में **257 वर्षों का समय** लगेगा। इस रिपोर्ट में इसके लिए तीन प्राथमिक कारणों को रेखांकित किया गया है, यथा-
    - **स्वचालन (Automation):** महिलाओं का प्रतिनिधित्व उन व्यवसायों (नर्स जैसे अल्प कुशल कार्य) में अधिक है, जिनके स्वचालित होने की अत्यधिक संभावना है।
    - **तकनीक-आधारित पेशे में अल्प प्रतिनिधित्व:** तकनीक आधारित पेशे (जहाँ पारिश्रमिक में वृद्धि सबसे अधिक हुई है) में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। परिणामस्वरूप, कामकाजी महिलाओं की स्थिति मध्यम से निम्न पारिश्रमिक श्रेणी में बनी हुई है और इनकी यह स्थिति 10 वर्ष पूर्व के वित्तीय संकट के समय से ही स्थिर बनी हुई है।
    - **चिरस्थायी कारक:** जिन देशों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे यह ज्ञात हुआ है कि महिलाएं देखभाल और स्वैच्छिक कार्यों पर लगभग दोगुना समय व्यतीत करती हैं और पूँजी तक पहुँच का अभाव महिलाओं को उद्यमशीलता गतिविधियों में संलग्न होने से रोकता है।

Sub Index	India rank
Political Empowerment	18
Health and survival	150
Educational Attainment	112
Economic participation and opportunity	149

- **शैक्षणिक उपलब्धि और स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता:** इन दोनों क्षेत्रों में अंतराल को कम करने में अधिक प्रगति हुई है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के संबंध में लैंगिक समानता 40 देशों में पहले से ही पूर्ण रूप से प्राप्त की जा चुकी है।

भारत का प्रदर्शन

- **भारत को 112वां स्थान** (विगत वर्ष की तुलना में चार स्थान की गिरावट) प्राप्त हुआ है और यह समग्र लैंगिक अंतराल में लगभग दो तिहाई स्कोर के निकट है (स्कोर 66.8%)।।
- हालांकि, **भारत में राजनीतिक सशक्तीकरण में सुधार हुआ है, परन्तु यह अन्य तीन संकेतकों के मामले में पिछड़ा हुआ है।**
- भारत 153 देशों में एकमात्र देश है, जहाँ राजनीतिक लैंगिक अंतराल की तुलना में आर्थिक मामलों में लैंगिक अंतराल अधिक है।
- अभी तक केवल एक-तिहाई आर्थिक अंतराल को कम किया जा सका है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, यथा-
  - श्रम बाजार में 82% पुरुषों की तुलना में केवल एक-चौथाई महिलाओं की ही सक्रिय भागीदारी है।
  - महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की आय (विश्व में न्यूनतम आय अंतराल में से एक) का केवल पाँचवा हिस्सा ही है।
  - कंपनी बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अति निम्न (13.8%) है।
- स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में व्याप्त अंतराल, मुख्य रूप से **जन्म के समय असामान्य रूप से निम्न लैंगिक अनुपात** (प्रत्येक 100 बालकों पर 91 बालिकाएं), महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात विवाह और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में भेदभाव के कारण व्यापक हुआ है।
- शिक्षा में लैंगिक अंतराल के संदर्भ में प्रवृत्तियां अधिक सकारात्मक हैं।
  - प्राथमिक से तृतीयक स्तर की शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने में बालिकाओं की हिस्सेदारी बालकों की तुलना में निरंतर बढ़ रही है।
  - तथापि, 82% पुरुषों की तुलना में केवल 66% महिलाएं ही साक्षर हैं।

लैंगिक समानता का भविष्य

- आर्थिक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के समक्ष प्रमुख चुनौती, उभरती भूमिकाओं में महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व है।
  - यह रिपोर्ट दर्शाती है कि यहाँ तक कि उन देशों में भी जहां शिक्षा प्राप्ति की दर अपेक्षाकृत अधिक है, वहाँ भी महिलाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंजीनियरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे भावी व्यवसायों में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है।
  - क्लाउड कंप्यूटिंग में, केवल 12% पेशेवर महिलाएँ हैं। इसी प्रकार, इंजीनियरिंग और डेटा तथा AI में यह आंकड़ा क्रमशः 15% और 26% है।
- इन कमियों से निपटने के लिए इस रिपोर्ट में निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया है:

- **कार्यबल संबंधी रणनीतियां**, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं चुनौतियों का निवारण करने और चौथी औद्योगिक क्रांति के अवसरों का लाभ उठाने में अधिक सक्षम हों सकें अर्थात् उनका बेहतर कौशल विकास हो सके।
- **नियोजन (hiring) में विविधता को बढ़ावा देना** ताकि उन प्रवृत्तियों का समाधान किया जा सके, जहाँ मांग प्रेरित कौशल समुच्चय में लैंगिक समानता तो दृष्टिगोचर होती है, परन्तु समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है।
- **समावेशी कार्य संस्कृतियों का सृजन** करना।

6.4. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) पर एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ज्ञातव्य है कि UHC पर संयुक्त राष्ट्र संघ की यह प्रथम उच्च-स्तरीय बैठक है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक UHC प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को त्वरित करने हेतु वैश्विक समुदाय को एकजुट करना तथा राज्याध्यक्षों एवं सरकारों की राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है।
  - **2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट** के भाग के रूप में, सभी देश वर्ष 2030 तक UHC प्राप्त करने के प्रयास हेतु प्रतिबद्ध हैं।

UHC क्या है?

- UHC से तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सरल पहुँच हो। UHC के लिए निम्नलिखित तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं:
  - **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में समानता:** इसका आशय स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करने से है, न कि केवल इन तक उन्हीं व्यक्तियों की पहुँच हो जो भुगतान करने में सक्षम हैं;
  - **स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता:** सेवा प्राप्त करने वालों के स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर्याप्त होनी चाहिए; और
  - **वित्तीय जोखिम से सुरक्षा:** लोगों को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सेवाओं के उपयोग की लागत लोगों की वित्तीय हानि का कारण न बने।
- यह सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक है और समानता, सामाजिक न्याय एवं समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा गंभीर निर्धनता को समाप्त करने में योगदान करता है।
- यह स्वास्थ्य संबंधी मानवाधिकार के साथ-साथ व्यापक मानवाधिकार एजेंडा पर आधारित है।
- **इसका अन्य सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव है।** उदाहरण के लिए, लक्ष्य 1 (निर्धनता उन्मूलन), लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता), लक्ष्य 8 (सर्वोत्तम कार्य और आर्थिक संवृद्धि), लक्ष्य 9 (अवसंरचना), लक्ष्य 10 (असमानता को कम करना), लक्ष्य 16 (न्याय एवं शांति) तथा लक्ष्य 17 (साझेदारी)।

UHC की प्राप्ति के समक्ष प्रमुख बाधाएँ:

- सार्वजनिक व्यय का अभाव।
- निम्नस्तरीय अवसंरचनाएँ और बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
- आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट और उच्च व्यय।
- योग्य स्वास्थ्य-कर्मियों की कमी और दोषपूर्ण नियोजन।
- महंगी बेहतर गुणवत्तापूर्ण दवाओं और चिकित्सीय उत्पादों के कारण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अवरुद्ध होना।
- डिजिटल स्वास्थ्य और नवोन्मोषी तकनीकों आदि तक निम्न पहुंच।

UHC कैसे प्राप्त करें?

- **कार्यान्वयन अनुसंधान:** कार्यान्वयन अनुसंधान एक समेकित अवधारणा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य उपागमों के विकास एवं वितरण को त्वरित करने हेतु शोध और प्रैक्टिस के मध्य संबंध स्थापित करती है। भलीभांति अभिकल्पित कार्यान्वयन अनुसंधान के उपयोग का विस्तार अधिक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सीय नीतियों तथा कार्यक्रमों में योगदान करेगा।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्राप्ति के लिए सुसंगत नीतियों को प्रोत्साहित करने हेतु **वैधानिक और नियामकीय ढाँचों तथा संस्थानों को सुदृढ़ करना।**
- विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों, परिवार तथा समुदायों सहित लोगों की संलग्नता को बढ़ावा देना एवं सभी संबंधित हितधारकों **का समावेश करना।**
- नर्सों, मिडवाइव्स और सामुदायिक स्वास्थ्य-कर्मियों सहित कुशल स्वास्थ्य श्रमबल का **प्रशिक्षण, क्षमता-निर्माण और प्रतिधारण।**

VISION IAS

- सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों, स्वास्थ्य तंत्र संबंधी सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य संचार और स्वास्थ्य साक्षरता (जागरुकता) के माध्यम से **स्वास्थ्य संवर्धन तथा रोग निवारण को प्राथमिकता प्रदान करना।**
- **स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना** और समयबद्ध रीति के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण व प्रासंगिक आंकड़े एकत्र करना, जिसमें महत्वपूर्ण आंकड़े भी सम्मिलित हैं।
- सार्वजनिक व्यय में स्वास्थ्य को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य पर **इष्टतम बजट आवंटन करना।**
- मूल्य श्रृंखला में दवाओं, टीकों, चिकित्सीय उपकरणों, नैदानिकी, सहायक उत्पादों तथा अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के **मूल्यों की पारदर्शिता में वृद्धि करना।**
- शारीरिक गतिविधि, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता तक पहुंच, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन आदि को शामिल करते हुए सक्रिय और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने हेतु **बहु-क्षेत्रीय कार्यवाहियों का संचालन।**

UHC की प्राप्ति के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय:

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017** के अंतर्गत वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक करने का प्रस्ताव है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना तथा मानव संसाधन को उन्नत करने पर भी बल दिया गया है।
- भारत ने UHC की प्राप्ति के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और यह स्वास्थ्य क्षेत्र के निम्नलिखित चार प्रमुख स्तंभों पर कार्य कर रहा है:
  - **वहनीय स्वास्थ्य सेवा-**
    - **आयुष्मान भारत:** प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपए का बीमा कवर प्रदान करती है।
    - प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMBJP) को लोगों को "जन औषधि मेडिकल स्टोर" पर वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने हेतु आरंभ किया गया है।
  - **निवारक स्वास्थ्य देखभाल-**
    - **आयुष्मान भारत** के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (Health and Wellness Centers: HWCs) को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक अग्रगामी कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
    - योग, आयुर्वेद और स्वस्थता पर विशेष बल तथा 1,25,000 HWCs के निर्माण से निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवा को प्रोत्साहित करने तथा मधुमेह, रक्तचाप, अवसाद आदि जैसे जीवनशैली से संबद्ध रोगों को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त हुई है।
    - ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से जागरूकता में वृद्धि तथा रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल हेतु टीकाकरण अभियान जैसे उपाए किए गए हैं।
  - **आपूर्ति पक्ष में सुधार-**
    - माता और बच्चे की पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए **राष्ट्रीय पोषण अभियान** (नेशनल न्युट्रीशन मिशन)।
    - **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY):** एम्स (AIIMS) जैसे संस्थानों की स्थापना और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को उन्नत किया गया है।
  - **मिशन मोड रूप में कार्यान्वयन:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 तक क्षयरोग के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6.5. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 {Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019"** को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया तथा तत्पश्चात इसे स्थाई समिति को प्रेषित कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

- सरकार द्वारा **वर्ष 1999 में 'राष्ट्रीय वृद्धजन नीति'** की घोषणा की गई थी। इस नीति के अंतर्गत वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल और उनके जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें आर्थिक व सामाजिक संरक्षण प्रदान करने की दिशा में सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वृद्धजनों के कुछ अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी।
- कानून के माध्यम से नीतिगत कार्यान्वयन के संदर्भ में सरकार पर विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के अत्यधिक दबाव के परिणामस्वरूप **'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007'** पारित किया गया था।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाएं:

- वृद्धजनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु **'वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Older Persons: IPOP)'।**
- **'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)'** के अंतर्गत दृष्टि दोष, श्रवण दोष आदि जैसी आयु-संबंधित नि:शक्तताओं से पीड़ित निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (BPL) सामाजिक वर्गों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की जाती है और उन्हें सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- **'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme: IGNOAPS)'** के अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के तथा BPL वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- अभिदान राशि (subscription amount) व गारंटीकृत न्यूनतम प्रतिफल के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए **'वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY)'।**
- वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना'।** यह वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) का एक सरलीकृत संस्करण है और इसका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।
- **वयोश्रेष्ठ सम्मान:** राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रख्यात यह सम्मान वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उनके योगदान के प्रतिफल में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है।

अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता

- **पारंपरिक परिवार प्रणालियों का पतन:** एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली के क्रमिक पतन के कारण माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा, उनके विरुद्ध अपराध, शोषण तथा परित्याग के मामलों में वृद्धि होती जा रही है।
  - वर्ष 2018 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में 13.7% तक की वृद्धि हुई है।
- **वृद्धजनों की विशाल आबादी:** भारत में, वृद्धजनों (60+) की संख्या वर्ष 1951 की लगभग 2 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10.4 करोड़ (कुल जनसंख्या का लगभग 8.5%) हो गई है। यूनेस्को (UNESCO) के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2025 तक वृद्धजनों की संख्या दोगुनी होने की संभावना है।
- **वृद्धाश्रमों की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना:** वर्तमान वृद्धाश्रम दयनीय स्थिति में हैं और अधिकांश वृद्धजन अस्पतालों में वृद्धावस्था संबंधी विशेषीकृत सुविधाओं सहित वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, ये परिवार आधारित देखभाल का एक संधारणीय विकल्प भी नहीं हो सकते हैं।
- **संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन:** उदाहरण के लिए, वृद्धजनों को मूल मानवाधिकारों (जैसे- चिकित्सा देखभाल, भोजन, आश्रय और अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव) से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है।
- **न्यायालयों द्वारा आदेश:** उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए निर्देश देते हुए आदेश जारी किए हैं।

इस विधेयक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख संशोधन

इस विधेयक के मध्यम से **'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007'** में संशोधन किए जाएंगे।

- **परिभाषाएं: यह विधेयक निम्नलिखित की परिभाषा का विस्तार करता है, यथा-**
  - **बच्चे:** इसके अंतर्गत सौतेले बच्चों, दत्तक बच्चों, दामाद, बहू, पौत्र, पौत्रियों और अल्पवयस्क बच्चों के वैध अभिभावकों को भी सम्मिलित किया गया है।
  - **माता-पिता:** इसके अंतर्गत सास और ससुर तथा मातामह व पितामही भी शामिल हैं।
  - **परिजन:** अपने विधिक अभिभावकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले अल्पवयस्क।
  - **भरण पोषण:** गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा तथा संरक्षा के प्रावधान को समाविष्ट किया गया है।
  - **कल्याण:** वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक आवास, वस्त्र, सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के प्रावधान को सम्मिलित किया गया है।
- **भरण-पोषण आदेश:** यह विधेयक भरण-पोषण भत्ते की ऊपरी सीमा को समाप्त करता है, जो अधिनियम में 10,000 रुपये है। न्यायाधिकरण द्वारा इस राशि का निर्धारण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करेगा: (i) माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक का जीवन स्तर और आय, तथा (ii) बच्चों (पुत्र-पुत्री आदि) की आय।

- विधेयक में भरण-पोषण भत्ता राशि जमा करने के लिए दिनों की संख्या भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है।

- **अपील:** यह विधेयक बच्चों और संबंधियों को भी अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान करता है।
- **अपराध और दंड:** विधेयक में दंड को बढ़ाकर तीन से छह माह का कारावास या 10,000 रुपये तक का अर्थदंड अथवा दोनों कर दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि बच्चे या निकटतम परिजन भरण-पोषण भत्ता आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो अधिकरण देय राशि का उद्ग्रहण करने के लिए वारंट जारी कर सकता है ।
- **भरण-पोषण भत्ता अधिकारी:** भरण-पोषण भत्ता अधिकारी को निम्नलिखित हेतु अधिकृत किया गया है: (i) भरण-पोषण भत्ता भुगतानों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और (ii) माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- **देखभाल-गृहों की स्थापना:**
  - वृद्धाश्रमों के स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह और बहुविध-सेवा प्रदाता डे केयर सेंटर, जो सरकारी या निजी संगठनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत किए जा सकते हैं।
  - केंद्र सरकार इन गृहों के लिए भोजन, अवसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं जैसे न्यूनतम मानक निर्धारित करेगी।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** निजी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं (उदाहरणार्थ- वृद्ध रोगियों हेतु पृथक पंक्तियां, बिस्तर और सुविधाएं) का प्रावधान करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल (होम केयर) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **संरक्षण और कल्याणकारी उपाय:**
  - प्रत्येक पुलिस स्टेशन में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कम से कम एक अधिकारी होगा जिसे सहायक उपनिरीक्षक से निम्नतर श्रेणी का नहीं होना चाहिए।
  - राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक **विशेष पुलिस इकाई** का गठन करना अनिवार्य होगा, जिसकी अध्यक्षता कम से कम पुलिस उपाधीक्षक श्रेणी वाले पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

इस विधेयक से संबंधित मुद्दे

- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अल्प ध्यान:** इस विधेयक में भारत में वयोवृद्ध वयस्कों के मध्य अवसाद, डिमेंशिया और अल्जाइमर रोगों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 में एजवेल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक दो वृद्धजनों में से एक अकेलापन से पीड़ित है, जिससे अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **महिला वृद्धजनों की बढ़ती संख्या का मुद्दा:** जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, वृद्धजनों के मध्य लिंगानुपात वर्ष 1971 के 1,000 पुरुषों पर 938 महिलाओं से बढ़कर वर्ष 2011 में 1,033 हो गया है, जिसमें विधवा और आश्रित वयोवृद्ध महिलाओं का आधिक्य है। विधेयक में ऐसी वृद्ध महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने और इनकी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।
- **जागरुकता बढ़ाने संबंधी प्रावधानों का अभाव:** 55% वरिष्ठ नागरिकों को यह जानकारी प्राप्त नहीं है कि वे उपेक्षा और शोषण करने वाले अपने बच्चों या निकटतम परिजनों के विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकते हैं।
- **वरिष्ठ देखभाल गृहों से संबद्ध मुद्दे:** अधिकांश वरिष्ठ देखभाल गृहों में भुगतान करने के पश्चात् ही वृद्ध लोगों को निवास करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अत: ऐसे गृहों में बिना परिजनों वाले तथा किसी भी प्रकार की आय या बचत न रखने वाले वयोवृद्ध लोगों को प्रवेश नहीं मिल पाता है।

सुझाव

- **वरिष्ठ कामगारों को संगठन में बनाए रखने या नियोजित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना** चाहिए ताकि उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया जा सके।
- **वयोवृद्ध लोगों को अधिक जागरूक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वृद्धावस्था शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए**, क्योंकि वृद्धजनों के मध्य साक्षरता दर लगभग 35% है।
- यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत प्रावधानित **समुदाय आधारित देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं का अनुसरण करना।**
- **बैंक सेवानिवृत्त लोगों के लिए लघु व्यवसाय आरम्भ करने हेतु विशेष ऋण योजनाएं** प्रारम्भ कर सकते हैं, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।
- सरकार को वंचित और निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ **नि:शुल्क वृद्धाश्रम** स्थापित करने चाहिए।
- **वृद्धाश्रमों** को अंतिम विकल्प बनाने की बजाए एक वैकल्पिक साधन के रूप में स्थापित करने हेतु वृद्धाश्रमों की अवधारणा में सुधार किया जाना चाहिए।

VISION IAS

6.6. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **'भारत राज्य-स्तरीय रोग बोझ पहल (India State-level Disease Burden Initiative)'** द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से संबद्ध **रोगों के बोझ का प्रथम व्यापक अनुमान** तैयार किया गया है, जो *'लांसेट साइकाट्री'* नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **"भारत के सभी राज्यों में मानसिक विकारों का बोझ: रोग के वैश्विक बोझ का अध्ययन 1990-2017"** नामक शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में वर्ष 1990 से वर्ष 2017 तक भारत के राज्यों में मानसिक विकार की व्यापकता एवं रोगों की अधिकता का वर्णन किया गया है।
- **भारत राज्य-स्तरीय रोग बोझ पहल:** इस पहल का आरंभ वर्ष 2015 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्थानीय स्वास्थ्य की स्थिति और प्रवृत्तियों में विद्यमान महत्वपूर्ण ज्ञान अंतराल के निवारण हेतु किया गया था।
    - यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन और संपूर्ण भारत से लगभग 100 संस्थानों के विशेषज्ञों एवं हितधारकों के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां

- **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का निम्नस्तरीय कार्यान्वयन:** मानसिक विकारों के उपचार के संबंध में उच्च अंतराल, साक्ष्य-आधारित उपचार का निम्न स्तर तथा उपचार में लैंगिक अंतराल जैसी चुनौतियां विद्यमान हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव:** प्रति 1,00,000 की जनसंख्या पर केवल दो मानसिक स्वास्थ्य कर्मी और 0.3 मनोचिकित्सक ही उपलब्ध हैं, जो कि वैश्विक औसत से बहुत कम है।
- **स्वास्थ्य कर्मियों का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण:** मनोरोग वाले लोगों के प्रति स्वास्थ्य कर्मियों का दृष्टिकोण सामान्यतया भेदभावपूर्ण होता है।
- **मांग-पक्ष से संबंधित बाधाएं:** जैसे कि देखभाल सेवाओं पर ध्यान न देना, मानसिक विकारों से संबंधित जानकारी का अभाव तथा मानसिक विकारों से जुड़ी कलंक की भावना।
- **शोध का अभाव:** भारत में मानसिक विकारों से जुड़े जोखिम कारकों के संबंध में पर्याप्त शोध का अभाव है।
- **जनसंख्या-स्तरीय आंकड़ों का अभाव:** भारत के सभी राज्यों में विभिन्न मानसिक विकारों के प्रसार के संबंध में जनसंख्या-स्तरीय आंकड़ों का अभाव है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष

- **मामलों की अधिकता:** वर्ष 2017 में, भारत में 197.3 मिलियन लोग मानसिक विकार से पीड़ित थे। यह देश की कुल जनसंख्या का **14.3 प्रतिशत** है। यह एक चिंतनीय विषय है कि भारत में प्रत्येक सात में से एक व्यक्ति अल्प से लेकर गंभीर स्तर के मानसिक विकार से ग्रसित है।
- **कुल रोग बोझ में योगदान:** वर्ष 1990 के 2.5 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2017 में भारत में कुल नि:शक्तता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years: DALY) में मानसिक विकारों का प्रतिशत 4.7% था।
- **नि:शक्तता के साथ व्यतीत किए गए जीवन वर्षों (Years Lived with Disability: YLD) हेतु प्रमुख कारण:** मानसिक विकार भारत में YLD का प्रमुख कारण रहा है तथा वर्ष 2017 में कुल YLD में इसका योगदान 14.5% था।
- **राज्यवार व्यापकता:**
    - **मुख्य रूप से वयस्क अवस्था के दौरान प्रकट होने वाले मानसिक विकारों के मामले** सामान्यत: अल्प विकसित उत्तरी राज्यों की तुलना में अधिक विकसित दक्षिणी राज्यों में अधिक दर्ज किए गए हैं।
    - **मुख्य रूप से बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में आरंभ होने वाले मानसिक विकार** के मामले दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक दर्ज किए गए हैं।
    - तमिलनाडु में **अवसाद संबंधी विकारों की व्यापकता** सर्वाधिक है, जिसके उपरांत क्रमश: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं केरल का स्थान है।
- **महिला एवं पुरुषों में मानसिक विकारों की प्रवृत्ति:**
    - कुल DALY में अवसादग्रस्तता विकार (depressive disorders) और भोजन संबंधी विकारों (eating disorders) का योगदान **पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अत्यधिक था।**
    - जबकि **ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर** और ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD) **महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक था।**
- **आयु संबंधी मानसिक विकार:**
    - भारत में मुख्य रूप से **वयस्क अवस्था के दौरान** प्रकट होने वाले मानसिक विकारों में, अवसादग्रस्तता एवं दुश्चिन्ता विकारों की अधिकता थी, इसके पश्चात् सिजोफ्रेनिया और बाईपोलर डिसऑर्डर का स्थान था।

VISION IAS

- विशेषतया **बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान** आरंभ होने वाले मानसिक विकारों में, **इडियोपैथिक डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी (IDID)** के कारण उत्पन्न मानसिक विकार की व्यापता सर्वाधिक थी। इसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर (आचरण विकार) और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का स्थान था।

DALY एवं YLD

- एक DALY वस्तुतः एक "स्वस्थ" जीवन वर्ष की हानि को संदर्भित करता है। संपूर्ण जनसंख्या में इन DALY का योग अथवा रोगों का बोझ, **वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और आदर्श स्वास्थ्य स्थिति के मध्य के अंतराल का मापन** है, जहाँ समग्र जनसंख्या बेहतर जीवनयापन तथा रोग और नि:शक्तता से मुक्त जीवनयापन करती है।
- DALY की गणना, स्वस्थ परिस्थितियों अथवा इसके परिणामों के साथ जीवनयापन करने वाले लोगों हेतु जनसंख्या में **समय पूर्व मृत्यु के कारण जीवन क्षति के वर्षों (YLL)** और **नि:शक्तता के साथ व्यतीत किए गए वर्षों (YLD)** के योग के रूप में की जाती है।

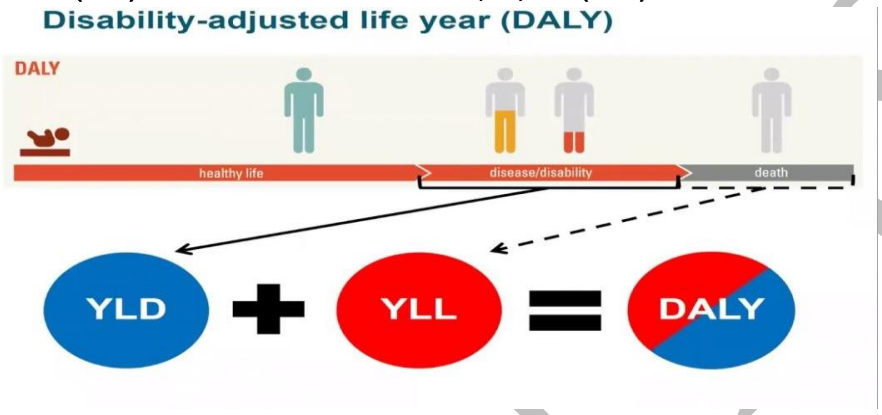

कारणों का विश्लेषण

- **आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण: दक्षिणी राज्यों में अवसादग्रस्तता और दुश्चिन्ता विकारों की अत्यधिक व्यापकता** को इन राज्यों में आधुनिकीकरण व नगरीकरण के उच्च स्तर तथा अन्य अनेक कारकों से संबद्ध किया जा सकता है।
  - राज्य स्तर पर **अवसादग्रस्तता विकारों और आत्महत्या दर के मध्य भी धनात्मक संबंध** पाया गया है। उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में आत्महत्या की दर भी अधिक है।
- **लैंगिक भेदभाव: महिलाओं में अवसादग्रस्तता और दुश्चिन्ता विकारों की अत्यधिक व्यापकता** को लैंगिक भेदभाव, हिंसा, यौन शोषण, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर तनाव तथा प्रतिकूल सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों से संबद्ध किया जा सकता है।
- **मीडिया का प्रभाव: महिलाओं में भोजन संबंधी विकारों की उच्च व्यापकता,** आनुवंशिक और जैविक कारकों के अतिरिक्त संभवत: सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों, सोशल मीडिया तथा आहार संबंधी सामाजिक दबाव से भी संबद्ध है।
- **आनुवंशिक और हार्मोन संबंधी कारक पुरुषों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर तथा ADHD की उच्च व्यापकता** का कारण हो सकते हैं।
- **वृद्धावस्था से संबंधित समस्याएं: वृद्धजनों में अवसादग्रस्तता विकारों की उच्च व्यापकता के कारण** विभिन्न कारक हो सकते हैं, जिनमें चिरकालिक रोग, सामाजिक रूप से एकाकीपन और अपर्याप्त सामाजिक सहायता तथा वयोवृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार आदि सम्मिलित हैं।

सरकारी प्रयास

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम को समुदायों के मध्य मानसिक रोग की अधिकता तथा इससे निपटने के लिए देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की पूर्ण अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1982 में आरंभ किया गया था। इसके निम्नलिखित **3 घटक** हैं:
  - मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति का उपचार;
  - पुनर्वास; तथा
  - रोकथाम और सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति:** वर्ष 2014 में इस नीति को मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने, मानसिक रुग्णता की रोकथाम करने,

मानसिक रुग्णता से ठीक होने में सक्षम बनाने, कलंक और अकेलापन की समस्या को समाप्त करने हेतु आरंभ किया गया था।

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम:** इस अधिनियम को मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं उपलब्ध कराने तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाओं के वितरण के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, बढ़ावा देने तथा उन्हें पूरा करने के लिए वर्ष 2017 में लागू किया गया था।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम** में बच्चों एवं किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने वाले घटक सम्मिलित हैं।
- **आयुष्मान भारत पहल:** वर्ष 2018 में आरंभ की गई इस पहल का उद्देश्य मानसिक विकारों सहित गैर-संचारी रोगों के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। यह जनसंख्या स्तर पर मानसिक विकारों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में योगदान दे सकती है।

किए जा सकने वाले उपाय

- **एकीकृत दृष्टिकोण:** भारत में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगियों की आवश्यकताओं का पता लगाने व उनके उपचार एवं प्रबंधन के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि सामान्यतया मानसिक विकार से ग्रस्त लोगों की समय-पूर्व मृत्यु हो जाती है और साथ ही वे अति नि:शक्तता से भी ग्रसित होते हैं।
- **समुदायों और परिवारों की भूमिका को बढ़ाना:** कलंक एवं भेदभाव के उन्मूलन, जागरूकता को बढ़ाकर एवं समावेशन को प्रोत्साहित कर मानसिक स्वास्थ्य का समाधान करने में समुदायों तथा परिवारों की भूमिका को सुदृढ़ करना चाहिए। विद्यालय आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायता कर सकते हैं।
- **कार्य-सहभाजन:** गैर-विशेषज्ञों के साथ कार्यों का साझाकरण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों के उचित प्रशिक्षण से मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार किया जा सकता है।
- **चूँकि अवसादग्रस्तता विकारों और सिज़ोफ्रेनिया का आत्महत्या के साथ सकारात्मक संबंध** पाया गया है, अत: विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में, आत्महत्या की रोकथाम के लिए प्राथमिक देखभाल व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय महिलाओं में आत्महत्या दर वैश्विक स्तर की तुलना में दोगुनी है।
- **टेलीमेडिसिन:** वर्तमान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ में कमी करने हेतु दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीमेडिसिन, इंटरनेट आधारित एवं टेलीफोन आधारित हेल्पलाइन तथा मानसिक स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जा सकता है।
- **योग को बढ़ावा देना:** योग भी अवसादग्रस्तता विकारों का उपचार करने में संभावित रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

6.7. पीसा टेस्ट (PISA TEST)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले **पीसा टेस्ट** में भागीदारी करेगा।

पीसा (अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम) टेस्ट {Programme for International Student Assessment (PISA) TEST} के बारे में

- PISA वस्तुत: अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन हेतु OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) का एक कार्यक्रम है।
- इस टेस्ट का उद्देश्य इसका व्यापक विश्लेषण करना है कि किसी देश में शिक्षा प्रणाली अपने छात्रों को उच्च शिक्षा और इसके पश्चात् रोजगार के लिए तैयार करने के संदर्भ में किस दिशा में कार्य कर रही है।
- PISA टेस्ट के अंतर्गत **15 वर्ष 3 माह और 16 वर्ष 2 माह के मध्य की आयु** के उन छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, **जो किसी शैक्षणिक संस्था में 7वीं या इससे ऊपर की कक्षा में नामांकित हैं।**
- PISA **गणित, पठन और विज्ञान तथा नवोन्मेषी विषयों, जैसे कि सहयोगात्मक समस्या-समाधान एवं वित्तीय साक्षरता में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।**
    - परंपरागत टेस्ट और परीक्षाओं के विपरीत, PISA टेस्ट छात्रों का मूल्यांकन उनकी स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी अनुप्रयोग क्षमताओं के आधार पर करता है।

- PISA टेस्ट प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् आयोजित किया जाता है और आगामी टेस्ट को वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। यह प्रथम बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था।

भारत की भागीदारी

- भारत ने इससे पूर्व मात्र एक बार, वर्ष 2009 में PISA टेस्ट में भाग लिया था, जिसमें इसने 73 देशों में 72वां स्थान प्राप्त किया था।
    - तात्कालीन सरकार ने वर्ष 2009 के खराब परिणामों के लिए इसमें शामिल "अप्रासंगिक (out of context)" प्रश्नों को उत्तरदायी ठहराया था और भविष्य में इसमें भाग न लेने का निर्णय लिया था।
- हालांकि, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने PISA टेस्ट 2021 के लिए भारत की भागीदारी की पुष्टि की है।
    - चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों और साथ ही 600 नवोदय विद्यालयों तथा 3,000 केंद्रीय विद्यालयों के लगभग 1.75 लाख छात्र वर्ष 2021 में होने वाले PISA टेस्ट में भाग लेंगे।

भारत के लिए महत्त्व

- PISA-2021 में भाग लेने से विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धा आधारित परीक्षा सुधार को लागू करने और रटंत शिक्षा में कमी करने में सहायता प्राप्त होगी।
- यह भारतीय छात्रों की मान्यता और स्वीकार्यता का प्रसार करेगा तथा उन्हें 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु तैयार करेगा।
- इस टेस्ट में सतत भागीदारी से देशों को प्रभावी शैक्षणिक नीतियों के संबंध में एक-दूसरे से सीखने तथा अन्य देशों की उत्तम अधिगम प्रणालियों का अनुसरण कर अपनी प्रणालियों में सुधार करने में सहायता प्राप्त होगी।

6.8. EChO नेटवर्क (EChO Network)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार के **प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार** द्वारा **'EChO नेटवर्क'** का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Advisor: PSA)

- **PSA पद की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई है:**
    - विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए नवाचार और सहायता प्रणालियाँ तैयार करने हेतु नीतियों, रणनीतियों तथा लक्ष्यों का विकास करना;
    - सरकारी विभागों, संस्थाओं व उद्योगों के साथ साझेदारी में महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य सृजित करना;
    - प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रोद्यौगिकी और नवाचार परामर्श परिषद (PM-STIAC) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

EChO नेटवर्क के बारे में

- भारत में विभिन्न विषयों में नेतृत्व को गति प्रदान करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु **"EChO नेटवर्क"** का शुभारंभ किया गया है, जिसमें बढ़ते अनुसंधान, ज्ञान और भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- इसका उद्देश्य भारतीयों की एक नई पीढ़ी को उत्प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना है, जो अंतर्विषयक अवधारणाओं को समायोजित कर सके तथा **चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सके।**
- उल्लेखनीय है कि विश्व में कहीं भी इस तरह के नेटवर्क का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। EChO नेटवर्क, आधुनिक समाज में विज्ञान के महत्व को बढ़ावा देने हेतु एक नया मंच स्थापित करता है।

- **इस नेटवर्क के लक्ष्य**
  - विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग के माध्यम से **अंतर्विषयक वैज्ञानिक नेतृत्व का सृजन करना।**
  - **वास्तविक समस्याओं से निपटने हेतु समाधान-आधारित तथा सार्वजनिक रूप से निर्देशित विज्ञान का परिनियोजन करना।**
  - **विज्ञान-आधारित नीति तथा प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।**
  - **राष्ट्रव्यापी पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा जागरूकता का सृजन करना।**
- सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के साथ-साथ, सरकार, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के भागीदारों के अतिरिक्त बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राउंड-ग्लास, इंडिया क्लाइमेट कोलेबोरेटिव, अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (ATREE) और सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफ़ॉर्म (C-CAMP) EChO नेटवर्क के **संस्थापक भागीदार** हैं।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science And Technology)

7.1. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 (The Personal Data Protection Bill, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया।

डेटा संरक्षण की आवश्यकता

- **निजता की सुरक्षा:** भारत में 62 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनके व्यक्तिगत डेटा को ऑनलाइन साझा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने **के. एस. पुट्टास्वामी वाद** में **निजता के अधिकार** को एक **मूल अधिकार** घोषित किया है। इसलिए व्यक्तिगत निजता का संरक्षण राज्य का संवैधानिक कर्त्तव्य है।
- **विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले जासूसी या निगरानी कार्यों पर नियंत्रण:** हाल ही में, पेगासस (Pegasus) नामक एक इज़राइली सॉफ्टवेयर द्वारा 121 भारतीय नागरिकों के व्हाट्सएप एकाउंट को हैक किया गया।
  - **वर्ष 2018 के फेसबुक-कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल** में यह तथ्य सामने आया कि राजनीतिक विज्ञापन के उद्देश्य से लाखों लोगों के फेसबुक प्रोफाइल के व्यक्तिगत डेटा का बिना उनकी सहमति के उपयोग किया गया।
- **आर्थिक हानि:** IBM (इंटरनेशनल बिज़नेस मशीन) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति लॉस्ट और स्टोलन (गुम या चोरी) रिकॉर्ड की लागत 5,019 रुपये तक पहुंच चुकी है तथा डेटा उल्लंघन (data breach) की औसत लागत 12.8 करोड़ रुपये है।
  - इसके अतिरिक्त, 21वीं शताब्दी में डेटा को एक महत्वपूर्ण और नवीन संसाधन माना जा रहा है। उचित डेटा विनियमों अथवा डेटा स्थानीयकरण मानदंडों के अभाव में गूगल, फेसबुक जैसी वैश्विक कंपनियां भारतीयों से संगृहीत किए गए डेटा से लाभ प्राप्त कर रही हैं।
- **साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता:** IBM के अध्ययन के अनुसार, भारत में 51 प्रतिशत डेटा उल्लंघनों के मूल कारणों में दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक हमले शामिल हैं।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **व्यक्तिगत डेटा (वह डेटा जो व्यक्तिगत पहचान प्रदान कर सकता है):** यह विधेयक विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत डेटा का प्रावधान करता है, जैसे-
  - **संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (Sensitive personal data):** इसके अंतर्गत वित्तीय डेटा, स्वास्थ्य डेटा, आधिकारिक पहचानकर्ता, यौन जीवन (सेक्स लाइफ), यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक डेटा, आनुवांशिक डेटा, ट्रांसजेंडर स्थिति, उभयलिंगी स्थिति, जाति या जनजाति डेटा, धार्मिक या राजनीतिक विश्वास या संबद्धता से संबंधित डेटा शामिल हैं।
  - **महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा (Critical personal data):** इसके अंतर्गत सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा सम्मिलित है तथा सरकार इसे समय-समय पर परिभाषित कर सकती है।
  - **सामान्य व्यक्तिगत डेटा (General personal data):** संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के अतिरिक्त।
- **प्रयोज्यता (Applicability):** यह विधेयक निम्नलिखित द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग किए जाने का नियमन करता है:
  - सरकार;
  - भारत में निगमित कंपनियां; तथा
  - भारत में व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा से डील करने वाली विदेशी कंपनियां।
- **डेटा फिड्यूशरी के लिए बाध्यताएं:** डेटा फिड्यूशरी वह संस्था या व्यक्ति है जो व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के साधन और उद्देश्य को संगृहीत और निर्धारित करता है।
  - व्यक्तिगत डेटा को केवल विशिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्य के लिए प्रोसेस (संसाधित) किया जा सकता है।
  - सभी डेटा फिड्यूशरीज़ को कुछ पारदर्शी और जवाबदेही उपाय करने होंगे, जैसे:
    - रक्षोपायों को लागू करना (यथा- डेटा एन्क्रिप्शन और डेटा के दुरुपयोग की रोकथाम करना)।
    - व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने हेतु शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
- **डेटा प्रिंसिपल का अधिकार (जिस व्यक्ति का डेटा संगृहीत और प्रोसेस किया जा रहा है):** इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया गया है अथवा नहीं, इस संबंध में फिड्यूशरी से प्रमाण प्राप्त करने का अधिकार।

- फिड्यूशरी द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध आरोपित किया है, यदि लंबे समय तक इसकी आवश्यकता नहीं है अथवा व्यक्ति द्वारा प्रदत्त सहमति वापस ले ली गई है। इसमें 'राइट टू बी फॉरगॉटन' के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। यह अधिकार प्रयोगकर्ताओं को ऑनलाइन प्रकाशित अपने व्यक्तिगत डेटा को समाप्त (हटाने) करने की अनुमति प्रदान करता है तथा उन्हें फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों से यह मांग करने की स्वतंत्रता प्रदान करेगा कि उनके किसी भी डेटा को सार्वजनिक डोमेन में प्रकट न किया जाए।

- **व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग का आधार:** इस विधेयक के अंतर्गत व्यक्ति की सहमति प्राप्त होने पर फिड्यूशरीज़ को डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि, कुछ मामलों में व्यक्ति की सहमति के बिना भी डेटा प्रोसेसिंग की जा सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - यदि राज्य द्वारा लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह अपेक्षित है;
  - कानूनी कार्यवाही; तथा
  - मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में।
- **सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज:** उन सभी इंटरमीडियरीज़, जिनके उपयोगकर्ता अधिक संख्या में हैं और जो निर्वाचित लोकतंत्र या लोक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, को कुछ बाध्यताओं का अनुपालन करना होगा। इसमें भारत के उपयोगकर्ताओं के लिए स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन प्रणाली (voluntary user verification mechanism) का प्रावधान शामिल है।
  - आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया उपयोगकर्ताओं के लिए स्वैच्छिक हो सकती है और कंपनी द्वारा पूर्णतः डिजाइन की जा सकती है। यह उपयोगकर्ताओं की अनामिकता को कम और "ट्रोलिंग को प्रतिबंधित" करेगी।
- **डेटा संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority):** यह विधेयक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, जो:
  - लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठा सकता है।
  - व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है।
  - विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।
- **भारत के बाहर डेटा का स्थानांतरण:**
  - व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट सहमति प्रदान करने और विशेष शर्तों के अधीन संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत में भी संगृहीत किया जाना चाहिए।
  - महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को केवल भारत में प्रोसेस किया जा सकता है।
  - संवेदनशील और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत डेटा में ऐसे स्थानीयकरण (localisation) अधिदेश नहीं हैं।
- **छूट:**
  - केंद्र सरकार अपनी किसी एजेंसी को विधेयक के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकती है:
    - देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, संप्रभुता और एकता तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में;
    - उपर्युक्त मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध (अर्थात् वॉरंट के बिना गिरफ्तारी) को अंजाम देने के लिए उकसावे को रोकने हेतु।
  - व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग को कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए इस विधेयक के प्रावधानों से छूट प्रदान की जा सकती है, जैसे-
    - किसी अपराध को रोकना, उसकी जांच, या अभियोजन;
    - व्यक्तिगत, घरेलू; एवं
    - पत्रकारिता उद्देश्य।
- **सरकार के साथ गैर-व्यक्तिगत डेटा (non-personal data) को साझा करना:** केंद्र सरकार डेटा फिड्यूशरी को निम्नलिखित प्रदान करने के लिए निर्देशित कर सकती है:
  - गैर-व्यक्तिगत डेटा; एवं
  - सेवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए अनामिक व्यक्तिगत डेटा (जहां डेटा प्रिंसिपल की पहचान करना संभव नहीं है)।

विधेयक से संबंधित मुद्दे

- वर्ष 2018 में **न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति** द्वारा तैयार ड्राफ्ट विधेयक की तुलना में वर्तमान विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।
  - डेटा संरक्षण प्राधिकरण की संरचना सरकार द्वारा शासित है, जोकि उक्त समिति के प्रारूप (ड्राफ्ट) में सुझाए गए विविध और स्वतंत्र प्रकृति से भिन्न है।

VISION IAS

- एक सरकारी एजेंसी के पक्ष में कानून (जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, किसी भी अपराध की जांच और अभियोजन, लोक व्यवस्था का हवाला देते हुए बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच शामिल है) के सभी प्रावधानों का उपयोग करने से छूट की एक विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। यह निगरानी को सुदृढ़ता प्रदान कर सकती है।

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence: AI) समिति की एक रिपोर्ट विधेयक के मूलभूत पहलुओं का विरोध करती है। इसने सुझाव दिए हैं कि:
  - भारत को यह निर्दिष्ट करते हुए डेटा के मुक्त प्रवाह को बनाए रखना चाहिए कि भारत वैश्विक डेटा प्रवाह के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रहा है। डेटा के मुक्त और खुले प्रवाह पर आरोपित सीमाएं, प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता में गंभीर अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं।
  - अति-विनियमन की तुलना में कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय इकाइयाँ एक अधिक महत्वपूर्ण प्राधिकरण की तुलना में अधिक उपयुक्त नियामक सिद्ध हो सकती हैं।
  - एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली और उपयोगकर्ता जागरूकता सहित पर्याप्त कार्यान्वयन परिवेश तंत्र द्वारा समर्थित नहीं होने तक केवल विधान पर्याप्त नहीं है।
    - उदाहरणस्वरूप- सुरक्षा और सरकारी पहुंच केवल स्थानीयकरण द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर है।

भारत में डेटा सुरक्षा

- डेटा संरक्षण से आशय व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने की प्रक्रिया से है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए डेटा का उपयोग करते हुए व्यक्ति की निजता के मध्य संतुलन स्थापित करना है।
- भारत में डेटा संरक्षण के लिए कोई समर्पित वैधानिक ढांचा विद्यमान नहीं है। वर्तमान में कुछ अधिनियम सामान्य रूप से डेटा संरक्षण को कवर करते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करती है, किन्तु यह केवल कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होती है, सरकारी एजेंसियों पर नहीं। इसके अतिरिक्त, यह नियम केवल संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा (चिकित्सकीय इतिहास, अन्य वस्तुओं के मध्य बायोमेट्रिक सूचना) तक ही सीमित है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2015; कॉपीराइट अधिनियम, 1957 जैसे अन्य अधिनियम भी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
- वर्ष 2018 में, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था।

डेटा संरक्षण से संबंधित चुनौतियां/बाधाएं

- अधिकांश डेटा स्टोरेज कंपनियां विदेशों में स्थित होती हैं। वे अन्य देशों को भी डेटा निर्यात करती हैं, जिससे भारतीय कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- डेटा डायनेमिक्स में कई निजी अभिकर्ता शामिल होते हैं, जिससे एकसमान डेटा संरक्षण ढांचे को लागू करना कठिन हो जाता है।
- सामान्यतः, विभिन्न एप्लिकेशन (एप) अपने नियमों और शर्तों की स्वीकृति के संबंध में उपयोगकर्ताओं से पूछते समय सहमति के संदर्भ में **प्री-टिक्ड बॉक्स** का उपयोग करते हैं। इससे असूचित सहमति को बढ़ावा मिलता है।
- डेटा निजता पर अतिक्रमण करने वाले अपराधी का पता लगाना कठिन होता है।

निष्कर्ष

डेटा निजता को नागरिकों का मूल अधिकार मानते हुए और डेटा के संभावित दुरूपयोग के आर्थिक पहलूओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार को उपर्युक्त सभी लंबित मुद्दों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक सुदृढ़ व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून समय की आवश्यकता है। बेहतर कार्यान्वयन एवं विनियमन और कुशल शिकायत निवारण के साथ-साथ जन जागरूकता को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

7.2. जीन थेरेपी के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (National Guidelines For Gene Therapy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research: ICMR) द्वारा **"जीन थेरेपी-उत्पाद विकास और नैदानिक परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों"** (National Guidelines for Gene Therapy-Product Development and Clinical Trials) को जारी किया गया।

जीन थेरेपी के बारे में

जीन थेरेपी से आशय रोगों का उपचार करने और स्थायी उपचार प्राप्त करने की संभावना के उद्देश्यों के साथ किसी व्यक्ति में आनुवांशिक सामग्री के किसी घटक को समाविष्ट करने, हटाने अथवा परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है।

इसे निम्नलिखित दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- **जर्म-लाइन (जनन कोशिका) जीन थेरेपी:** जर्म-लाइन जीन थेरेपी की अवधारणा से तात्पर्य जनन कोशिका में जीन संशोधित कोशिकाओं (gene modified cells) को समाविष्ट करने से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित हो सकते हैं। नैतिक और सामाजिक विचारधाराओं के कारण भारत में जर्मलाइन जीन थेरेपी निषिद्ध है।
- **सोमेटिक सेल (कायिक कोशिका) जीन थेरेपी:** यह रोगी में केवल लक्षित कोशिकाओं / ऊतक / अंगों को प्रभावित करती है और आगे की पीढ़ियों तक संचरित नहीं होती है। यह भारत में वैधानिक है। इसमें क्रिस्पर (CRISPR) और अन्य तकनीकों से संबंधित जीनोम संशोधन (genome modification) भी शामिल हैं। इसे निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
    - **एक्स वीवो (ex vivo):** इसमें एक व्यक्ति से प्राप्त कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित / शरीर के बाहर संशोधित किया जाता है और इसके पश्चात् उसे उसी या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
    - **इन वीवो (in vivo):** इसमें रोगियों की लक्षित कोशिकाओं / ऊतकों / अंगों (जैसे- यकृत, अग्न्याशय, मांसपेशियों, हृदय आदि) में प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी जीन को प्रत्यारोपित किया जाता है। जीन प्रत्यारोपण वायरल या नॉन-वायरल वेक्टर प्रणालियों द्वारा किया जा सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां

- **जीन:** जीन वस्तुतः DNA (डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड) या RNA (राईबोन्यूक्लिक एसिड) में न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम हैं। कुछ जीन RNA अथवा प्रोटीन जैसे उत्पाद निर्माण के निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।
- **जीनोम:** किसी जीव की सभी कोशिकाओं में विद्यमान जीन या आनुवंशिक सामग्री के संपूर्ण सेट को जीनोम कहते हैं।
- **जीनोटाइप:** किसी जीव के DNA में एक विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन के प्रतिरूप को जीनोटाइप कहते हैं।
- **फेनोटाइप:** यह किसी जीव के प्रत्यक्ष शारीरिक लक्षणों को संदर्भित करता है। इनमें जीव की उपस्थिति, विकास और व्यवहार शामिल हैं।
- **क्रिस्पर:** क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालिन्ड्रोमिक रिपीट (CRISPR) DNA अनुक्रम होते हैं, जो जीनोम एडिटिंग में एंजाइम के साथ उपयोग किए जाते हैं। ये क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियस (सामान्यतः Cas9) कहलाते हैं।
- **स्टेम कोशिकाएं (Stem cells):** स्टेम कोशिकाएं विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं, जिनमें मांसपेशी कोशिकाओं से लेकर मस्तिष्क की कोशिकाओं तक अनेक विभिन्न प्रकारों की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता पाई जाती है।
- **कायिक कोशिकाएं (Somatic cells)** शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो प्रजनन में शामिल नहीं होती हैं। शरीर की अधिकांश कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें त्वचा कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं तथा कई अन्य कोशिकाएं शामिल हैं।
- **जनन कोशिकाएं (Germ cells):** वे कोशिकाएं जो युग्मक (gametes) नामक जनन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये केवल जनन ग्रंथियों (महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में वृषण) में पाई जाती हैं।
- **रेट्रोवायरस:** वायरस का एक परिवार है जिसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में RNA विद्यमान होता है, जो मेजबान कोशिकाओं (host cells) के DNA में अपने जीनोम को जोड़ सकता है, जिसमें वे प्रवेश करते हैं।
- **ट्रांसजीन:** एक आनुवंशिक सामग्री जिसे कृत्रिम रूप से दूसरे जीव के जीनोम में प्रवेश कराया जाता है।

जीन थेरेपी उत्पाद (Gene Therapy Product: GTP): एक GTP को आवश्यक जीन वाले किसी भी जैविक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो चिकित्सीय लाभ के लिए जीनोम में संशोधन कर सकते हैं। GTPs सामान्य कार्य की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से डिस्फंक्शनल डिजीज उत्पन्न करने वाले जीन की मरम्मत, प्रतिस्थापन या निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। GTPs में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

- **रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्टर:** एडीनोवायरस, रेट्रोवायरस।
- **नॉन-वायरल वैक्टर:** नेक्ड DNA ट्रांस्फ़ेक्शन।

VISION IAS

- **माइक्रोबियल / बैक्टीरियल वैक्टर (साल्मोनेला, ई-कोलाई):** रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया डिराइवड व्हीकल।
- क्रिस्पर और अन्य समान तकनीकों के उपयोग के परिणामस्वरूप संशोधन।
- **एक्स वीवो आनुवंशिक रूप से संशोधित कोशिकाएं:** जीन संशोधित / संवर्धित स्टेम कोशिकाएं, iPS (इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम) कोशिकाएं, CAR-T कोशिकाएं आदि।
- नैदानिक जीन थेरेपी के उद्देश्य हेतु आनुवंशिक सामग्री / न्यूक्लिक एसिड के किसी भी रूप से युक्त **घुलनशील / पार्टिकुलेट/ पायस (emulsion) / नैनो आधारित हस्तक्षेप** शामिल हैं।
- **DNA वैक्सीन** जिसमें अंतिम उत्पाद न्यूक्लिक एसिड होता है और जिसे टीकाकरण / चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है।

नवीन ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल नियमों (2019) के अनुसार GTP **'न्यू ड्रग'** के अंतर्गत आता है और इसे सदैव **'न्यू ड्रग'** माना जाएगा।

जीन थेरेपी दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

- **मानवीय रोगों की जटिलता और अप्रत्याशितता,** कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं और जीन अभिव्यक्ति (gene expression) मानव जीन थेरेपी परीक्षणों की विफलता के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए रोगी को जीन थेरेपी, रोगी सुरक्षा, नैदानिक परीक्षण डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया और वास्तविक जीन थेरेपी उत्पाद की गुणवत्ता के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- **दुरुपयोग और समय पूर्व व्यावसायीकरण को रोकने** हेतु नैतिक फ्रेमवर्क की आवश्यकता होती है। उदाहरार्थ, हाल ही में एक चीनी वैज्ञानिक द्वारा जर्मलाइन जीन एडिटिंग का उपयोग करके शिशुओं को उत्पन्न किया गया, जिसकी वैश्विक आलोचना की गई।
- लगभग **70 मिलियन भारतीयों के वंशानुगत आनुवांशिक रोगों** से पीड़ित होने अनुमान लगाया गया है। इनमें हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल-सेल एनीमिया आदि शामिल हैं।
    - **वंशानुगत आनुवांशिक रोग या दुर्लभ रोग** उन चिकित्सकीय स्थितियों का संदर्भ करती हैं जो जनसंख्या के अल्प भाग को प्रभावित करती हैं, किन्तु ये सदैव व्यापक, दुर्बल और प्रायः रोगियों के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न करती हैं। इन रोगों को उपचारित करने के उद्देश्य से ली जाने वाली औषधियों को **"ऑर्फ़न ड्रग्स"** कहते हैं, क्योंकि अल्प जनसंख्या पर इनके प्रभाव को देखते हुए इन्हे अनिश्चित या खराब वाणिज्यिक परिणामों के कारण पारंपरिक फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा उपेक्षित किया जाता है।
- **आर्थिक लाभ:** दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु विश्व भर के बाजार का वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक 11.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate: CAGR) से बढ़ने का अनुमान है तथा राजस्व का 250 बिलियन डॉलर से अधिक तक होना अनुमानित है।
    - **अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा:** वर्ष 2017 तक विश्व भर के 38 देशों में लगभग 2,600 जीन थेरेपी नैदानिक परीक्षण संचालित किए गए, जिनमें से 64.9% अमेरिका में, 23.2% यूरोप में और लगभग 6.5% एशिया (जिनमें से अधिकांश चीन और जापान में) में संचालित किए गए हैं।
- **शोधकर्ताओं और नियामकों की सहायता के लिए दिशा-निर्देश:** एक सक्षम परिवेश प्रदान करने और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ अभ्यास को निर्देशित करने हेतु दिशा-निर्देश शोधकर्ताओं और नियामकों को सहायता प्रदान करते हैं ताकि दुर्लभ रोगों के संबंध में नवाचार को बढ़ावा प्रदान करने और अनुसंधान में तीव्रता लाई जा सके। यह तथ्यों के आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को ऐसे उपचारों को अनुमति प्रदान करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।

प्रमुख दिशा-निर्देश

- **प्रयोज्यता (Applicability):** ये दिशा-निर्देश जीन थेरेपी के क्षेत्र में कार्यरत सभी हितधारकों पर लागू होंगे, जिसके अंतर्गत शोधकर्ता, चिकित्सक, नियामक समितियां, उद्योग, रोगी सहायता समूह (patient support groups) आदि शामिल हैं।
- **सामान्य सिद्धांत (General Principles):** GTPs से संबंधित मानव प्रतिभागियों पर नैदानिक परीक्षणों से मानव अधिकारों, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। अनिवार्यता के सिद्धांत, स्वैच्छिकता, गैर-शोषण, जोखिम न्यूनतमकरण आदि जैसे विभिन्न सिद्धांतों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **समीक्षा और निगरानी के लिए तंत्र:**
  - **जीन थेरेपी सलाहकार और मूल्यांकन समिति (Gene Therapy Advisory and Evaluation Committee: GTAEC)** की स्थापना की जाएगी। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान, सरकारी एजेंसियों और अन्य हितधारकों के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर गठित एक स्वतंत्र निकाय होगा।
  - **संस्थागत जैव-सुरक्षा समिति (Institutional Bio-safety Committee: IBSC)** की स्थापना के लिए GTPs के विकास में संलग्न सभी संस्थानों और इकाइयों के लिए यह अनिवार्य है।
  - नए GTPs के विकास से संबंधित अनुसंधान को IBSC और नैतिकता समिति से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। मनुष्यों से जैविक सामग्री को केवल नैतिकता समिति वाले क्लीनिकों/अस्पतालों से प्राप्त किया जा सकता है।
  - सभी नैदानिक परीक्षणों को **भारतीय नैदानिक जांच रजिस्ट्री (Clinical Trials Registry-India: CTRI)** के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह भारत में संचालित किए जा रहे नैदानिक परीक्षणों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रणाली है।
- **विभिन्न हितधारकों के उत्तरदायित्व**
  - जांचकर्ताओं द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु जैविक सामग्री को पर्याप्त सावधानी और देखभाल के साथ उपचारित किया जाना चाहिए।
  - GTPs या इसके घटकों का संग्रहण और निपटान रेगुलेशन एंड गाइडलाइन्स ऑन रिकॉम्बिनेंट DNA रिसर्च एंड बायो-कन्टेनमेंट, 2017 के अनुसार होना चाहिए।
  - विदेशी मूल का कोई भी GTP या उसके संशोधित घटक को भारत में पहली बार प्रत्यक्ष मानव परीक्षण के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है।
  - जांचकर्ताओं को स्वायत्तता और रोगियों की गोपनीयता को उचित रूप से प्रमाणित करना चाहिए।
- **गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) दिशा-निर्देश:**
  - इसके अंतर्गत कार्मिक प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की स्थापना शामिल है।
  - GTP निर्माण प्रक्रिया के अपशिष्ट पदार्थों और उप-उत्पादों को उचित बायोहैज़र्ड डिस्पोजल प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित रूप से विसंदूषित और परिवहन किया जाना चाहिए।

आगे की राह

- अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक और नैदानिक समुदाय के समक्ष अनेक बाधाएं विद्यमान हैं, जिन्हें दूर किया जाना अभी भी शेष है। इन समस्याओं में मुख्य रूप से आनुवांशिक परीक्षण और आनुवंशिक परामर्श सहित उचित व समय पर निदान, जीन थेरेपी की निषेधात्मक लागत, उपचार करने वाले चिकित्सकों के मध्य पर्याप्त बीमा कवरेज और प्रबंधन पद्धतियां शामिल हैं। हालांकि, दुर्लभ रोगों के रूप में वर्गीकृत दशाओं से ग्रसित कई व्यक्तियों के लिए संभावनाएं हैं, जैसे कि ICMR द्वारा प्रस्तावित नीतियां आशाजनक सिद्ध हो सकती हैं।

7.3. वलयाकार सूर्य ग्रहण (Annular Solar Eclipse)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में वलयाकार सूर्य ग्रहण की परिघटना को देखा गया। जबकि देश के शेष अन्य भागों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया।

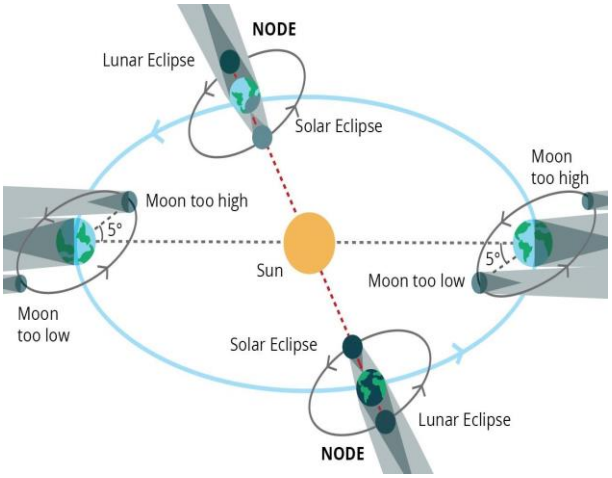

सूर्य ग्रहण (Solar eclipse) के बारे में

सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पूर्णतः या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है।

सूर्य ग्रहण चार प्रकार के होते हैं:

- **पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total solar eclipse):** किसी विशेष स्थान पर पूर्ण

सूर्य ग्रहण की घटना दुर्लभ होती है, क्योंकि जब चन्द्रमा सूर्य को पूर्णतः आच्छादित करता है तथा चंद्रमा की पूर्ण छाया या प्रच्छाया (Umbra) पृथ्वी की सतह के एक संकीर्ण भाग पर पूर्णत: विद्यमान होती है तब ही पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है।

- इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब:
  - अमावस्या हो।
  - चंद्रमा उपभु स्थिति (Perigee- पृथ्वी से चंद्रमा का निकटतम बिंदु) में हो।
  - चंद्रमा की स्थिति चंद्र नोड (Lunar Nod) पर या उसके अत्यधिक निकट हो ताकि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी (या लगभग सीधी) रेखा में स्थित हों।
- यह पृथ्वी पर केवल एक छोटे से क्षेत्र से दिखाई देता है।
- लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने में तब सक्षम होते हैं जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है और व्यक्ति इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है।

- **आंशिक सूर्यग्रहण (Partial solar eclipse):** इसमें चंद्रमा की छाया सूर्य के एक छोटे भाग को आच्छादित करती है।
- **वलयाकार सूर्यग्रहण (Annular solar eclipse: ASE):**
  - यह तब घटित होता है जब चंद्रमा का कोणीय व्यास (angular diameter) सूर्य की तुलना में कम हो जाता है, जिससे चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः आच्छादित नहीं कर पाता है।
  - चूँकि, चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः आच्छादित नहीं कर पाता है तथा सूर्य चंद्रमा से इस प्रकार आच्छादित हो जाता है कि जिससे सूर्य का केवल बाहरी किनारा ही दिखाई पड़ता है, इसलिए यह **"रिंग ऑफ़ फायर"** (वलयाकार) की भांति प्रतीत होता है।
  - एक वलयाकार सूर्यग्रहण के घटित होने के लिए निम्नलिखित तीन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है:
    - अमावस्या होनी चाहिए;
    - चंद्रमा की स्थिति चंद्र नोड (Lunar Nod) पर या उसके अत्यधिक निकट हो ताकि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित हों; तथा
    - चंद्रमा अपभु स्थिति (apogee- पृथ्वी से चंद्रमा का सबसे दूरस्थ बिंदु) में होना चाहिए ताकि सूर्य का बाहरी किनारा दिखाई दे।
  - ASE की एक प्रावस्था के दौरान **बेली बीड्स** नामक एक परिघटना दिखाई देती है। यह एक पतली खंडित वलय (thin fragmented ring) के रूप में दिखाई देती है जिसका निर्माण चंद्रमा के विषम किनारों (rough edge) से सूर्य के प्रकाश के गुजरने के कारण होता है।
  - यह एकमात्र स्थिति होती है, जब सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा की सभी प्रावस्थाओं में दो छाया बनती हैं क्योंकि वलयाकार स्थिति के दौरान प्रकाश स्रोत एक विशाल प्रकाशीय वलय के रूप में होता है।

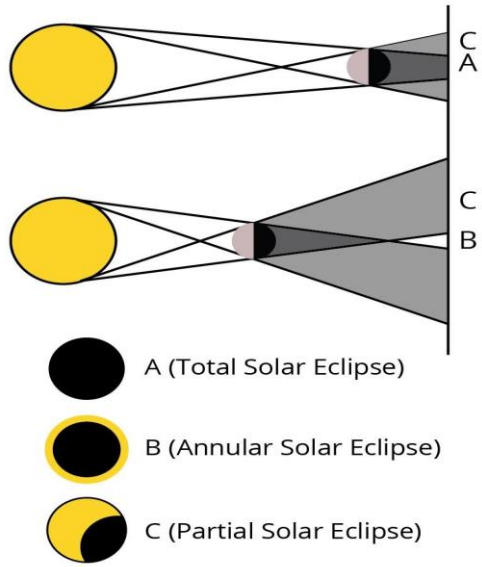

  - एक वलयाकार सूर्यग्रहण के दौरान, नासा ने स्थलीय और अंतरिक्ष उपकरणों का उपयोग करते हुए सूर्य की बाहरी परत और कोरोना का अध्ययन किया, क्योंकि इस स्थिति में सूर्य का तीव्र प्रकाश चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाता है।
  - आंशिक और वलयाकार सूर्य ग्रहणों के दौरान, सूर्य को उचित उपकरण और तकनीकों के बिना देखना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सूर्य को देखने के लिए उचित तरीकों एवं उपकरणों का उपयोग न करने से आंखों की स्थायी क्षति या गंभीर दृश्य क्षति हो सकती है।
- **हाइब्रिड सूर्य ग्रहण (Hybrid Eclipse):** यह एक दुर्लभ प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है जिसमें ग्रहण केवल पहले कुछ सेकंड के लिए वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। शेष समय के लिए यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।

VISION IAS

चंद्र नोड्स (Lunar nodes)

- पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कक्षीय तल के संबंध में दो प्रतिच्छेदन बिंदुओं (अर्थात् **'आरोही नोड' और 'अवरोही नोड'**) के साथ 5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होती है।
- इस प्रकार, प्रत्येक अमावस्या (New Moon) के दौरान चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के मध्य होने के बावजूद, तीनों (सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी) सदैव एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते हैं अर्थात् ग्रहण की स्थिति का निर्माण नहीं करते हैं।
- ये नोड्स भी 18 वर्ष में एक बार पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करते हैं।
- इस प्रकार, यदि किसी अमावस्या के दौरान पृथ्वी और सूर्य के मध्य एक नोड स्थित होता है, तब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं और ग्रहण की स्थिति का निर्माण होता है।

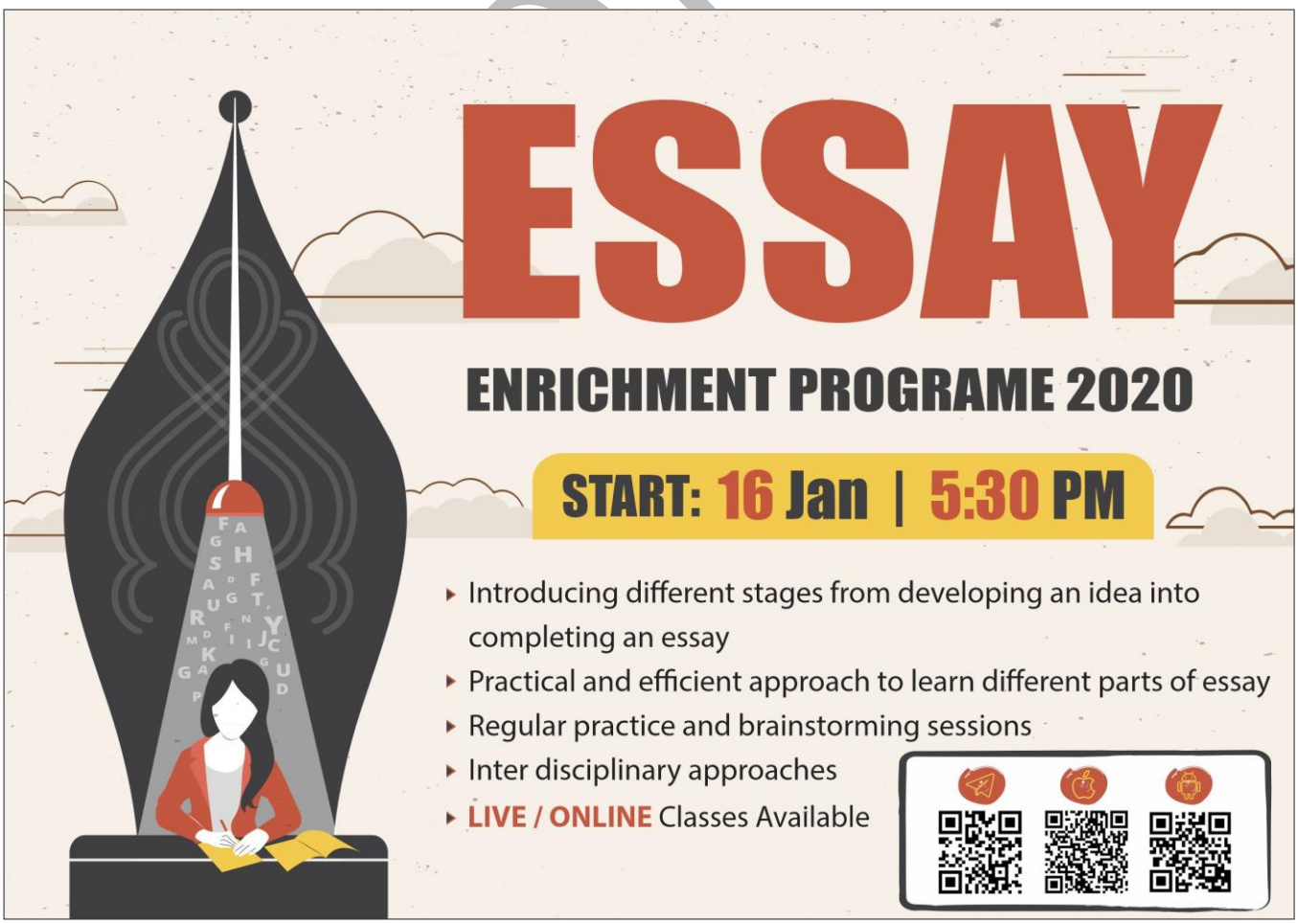

8. संस्कृति (Culture)

8.1. आंध्रप्रदेश में दक्षिण भारत के सबसे प्राचीनतम संस्कृत शिलालेख की प्राप्ति (Earliest Sanskrit inscription in South India found in AP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दक्षिण भारत में संस्कृत के एक प्राचीनतम शिलालेख की खोज की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह शिलालेख आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चेबरोलू गांव में खोजा गया है।
  - इसे सातवाहन शासक **विजय** द्वारा 207 ईस्वी में उत्कीर्णित करवाया गया था।
  - यह **सप्तमातृका पंथ** से संबंधित अब तक का **सर्वप्राचीन पुरालेखीय साक्ष्य** भी है।
  - यह **चौथी शताब्दी ई.** में इक्ष्वाकु शासक **एहवला चंटामुला** द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए नागार्जुनकोंडा शिलालेख से भी पूर्व तिथि का है, जिसे अब तक दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन संस्कृत शिलालेख माना जाता रहा है।

सप्तमातृका पंथ

- हिन्दू धर्म के शाक्त सम्प्रदाय में 'सप्तमातृका' शब्द **आराध्य सात देवियों** के एक समूह को संदर्भित है।
- ये 'मातृकायें' विभिन्न देवों की अवतरण (विभिन्न देवताओं के अवतार के रूप में) शक्तियां हैं।
- आंध्र प्रदेश में सप्तमातृका पंथ, **बादामी के आरंभिक चालुक्य शासकों के शासनकाल (छठी से आठवीं शताब्दी ई.) के दौरान** व्यापक रूप से प्रचलित था, हालांकि नागार्जुनकोंडा में देवियों की उपासना चौथी शताब्दी ई. से ही प्रचलन में थी।
  - प्रारंभिक कदंब कालीन ताम्रपत्रों तथा आरम्भिक चालुक्य और पूर्वी चालुक्य शासकों के ताम्रपत्रों से भी सप्तमातृका उपासना के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परन्तु नवीनतम खोजा गया शिलालेख इन अभिलेखों से भी 200 वर्ष प्राचीन है।
- सात माताओं या सप्तमातृका की अवधारणा का उल्लेख ऋग्वेद, पुराण और शिल्पशास्त्र जैसे ग्रंथों में भी मिलता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archeological Survey of India: ASI) के बारे में

- यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, पुरातात्विक अनुसंधान एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कार्यरत एक प्रमुख संगठन है।
- यह प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 ई. में **अलेक्जेंडर कनिंघम** द्वारा की गई थी, जो इसके प्रथम महानिदेशक भी थे।

8.2. पाइका विद्रोह (Paika Rebellion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा **पाइका विद्रोह** की **200वीं वर्षगांठ** के स्मरणार्थ ओडिशा के खुर्दा जिले में पाइका स्मारक का शिलान्यास किया गया।

पाइका विद्रोह के बारे में

- यह वर्ष 1817 ई. में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ओडिशा में संचालित एक सशस्त्र विद्रोह था।
- पाइका **ओडिशा के गजपति शासकों के पारंपरिक कृषक सैनिक थे, जो शांतिकाल में कृषि करते थे तथा युद्ध के दौरान राजा को सैन्य सेवा प्रदान करते थे।**
- पाइका **लगान-मुक्त भूमि** के स्वामी होते थे, जो उन्हें खुर्दा साम्राज्य के प्रति उनकी सैन्य सेवा के प्रतिफल में प्रदत्त थी।
- अंग्रेजों ने बंगाल एवं मद्रास प्रांत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेने के उपरांत वर्ष 1803 में ओडिशा को भी अधिकृत कर लिया था।
  - ओडिशा का गजपति शासक मुकुंद देव द्वितीय उस समय अवयस्क था तथा उसके संरक्षक जय राजगुरु द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रतिरोध का क्रूरता से दमन कर दिया गया था।
  - खुर्दा के शासक पारंपरिक रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे तथा वे पृथ्वी पर भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। वे ओडिशा के लोगों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रतीक थे।

VISION IAS

- कुछ वर्ष उपरांत, पाइकाओं ने गजपति शासक की असंगठित सेना के वंशानुगत प्रमुख **बक्शी जगबंधु** के नेतृत्व में आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों के समर्थन से विद्रोह कर दिया।
- खुर्दा की ओर अपने कूच के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया, पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक कार्यालयों और राजकोष को आग लगा दी गई, जहां से ब्रिटिश पलायन करने हेतु विवश हुए।
- विद्रोहियों को जमींदारों, ग्राम प्रधानों एवं साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त था।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पाइका विद्रोह

- पाइका विद्रोह को क्षेत्र की पारंपरिक जीवन पद्धति में ब्रिटिश आगमन के कारण उत्पन्न व्यवधान के विरुद्ध एक अभिव्यक्ति कहा जाता है।
- यह प्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक स्वामियों के विरुद्ध था और समाज के सभी वर्गों की व्यापक पैमाने पर भागीदारी के कारण इसे कभी-कभी "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

पाइका विद्रोह के कारण

- **खुर्दा की समकालीन राजनीतिक स्थिति:** जय राजगुरु की फांसी, राजा मुकुंददेव द्वितीय की पदच्युति और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खुर्दा में प्रशासन का पुनर्गठन आदि घटनाओं से खुर्दा के लोगों में आक्रोश व्याप्त था।
- **दोषपूर्ण राजस्व नीति:** औपनिवेशिक शासन द्वारा इस क्षेत्र में नवीन भू-राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे पाइका अपनी भूमियों से वंचित होने लगे तथा उनकी भूमि **बंगाली दूरस्थ जमींदारों** को हस्तांतरित की जाने लगी।
- **नवीन मुद्रा प्रणाली:** अंग्रेजों ने मुद्रा प्रणाली को **कौड़ी से रुपए** में परिवर्तित कर दिया। नवीन मुद्रा के माध्यम से विनिमय में ग्रामीणों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था तथा स्थानीय महाजनों द्वारा उनका अत्यधिक शोषण किया जाने लगा।
- **ब्रिटिश नमक नीति:** ओडिशा के दीर्घ समुद्री तट से भारी मात्रा में नमक का उत्पादन होता था, जिसका इस क्षेत्र के लोग मुक्त रूप से उपयोग करते थे। परन्तु, ब्रिटिश प्राधिकारियों द्वारा जमींदारों एवं तटीय क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को नमक निर्माण के उनके परंपरागत अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया।

विद्रोह का दमन

- आरम्भ में ब्रिटिश विद्रोहियों का सामना करने में असफल हो गए थे, परन्तु क्रूर दमनचक्र के तहत अनेक विद्रोहियों की हत्या कर दी गई, अनेकों को कारावास का दंड दिया गया तथा कई विद्रोहियों पर भीषण अत्याचार भी किए गए।
- कुछ विद्रोहियों ने वर्ष 1819 तक गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष किया, परन्तु बाद में उन्हें पकड़ कर उनकी हत्या कर दी गई।
- बक्शी जगबंधु को अंततः वर्ष 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया तथा वर्ष 1829 में बंदी अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई।

दमन के उपरांत

- पाइकाओं को राजा को प्रदत्त सैन्य सेवा का त्याग करने और आजीविका हेतु कृषि एवं अन्य व्यवसायों को अपनाने के लिए बाध्य किया गया।
- नमक की कीमत कम कर दी गई तथा लोगों को सुगम खरीद के लिए अधिक नमक उपलब्ध कराया गया।
- 30 नवंबर 1817 को राजा मुकुंददेव द्वितीय की मृत्योपरांत ब्रिटिश शासन द्वारा उसके पुत्र रामचंद्रदेव तृतीय को पुरी जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। उसके लिए वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की गई और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन का कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। ज्ञातव्य है कि यह व्यवस्था ओडिशा के लोगों को शांत करने में सहायक सिद्ध हुई।

8.3. नेहरू-लियाकत समझौता (Nehru-Liaquat Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर हुए वाद-विवाद में वर्ष 1950 में दिल्ली में संपन्न नेहरू-लियाकत समझौते के कई संदर्भों को शामिल किया गया।

नेहरू लियाकत समझौते के बारे में

- जवाहर लाल नेहरू एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा हस्ताक्षरित नेहरू-लियाकत समझौते को **दिल्ली पैक्ट** के रूप में भी जाना जाता है।
- यह भारत और पाकिस्तान के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता था, **जिसके अंतर्गत दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के संदर्भ में एक फ्रेमवर्क प्रदान किया गया था।**
- यह समझौता दोनों देशों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित क्षेत्रों में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा किए जा रहे हमलों के कारण **अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापक प्रवास की पृष्ठभूमि में संपन्न हुआ था।**

समझौते के प्रमुख प्रावधान

- दोनों देशों की सरकारें अल्पसंख्यक समुदाय को धर्म निरपेक्ष पूर्ण समानता पर आधारित नागरिकता, दोनों देशों में आवागमन की स्वतंत्रता, व्यवसाय, वाक् एवं अभिव्यक्ति तथा उपासना की स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करने व इन अधिकारों की रक्षा करने पर सहमत हुईं।
- दोनों देशों ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया तथा इनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उपयुक्त उपाय करने पर सहमत हुए।
- अव्यवस्था के कारणों की जांच करने और भविष्य में उनकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए एक **जाँच आयोग** का गठन किया गया।
- शरणार्थियों को अपनी संपत्ति का विक्रय करने हेतु वापस अपने मूल देश लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी।
- अपहृत महिलाओं की सुरक्षित वापसी और लूटी गई संपत्ति की पुनर्प्राप्ति के उपाय किए जाने थे।
- **बलपूर्वक धर्मांतरणों को मान्यता नहीं दी गई थी।**

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. विजिलेंट जस्टिस (Vigilante Justice)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विगत कुछ समय में घटित अनेक घटनाएं, (जैसे- हैदराबाद में बलात्कार के 4 अभियुक्तों के एन्काउंटर के उपरांत लोगों द्वारा जश्न मनाया जाना, मॉब लिंचिंग आदि) हमारे समाज में **प्रतिकारात्मक दंड (retributive punishment)** और **विजिलेंट जस्टिस** की बढ़ती स्वीकार्यता को प्रकट करते हैं।

दंड के स्वीकार्य स्वरूप और विजिलेंट जस्टिस के मध्य तुलना

	दंड का स्वीकार्य स्वरूप	विजलेंट जस्टिस
दंड के स्वरूप	**न्याय के निम्नलिखित मूलभूत तत्व हैं** - विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, अवसरों की समानता, मानवाधिकारों एवं मानवीय गरिमा का सम्मान तथा न्याय प्रदायगी में निष्पक्षता। आपराधिक न्याय मुख्यतः दो के प्रकार होते हैं: **पुनरस्थापकीय न्याय (Restorative Justice)** और **प्रतिकारात्मक न्याय (Retributive justice)**। इनमें पहला आधुनिक समाज में न्याय का अधिक स्वीकार्य रूप है। • **पुनरस्थापकीय न्याय:** इसका उद्देश्य अपराधियों को उनकी गलती का एहसास कराना और उन्हें आगे अपराध करने से हतोत्साहित करना है। यह पीड़ितों के मन में से असुरक्षा की भावना को दूर करने का भी प्रयास करता है। इसलिए केवल दंड देने के बजाय, इसमें इस बात पर मुख्य ध्यान दिया जाता है कि दोषी किस प्रकार उसके द्वारा की गयी क्षति की प्रतिपूर्ति कर सकता है। • **पुनरस्थापकीय न्याय** अहिंसा और सत्याग्रह जैसे गांधीवादी मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। जैसा कि गाँधी जी ने कहा था कि, **"पाप से घृणा करो, पापी से नहीं"**, उसी प्रकार दोषियों को सुधारने का एक अवसर प्रदान करना चाहिए। पुनरस्थापकीय न्याय का तात्पर्य भी **'स्वीकार करो और जाने दो'** से है, क्योंकि **"क्षमा करना सबल लोगों का सद्गुण होता है"।**	**विजिलन्टिज्म (Vigilantism)** से तात्पर्य, बिना कानूनी प्राधिकारों और तथ्यों की जाँच किए बिना ही लोगों द्वारा **न्याय** करना है। इसे **'सीमांत न्याय'** या **'भीड़ न्याय'** भी कहा जाता है **विजिलन्टिज्म** की प्रकृति **प्रतिकारात्मक** होती है। • **प्रतिकारात्मक न्याय:** न्याय को तब पूर्ण समझा जाता है, जब दोषी को वैसी ही पीड़ा दी जाती है, जैसी उसने अन्य लोगों को दी है। इसलिए इसे **'आँख के बदले आँख वाला न्याय'** भी कहा जाता है। **इमैनुएल कांट** इस प्रकार के न्याय के **समर्थक** थे।
न्याय के विविध स्वरूपों की विद्यमानता के पक्ष में तर्क	• **मैक्स वेबर** ने अपनी **नौकरशाही की अवधारणा** में यह तर्क दिया है कि, संगठन का सबसे कुशल रूप वह है, जो नियम-आधारित आदेश जैसे नौकरशाही सिद्धांतों का पालन करता है। • इसलिए, **पुलिस** और **न्यायपालिका** (जो कुछ पूर्व-निर्धारित सिद्धांतों पर कार्य करते हैं), न्याय प्रदान करने हेतु सबसे उपयुक्त प्राधिकरण हैं। इसलिए इन्हें न्याय प्रदान करने के लिए वैधानिक प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। • **वेबेरियन मॉडल** के अनुसार, आधुनिक समाज में वैधानिक प्राधिकारों से रहित किसी भी प्रकार के विजिलेंट जस्टिस दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए, यह तर्क भी दिया जाता है कि **'विजिलेंट जस्टिस' अपने आप में मिथ्या अवधारणा है, क्योंकि इस प्रकार का 'न्याय' संदेहयुक्त होता है।**	• ज्ञातव्य है कि दंड के अनुरूप सजा न मिलने के कारण लोगों में बढ़ती असंतुष्टि, पुलिस-कर्मियों की तैयारियों और प्रशिक्षण की कमी, विधि और संवैधानिक नैतिकता के प्रति जागरूकता का अभाव, सामाजिक मुद्दों का राजनीतिकरण, अधिकारियों में बढ़ता भ्रष्टाचार, न्याय प्रदायगी में विलंब आदि कारणों से भारतीय समाज में ऐसे **प्रतिकारात्मक दंड के स्वरूपों में वृद्धि हो रही है।** • उदाहरण के लिए, खाप पंचायतों द्वारा प्रस्तुत विजिलन्टिज्म या बैटमैन जैसे काल्पनिक पात्रों के भी अनेक समर्थक मौजूद हैं।
नैतिक विचार	**कैरोल गिलिगन** द्वारा **न्याय-आधारित नैतिकता और देखभाल-आधारित नैतिकता** पद प्रस्तुत किए गए थे, जो न्याय प्रदान करने की कार्रवाई के पीछे निहित नैतिकता का निर्धारण करते हैं। आधुनिक समाज द्वारा निरंतर न्याय के इन आदर्शों को समाविष्ट किया जा रहा है:	**शामिल नैतिक मुद्दे** • यह बिना किसी विधिक प्राधिकार के एक प्रकार का न्यायेतर दंड है। • यह व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का सम्मान नहीं

VISION IAS

	• **न्यायिक-नीतिशास्त्र** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: ○ लोगों के अधिकारों को बनाए रखना; ○ सभी के साथ निष्पक्षता और समानता का व्यवहार करना; ○ ऐसा समाधान प्रस्तुत करना, जिससे कम से कम लोगों को हानि हो; एवं ○ विधिक व्यवस्था तथा नियमों के प्रति सम्मान। • **देखभाल-आधारित नीतिशास्त्र** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: ○ मानवता और करुणा; एवं ○ न्याय को सदैव लागत-लाभ आधारित विश्लेषण द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसमें भावनात्मक समर्थन, प्रेम और देखभाल जैसे मूल्य भी सम्मिलित होते हैं।	करता है, जैसे- **प्रक्रियात्मक न्याय के कानूनी स्वरूप का अधिकार** और **जीवन का अधिकार।** • इसमें निम्नलिखित मूल्यों से भी समझौता किया जाता है, जैसे- **निष्पक्षता, सत्यता (भीड़ में अफवाह का प्रसार), ईमानदारी, विश्वसनीयता (सरकारी तंत्र), खुली-मानसिकता, सकारात्मकता, सम्मान, समानुभूति, मानवीय गरिमा, दूसरों की सेवा आदि।**

आगे की राह

- **पुनरस्थापकीय न्याय** की अवधारणा को समझने और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चूँकि यह देखभाल-आधारित नीतिशास्त्र पर आधारित होता है, इसलिए दोषी बच्चों के पुनर्वास, पीड़ितों को संतुष्टि प्रदान करने आदि के लिए पुनरस्थापकीय न्याय सबसे प्रभावी सिद्ध हो सकता है।
- वर्तमान में हम जिस प्रकार का विजिलन्टिज्म देख रहे हैं, जैसे- काऊ विजिलन्टिज्म (गौरक्षकों द्वारा दी जाने वाली सजाएँ), उनका किसी भी ऐसे देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जहाँ संविधान सर्वोपरि होता है।
- **वहीं, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली** पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों, नए अपराधों के उत्पन्न होने व अपराधों के मौजूदा वर्गीकरण पर पुनर्विचार करने से लेकर पुलिस और न्यायपालिका से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना कर रही है। इस संदर्भ में वर्ष 2017 का उन्नाव बलात्कार केस एक उल्लेखनीय मामला है। आपराधिक न्याय प्रणाली की कथित अक्षमता के परिणामस्वरूप विजिलन्टिज्म के ऐसे रूपों को बल मिलता है, इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली में समग्र रूप से आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

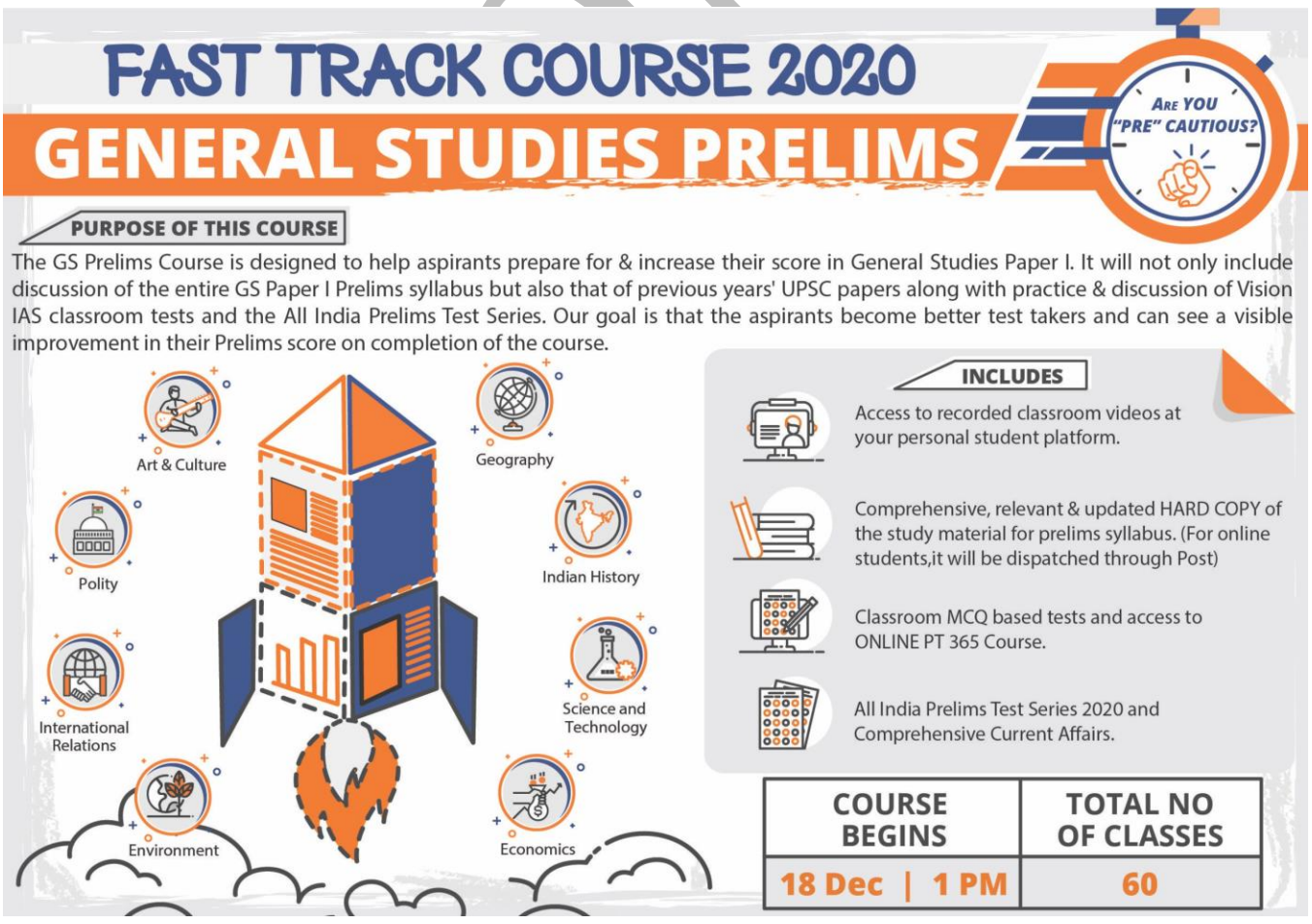

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

10.1. हिंद महासागर संवाद 2019 (Indian Ocean Dialogue 2019)

- हाल ही में, छठे हिंद महासागर संवाद (Indian Ocean Dialogue: IOD) का दिल्ली में आयोजन किया गया।
- IOD, **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association: IORA)** की एक प्रमुख पहल है।
- यह एक **ट्रैक 1.5 वार्ता** है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के **रणनीतिक मुद्दों पर शिक्षाविदों और अधिकारियों के मध्य सार्वजनिक एवं मुक्त संवाद** को प्रोत्साहित करती है।
- **ट्रैक 1.5 कूटनीति** में अधिकारी और गैर-अधिकारी (अग्रणी व्यवसायी, व्यापारिक संगठन, गैर-राजनयिक आदि) दोनों शामिल होते हैं। यह **ट्रैक I** (शासकीय कूटनीति) एवं **ट्रैक II** {गैर-राज्य अभिकर्ताओं के माध्यम से **बैकचैनल डिप्लोमेसी (गोपनीय व अनौपचारिक वार्ता)**} कूटनीतियों का मध्यवर्ती स्वरूप है।
- IORA एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका प्रमुख लक्ष्य **हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग एवं संधारणीय विकास को सुदृढ़ करना** है।
- IORA में **22 सदस्य राष्ट्र और 9 वार्ता भागीदार** हैं।

10.2. भारत एवं ब्राजील के मध्य सामाजिक सुरक्षा समझौता (Agreement on Social Security Between India and Brazil)

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **भारत एवं ब्राजील के मध्य** सामाजिक सुरक्षा समझौते (SSA) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह ब्रिक्स (BRICS) देशों के मध्य इस प्रकार का **प्रथम** समझौता है।
- SSA, भारत एवं किसी विदेशी राष्ट्र के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता है, जो लघु अवधि के लिए विदेशों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों/कुशल कर्मियों के हितों की रक्षा हेतु अभिकल्पित है। यह भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
  - **असंबद्धता (Detachment):** यह भारतीय श्रमिकों को संबंधित विदेशी राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के लिए भुगतान करने से छूट प्रदान करता है। यह छूट केवल तब तक प्रदान की जाती है, जब तक भारतीय श्रमिक भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है और विदेशी अनुबंध की अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान करता रहता है।
  - **निर्यात योग्यता (Exportability):** यह संबंधित भारतीय कामगारों को भारत या किसी अन्य तीसरे देश में स्थानांतरण की स्थिति में, किसी विदेशी राष्ट्र में किए गए अपने संचित सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है।
  - **एकत्रीकरण (Totalization):** SSA सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु भारतीय श्रमिकों/पेशेवकों द्वारा भारत एवं विदेशी राष्ट्र में किये गए सामाजिक सुरक्षा अंशदानों की अवधि को समेकित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- SSA, विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों को नि:शक्तता बीमा लाभ भी प्रदान करेगा।
- वर्तमान में, भारत द्वारा **18 देशों** यथा - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क आदि **के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों (SSAs) पर हस्ताक्षर किए हैं और इनका संचालन** किया जा रहा है।

10.3. 'इंसटेक्स' वस्तु-विनिमय प्रणाली (INSTEX Barter Mechanism)

- हाल ही में, 6 यूरोपीय देशों, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने **इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज (INSTEX)** प्रणाली में नए सदस्यों के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है।
- **INSTEX जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा स्थापित, पेरिस में स्थित एक विशेष प्रयोजन आधारित व्यवस्था है।** यह प्रणाली कठोर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद, यूरोपीय व्यवसायियों को ईरान के साथ व्यापार करने की सुविधा प्रदान करती है।
- यह **भुगतान प्रणाली यूरो** के वर्चस्व वाले समाशोधन गृह (clearing house) के रूप में कार्य करते हुए ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की उपेक्षा करती है क्योंकि इसका संचालन उन देशों द्वारा किया जाता है जो अमेरिका के वर्चस्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली में शामिल नहीं हैं।

- यह एक प्रकार की **वस्तु-विनिमय प्रणाली** है, जो ईरान को निर्यात के एवज में सदस्य यूरोपीय देशों से उत्पादों या सेवाओं का आयात करने की सुविधा प्रदान करती है।

10.4. फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क (Palestine-India Techno Park)

- हाल ही में, भारत ने फिलिस्तीन-भारत टेक्नो पार्क के निर्माण हेतु **3 मिलियन डॉलर** की धनराशि का तीसरा अंश जारी किया।
- इस पार्क के लिए भारत का निवेश, **12 मिलियन डॉलर** के भारतीय अनुदान के माध्यम से एक टेक्नो पार्क की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित समझौते का भाग है। ज्ञातव्य है कि इस हेतु प्रत्येक छमाही पर 3 मिलियन डॉलर जारी किए जाते हैं।
- इस टेक्नो पार्क का उद्देश्य **व्यावसायिक वातावरण एवं व्यवस्था का सृजन करना** है, जो ज्ञान-आधारित एवं रचनात्मक उद्यमों को सक्षम बनाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी क्लस्टरों को स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक-स्तर पर सफलतापूर्वक परिचालन में सक्षम बनाएगा।
- इसका उद्देश्य **उद्योगों, उद्यमिता के लिए सुगम वातावरण स्थापित करना तथा निजी क्षेत्र एवं शैक्षिणिक समुदाय के मध्य ज्ञान के अंतराल को कम करना है।**
- यह टेक्नो पार्क एक IT केंद्र (Hub) के रूप में आईटी कंपनियों, विदेशी कंपनियों की मेजबानी के साथ अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करते हुए स्थानीय व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को लाभ पहुँचाएगा तथा **IT से संबंधित सभी सेवा आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान पर समाधान (one stop solution)** उपलब्ध कराएगा।

10.5. भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Fugitive Economic Offender)

- हाल ही में, एक विशेष न्यायालय द्वारा नीरव मोदी को एक **'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' (FEO)** घोषित किया गया।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) अधिनियम, 2018, किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का प्रावधान करता है, यदि:
  - 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, तथा
  - उसने देश छोड़ दिया है और अभियोजन का सामना करने हेतु देश लौटने से मना कर दिया हो।
- किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए आवेदन एक **विशेष न्यायालय (अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्दिष्ट)** में दायर किया जाएगा।

10.6. 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण' की अनवरत उपलब्धता {National Electronic Funds Transfer (NEFT) Available Round the Clock}

- RBI ने घोषणा की है कि **NEFT भुगतान सुविधा अब सभी दिन, चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी।**
- **NEFT,** RBI की देखरेख में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में निधि अंतरण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण व्यवस्था है तथा इसके तहत **लेनदेन की राशि की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।**
- इससे पूर्व, NEFT भुगतान का समय बैंक कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक था। अब, NEFT द्वारा मनी ट्रांसफर की सुविधा बैंक अवकाशों सहित 24X7 उपलब्ध है।
  - बैंकों के कार्यालयी अवधि के बाद **NEFT लेनदेन** को बैंकों द्वारा **'स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (STP)' मोड के माध्यम से स्वचालित लेनदेन** किए जाने की संभावना है।
  - **निपटान का समय पूर्ववत ही रहेगा** अर्थात् 2 घंटे के भीतर।
- यह कदम UPI या तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के माध्यम से न हो सकने वाले बड़े मूल्यों के लेनदेन के लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा।
- RBI ने यह निर्देश भी दिया है कि **जनवरी 2020 से बैंक NEFT प्रणाली द्वारा** ऑनलाइन लेन-देन के लिए **बचत बैंक खाताधारकों से शुल्क वसूल नहीं करेंगे।**

10.7. RuPay, UPI के माध्यम से भुगतान पर MDR शुल्क की समाप्ति (No MDR Charges on Payment via RuPay, UPI)

- हाल ही में, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि **1 जनवरी 2020 से स्वदेशी RuPay एवं UPI प्लेटफॉर्म** के माध्यम से होने वाले लेनदेनों पर किसी भी प्रकार का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू नहीं होगा।
  - उल्लेखनीय है कि MDR वह लागत है जिसका भुगतान एक व्यापारी द्वारा, डिजिटल माध्यम से अपने ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने की एवज में बैंक को भुगतान किया जाता है। इसे **लेनदेन की राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।**

- साथ ही, **50 करोड़ रुपये या उससे अधिक** के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों के लिए अपने ग्राहकों को RuPay डेबिट कार्ड तथा UPI QR कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है।
- यह उपाय स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल भुगतान माध्यम, जैसे- RuPay और BHIM UPI को विदेशी कंपनियों द्वारा प्रोत्साहित भुगतान गेटवे (जैसे - PhonePe, Google Pay) की तुलना प्रोत्साहित करेगा।

10.8. GST परिषद की 38वीं बैठक (38th Meeting of GST Council)

- हाल ही में, GST परिषद की 38वीं बैठक **केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता** में संपन्न हुई।

मुख्य निर्णय

- **क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर** CGST (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) एवं SGST (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) अधिकारियों के साथ **शिकायत निवारण समितियाँ (GRC)** गठित की जाएँगी। इनमें व्यापार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं अन्य GST हितधारक (GST व्यवसायी और GSTN आदि) भी सम्मिलित होंगे।
  - ये समितियां करदाताओं की विशिष्ट एवं सामान्य प्रकार की शिकायतों का समाधान करेंगी।
- राज्य द्वारा संचालित एवं राज्य अधिकृत, **दोनों प्रकार की लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से GST** आरोपित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में, लॉटरी के लिए दोहरी दरें हैं - राज्य-संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत GST एवं राज्य-अधिकृत (निजी लॉटरी) पर 28 प्रतिशत GST
  - **GST परिषद् ने पहली बार दर निर्धारित करने से संबंधित निर्णय मतदान के माध्यम से किया (लॉटरी के विषय में)।**
- सभी प्रकार के पॉलीथीन या पॉलीप्रोपाइलीन रेशों तथा इस प्रकार के सभी बुने और गैर-बुने हुए थैलों एवं बोरों पर GST दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर एक समान 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई।
- नकली बिलों की समस्या पर अंकुश लगाने हेतु, कुछ स्थितियों में धोखाधड़ी से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

10.9. गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस संवाद {Government e-Marketplace(GeM) Samvaad}

- हाल ही में, सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल GeM ने **अधिक स्थानीय विक्रेताओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने** के लिए **"**GeM संवाद" नामक एक राष्ट्रीय पहुँच कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीददारी पोर्टल है जो केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों की सभी खरीददारी संबंधित आवश्कताओं के समस्त समाधान उपलब्ध कराता है।
- सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए **GeM के माध्यम से खरीद को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत और अनिवार्य किया गया है।**
- **GeM SPV (स्पेशलपर्पज व्हीकल):** यह **कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत** पंजीकृत है तथा GeM प्लेटफ़ॉर्म के निर्माण, संचालन और रखरखाव हेतु उत्तरदायी है।

10.10. गवर्मेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम {Government Instant Messaging System (GIMS)}

- यह **व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का एक भारतीय संस्करण** है, जिसका **उपयोग केंद्र तथा राज्य सरकार के विभागों और संगठनों द्वारा अंतरा एवं अंतर-सांगठनिक संचार हेतु** किया जाएगा।
- इसे **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा अभिकल्पित और विकसित** किया गया है।
- इसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म भारत में विकसित किया गया है। इसे होस्ट करने वाला सर्वर देश के भीतर स्थापित है तथा सूचनाओं का संग्रह सरकार-आधारित क्लाउड में होगा, जो कि NIC द्वारा संचालित एक डेटा केंद्र होंगे।
- इसमें सरकारी तंत्र में पदानुक्रमों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों और मीडिया को साझा करने के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

10.11. अंकटाड B2C ई-कॉमर्स इंडेक्स 2019 (UNCTAD B2C E-Commerce Index 2019)

- हाल ही में, अंकटाड बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) ई-कॉमर्स सूचकांक, 2019 में भारत को 152 देशों में 73वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2018 के 80वें और वर्ष 2017 के 83वें स्थान की तुलना में इस वर्ष भारत की स्थिति में सुधार हुआ है।
- शीर्ष स्थान पर रहे नीदरलैंड सहित **इस सूचकांक में यूरोपीय देशों को शीर्ष 10 स्थानों में से 8 स्थान प्राप्त हुए हैं।** शीर्ष 10 की सूची में **गैर-यूरोपीय देशों में केवल सिंगापुर (3) और ऑस्ट्रेलिया (10) शामिल हैं।**

VISION IAS

- यह सूचकांक ऑनलाइन शॉपिंग का समर्थन करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की तैयारियों का आकलन करता है।
- देशों को स्कोर प्रदान करने के लिए अग्रलिखित आधारों का प्रयोग किया जाता है: (1) सुरक्षित इंटरनेट सर्वर, (2) डाक सेवाओं और अवसंरचना की विश्वसनीयता, तथा (3) इंटरनेट का उपयोग करने वाली तथा वित्तीय संस्थान या मोबाइल-मनी-सेवा प्रदाता के साथ अकाउंट वाले लोगों की संख्या (कुल जनसंख्या में)।
- इस सूचकांक को **व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)** द्वारा जारी किया गया है।

10.12. ब्राह्मोस मिसाइल (Brahmos Missiles)

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भारतीय वायु सेना (IAF) और ब्रह्मोस ऐयरोस्पेस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से दो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों (भूमि एवं वायु प्लेटफॉर्मों से एक-एक) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- ब्रह्मोस **भारत एवं रूस के मध्य एक संयुक्त उद्यम है।**
- यह एक मध्यम-परास युक्त **रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल** है जो पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमान और भूमि से प्रक्षेपित होने में सक्षम है तथा इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है।
- इस मिसाइल को **भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल किया चुका है।**

10.13. युद्ध अभ्यास (Military Exercises)

- **हैंड इन हैंड:** संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी थीम पर **भारत और चीन** के मध्य वार्षिक अभ्यास **मेघालय के उमरोई** में आयोजित किया गया था।
- **इंद्र:** यह **भारत एवं रूस** के मध्य आयोजित संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास का **दूसरा संस्करण** था।

10.14. वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 (Global Climate Risk Index 2020)

- हाल ही में, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक **'जर्मनवाच'** द्वारा जारी किया गया।
- **इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं**
  - इस सूचकांक के तहत 181 देशों का आकलन किया गया है।
  - रैंकिंग प्रदान करने के लिए आर्थिक क्षति, GDP में गिरावट और जान-माल की हानि के रूप में जलवायु परिवर्तन के मात्रात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है।
  - **जलवायु परिवर्तन के संबंध में सबसे सुभेद्य देशों** के मामले में **भारत का स्थान** वर्ष 2017 के 14वें स्थान से **घटकर** वर्ष 2018 में 5वाँ हो गया।
    - भारत के उच्च स्थान का कारण अत्यधिक वर्षा और इसके पश्चात् होने वाली गंभीर बाढ़ तथा भूस्खलन की घटनाएँ रही हैं।
    - वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में **सर्वाधिक मृत्यु हुई थी** तथा इसके परिणामस्वरूप **दूसरा सबसे बड़ा मौद्रिक नुकसान** भी हुआ था।
  - **प्रथम स्थान पर जापान है** तथा उसके पश्चात फिलीपींस एवं जर्मनी का स्थान है।
  - वर्ष 1999 और वर्ष 2018 के मध्य, निर्धन देशों को अत्यधिक प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ा है, **इससे प्रभावित दस देशों में से सात विकासशील देश हैं।**
  - **वर्ष 1999 से वर्ष 2018 के मध्य लगभग 3.54 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आर्थिक हानि हुई थी।
- जर्मनवॉच द्वारा **'जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक (Climate change performance index)'** भी जारी किया जाता है।

10.15. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Global Carbon Project Report)

- हाल ही में, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के एक नए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि विगत कुछ वर्षों की तुलना में काफी कम होने की संभावना है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2018 की तुलना में **वर्ष 2019 में भारत के उत्सर्जन** (2.6 बिलियन टन) में केवल 1.8 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। यह विगत वर्ष की 8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में और पिछले 10 वर्षों में 5 प्रतिशत से अधिक के औसत की तुलना में काफी कम है।
- विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में केवल 0.6 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में

- **ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, 'फ्यूचर अर्थ'** नामक नेटवर्क की एक वैश्विक अनुसंधान परियोजना है तथा **वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम** इस परियोजना का अनुसंधान भागीदार है।
- इस नेटवर्क की **स्थापना वर्ष 2001** में इंटरनेशनल जियोस्फीयर-बायोस्फीयर प्रोग्राम (IGBP), द इंटरनेशनल ह्यूमन डाइमेंशन्स प्रोग्राम ऑन ग्लोबल ह्यूमन डायमेंशन चेंज (IHDP), द वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम (WCRP) और डायवर्सिटस के मध्य एक साझा साझेदारी द्वारा की गई थी।
  - इस साझेदारी ने अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप **(ESSP)** का गठन किया था, जो बाद में फ्यूचर अर्थ के रूप में परिवर्तित हुआ।
- यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा तथा उनके कारणों को निर्धारित करने हेतु प्रयासरत है। इसकी परियोजनाओं में तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों, यथा- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) का वैश्विक बजट शामिल है।

10.16. वैश्विक जलवायु की स्थिति पर WMO का अनंतिम विवरण (WMO Provisional Statement on the State of the Global Climate)

- यह रिपोर्ट निर्दिष्ट करती है कि वर्ष 2019 (जनवरी से अक्टूबर) में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक काल के तापमान से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
- विगत पांच वर्ष (2015-2019) और दस वर्ष (2010-2019) की **अवधि के दौरान निश्चित तौर पर औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर उच्चतम पाया गया है।**
  - वर्ष 2019 को इतिहास में दूसरे या तीसरे सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया।
- वर्ष 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत वैश्विक वायुमंडलीय सांद्रता 407.8 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) के स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि पूर्व-औद्योगिक अवधि के 147 प्रतिशत के समतुल्य थी।
- वर्ष 2019 में दैनिक औसत कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पहली बार 415 PPM तक पहुंच गई थी, हालांकि बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई।
- जलवायु की स्थिति पर अंतिम विवरण मार्च 2020 में प्रकाशित किया जाएगा, इसके लिए वर्ष 2019 के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में:** यह 193 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह मौसम विज्ञान (मौसम एवं जलवायु), परिचालन जल विज्ञान और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है।

10.17. ताज ट्रेपेजियम ज़ोन (Taj Trapezium Zone: TTZ)

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियों एवं वनों की कटाई से प्रतिबंध हटा दिया है।
- उच्चतम न्यायालय की पीठ ने उन औद्योगिक इकाइयों को अनुमति प्रदान की है **जो प्रदूषण नहीं फैलाती हैं तथा जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त है।**
- उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा है कि वर्ष 2018 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार **भारी उद्योगों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।**
- **उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के जरिए ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए** 30 दिसंबर 1996 को TTZ का निर्माण किया गया था।
  - इस आदेश के माध्यम से TTZ में स्थित उद्योगों में कोयले/कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें कोयले/कोक की बजाय प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने या उन्हें TTZ के बाहर स्थानांतरित करने या बंद करने का आदेश दिया गया था।
  - इस जोन का विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस एवं एटा जिलों तथा राजस्थान के भरतपुर जिले तक है।
  - यह एक **'पर्यावरणीय-संवेदनशील क्षेत्र' है, जिसमें तीन विश्व विरासत स्थल- ताज महल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी स्थित हैं।**
  - ताजमहल एवं उसके आसपास के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु क्रियान्वित कार्यक्रमों की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा **ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण** का गठन किया गया है।

10.18. एकल विद्यालय अभियान (Ekal Vidyalaya Abhiyan)

- हाल ही में, एक गैर-लाभकारी संगठन **'एकल विद्यालय संगठन' ने देश भर में 1 लाख विद्यालयों की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया है,** जो उसकी समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
- यह जमीनी स्तर पर कार्यरत एक प्रकार का **गैर-सरकारी शैक्षणिक एवं विकास आंदोलन** है जो **भारत एवं नेपाल के दूरदराज के गांवों में संचालित है।** इसकी शुरुआत पहली बार वर्ष 1988 में झारखंड के आंतरिक क्षेत्रों से की गई थी।

- इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत के ग्रामीण एवं आदिवासी गाँवों में **एकल-शिक्षक स्कूलों (इन्हें एकल विद्यालय के रूप में जाना जाता है) को संचालित करना है।**
- एकल विद्यालय का **प्राथमिक उद्देश्य गांव के बच्चों के बीच व्यावहारिक साक्षरता को बढ़ावा देना है**।
- इसमें **स्थानीय शिक्षक शामिल होते हैं जो बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाते हैं तथा** नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जैविक कृषि तकनीकी संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है।
- इस संगठन को ग्रामीण एवं आदिवासी बच्चों को लैंगिक तथा सामाजिक समानता आधारित शिक्षा में योगदान देने के लिए **वर्ष 2017 में गांधी शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

10.19. दिशा अधिनियम (Disha Act)

- हाल ही में. आंध्र प्रदेश में दिशा नामक एक वेटनरी डॉक्टर की बलात्कार के पश्चात हत्या कर दी गई थी। इसी संदर्भ में श्रद्धांजलि स्वरूप, आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा **'आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2019'** और **'महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ निर्दिष्ट अपराध के लिए आंध्र प्रदेश विशेष अदालत अधिनियम, 2019'** पारित किया गया।
- **इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं**
  - **महिलाओं और बाल अपराधियों की रजिस्ट्री** आरंभ की गयी है, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा तथा यह विधि-प्रवर्तक इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी।
  - **बलात्कार के अपराधों के लिए मृत्युदंड की विशेष सजा** का प्रावधान किया गया है, यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध हों।
  - **निर्णय अवधि (judgment period) को कम करके 21 दिन करना:** निर्भया अधिनियम, 2013 और आपराधिक संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार मौजूदा निर्णय अवधि 4 माह है।
  - **बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान।**
  - **सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न पर सजा का प्रावधान किया गया है:** वर्तमान में, भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

10.20. जगा मिशन (Jaga Mission)

- हाल ही में, ओडिशा को **ओडिशा लाइवेबल हैबिटैट मिशन (OLHM) या जगा मिशन** के लिए **वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड** के कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- **यह राज्य सरकार की एक पहल है, जो हजारों मलिन बस्ती निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने हेतु समर्पित है।**
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत **ड्रोन और GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 1,725 मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया।** इसके अतिरिक्त 52,682 परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र (LRCs) देने के लिए डोर-टू-डोर घरेलू सर्वेक्षण भी किया गया।
- **मलिन बस्तियों की ड्रोन मैपिंग ने इस योजना के लिए अत्यधिक समय की बचत की है,** जिसे पारंपरिक तरीकों से करने पर लगभग 12 वर्ष का समय लग सकता था।
- इस कार्य में मलिन बस्ती निवासियों को सहमत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए **सामुदायिक गतिशीलता को भी शामिल किया गया।**

वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड

- यह वार्षिक पुरस्कार वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र-हैबिटेट के साथ साझेदारी में एक यूके-आधारित संगठन है।
- यह वैश्विक स्तर पर अभिनव उत्कृष्ट और क्रांतिकारी विचारों, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान करता हैं तथा उनको बढ़ावा देता है।

10.21. फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम (Fit India School grading system)

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने देश भर के स्कूलों के लिए **फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम** का शुभारंभ किया है।
- फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग **तीन श्रेणियों में विभाजित** है यथा (1) फिट इंडिया स्कूल (प्रथम श्रेणी), (2) फिट इंडिया स्कूल (3 स्टार), और (3) फिट इंडिया स्कूल (5 स्टार)।
- रैंकिंग का स्तर इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि **स्कूल द्वारा अपने छात्रों और शिक्षकों के मध्य समग्र फिटनेस को विकसित करने तथा फिटनेस गतिविधियों के लिए उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं को कितना महत्व दिया जाता है।**

10.22. रिसैट-2बीआर1 (RISAT-2BR1)

- हाल ही में, **इसरो (ISRO)** ने आंध्रप्रदेश के श्रीहरिकोटा से **PLSV-C48** द्वारा RISAT-2BR1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- PSLV-C48 द्वारा इसके अतिरिक्त **नौ वाणिज्यिक उपग्रहों** को भी प्रक्षेपित किया गया था, जिनमें अमेरिका के छह उपग्रह और इजराइल, इटली तथा जापान के एक-एक उपग्रह सम्मिलित थे।

रिसैट-2बीआर1 के बारे में

- रिसैट-2बीआर1, **RISAT-2B श्रृंखला का दूसरा रडार इमेजिंग उपग्रह है।** यह **CARTOSAT-3** उपग्रह के साथ उस समूह का भाग है जो **अंतरिक्ष से पृथ्वी की इमेजिंग क्षमताओं में वृद्धि करेगा।**
- रिसैट-2बीआर1 में एक **हाई रिज़ॉल्यूशन** कैमरा स्थित है, जिससे **35 सेंटीमीटर तक की दूरी पर स्थित वस्तुओं** को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। साथ ही यह एक समय में **5 से 10 किलोमीटर तक** के क्षेत्र को कवर करने में सक्षम है।
- RISAT उपग्रह **सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR)** से युक्त है, जो दिन के साथ-साथ रात्रि में तथा मेघों की उपस्थिति में भी पृथ्वी का चित्रण करने में सक्षम है।
- यह उपग्रह कृषि, खनन, वानिकी और तटीय प्रबंधन, मृदा निगरानी, आपदा प्रबंधन सहयोग तथा देश की अंतर्राष्ट्रीय **सीमा की अनवरत निगरानी करने में सहायता प्रदान करेगा।**
- इस उपग्रह की **मिशन अवधि** पांच वर्ष होगी।

10.23. क्लियर स्पेस-1 मिशन (ClearSpace-1 Mission)

- यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) ने वर्ष 2025 में पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए फोर आर्म्ड-रोबोटिक चेज़र (Chaser) प्रक्षेपित करने की योजना बनायीं है।
- चेज़र को स्वीटजरलैंड की एक स्टार्ट-अप कंपनी **क्लियरस्पेस** द्वारा क्लियरस्पेस-1 मिशन के अंतर्गत विकसित किया जाएगा।
- एक बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने के पश्चात् **यह अपने रोबोटिक आर्म की सहायता से अंतरिक्ष मलबे के चयनित खंडों को एकत्रित करेगा और नियंत्रित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में उनका प्रवेश करवाएगा।**
- इस मिशन का लक्ष्य **वेस्पा** नामक मलबे के खंड हटाना है, जो पृथ्वी से 800 किमी की ऊंचाई पर स्थित है।
- पृथ्वी की कक्षा में 3,500 से अधिक निष्क्रिय उपग्रहों तथा लगभग 750,000 लघु खण्डों का मलबा मौजूद है।
- ये सभी खंड लगभग 20 हजार किमी/घंटे के वेग से गति कर रहे हैं।
- मलबे की अधिक संख्या अधिक टकराव का कारण बन सकती है जिसे कस्केडिंग इफेक्ट **केस्लर सिंड्रोम** के नाम से जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप अंतरिक्ष में नेविगेशन, संचार, मौसम पूर्वानुमान आदि जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उपग्रहों के समक्ष बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अन्य समान मिशन

- **रिमूव डेब्रिज़ (RemoveDEBRIS) मिशन:** यह एक उपग्रह आधारित अनुसंधान परियोजना है, जिसका प्रयोजन विविध **अंतरिक्ष मलबे को हटाने वाली प्रौद्योगिकियों** को प्रदर्शित करना है। इस मिशन का नेतृत्व यूनिवर्सिटी ऑफ़ सरे के सरे स्पेस सेंटर द्वारा किया जा रहा है। कुछ प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित हैं:
  - **नेट कैप्चरिंग (Net Capturing):** इसमें एक नेट (जाल) का प्रयोग होता है, जिसे लक्षित क्यूबसेट (CubeSat) पर फैलाया जाता है।
  - **हार्पून कैप्चर (Harpoon Capture):** जिसे रेप्रज़ेन्टटिव सैटेलाइट पैनल मैटेरियल्स से निर्मित एक लक्षित प्लेट पर प्रक्षेपित किया जाएगा।
  - **विज़न आधारित नेविगेशन:** यह प्लेटफॉर्म, कैमरा तथा LiDAR (लाइट डिक्टेशन एंड रेंजिंग) का उपयोग करके अंतरिक्षीय मलबे से संबंधित डेटा को संग्रहित करेगा तथा इस डेटा के प्रसंस्करण हेतु इसे ग्राउंड स्टेशन पर प्रेषित करेगा।
  - **डी-आर्बिटिंग प्रक्रिया (De-orbiting process):** जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, वैसे ही अंतरिक्ष यान जलकर नष्ट हो जाएगा तथा किसी प्रकार के मलबे का सृजन नहीं होगा।
- पूर्व में जापान ने एक कार्गो शिप अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था, जो पृथ्वी की कक्षा से मलबे को हटाने के लिए एक 700 मीटर लंबे टेदर (tether) का उपयोग करेगा। टेदर, एल्यूमीनियम तंतु और स्टील वायर से निर्मित होता है, जिसका उपयोग मलबे की गति को मंद करने और उसे कक्षा से बाहर लाने में किया जाता है।

VISION IAS

10.24. वाई-फाई कॉलिंग (Wi-Fi Calling)

- हाल ही में, भारती एयरटेल ने भारत की प्रथम वॉइस ओवर वाई-फाई (VoWiFi) सेवा प्रस्तुत की है। रिलायंस जियो द्वारा भी इस प्रकार की सेवा आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है।

VoWiFi के विषय में

- VoWiFi एक वाई-फाई-आधारित **वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VOIP)** सेवा है, जो उपयोगकर्ताओं को निम्न या बिना सेलुलर नेटवर्क वाले स्थानों में भी वाई-फाई का उपयोग करके हाई डेफिनिशन (HD) आधारित वॉयस कॉल करने की सुविधा प्रदान करती है।
- VoWiFi के माध्यम से किए गए कॉल में, उपयोगकर्ताओं को VoLTE या किसी भी वर्तमान सेलुलर तकनीक पर किए गए कॉल की तुलना में **श्रेष्ठतर कॉल गुणवत्ता** और **त्वरित कॉल कनेक्शन की सुविधा प्राप्त होती** है।
- इसमें वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग होने के कारण उपयोगकर्ताओं को कॉल करने के लिए **अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होता है।** VoWiFi सेवा का उपयोग करने के लिए किसी पृथक ऐप या नए नंबर अथवा किसी लॉग-इन की आवश्यकता भी नहीं होती है।
- यह वॉइस कॉल, व्हाट्सएप या किसी अन्य ओवर-द-टॉप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से होने वाले कॉल के समान ही है, परन्तु यहां कॉल ऐप का उपयोग किए बिना **एक नंबर से दूसरे नंबर पर की जाती है।**

10.25. धूमकेतु 2I/बोरिसोव (Comet 2I/Borisov)

- यह सौर मंडल से गुजरने वाला अब तक का **दूसरा अंतर-तारकीय (interstellar) पिंड** है। इस प्रकार का प्रथम पिंड (1I/Qumuamua) वर्ष 2017 में दृष्टिगोचर हुआ था।
- सौर मंडल में उद्भवित पिंड सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, परन्तु अंतर-तारकीय पिंड **अतिपरवलयिक पथ (hyperbolic path)** का अनुसरण करते हैं।
- यह स्पष्ट हो चुका है कि अब तक किए जा चुके अध्ययन के अनुसार **2I/बोरिसोव धूमकेतु द्वारा किसी भी अन्य धूमकेतु की तुलना में अधिक अतिपरवलयिक पथ का अनुसरण किया गया है।**
- अंतर-तारकीय पिंड अपने मूल तारामंडल (विशेषतया इसके निर्माणकारी पदार्थों के संबंध में) के विषय में विशिष्ट आंकड़े प्रदान कर सकते हैं।

10.26. नासा द्वारा प्रतिदर्श संग्रहण मिशन के लिए क्षुद्रग्रह बेन्नू पर स्थान का चयन (Nasa Selects Site on Asteroid Bennu for Sample Collection Mission)

- हाल ही में, नासा द्वारा **ओसिरिस-रेक्स (OSIRIS-Rex) मिशन के अंतर्गत** प्रतिदर्श संग्रह के लिए **'नाइटिंगेल'** के रूप में नामित स्थान को चयनित किया गया है।
- यह स्थान **बेन्नू क्षुद्रग्रह के उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है,** जिसके कारण इस क्षेत्र में तापमान क्षुद्रग्रह के अन्य क्षेत्रों की तुलना में निम्न है तथा धरातलीय सतह की सामग्री भली-भांति संरक्षित है।
- इसकी रेगोलिथ या चट्टानी सतह की सामग्री गहरे रंग की है तथा क्रेटर अपेक्षाकृत चिकना है। क्रेटर **अपेक्षाकृत तरुण अवस्था में माना गया है तथा रेगोलिथ हाल ही में अनावृत हुई है।**
- OSIRIS-Rex मिशन ने **'ऑस्प्रे'** नामक स्थान को बैकअप प्रतिदर्श संग्रहण स्थान के रूप में चयनित किया है। इसका कारण यह है कि यदि नाइटिंगेल की सतह पर उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा से प्रतिदर्श संग्रहण कठिन हो जाता है तो 'ऑस्प्रे' एक वैकल्पिक स्थान होगा।

10.27. अमेरिका की संबद्ध प्रणाली के रूप में नाविक (NAVIC as Allied System of US)

- हाल ही में, अमेरिकी कांग्रेस ने **यूरोपीय संघ के गैलीलियो और जापान के QZSS के साथ-साथ** भारत की नाविक (NAVIC) प्रणाली को भी अपने "संबद्ध" नेवीगेशन उपग्रह प्रणाली के रूप में नामित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
- इसके साथ ही, अमेरिका ने **रूस के ग्लोनास (GLONASS) तथा चीन की बेईदो (Beidou) को "गैर-संबद्ध प्रणाली" के रूप में नामित किया है।** इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिकी उपग्रह नेवीगेशन प्रणाली इन दो उपग्रह नेवीगेशन प्रणालियों के साथ डेटा संग्रह में सहयोग या डेटा का विनिमय नहीं करेगी।
- भारत की NAVIC को एक **"संबद्ध प्रणाली" के रूप में नामित करना मल्टी-ग्लोबल नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) रिसीवर के विकास** हेतु एक प्रोटोटाइप कार्यक्रम विकसित करने के अमेरिकी प्रयास का भाग है।
    - एक मल्टी-GNSS रिसीवर अनेक नेवीगेशन उपग्रह प्रणालियों से प्रसारित उपग्रह संकेतों को प्राप्त करके स्थिति, वेग और समय की गणना करने में सक्षम प्रणाली है।
    - यह केवल GPS पोजिशनिंग की तुलना में उपग्रहों की वर्धित संख्या के साथ सटीक अवस्थिति का पता लगाने में सहायता प्रदान करेगा।

10.28. गोल्ड कोटेड कवक (Gold-Coated Fungi)

- यह हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई **'फुसैरियम ऑक्सीस्पोरम'** कवक की प्राकृतिक रूप से उत्पन्न एक किस्म है।
- सामान्यतः, कवक कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पत्तियों और छाल के क्षरण एवं पुनर्चक्रण में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य धातुओं, जैसे कि एल्यूमीनियम, लोहा, मैंगनीज और कैल्शियम के चक्रण में भी सहायक होते हैं।
  - चूंकि स्वर्ण रासायनिक रूप से निष्क्रिय धातु है, इसलिए यह खोज महत्वपूर्ण हो जाती है।
- यह कवक ऑक्सीकरण की एक प्रक्रिया के माध्यम से अपने आस-पास के कणों को विघटित और अवक्षेपित करके उनके तंतुओं में स्वर्ण को आबद्ध करता है।
- इसके अतिरिक्त, यहां स्वर्ण एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो कवक को कुछ कार्बन खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायता करता है तथा इससे यह कवक स्वर्ण के साथ अंतःक्रिया न करने वाले कवकों की तुलना में **अधिक तीव्र गति से वृद्धि व विस्तार करते हैं।**
- यह खोज कवक की निम्नलिखित कार्यों में संभावित उपयोग क्षमता को इंगित करती है यथा:
  - **अपशिष्ट से स्वर्ण को पुनः प्राप्त करने हेतु जैव उपचार।**
  - सतह के **नीचे व्यापक स्वर्ण निक्षेप का पता लगाने हेतु** निम्न पर्यावरणीय हानि और अधिक लागत प्रभावी भेदन (ड्रिलिंग) में सहायक है।

10.29. भारत के वैज्ञानिक लेखों का प्रकाशन (India's Science Publications)

- हाल ही में, अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) के आंकड़ों के अनुसार, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से संबंधित आर्टिकल्स के प्रकाशन में भारत विश्व का **तीसरा** सबसे बड़ा प्रकाशक देश बन गया है।
- इसके अनुसार 20 प्रतिशत वैज्ञानिक आर्टिकल्स के साथ **चीन शीर्ष स्थान** पर है, इसके उपरांत अमेरिका (16 प्रतिशत) का स्थान है। भारत का विज्ञान और अभियांत्रिकी आर्टिकल्स के प्रकाशन में 5.31% का योगदान है।
- अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की स्वास्थ्य विज्ञान में अधिक विशेषज्ञता है, जबकि भारत एवं चीन की विशेषज्ञता अभियांत्रिकी के क्षेत्र में है।

10.30. पुर्तगाल द्वारा गांधी पुरस्कार की स्थापना (Portugal Sets up Gandhi Prize)

- हाल ही में, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने **'गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार' (Gandhi Citizenship Education Prize)** की स्थापना करने की घोषणा की है।
- यह घोषणा **'महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव की राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति'** की दूसरी बैठक में भाग लेने के दौरान की गई।
  - यह **पुरस्कार गाँधीजी के विचारों और उद्धरणों से प्रेरित होगा तथा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाएगा।**
  - इस पुरस्कार का प्रथम **संस्करण पशु कल्याण के लिए समर्पित होगा।**
- पुर्तगाल के प्रधानमंत्री **'महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव की राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति'** के सदस्य बनने वाले एकमात्र विदेशी राजनेता हैं।
- **महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव की राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति के विषय में:**
  - इस राष्ट्रीय समिति का गठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए किया गया था।
  - **इस समिति की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की गई** तथा इसमें उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक क्षेत्र के प्रतिनिधि, गाँधीवादी विचारक और सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया था।
  - इस समिति में सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र के दो पूर्व महासचिव, यथा- **कोफी अन्नान** और **बान की मून** भी शामिल थे।

10.31. वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार (Sahitya Akademi Awards 2019)

- हाल ही में, साहित्य अकादमी द्वारा 23 भाषाओं (अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है) के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। नेपाली भाषा के लिए पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार **अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में विगत 5 वर्षों में भारत में प्रकाशित साहित्यिक श्रेष्ठता की सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों हेतु केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है।**
  - भारत के **संविधान में सम्मिलित 22 भाषाओं** के अतिरिक्त साहित्य अकादमी ने **अंग्रेजी एवं राजस्थानी** भाषा को भी मान्यता प्रदान की है।
  - विजेताओं को एक उत्कीर्णित ताम्र-पत्र, एक शॉल और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है।
  - साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले **ज्ञानपीठ पुरस्कार** के पश्चात् **दूसरा सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान** है।

- **भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था-साहित्य अकादमी के बारे में:**
  - यह देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और संवर्धन के लिए एक केंद्रीय संस्थान है तथा अंग्रेजी भाषा सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियां संपन्न करने वाली एकमात्र संस्था है।
  - इसे वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, हालांकि यह स्वायत्त रूप से कार्य करती है।
  - यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के अंतर्गत एक संस्था के रूप में पंजीकृत है।
  - यह भारत से बाहर भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ साहित्यिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

10.32. भारतीय संस्कृति पोर्टल (Indian Culture Portal)

- हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय (MoC) ने **भारतीय संस्कृति वेब पोर्टल** का शुभारंभ किया।
- यह सरकार द्वारा अधिकृत प्रथम पोर्टल है, जहाँ MoC के विभिन्न संगठनों से संबंधित ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधन अब एक ही मंच पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकेंगे।
- इसे **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), बॉम्बे** के एक दल द्वारा विकसित किया गया है, जबकि इसके लिए डेटा के चयन, संग्रहण और परिरक्षण का कार्य **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)** द्वारा किया जाएगा।
- यह परियोजना प्रधानमंत्री की **डिजिटल इंडिया** पहल का एक भाग है, जो देश और विदेश में भारत की समृद्ध मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी।
- इस पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री में मुख्य रूप से दुर्लभ पुस्तकें, ई-पुस्तकें, पांडुलिपियां, संग्रहालय की कलाकृतियां, आभासी दीर्घाएं, अभिलेखागार, चित्र अभिलेखागार, गजेटियर, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, वीडियो, चित्र, व्यंजन, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, भारत के संगीत उपकरण इत्यादि शामिल होंगे।
- इस पोर्टल पर सामग्री वर्तमान में **अंग्रेजी** और **हिंदी** भाषा में उपलब्ध हैं। भविष्य में यह पोर्टल अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी सूचना उपलब्ध कराएगा।

10.33. एसोचैम की स्थापना के 100 वर्ष (100 Years of ASSOCHAM)

- हाल ही में, **एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम /ASSOCHAM) द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए गए हैं।**
- यह एक **अग्रणी भारतीय व्यापारिक संघ है**, जिसे वर्ष 1920 में कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में वाणिज्य मंडलों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं और कानून निर्माताओं को स्थानीय एवं वैश्विक मुद्दों पर संवेदनशील बनाकर **संतुलित आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक विकास में योगदान करना है।**
- **यह निरंतर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ अंत:क्रिया करता है** तथा भारत की आर्थिक, व्यापारिक, राजकोषीय और सामाजिक नीतियों को स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **इसके अंतर्गत 40 से अधिक विशेषज्ञ समितियां हैं** जो अपने सदस्यों के हितों से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों को नियमित रूप से प्रस्तुत करती रहती हैं।
- यह महत्वपूर्ण कार्यशालाओं तथा नीति निर्माताओं के साथ समन्वय के लिए पारस्परिक संवादात्मक (interactive sessions) सत्रों का आयोजन करता है।
- इसका **मुख्यालय नई दिल्ली** में स्थित है।

10.34. राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार (National Florence Nightingale Award)

- हाल ही में, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार-2019 के अंतर्गत 36 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
  - **लिनी पुथुसेरी** को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिनका केरल में निपाह वायरस से संक्रमित रोगी की देखभाल करते समय निधन हो गया था।
- सरकार ने वर्ष 1973 में समाज के प्रति नर्सों की उल्लेखनीय सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की शुरुआत की थी।
- वर्ष 2019 के पुरस्कारों के वितरण का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नर्सिंग अनुभाग से भारतीय नर्सिंग परिषद को हस्तांतरित किया गया हैं।

VISION IAS

- फ्लोरेंस नाइटिंगेल (जिन्हें द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है) एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद और समाज सुधारक थीं। वह आधुनिक नर्सिंग की अवधारणा की जननी थीं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया है।

10.35. रोहतांग टनल का अटल टनल के रूप में पुनर्नामकरण (Rohtang Tunnel renamed as Atal tunnel)

- हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा रोहतांग टनल (सुरंग) का नाम परिवर्तित कर अटल टनल रखा गया है।
- पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित रोहतांग टनल 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है। यह 3,000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है।
- इसे **सीमा सड़क संगठन (BRO)** द्वारा निर्मित किया गया है।
- यह हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ सभी मौसम में कनेक्टिविटी स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगी।

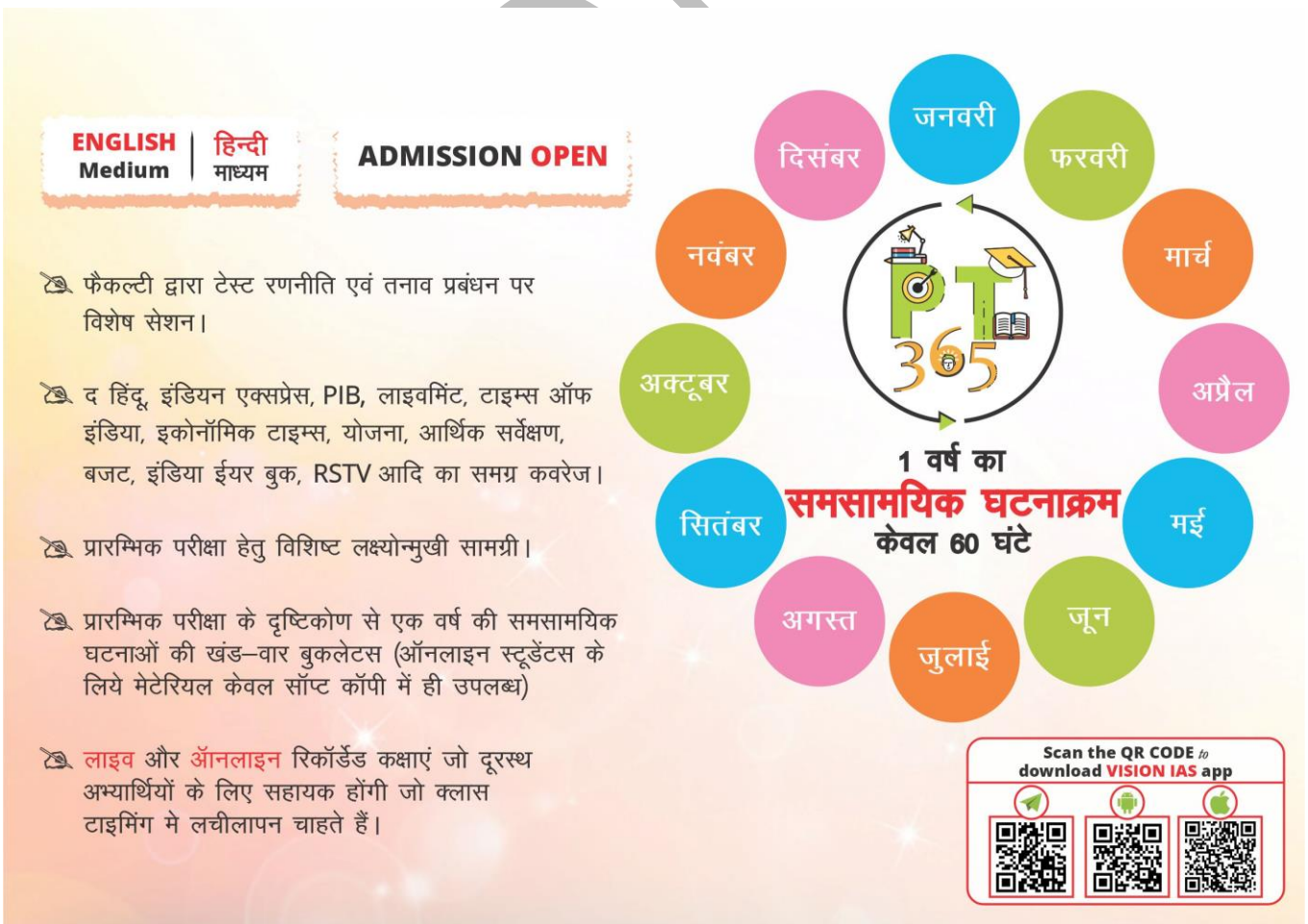

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

11.1. अमृत (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs: MoHUA) ने **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन** (AMRUT) को **मार्च 2022 तक दो और वर्षों के लिए** विस्तारित करने का निर्णय लिया है क्योंकि अभी तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सही है।**{प्रारम्भ में यह योजना 5 वर्षों (2015-20) के लिए आरंभ की गई थी}**

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ

• प्रत्येक परिवार को नल द्वारा जल की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना।
• हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदानों (अर्थात पार्क) को विकसित करके शहरों के सौंदर्य मूल्य (amenity value) में वृद्धि करना।
• गैर-मोटरीकृत परिवहन (अर्थात पैदल चलना एवं साइकिल) के लिए सुविधाओं का निर्माण करना अथवा सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर प्रदूषण को कम करना।
	• अमृत (AMRUT) के अंतर्गत चयनित **शहरों की श्रेणियां** निम्नलिखित है:
	  ○ 2011 की जनगणना के अनुसार, छावनी बोर्ड (नागरिक क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगरपालिका वाले ऐसे सभी शहर और कस्बे जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है,
	  ○ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के ऐसे सभी राजधानी शहर/कस्बे जो उपर्युक्त श्रेणी में शामिल नहीं हैं,
	  ○ MoHUA द्वारा **हृदय योजना** (विरासत शहर विकास और विस्तार योजना) के अंतर्गत विरासत स्थलों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे,
	  ○ प्रमुख नदियों पर स्थित 13 शहर और कस्बे जिनकी जनसंख्या 75,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम है, और
	  ○ पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों से दस शहरों का चयन (प्रत्येक राज्य से एक शहर से अधिक नहीं)।
	• **केंद्रीय सहायता की सीमा:** 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों और कस्बों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक तथा 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत के एक तिहाई तक **केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी**।
	• **राज्य वार्षिक कार्रवाई योजनाएँ:** इनको राज्य सरकार द्वारा केवल व्यापक सहमति के लिए केंद्र को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर धनराशि जारी की जाएगी।
	• केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरण के 7 दिनों के भीतर राज्य शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरित करेंगे तथा धनराशि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु करने पर ब्याज सहित दंड वसूला जाएगा।
	• बजट आवंटन का 10 प्रतिशत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विगत वर्ष के दौरान सुधारों के निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा।
	• ये सभी परिणाम नागरिकों विशेषतया महिलाओं के लिए महत्त्व रखते हैं तथा शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा सेवा स्तरीय बेंचमार्क (SLBs) के रूप में संकेतक और मानक निर्धारित किए गए हैं।
	• इस मिशन के अंतर्गत मार्च 2020 तक 139 लाख जल कनेक्शन, 145 लाख सीवर कनेक्शन, स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट, पार्क तथा ग्रीन स्पेस और LED स्ट्रीटलाइट्स उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
	• आंकड़ों के अनुसार, **विगत पांच वर्षों में,**
	  ○ इस मिशन के कुल परिव्यय का केवल 9.2 प्रतिशत उपयोग किया जा चुका है,
	  ○ लगभग 46 प्रतिशत जल कनेक्शन और 28.3 प्रतिशत सीवर कनेक्शन के लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं (जो इस मिशन के दो प्रमुख घटक हैं)।

VISION IAS

11.2. मिशन अंत्योदय (Mission Antyodaya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, मिशन अंत्योदय के तहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के आधार पर, **तमिलनाडु के मोलुगंबोंडी पंचायत** ने देश में **ग्राम पंचायतों (GP)** की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से समयबद्ध रूप से निर्धनता के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए, वित्तीय और मानवीय दोनों प्रकार के परिवर्तनकारी बदलावों को अवसर प्रदान करना।	• **ग्रामीण विकास मंत्रालय** के अधीन मिशन अंत्योदय एक **अभिसरण और जवाबदेही ढांचा** है जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के 27 मंत्रालयों / विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना है। • यह ग्राम पंचायतों के साथ राज्य के नेतृत्व वाली पहल के रूप में अभिसरण प्रयासों के केंद्र बिंदु के रूप में परिकल्पित है। ग्राम पंचायत (GP) परिवर्तन की निगरानी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर रैंकिंग के लिए मूल इकाई है। • **मिशन अंत्योदय के तहत मुख्य प्रक्रियाएं:** ○ परिवारों का **बेसलाइन सर्वेक्षण (baseline survey)** करना तथा आवधिक रूप से प्रगति की निगरानी करना। वर्तमान में यह 5,000 ग्रामीण क्लस्टर या 50,000 ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले 1,00,00,000 परिवारों के जीवन को प्रभावित करने वाले **मापन योग्य परिणामों (measurable outcomes)** को शामिल करता है। ○ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं का समेकन सुनिश्चित करना। ○ PRIs, सामुदायिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संस्थानों और विभिन्न विभागों (जैसे-आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के मध्य ग्राम पंचायत / क्लस्टर में संस्थागत भागीदारी। ○ संस्थानों और पेशेवरों के साथ भागीदारी के माध्यम से उद्यमों को बढ़ावा देना। • **अभिकल्पित किए गए प्रमुख परिणाम**: ○ ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)/क्लस्टर विकास योजनाओं के अनुरूप योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करके चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टर के लिए सुदृढ़ अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करना। ○ ग्राम पंचायत/क्लस्टर में हितधारकों के विस्तृत भाग को आकर्षित करने वाली योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन तथा सामाजिक पूंजी में वृद्धि हेतु सहभागितापूर्ण योजना निर्माण। ○ गैर-कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास, मूल्य श्रृंखलाओं का विकास और उद्यम को प्रोत्साहन देने सहित विविध आजीविकाओं के सृजन के माध्यम से आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहन देना। ○ PRI की क्षमता के विकास, सार्वजनिक प्रकटीकरण, ग्राम पंचायत स्तर के औपचारिक एवं सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे सामाजिक जवाबदेही उपायों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना। • **मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019:** ○ ग्राम पंचायत स्तर पर मापन योग्य परिणामों के आधार पर वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। इसे पंचायत राज मंत्रालय के **'पीपुल्स प्लान कैंपेन (PPC)'** के साथ किया जाता है और इसका उद्देश्य **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)** के लिए सहभागी योजना की प्रक्रिया को समर्थन देना है। ○ 2017-18 में 46 मापदंडों के विपरीत, वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत के स्कोर के लिए 112 मापदंडों को शामिल किया गया है। ○ इन मापदंडों को संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायतों में स्थानांतरित सभी 29 विषयों को शामिल किया गया है। ○ **केरल की ग्राम पंचायतों** ने **उच्चतम औसत स्कोर** (100 में से 69) प्राप्त किया है, उसके पश्चात् **गुजरात** और **तमिलनाडु** का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी ने उच्चतम

VISION IAS

	औसत स्कोर प्राप्त किया है, उसके पश्चात् दमन और दीव का स्थान है। ○ देश भर में अधिकांश ग्राम पंचायतें (लगभग 39%) 100 में से 31-40 की स्कोर की रेंज में शामिल हैं।

11.3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-आशा) {Pradhan Mantri- Annadata Aay Sanrakshan Yojana (Pm-Aasha)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

PM-आशा योजना के अंतर्गत, इस सीजन के लिए **दलहन एवं तिलहन** की स्वीकृत मात्रा का अभी तक 3 प्रतिशत से कम ही खरीदा जा सका है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है।	• **कृषि मंत्रालय** के तहत, PM-आशा का लक्ष्य खरीद प्रणाली में विद्यमान अंतराल को समाप्त करना, MSP व्यवस्था संबंधी मुद्दों का समाधान करना तथा किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना है। • यह वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने हेतु समग्र दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। • इस समग्र योजना के प्रमुख तीन घटक निम्नलिखित हैं: ○ **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** इसके तहत, दालों, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। ▪ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी फसलों की खरीद करेगा। ▪ खरीद से होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ○ **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS):** यह उन सभी **तिलहनों** को शामिल करेगा जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और वास्तविक बिक्री मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाएगा। ▪ लाभार्थियों में वे किसान शामिल हैं जो अधिसूचित अवधि के अंतर्गत निर्धारित मंडियों में अपनी फसल का विक्रय करते हैं। ▪ इस दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष बाजार हस्तक्षेप या भौतिक खरीद शामिल नहीं है। बाजार की कीमतें सामान्य आपूर्ति और मांग कारकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ○ **निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (PPPS):** तिलहन के मामले में, राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS को आरम्भ कर सकते हैं, जहां कोई निजी अभिकर्ता बाजार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। ▪ उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सेवा शुल्क के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। • ये उप-योजनाएं धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाओं की पूरक हैं, ताकि किसानों को इन फसलों का MSP सुनिश्चित की जा सके।

11.4. प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana: PMVDY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राईफेड) द्वारा **'प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) के 100 दिन'** पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• लघु वनोपजों (MFP) के लिए बाजार विकास को बढ़ावा देना और जनजातीय संग्रहकर्ताओं हेतु उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना।	• यह एक **मार्केट लिंक्ड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम** है, जो वन संपदा (जैसे- वन धन) का उपयोग कर जनजातियों हेतु आजीविका सृजन को लक्षित करता है।

VISION IAS

• जनजातीय स्व-सहायता समूहों का क्लस्टर निर्माण करना तथा उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों के रूप में सुदृढ़ करना। • मूल्य परिवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में वृद्धि करने में सहायता करना क्योंकि इसमें जनजातीय-ग्रामीण आर्थिक प्रणाली को परिवर्तित करने की क्षमता विद्यमान है।	• इसका उद्देश्य जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल के प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी और सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से इसे उन्नत कर इसका लाभ प्राप्त करना है तथा जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करना है। • यह एक वर्ष में लगभग 45 लाख जनजातीय संग्राहकों को बेहतर आजीविका प्रदान करेगा। • प्रीडेटरी विपणन की शक्तियों (जिन क्षेत्रों में ये अभी भी प्रचलित हैं) का सामना करने हेतु एक व्यवहार्य पैमाने को प्राप्त करने के लिए, यह योजना आदिवासियों की सामूहिक क्षमता को प्रोत्साहित करेगी। • इसका कार्यान्वयन केंद्रीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)** द्वारा किया जाएगा। • प्रत्येक केंद्र 10 जनजातीय स्वयं सहायता समूह का गठन करेगा तथा प्रत्येक समूह में 30 जनजातीय संग्रहकर्ता शामिल होंगे जो प्रत्येक **वन धन विकास 'समुह'** का निर्माण करेंगे। • क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन एवं मूल्य संवर्धन सुविधा प्रदान करने तथा प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना हेतु **वन धन विकास केंद्र (VDVKs)** की स्थापना की जाएगी।

11.5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme For MSMEs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** ने कम लागत पर ऋण पहुंच स्थापित करने और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उनके लिए **ब्याज अनुदान योजना दिशा-निर्देशों** को संशोधित (अपडेट) किया है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के लिए MSMEs को प्रोत्साहन प्रदान करना, जो कि ऋण की लागत को कम करते हुए अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में सहायता करता है।	• वर्ष 2018 में प्रारम्भ, यह योजना वैध **उद्योग आधार संख्या** (Udyog Aadhar Number: UAN) वाले सभी **GST पंजीकृत MSMEs** के लिए नए और वृद्धिशील ऋण पर **2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करती है।** • इसका उद्देश्य विनिर्माण और सेवा उद्यमों, दोनों को प्रोत्साहित करना है। • इसे वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। • वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 के दौरान विस्तारित अवधि के लिए सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी, कवरेज के लिए पात्र होगी। • सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी को **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** द्वारा विस्तारित किया जाएगा। • **अधिकतम कवरेज और पहुँच** सुनिश्चित करने हेतु, सभी पात्र कार्यशील पूंजी या सावधि ऋण इस योजना की अवधि के दौरान **100 लाख रुपये तक** की कवरेज के लिए पात्र होंगे। • **अपवाद:** जो MSMEs राज्य / केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत पहले से ही ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे इस प्रस्तावित योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। ○ क्लेम दायर करने की तिथि तक विद्यमान ऋण खातों को

VISION IAS

	NPA घोषित नहीं किया जाना चाहिए। • **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** इस योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। **हालिया संशोधन:** • UAN रहित व्यापारिक गतिविधियों को भी योजना के लिए पात्र बनाया गया है। GST हेतु पात्र इकाइयों के लिए UAN की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

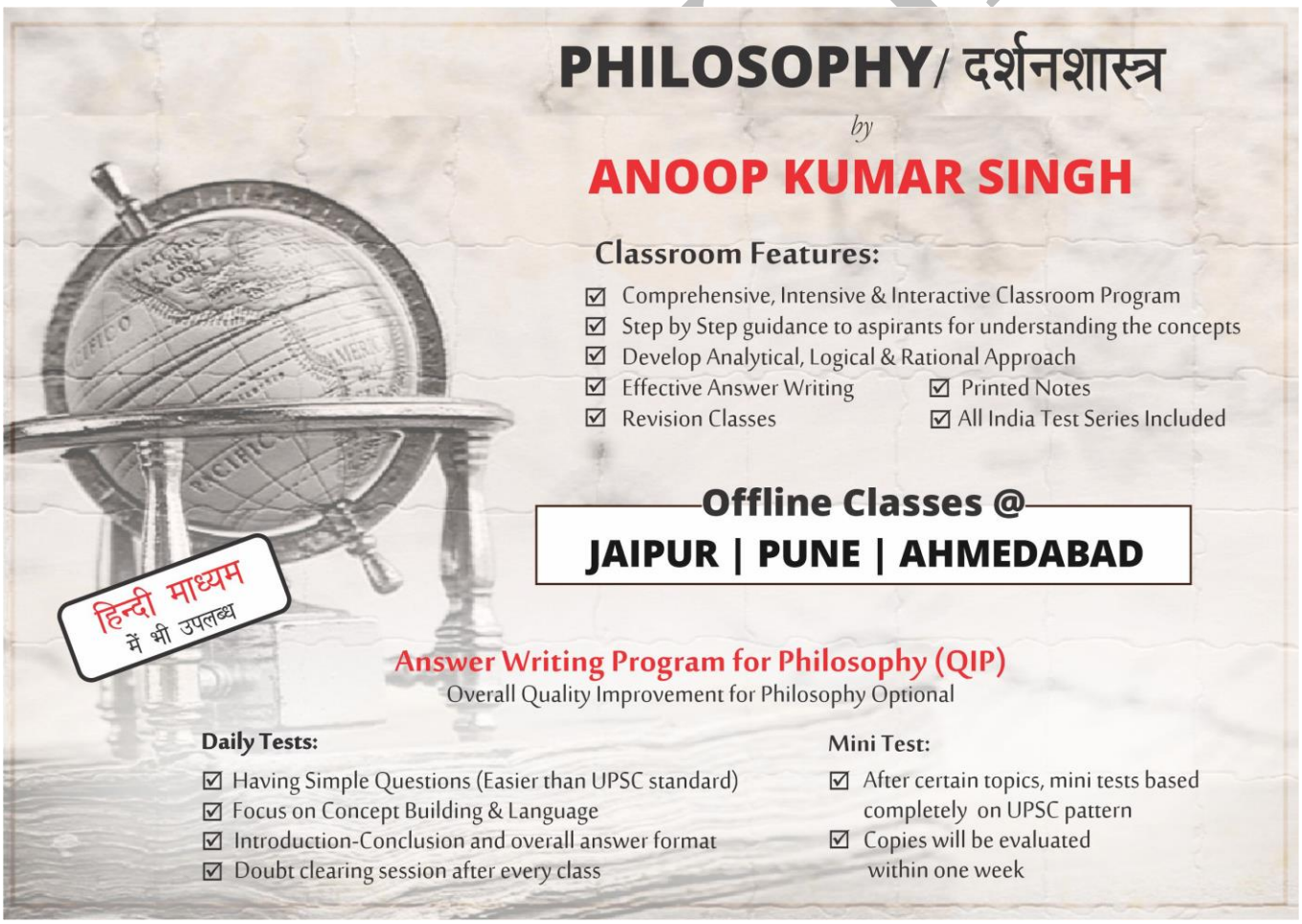

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS